Wednesday, 12 August, 1970

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 4th LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवाँ सत्र
Eleventh Session]

Preservation Unit 12-4-92 Fumigated On 9-84 Parliament Library

PARLIAMENT LIBRARY
No. 61642
Date 11.12.70

[खण्ड 43 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया | Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक —13, बुधवार, 12 अगस्त, 1970/21 श्रावण, 1892 (शक)
No.—13, Wednesday, August 12, 1970/Sravana 21, 1892 (Saka)

निधन-संबंधी उल्लेख — OBITUARY REFERENCE

प्रश्नो के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
361.	ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के संरक्षण में पकिस्तानियों द्वारा सीमा का उल्लंघन — Madam Binh's request for recognition of provisinal revolutionary Government	3—7
362.	मेडम बिन्ह पर किया गया खर्च — Limits set for prices charged by STC for its imports	7—12
364.	अस्थाई क्रान्तिकारी सरकार को मान्यता देने के लिये मेडम बिन्ह का अनुरोध — Border violation by Pakistanis led by East Pakistan Rifles	12—16
366.	राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित वस्तुओं पर लिये जाने वाले मूल्यों का सीमा निर्धारण — Expenditure on Madam Binh	16—18
	अल्प सूचना प्रश्न — Short Notice Question	
4.	सतपुड़ा तापीय विद्युत संयंत्र का पुनः स्थापित किया जाना — Re. Installation of Satpura Thermal Plant	18—20

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता०प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नो के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
365. सोवियत विदेश उपमंत्री की भारत-यात्रा	Soviet Deputy Foreign Minister's, visit to India	20—21
367. मैडम बिन्ह द्वारा भारत में सूचना केन्द्र खोलने का अनुरोध	Madame Binh's request for opening information centre in India	21
368. व्यापार तथा परिगमन के बारे में भारत नेपाल संधि में आमूल परिवर्तन करने की नेपाल द्वारा मांग	Nepalese demand for radical revision of Indo Nepal Treaty Trade and Transit	22
369. नेपाल में सर्चलाइट और ब्लिट्ज के प्रवेश पर प्रतिबन्ध	Ban on Entry of Searchlight and Blitz in Nepal	22
370. भारत नेपाल व्यापार	Indo Nepal Trade	23
371. प्रतिरक्षा उत्पादन में 'सिविल-सैक्शन' के कार्य के बारे में नीति	Policy in the role of the civil-section in Defence production	24
372. चाय उद्योग में पूंजी विनियोजन में कमी	Fall in investment in Tea Industry	24—25
373. ब्रिटेन के गृह-सचिव का आव्रजन नियंत्रण के बारे में वक्तव्य	British Home Secretary's Statement on Immigration controls	25
374. चुम्बी घाटी में चीन द्वारा फरी ड्जोंगहवाई अड्डे का विस्तार	Expansion of Phari Dzong Airport in chumbi Valley by China	25—26
375. कम्बोडिया में दो सरकारों के सम्बन्ध में सरकार का रवैया	Government's attitutde towards two Governments in Cambodia	26
376. बम्बई में रूसी वाणिज्य दूतावास भवन	Soviet consulate Building in Bombay	26—27

ता०प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
377. भारत-ब्रिटेन यात्रा सुविधाएं	Indo-British Travel Facilities	27
378. कार निकोबार द्वीपसमूह में एच० एस० 748 विमान का उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त होना	Crash-Landing of H. S. 748 Aircraft in car Nicobar islands	27—28
379. चीन द्वारा भारतीय सीमाओं पर बड़े पैमाने पर सैनिक संस्थापनों की स्थापना	Massive Military installations on Indian Borders by Chinese	28
380. वियतकांग से अलग हो जाने वाले व्यक्तियों द्वारा भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप	Interference in the Internal Affairs of India by Vietcong Defectors	28—29
381. भारत और पाकिस्तान द्वारा यूरोपीय साझा बाजार के साथ पटसन के सामान के बारे में किये गये करार	Agreements for jute goods concluded with ECM by India and Pakistan	29—30
382. उत्तरी बियतनाम के कैदियों की वापिसी	Repatriation of North Vietnamese prisoners	31
383. मैडम बिन्ह की यात्रा से नक्सलपंथियों को प्रोत्साहन	Encouragement to Naxalites by Madame Binh's visit	31—32
384. पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय संपत्ति की पाकिस्तान सरकार द्वारा बिक्री	Sale of Indian property in East Pakistan by Pakistan Government	32—34
385. भारत-चीन सीमा के निकट विद्रोही नागाओं के लिये सप्लाई केन्द्र	Supply centres for Rebel Nagas near India-China Border	34
386. विकासशील राष्ट्रों के निर्यात में अज्ञाज सहायता देने हेतु बहु-राष्ट्रीय बीमा-योजना का प्रस्ताव	Proposal for multi insurance plan to help Developning Nation's Exports	34—35
387. भूटानी-भूभाग को चीनी आधिपत्य से मुक्त कराने के लिए कार्यवाही	Steps to Redeem Chinese Occupation of Bhutanese Territory	35

ता०प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
388. अमरीकी तथा अन्य सांस्कृतिक केन्द्रों का पुनः खोला जाना	Reopening of American and other Cultural Centres	35—36
389. लाइसेंस के अन्तर्गत प्रक्षेपणास्त्र बनाने के लिये सरकारी क्षेत्र में एक एकक की स्थापना	Setting up public sector unit for Manufacture of Missiles under licence	36
390. भरतीय बन्दरगाहों में रूसी जहाजों को मरम्मत की सुविधा	Repair facilities to Russian ships in Indian ports	36
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
2401. केन्टीन स्टोर्स विभाग (इंडिया), जयपुर के कर्मचारियों के लिए परिवहन की सुविधायें	Transport facilities to Employees of Canteen Stores Department (India) Jaipur	36—37
2402. नई दिल्ली में ठहरे हुए दो विदेशी नागरिकों के पूर्व-वृत्तों का सत्यापन	Verification of Antecedents of two foreign Nationals Staying in New Delhi	37
2403. भारत के समाचार पत्र में उत्तर कोरिया का विज्ञापन	North Korean Advertisement in Indian Newspaper	37—38
2404. कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट (इंडिया) के पुनर्गठन सन्बन्धी अध्ययन दलों के प्रतिवेदन	Reports of Study Groups on Reorganisation of Canteen Stores Department (India)	38
2405. इन्फैंट्री स्कूल, मऊ में प्रयोग के लिए 106 एम० एम० रिकायल-लैस टैंक मार तोपों के लिये सैनिक प्राधिकारियों द्वारा खराब गोला-बरूद की सप्लाई	Defective Ammunition Supplied by Army Authorities for 106MM Recoilless Anti-Tank Guns used in Infantry School, Mhow	39
2406. स्क्रैप का निर्यात	Scrap Export	39—40
2407. स्क्रैप प्रोसेसिंग उपकरण तथा फालतू पुर्जों का आयात	Import of Scrap Processing Equipment and Spares	40
2408. अनपेक्षित और फालतू स्क्रैप का निर्यात	Export of surplus and Unwanted Grade of scrap	40—41

ता०प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2409. रद्दी लोहस (फैरस स्क्रैप) के निर्यात सम्बन्धी नीति	Ferrous Scrap Export Policy	41
2410. भारत और क्यूबा के मध्य व्यापार	Indo-Cuban Trade	41—42
2411. राज्य व्यापार निगम द्वारा विदेशी कारों की खरीद	Purchase of Foreign Cars by State Trading Corporation	42
2412. प्लास्टिक के घोल से कंकरीट की सिल्लियों का बनाया जाना	Manufacture of Concrete Slabs from Plastic Solution	42
2413. हीरों के व्यापार में कथित गड़बड़ घोटाला	Alleged Racketeering in Dimonds Trade	43
2414. फ्रांस की 'रेनाल्ट कार' फर्म के एक प्रतिनिधि मण्डल द्वारा भारत यात्रा	Visit by Delegation of French Renault Car Firm	43
2415. रूस से ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors from U.S.S.R.	44
2416. पटसन उद्योग को राज सहायता	Subsidy to jute Industry	44
2417. केन्द्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम, दिल्ली	Central Cottage Industries Emporium, Delhi	44—45
2418. मैसर्स मोडेला बूलन मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा अपरिष्कृत ऊन का आयात	Import of Raw Wool by Messrs Modella Woollen Mills (P) Ltd.	45
2419. मैसर्स मोडेला वूलन मिल्स लिमिटेड को ऊन के आयात के लिये दिया गया लाइसेंस	Licence granted to Messrs Modella Woollen Mills Ltd. for Import of wool	45—46
2421. पश्चिमी कोसी नहर का पुनः सर्वेक्षण	Re-survey of western Kosi Canal	46
2422. एक केन्द्रीय मंत्री का इस आशय का कथित बयान कि पाकिस्तान से निकाले गए परिवारों के लिए भारत को पाकिस्तान से मुआवजा मांगना चाहिए	Reported Statement of a Union Minister that India should demand compensation from Pakistan for families squeezed out of Pakistan	46

ता०प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2423. नेपाल से शरणार्थियों का भारी संख्या में भारत आना	Influx of Refugees from Nepal to India	47
2424. आम से बनी वस्तुओं का निर्यात	Export of Mango Products	47
2425. राजस्थान नहर के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Rajasthan Canal	48
2426 टेलीविज़न सैटों का उत्पादन	Production of T. V. Sets	48—49
2427. अमरीका और रूस के प्रचार साहित्य प्रकाशन और वितरण पर रोक	Curb on Distribution of Propaganda Publications by USA and USSR	49
2428. केन्द्रीय सरकार द्वारा तमिल नाडु में विद्युत सप्लाई तथा प्रजनन को अत्यावश्यक सेवा घोषित करना	Declaration of Electric Supply and generation in Tamil Nadu as Essential Service by Central Govrnment	49
2429. क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशालाओं को स्वायतत्तता करना प्रदान	Autonomy for Regional Research Laboratories	50
2430 न्यायाधीश सरकार द्वारा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के अध्यक्ष पद से दिए गए त्यागपत्र को वापिस लेना	Withdrawal of Resignation by Mr. Justice Sarkar from the Chairmanship of C.S.I.R.	50
2431 नागालैंड शान्ति प्रेक्षक दल के प्रतिनिधि को फिजो का कूट सन्देश	Phizo's Message in code to Representative on Nagaland Peace Observers Team	50—51
2434. वैज्ञानिक तथा तकनीकी मामलों से संबंधित मंत्रिमंडल की सलाहकार समिति का प्रतिवेदन	Report by Cabinet Advisory Committee Scientific and Technical Matters	51
2435. एक पदच्युत पुलिस कांसटेबल की वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद में नियुक्ति	Appointment of a Dismissed Police Constable in CSIR	51

ता०प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2436. 1968. और 1970 के बीच पाकिस्तान गए मुसलमानों की संख्या	Number of Muslims Migrated to Pakistan between 1968 and 1970	52
2437. चीन की सहायता से भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण की सम्भावना	Possibility of Pakistani Attack on India with the help of China	52
2438. भारतीय गंधक के वेचने से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा	Foreign exchange earned due to sale of Indian Sulpher	52
2439. कपड़े का निर्यात	Export of Textiles	52—53
2440. पूर्वी समुद्र में अबाध पत्तन	Free Port on East Coast	53
2441. उड़ीसा में प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income in Orissa	53—54
2442. भारत में निर्यात विपणन सम्बन्धी विशेषज्ञ दल की नियुक्ति	Appointment of Expert Group for Export Marketing in India	54—55
2443. विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय में असमानता	Disparity in per capita Income of Various States and Union Territories	55—56
2444. भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा ट्रजिस्टरीकृत रिसीवर तैयार करना	Transistorised Receiver Designed by Bharat Electronics Ltd.	56—57
2445. रबड़ के सामान का निर्यात	Export of Rubber Goods	57
2446. राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग द्वारा संकटग्रस्त मिलों को अपने हाथ में लिया जाना	Taking over by sick Textile Mills by National Textiles Corporation	57—59
2447. एडवर्ड (कपड़) मिल्स, व्याबर राजस्थान का बन्द होना	Closure of Edward Mills Byabar (Textiles) Rajasthan	59
2448. रूस को भाप के इंजनों का निर्यात	Export of Steam Locomotives to Soviet Union	60

ता०प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2449. कलकत्ता में होजरी उद्योग में काम करने वाले दर्जियों के लिये समान सिलाई दरें	Uniform Tailoring Rates for the Hosiery Tailors in Calcutta	60
2450. फिलिप्स (इंडिया) द्वारा टेलीबिजन बनाने के लाइसेंस के लिये अनुरोध	Request by Philips (India) for grant of Licence for the manufacture of T.V. Sets	60—61
2451. एयर इन्डिया की विमान परिचारिकाओं और महिला स्वागतधिकारियों के लिए बहुत बढ़िया किस्म की रेशमी साड़िया	High Quality silk Sarees for Air India Hostesses and Receptionists	61
2452. पिछड़े क्षेत्रों की सूची में कुछ क्षेत्रों को सम्मिलित करना	Inclusion of certain areas in the list of Backward Areas	61
2453. राज्यों द्वारा निर्यात व्यापार का कार्यक्रम	Programme of Export Trade by States	62
2454. भारत रुई निगम की स्थापना	Establishment of Cotton Corporation of India	62—63
2455. भारत में अपेक्षाकृत बिजली की प्रति व्यक्ति खपत	Comparative per capita consumption of Power in India	63
2456. अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी महासंघ के साथ बैठकें	Meetings with All India Defence Employees Federation	63
2457. कानपुर में औद्योगिक गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत बनाये गये मकानों में रहने वाले प्रतिरक्षा कर्मचारी	Defence Employees living in Houses constructed under Industrial Housing Scheme in Kanpur	64
2458. लापता भारतीय पर्वतारोही	Missing Indian Mountaineers	64
2459. दिल्ली विद्युत प्रदाय के इन्जीनियरों के पुनरीक्षित वेतन मान	Revised pay scales for DESU Engineers	64—65

ता०प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2460. सिंहानुक के मंत्री को भारत आने के लिये पारपत्र जारी किया जाना	Passport Issued to Sihanouk's Minister to India	65
2461. पश्चिम बंगाल के देहातों में बिजली लगाना	Electrification of villages in West Bengal	66
2462. निर्यात बढ़ाने के लिये निर्यात करने वाली सूती कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Exporting textile Mills to Boost exports	66
2463. राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की कार्यकारी परिषदों के अध्यक्षों की बैठक	Meeting of Chairmen of Executive Councils of National Laboratories	66—67
2465. हरियाणा सहित पंजाब तथा राजस्थान के बीच ब्यास परियोजना की लागत	Allocation of Cost of Beas Project between Punjab (including Haryana) and Rajasthan	67
2466. पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की सप्लाई पर प्रतिबंध हटाया जाना	Removal of ban on US Arms to Pakistan	67—68
2467. गार्डन रीच वर्कशाप में बने ड्रेजर	Dredger made by Garden Reach Workshop	68—69
2468. नागालैंड ट्वेनसांग में चीन द्वारा प्रशिक्षित नागा	China-Trained Nagas sneaked into Tuensang District of Nagaland	69
2469. चीन द्वारा अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण	Testing of Intercontinental Missile by China	69
2470. इ० एम० इ० काम्पटी के के भूतपूर्व कमांडिंग अधिकारी के विरुद्ध आरोप	Charges against former commanding Officer E.M.E. Kanptee	70
2471. पाकिस्तान की लाहौर जेल में जांलधर जिले के आदम-पुर दौआबा के एक निवासी को बन्द करना	Imprisonment of a Resident of Adampur Doaba, Jullundur District in Lahore Jail in Pakistan	70

ता०प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2472. राजस्थान सरकार के मंत्रियों द्वारा अपने पुत्रों के विवाहों पर अत्यधिक खर्च किया जाना	Lavish Expenditure by Ministers of Rajasthan Government on their sons' Marriages	70—71
2473. नेपाल की उपहार पार्सल योजना	Gift parcel Scheme of Nepal	71
2474. नेपाल से होकर भारतीय पटसन का निर्यात	Export of Indian Jute through Nepal	71—72
2475. सीमेंट का निर्यात	Export of Cement	72
2476. चौथी योजना में माल डिब्बे बनाने का लक्ष्य	Fourth Plan Targets for Wagon Making	72—73
2477. कलकत्ता पत्तन पर माझियों और गोदी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण निर्यात किये जाने वाले माल का जमा हो जाना	Accumulation of Stocks of export goods due to strike by Bargeman and shore labour at Calcutta Port	73
2478. उड़ीसा में चिरोली बान्ध	Chiroli Dam in Orissa	73—74
2479. सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं संबंधी प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों का लागू करना	Implementation of recommendations contained in report on Irrigation and power projects	74
2480. मैडम बिन्ह के साथ वार्ता	Talks with Madame Binh	74
2481. उत्तर कोरिया से व्यापार समझौता	Trade Agreement with North Korea	75
2482. निर्यात तथा आयात संगठनों में सुधार	Streamlining of the export and import organisation	75—76
2483. जकार्ता में इण्डियन सर्कस पर आक्रमण	Attack on Indian Circus in Djakarta	76—77
2484. कांगड़ा सब-स्टेशन की विद्युत क्षमता बढ़ाना	Augmentation of power capacity of Kangra Sub-Station	77
2485. व्यास बांध कर्मचारियों की मांगें	Demands of Beas Dam workers	77

ता०प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2487. राजस्थान में ताप बिजलीघर की स्थापना के लिए सहायता	Aid for setting up of Thermal Power Station in Rajasthan	77—78
2488. विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय सेना के कर्मचारियों का वापस बुलाया जाना	Recall of Defence Forces Personnel working in foreign countries	78
2489. दुर्घटनाओं में नष्ट हुए सैनिक विमान तथा मोटर गाड़ियां	Defence Aeroplanes and Vehicles destroyed in accidents	79
2490. विदेशी सरकारों द्वारा गोआ, दमन और दीव तथा जम्मू व काश्मीर को भारत संघ के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दिया जाना	Recognition of Goa, Daman and Diu, Jammu and Kashmir as integral part of India by Foreign Governments	79—80
2491. लुगदी का आयात	Import of Pulp	80—8
2492. कमला तटबन्ध का सीसपानी तक विस्तार	Extension of Kamala Embankments upto Sisapani	81—8
2493. पूर्वी अफ्रीका के विस्थापित भारतीयों के पुनः विस्थापन के लिए परियोजनाएँ बनाने हेतु भारत-ब्रिटिश वार्ता	Indo-British talks for setting up Projects for resettling East Africa Indians	8
2494. विदेशी सांस्कृतिक केन्द्र चलाने के लिए समान प्रक्रिया	Standard procedure for running Foreign Culture Centres	
2495. लखनऊ में अमरीकी सूचना सेवा पुस्तकालय बन्द होना	Closure of U.S.I.S. Library in Lucknow	
2496. निर्यात नीति कार्यक्रम पुनर्विलोकन के लिए व्यवस्था	Machinery for reviewing of Export Policy Programme	
2499. कोसी में बाढ़ तथा इसके परिणामस्वरूप जान माल की क्षति	Floods in Kosi and the Resultant Loss to Life and Property	
2501. पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र में साम्प्रदायिक घटनाओं के लिए भारत की आलोचना करने का प्रयास	Pak bid to Censure India on Communal incidents in United Nations	

ता०प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2502. त्रुटिपूर्ण तार व्यवस्था के कारण बिजली से मृत्यु	Electrocution due to Faulty Wiring	84—85
2503. विश्व में चाय का निर्यात करने वाले देशों में श्रीलंका की तुलना में भारत की स्थिति	India's Position in Tea Exporting World vis-a-vis Ceylon	85—87
2504. खनिज तथा धातु व्यापार निगम की विदेशी मुद्रा की आय	Foreign Exchange Earnings by M.N.T.C.	87
2505. बर्मा में राज्य व्यापार निगम का एक कार्यालय स्थापित करना	Opening an Office of S.T.C. in Burma	87—88
2506. टोर्सा नदी में बाढ़ के कारण भूमि कटाव से पड़ौसी क्षेत्रों की सुरक्षा	Protection of Neighbouring Areas from erosion by Floods of Torsha River	88
2507. वैदेशिक व्यापार के क्षेत्र में सरकारी संगठनों पर उत्तर-दायित्व सौंपना	Responsibility entrusted to the state-owned Organisations in the field of Foreign Trade	88—89
2508. हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स ऐसोसियेशन की कार्यकारी समिति द्वारा विमान दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त करने वाला संकल्प पारित करना	Resolution adopted by Executive Committee of Hindustan Aeronautics Association expressing concern over Air-craft Crashes	89
2509. पश्चिम बंगाल की जलधाका योजना	Jal Dhaka Project, West Bengal	89—90
2510. दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	Durgapur Project Limited	90—91
2511. दिल्ली में चाय बोर्ड के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ	Medical Facilities to Employees of Tea Board in Delhi	91—92
2512. पोंग बांध के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए भूमि	Land for Rehabilitation of Pong Dam Oustees	92
2513. भारतीय दूतावासों में विदेशी पत्नियों वाले राजदूत और कर्मचारी	Ambassadors and Employees of Indian Embassies with Foreign Wives	92

ता०प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2514. काश्मीर में सिंचाई में आत्म-निर्भरता	Self-sufficiency in Irrigation in Kashmir	92—93
2515. प्रशासन सुधार आयोग द्वारा प्रतिरक्षा तथा अनुसंधान के लिए नियतनों का दुगना करने की सिफारिशें	Recommendations by ARC for doubling allocations for Defence and Research	93
2516. प्रधान मंत्री के साथ मारीशस जाने वाले सरकारी तथा गैर-सरकारी अधिकारियों पर व्यय	Expenditure on Officials and non-Officials accompanying the Prime Minister to Mauritius	93—94
2517. उत्तर प्रदेश में सिंचाई प्रयोजनों के लिए बिजली की सप्लाई	Supply of Power for Irrigation Purposes in U.P.	94
2518. हरियाणा द्वारा दिल्ली जलप्रदाय योजना का विरोध	Opposition to Delhi Water Supply Scheme by Haryana State	94
2519. आयात तथा निर्यात की सम्भावनायें	Prospects of Imports and Exports	94—95
2520. दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटेन की सेना की उपस्थिति	British Military Presence in South East Asia	95
2521. तुंगभद्रा परियोजना से अपर्याप्त जल की सप्लाई	Insufficients Water Supply from Tunga Bhadra Project	95—96
2522. भारत और जापान के बीच व्यापार समझौता	Trade agreement between India and Japan	95
2523. सूती कपड़े पर पुन: बिक्री कर लगाया जाना	Re-introduction of sales-tax on cotton textiles	96
2524. दारेस्सलाम में तंजानिया मेला	Tanzania fair at Dar-es-Salaam	97
2525. सरकारी क्षेत्र से गैर-सरकारी क्षेत्र को धन का दिया जाना	Transfer of Amount from Public Sector to Private Sector	97—98
2526. दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली के मीटरों को रद्द किया जाना	Scrapping of electric meters by DESU	99
2527. धनी तथा निर्धन के बीच असमानता	Disparity between rich and Poor	99

ता०प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2528. मैसूर से नारियल तथा गोले का निर्यात	Export of Coconut and Copra from Mysore	99—100
2529. वैदेशिक व्यापार के बारे में विदेशों में अध्ययन के लिए अभ्यर्थियों के चयन की कसौटी	Criteria for selection of candidates for Foreign Studies in Foreign Trade	100—101
2530. सेक्सरिया काटन मिल बम्बई के कार्यकरण के सम्बन्ध में जांच करने के लिये समिति	Committee to investigate into the working of the Seksaria Cotton Mills, Bombay	101—102
2531. भूटान द्वारा भारत में निर्मित मिल कपड़े के आयात पर रोक	Ban on Import of Indian made Mill Cloth by Bhutan	102
2532. प्रौद्योगिक नीति संकल्प	Technological Policy resolution	102—103
2533. भारतीय शिष्टमंडल द्वारा पश्चिम जर्मनी तथा फ्रांस का दौरा	Visit of Indian Delegation to West Germany and France	103—104
2534. महाराष्ट्र राज्य में कपास की एकाधिकार खरीद के लिये योजना	Scheme for Monopoly Purchase of Kapas in the State of Maharashtra	104
2535. महाराष्ट्र की विकास परियोजनायें	Development Projects of Maharashtra	104—105
2536. उद्योग तथा सरकार के बीच निकट सम्बन्ध स्थापित करने के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ का सुझाव	Suggestion by FICCI for having close affinity between industry and Government	105
2537. सूती धागे का निर्यात	Export of cotton yarn	105—106
2538. इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात	Export of Engineering goods	106—107
2539. विदेशों से भारतीय नौसेना के लिये जहाजों का खरीदा जाना	Purchase of Ships for Indian Navy from foreign countries	107
2540. भारत में नागा आबादी वाले क्षेत्र की मुक्ति	Liberation of Naga-populated area in India	107

ता०प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2541. नेपाल को अभ्रक का निर्यात	Export of mica to Nepal	107—109
2542. प्रभावकारी यूरेनियम का उत्पादन करने के लिये गैस सेन्ट्रीफ्यूज प्रक्रिया का उपयोग	Use of gas centrifuge process to produce enriched uranium	109
2543. राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण तथा सेना में दिये जाने वाला प्रशिक्षण	N.C.C. training and training given in the army	110
2544. औद्योगिक विकास पर भारत-मारिशस सहयोग	India-Mauritius collaboration on Industrial Development	110
2545. पूर्वी अफ्रीका में भारतीय व्यापारियों के व्यापार लाइसेंसों का नवीकरण करने से इंकार करना	Refusal to renew trade licences of Indian businessman in East Africa	110—111
2546. कपूरथला स्थित सैनिक स्कूल	Sainik School, Kapurthala	111
2547. मध्य प्रदेश को हीराकुण्ड परियोजना से विद्युत की सप्लाई तथा उसकी दरों का निर्धारण	Fixation of Rates and Supply of Power to Madhya Pradesh from Hirakud Project	112
2548. कच्चा लोहा तथा मैंगनीज के निर्यात के लिए कोटा निर्धारित करने का मापदण्ड	Criteria for fixation of quota for Export of Iron Ore and Manganese	112—113
2549. भूटान में भारतीयों के आने-जाने पर पाबन्दी	Restriction on movements of Indians in Bhutan	113
2550. साई नदी में छोटी सिंचाई योजना के अन्तर्गत उत्थापक (लिफ्ट) सिंचाई योजना का क्रियान्वयन	Implementation of Lift-Scheme under Small Irrigation Scheme in Sai River	113
2552. सिकन्दराबाद को जाने वाली मालगाड़ी से गोला बारूद के बक्सों का चुराया जाना	Stealing of Ammunition Boxes from Secunderabad-bound Goods Train	113—114
2553. मैडम बिन्ह को गिरफ्तार करने की प्रार्थना	Request for arrest of Madame Binh	114
2554. उर्वरकों, कीटाणुनाशक औषधियों और कृषि उपकरणों के लिए कच्चे माल का आयात	Import of raw materials for fertilizers, pesticides and agricultural implements	114—115

ता०प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2555. पारपत्र जारी करना	Issue of Passports	115
2556. डीजल रेल इंजनों का निर्यात	Export of Diesel Locomotives	115
2557. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं के बारे में लोक लेखा समिति की उपपत्तियों के बारे में वैज्ञानिकों का मत	Opinions of Scientists on the findings of public Accounts Committee on C.S.I.R. Laboratories	116
2558. असम में बाढ़-नियंत्रण	Flood Control in Assam	116
2559. राजस्थान के मुख्य मंत्री द्वारा सिंधु जल संधि के अन्तर्गत जल के प्रयोग के बारे में ज्ञापन	Memorandum by C.M. of Rajasthan for use of water under Indus Treaty	117
2560. चाय का निर्यात	Export of Tea	117
2561. वैदेशिक व्यापार सूचना केन्द्र स्थापित करना	Setting up Foreign Trade Information Centre	117
2562. महाराष्ट्र में विपणन सम्बन्धी सुविधाओं के अभाव में हथकरघा वस्तुओं का जमा होना	Accumulation of Handloom Products in Maharashtra due to lack of marketing Facilities	117—118
2563. राज्यों के मुख्य सचिवों का सम्मेलन	Conference of Chief Secretaries of States	118
2564. कन्नानोर में बुनकर सेवा केन्द्र	Weaver Service Centre in Cannanore	118
2565. गुजरात में गांधी शताब्दी वर्ष में ग्रामों का विद्युतीकरण	Electrification of Villages during Gandhi Centenary year in Gujarat	118—119
2566. ईरान सरकार को जहाज द्वारा रेल की पटरियां भेजना	Shipment of Rails to Iranian Government	119
2567. मजगांव डाक्स लिमिटेड द्वारा पैट्रोल नौकाओं का निर्माण	Building of Patrol Boats by Mazagon Docks Ltd.	119
2568. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में रिक्त पड़े स्थायी पद	Permanent Posts Lying Vacant in Central Statistical Organisation	120
2569. भारत द्वारा परमाणु हथियारों का निर्माण	Manufacture of Nuclear Arms by India	120—121

ता०प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2570. सिंचाई मंत्री द्वारा अंधा मुगल का दौरा करना	Visit to Andha Mughal by Irrigation Minister	121
2571. डा० तेलो मास्कारेन्हस-गोआ के स्वाधीनता सेनानी	Dr. Telo Mascarenhas, Goan Freedom Fighter	121—122
2572. सेवा निवृत्त/मृत सैनिक कर्मचारियों के बारे में पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन के मामलों पर निर्णय करने में विलम्ब	Delay in Settlement of Pension/Family Pension case in case of Retired/Deceased Service personnel	122
2573. भूतपूर्व सैनिकों की 60 वर्ष की आयु के पश्चात मृत्यु हो जाने पर उनकी विधवाओं तथा आश्रितों को पेन्शन	Pension to Widows and dependents of Ex-Service Personnel who die after attaining the age of 60 years	122—123
2574. फरक्का बांध परियोजना की पोषक नहर का पूरा किया जाना	Completion of Feeder Canal of Farakka Barrage Project	124
2575. भारतीय दस्तकारी वस्तुओं की विदेशों में मांग	Demand for Indian Handicrafts in Foreign Countries	124—125
2576. कोचीन पत्तन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने पर नौसेना को तैनात किया जाना	Development of Navy during strike of Cochin Port Workers	125—126
2577. बारक बांध परियोजना का निर्माण	Construction of Barak Dam Project	126
2578. देश का अन्य भागों की तुलना में उत्तर बिहार में विद्युत का कम उत्पादन	Less Electricity Produced in North Bihar as compared to other Parts of Country	126—127
2579. चीन द्वारा तिब्बत में भारी सैनिक तैयारियां	Intensive Military Preparations in Tibet by China	127
2580. यूरोपीय साझा बाजार के बारे में भारत ब्रिटेन वार्ता	Indo-British talks Reg. European Common Market	127—128
2581. मध्य प्रदेश द्वारा 8.15 करोड़ रुपये की लागत की एक परियोजना का पेश किया जाना	Submission of a Project Scheme by Madhya Pradesh costing Rs. 8.15 crore	128

ता०प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2582. रूई मिलों का बन्द होना	Closure of Cotton Mills	128—129
2583. आर्थिक दृष्टि से कमजोर रूई मिलों का वित्तीय रूप से मजबूत मिलों के साथ विलय	Merger of Weak Cotton Mills with Financially Strong and Sound Mills	129—130
2584. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कार्य के बारे में सरकार समिति के प्रतिवेदन पर की गई आगे की कार्यवाही	Followup action taken on the Sarkar Committee Report on the working of CSIR	130
2585. नई दिल्ली स्थित ब्रिटेन के उच्चायुक्त के कार्यालय में 5 वर्ष तक सेवा करने के पश्चात ब्रिटेन की नागरिकता पाने वाले भारतीय	Indians acquiring British Citizenship through Service in British High Commission New Delhi for Five Years	130
2586. श्री पोपटलाल कपाड़िया किल्लिक उद्योग, बम्बई को पारपत्र जारी करना	Passport issued to Shri Popatlal Kapadia Killick Industries, Bombay	130—131
2587. घाना सरकार द्वारा विदेशियों द्वारा किये जा रहे व्यापार को अपने हाथ में लिये जाने से भारतीय व्यापारियों को हुई हानि	Loss to Indian Businessmen on taking over of Foreign run Business by Ghana Government	131
2588. केन्या, टांगानीका, जंजीबार तथा इथोपिया में रह रहे भारतीय	Indians living in Kenya, Tanganika, Zanzibar and Ethopia	131—132
2589. भारतीय भूमि पर नेपाल का कथित कब्जा	Alleged Nepalese occupation of Indian Land	132
2590. अप्रवासन सम्बन्धी ब्रिटेन सरकार की नीति में परिवर्तन	Change in British Government's Policy on Imimgration	133
2591. साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के नेताओं द्वारा साम्यवादी देशों का दौरा	Visit to Communist Countries by C.P. (M) Leaders	133—134

ता०प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2592. चीन द्वारा नाथूला के निकट एक नये हवाई अड्डे का निर्माण	Construction of a new Aerodrome by China near Nathu La	134
2593. भारतीय प्राकृतिक रबड़ के सांविधिक न्यूनतम मूल्य के बारे में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन	Tariff Commission Report on Statutory Minimum Price of Indian Natural Rubber	134
2594. कारों का आयात	Imports of Cars	134—135
2595. राज्य व्यापार निगम द्वारा लौंग, सुपारी तथा अन्य मसालों का आवंटन करने के लिये फर्मों के चयन का मापदण्ड	Criteria for selection of firms for allotment of cloves, betelnuts and other spices by S.T.C.	135—136
2596. आसाम में बाढ़ के कारण हुई क्षति के तुलनात्मक आंकड़े	Comparative figures of loss due to floods in Assam	136—137
2597. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट में कोयले से कार्बन ब्लेक का उत्पादन	Production of Carbon black from coal in Regional Research Laboratory, Jorhat	137
2599. रूस के उप-विदेश मंत्री के साथ प्रधान मंत्री की बातचीत	P. Ms. Discussion with Soviet Deputy Foreign Minister	137—138
2600. रूस के उप-विदेश मंत्री के साथ बात चीत	Talks with Soviet Deputy Foreign Minister	138
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	138—141
श्री देवेन सेन	Shri Deven Sen	138—139
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary	139
आसनसोल क्षेत्र में प्रमुख कोयला उत्पादकों द्वारा लगभग 50,000 खान श्रमिकों को जबरी छुट्टी दिया जाना	Laying off of about 50,000 colliery workers by leading coal producers in Asansol area	138—141
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	141
सभा के कार्य के बारे में	Re. Business of the House	141—142

ता०प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
विशेषाधिकार समिति	Committee of Privileges	142
ग्यारहवां प्रतिवेदन	Eleventh Report	142
अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक	Advocates (Second Amendment) Bill	143
(i) प्रवर समिति का प्रतिवेदन	(i) Report of select committee	143
(ii) साक्ष्य	(ii) Evidence	143
जांच आयोग (संशोधन) विधेयक	Commissions of Enquiry (Amendment) Bill	143
संयुक्त समिति में सदस्य नियुक्त करने के लिये राज्य सभा से सिफारिश	Recommendation to Rajya Sabha to appoint Member to Joint Committee	143
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव तथा अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव जारी	Motions re-Reports of commissioner for scheduled Castes and scheduled Tribes, and committee on Untouchability	143—163
श्री नाथूराम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	144—145
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	146
श्री राम चरण	Shri Ram Charan	146—149
श्री प०ल० बारूपाल	Shri P.L. Barupal	149—150
श्री कोलाई बिरुआ	Shri Kolai Birua	150
श्री देवराव पाटिल	Shri Deorao Patil	151
श्री आत्म दास	Shri Atam Das	151—152
श्री राजदेव सिंह	Shri Raj Deo Singh	152
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	152—153
श्री सिद्दया	Shri Siddayya	153—154
श्री रा० कृ० बिड़ला	Shri R.K. Birla	154—155
श्री शम्भू नाथ	Shri Shambhu Nath	155—156
श्री हुकम चंद कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	156

ता०प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
श्री रामधन	Shri Ram Dhan	156—15
श्री एस० कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	157—16
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	162—16
सदस्य की गिरफ्तारी	Arrest of Member	
(श्री सरजू पाण्डेय)	(Shri Sarjoo Pandey)	16
आधे घण्टे की चर्चा	Half-an-hour discussion	16
भारत-नेपाल व्यापार वार्ता के बारे में	Indo-Nepal Trade talks	163—16
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N.K.P. Salve	163—16
श्री ल० ना० मिश्र	Shri L.N. Mishra	167—16
कार्य-मन्त्रणा समिति	Business Advisory Committee	16
बावनवां प्रतिवेदन	Fifty Second Report	16

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 12 अगस्त, 1970/21 श्रावण, 1892 (शक)
Wednesday, August 12, 1970/Sravana 21, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
Mr. Speaker *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा के श्री के. पी. कुट्टी कृष्णन नायर के दुःखद निधन का समाचार देना है। उनका 5 अगस्त, 1970 को 70 वर्ष की आयु में कोजीकोड में देहान्त हो गया।

श्री नायर 1957-62 में दूसरी लोक-सभा के सदस्य थे। वे वर्ष 1952 से 1954 तक मद्रास के विधि मंत्री भी रहे।

हम अपने उस मित्र की मृत्यु पर गहन दुःख व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि उनके संतप्त परिवार को संवेदना सन्देश भेजने में सभा मेरा साथ देगी।

प्रधानमंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : महोदय ! आपने जो उद्‌गार व्यक्त किये हैं मैं उनमें शरीक होती हूँ।

श्री कृष्णन नायर स्वतंत्रता संग्राम के एक पुराने सेनानी थे। वह सत्यनिष्ठ तथा सादा जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति थे तथा उनकी रुचि तथा अनुभव व्यापक थे। उन्होंने केवल राजनीतिक और प्रशासन सम्बन्धी कार्यों में ही रुचि नहीं दिखाई बल्कि उन सभी मामलों में भाग लिया जो श्रमिकों के हित में थे। वह भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस से सम्बद्ध थे तथा इसके अतिरिक्त बहुत से धार्मिक संगठनों से उनका सम्बन्ध था।

मैं उनके संतप्त परिवार के प्रति समस्त सदन की ओर से हार्दिक सम्वेदना प्रकट करती हूँ।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : विपक्षी दलों की ओर से में स्वतंत्रता संग्राम के इस महान सेनानी की दुःखद मृत्यु पर दुःख व्यक्त करता हूँ। वे दक्षिण भारत के, विशेषकर मद्रास और केरल के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वह अच्छे संयोजक थे। एक सफल मंत्री होने के अतिरिक्त उन्होंने देश के उस भाग की जनता ो संगठित किया तथा अपने अधिकारों के लिए लड़ने में उनका नेतृत्व किया।

यहाँ भी उन्होंने उदार दृष्टिकोण दिखाया। उनके सम्पर्क में जो भी आया वह उनकी हार्दिक सद्भावनाओं से प्रभावित हुआ।

विपक्षी दलों की ओर से मैं निवेदन करता हूँ कि उनके संतप्त परिवार को हमारी संवेदना पहुँचा दी जाये।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : आपके साथ मैं भी अपने दल की ओर से सम्वेदना प्रकट करता हूँ।

मैं श्री नायर को भली-भाँति जानता था। वह सुसंस्कृत और मेधावी व्यक्तियों में से थे। वह मेरे मित्र थे तथा इस अवसर पर मुझे व्यक्तिगत दुःख है। मैं सदन में व्यक्त किये गये दुःख में भी शरीक होता हूँ।

श्री एस० कण्डप्पन (मैटूर) : द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम ग्रुप की ओर से मैं इस अवसर पर दुःख व्यक्त करता हूँ।

मैं निवेदन करता हूँ कि उनके संतप्त परिवार को हमारी ओर से संवेदना प्रकट की जाये।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : मैं अपने दल की ओर से संगठन कर्ता तथा सत्यनिष्ठ महान व्यक्ति की मृत्यु पर व्यक्त किये गये दुःख और उद्गारों में सम्मिलित होता हूँ।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : मेरे लिये तो उनकी मृत्यु गक व्यक्तिगत क्षति है क्योंकि मैं श्री नायर को 1930 और 1932 से जब जेल में थे, जानता था। मेरा उनके साथ उसके बाद भी सम्पर्क रहा। जब मैं मद्रास विधान सभा में विपक्षी दल का नेता था वह उस समय वहां के विधि मंत्री थे।

इस प्रकार का व्यक्ति बड़ी कठिनाई से मिलता है। उनकी मृत्यु के साथ एक पीढ़ी समाप्त हो रही है। कांग्रेस दल में अब इस प्रकार के व्यक्ति नहीं रहे जो वही करते हैं जो वे कहते हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति कठिनाई से मिलते हैं।

एक माननीय सदस्य : वह कांग्रेस दल के सदस्य नहीं थे।

श्री पी० राममूर्ति : मुझे इसका ज्ञान नहीं है। वह कांग्रेस दल के सदस्य कब थे इसका मुझे पता नहीं है। लेकिन यह पता है कि बहुत समय से वह अत्यन्त सादा जीवन व्यतीत करते थे तथा वह जो करने का उपदेश देते थे वह स्वयं भी उसका पालन करते थे। मैं अपने समाज सेवा के लगभग 30 वर्षों से उन्हें जानता था। मैं और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। मेरी ओर से तथा मेरे दल की ओर से उनके परिवार को हमारी संवेदना पहुँचा दी जाये। उनके परिवार के कुछ सदस्य दिल्ली में ही हैं।

Shri Shiva chandra Jha (Madhubani) : On behalf of my party, I express a serse of sorow on the sad demise of Shri Kutti Krishanan Nair and request you to convey our condolences to his bereaved family.

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से निवेदन करता हूँ कि आप श्री नायर की दुःख मृत्यु पर हमारी हार्दिक सम्वेदना उनके परिवार को पहुंचा दें। मैं आपके, सभा के नेता के, विपक्षी दल के नेता के तथा अन्य वक्ताओं के उद्गारों के साथ अपने उद्गारों को सम्मिलित करता हूँ। वह एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे तथा उनका दृष्टिकोण बड़ा सरल था साथ ही वह सादा व्यक्ति थे। हमें उनके सदस्य होने पर गर्व था। हम निवेदन करते हैं कि उनके संतप्त परिवार को हमारी सम्वेदना पहुचा दी जाये।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Mr. Speaker, Sir, on behalf of my party I pay homage to the departed soul.

अध्यक्ष महोदय : दिवंगत आत्मा के सम्मान में माननीय सदस्य थोड़ी देर के लिये मौन खड़े रहेंगे।

इसके पश्चात् माननीय सदस्य थोड़ी देर तक मौन खड़े रहे।

The hon. Members then stood in silence for a shortwlile.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के संरक्षण में पाकिस्तानियों द्वारा सीमा का उल्लंघन

+

* 361. **श्री न० कु० सोमानी** :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री नि० रं० लस्कर :
श्री नारायणन :
श्री मयाबन :

क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के संरक्षण में 300 पाकिस्तानी नागरिक भारतीय गांव कोटलपुकुर में सीमा पार करके लगातार चौथी वार घुसे और वहां के लोगों पर गोली चलाई जिससे अनेक लोग मारे गये ;

(ख) क्या वापस जाते हुए वे अपने साथ 500 पशु भी ले गये थे ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध मे कोई विरोध भेजा गया है ; और

(घ) क्या कोई पशु वापस लौटाये गये हैं और जिन लोगों को हानि हुई उन्हें मुआवजा दिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) और (ख). 16 जून 1970 को लगभग 300 पाकिस्तानी राष्ट्रिक रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के सेविवर्ग की सहायता से नयनदेव में पश्चिमी बंगाल के मालदा जिला के गांव कोटलपुर के

पास भारतीय सत्ताभू में लगभग 500 गज अन्दर प्रवेश कर गए थे। पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स ने कुछ गोलियां अन्तरिक्ष में चलाई। पाकिस्तानी राष्ट्रिकों ने घातक आयुधों से चरवाहों पर आक्रमण कर दिया, जिसके फलस्वरूप एक चरवाहा मारा गया और दो घायल हो गए। पाक राष्ट्रिक 900 पशु भी उठा कर ले गए।

(ग) जी हां।

(घ) पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स द्वारा 213 पशु वापस कर दिए गए हैं। शेष पशुओं की बहाली का मामला पाकिस्तान अधिकरणों के साथ उठाया गया है।

श्री नन्द कुमार सोमानी : यह पहला अवसर नहीं है जब कि हमारी सरकार का ध्यान पाकिस्तान के इन उल्लंघनों की ओर दिलाया जा रहा है। पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स, सेना के संगठन के समान अथवा लड़ाकू लोगों का निकाय नहीं है अपितु यह पूर्वी पाकिस्तान की प्रतिरक्षा सेनाओं का एक अंग है और इसने सोचा कि भारत में आने तथा इस ओर की सम्पत्ति को लूटने तथा आगजनी की घटनाओं के लिए वे लोग स्वतंत्र हैं। भूतपूर्व प्रतिरक्षा मंत्री ने कई अवसरों पर सदन को भरोसा दिलाया था कि पूर्वी और दक्षिणी सीमाओं पर पाकिस्तानी घुसपैठियों और सैनिक कर्मचारियों के ऐसे हमलों का मुकाबला करने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। यह पहला अवसर नही है अपितु यह चौथा अवसर है कि इस सशस्त्र दल ने भारत की सीमा में प्रवेश किया था। पिछले आश्वासनों को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तथा सुरक्षा की दृष्टि से भारत सरकार ने क्या विशेष कार्यवाही की है ?

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : सीमा की अधिक चौकसी से रक्षा करने के लिये, उस क्षेत्र में सीमा सुरक्षा दल की गश्त को बढ़ा दिया गया है... **(व्यवधान)**

अनेक माननीय सदस्य उठे... **(व्यवधान)**

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : पूर्वी सीमा की स्थिति और सीमाओं पर पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल के लोगों के सम्बन्धों के बारे में सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाओं की सैनिक दृष्टि से कोई महत्ता नहीं है। सीमा-क्षेत्रों में ग्राम तौर से तस्करी, अवैध व्यापार, वस्तुओं का विनिमय और इसी तरह की गतिविधियां चलती रहती हैं।... **(व्यवधान)**

श्री रा० की अमीन : आप ने तो कहा है कि स्थिति सामान्य है।

श्री जगजीवन राम : मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि स्थिति सामान्य है। मुझे उत्तर को तो पूरा करने दें। आरम्भ में मैंने कहा है कि इन घटनाओं का सैनिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। दोनों ओर के सीमा सुरक्षा दल के कार्य करने के बारे में जो करार हमने पाकिस्तान सरकार के साथ किया था, उसके अनुसार यह कार्य सीमा सुरक्षा दल को सौंपा गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐसी घटनाओं की संभावना बनी रहेगी, जहां सीमा के दोनों तरफ के लोग लगभग एक ही वंश के हैं और वे परस्पर संबंधी हैं, यह बात मानी गई थी कि जब कभी ऐसी घटनाएं होती हैं और देश की सीमा सुरक्षा दल को सूचना मिलती है कि दूसरे देश के क्षेत्र

में घुस-पैठ करके उस देश के राष्ट्रिकों द्वारा कतिपय उल्लंघन किया गया है तो सीमा सुरक्षा दल स्वयं कार्यवाही करेगा और दूसरे देश के राष्ट्रिकों ने यदि कुछ सामान, या पशु अथवा दूसरी वस्तुएं उठा ली हैं तो वे उन्हें अधिकारी देश को वापिस लौटा देंगे। हमारी तरफ से जब यह मामला सीमा सुरक्षा दल के सैक्टर कमाण्डेंट ने दूसरी तरफ के सुरक्षा दल अथवा पाकिस्तान राइफल्स के साथ उठाया तो उन्होंने यह स्पष्टीकरण दिया कि भारत के क्षेत्र की तरफ से पशुओं को उठाकर ले जाने वाले पाकिस्तानियों को पाकिस्तान राइफल्स ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इस सफाई से हम संतुष्ट नहीं हैं। पाकिस्तान सरकार के साथ हमने इस मामले को उठाया हुआ है और हम बराबर प्रयास कर रहे हैं कि उठाये गये पशु वापिस मिल जायें। सीमा सुरक्षा दल को शक्तिशाली बना दिया गया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की आवृत्ति न हो। जैसा मैंने पहले कहा है कि इस घटना का सैनिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है।

श्री नन्द कुमार सोमानी : माननीय प्रतिरक्षा मंत्री का विचार है कि इन सभी हमलों का सैनिक दृष्टि से बिल्कुल महत्व नहीं है। इस तथ्य के बावजूद भी जहां तक सीमा चौकसी का सम्बन्ध है मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अब सीमा सुरक्षा दल को हमारे सैनिक कर्मचारियों द्वारा मजबूत बनाया जायेगा ताकि इन उल्लंघनों की आवृत्ति, सीमा और परिधि को कम किया जा सके ?

दूसरे, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन घटनाओं में से अधिकांश सरकार के नोटिस में प्रेस और विरोधी दलों द्वारा लाई जाती है तो क्या सरकार गत छः महीनों की घटनओं का विशेष रूप से पूर्वी पाकिस्तान भारत सीमा पर घटी घटनाओं का ब्यौरा इस सदन के समक्ष रखेगी और हमें इन घटनाओं का पुनरावलोकन करायेगी ताकि सही निर्णय किये जा सकें ?

श्री जगजीवन राम : जैसा मैंने कहा है इन क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा दल को मजबूत बनाने तथा गश्त की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के बारे में कार्यवाही की गई है। लेकिन जो घटनाएं हुई हैं वे बहुत कम हैं। मैं यह नहीं कहता हूँ कि ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं लेकिन जो भी घटनाएं हुई हैं वे बहुत थोड़ी हैं। सीमा सुरक्षा दल की जगह सैनिक कर्मचारियों को तैनात का मेरा विचार नहीं है।

श्री नि० रं० लास्कर : हमें मालूम है कि सीमा क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं प्रायः होती रहती हैं और इनमें से कई घटनाओं का प्रेस में अथवा इस सदन में उल्लेख नहीं किया जाता है। सीमा क्षेत्रों में ये मामले विशेष रूप से पशुओं के उठाये जाने के मामले, नियमित रूप से होते रहते हैं। स्थानीय प्राधिकारियों के पास विरोध-पत्र भेजे जाते हैं लेकिन उनका कोई लाभ नहीं होता है। माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि उन्होंने सीमा सुरक्षा दल को मजबूत बना दिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि उन्होंने इस सीमा सुरक्षा दल को कब से मजबूत किया है और यदि उन्होंने इसे मजबूत बना दिया है तो इस कार्य में अब तक उन्होंने कितनी प्रगति कर ली है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : उन सीमा-क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा दल पर्याप्त है। जो घटनाएं हुई हैं, सरकार का इरादा उनको छिपाने का नहीं है। पिछले

सात महीनों में पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित घटनाएं हुई हैं : गोलीबारी की एक घटना, घुसपैठ की एक घटना, अपहरण की 11 घटनाएं, डकैती और सशस्त्र आक्रमण की 65 घटनाएं और पशुओं को उठा कर ले जाने की 120 घटनाएं ।

श्री श्रीचन्द गोयल : माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने इस सभा को यह बताने का प्रयत्न किया है कि ऐसी घटनाएं बहुत थोड़ी हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या गत वर्षों की तुलना में ऐसी घटनाओं में कमी हुई है अथवा ये बढ़ी हैं और क्या पाकिस्तान सीमा क्षेत्र के पास ही कुछ हवाई अड्डों की स्थापना कर रहा है तथा वहां प्रक्षेपणास्त्र लगा रहा है जो हमारा सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हवाई अड्डों की स्थापना पशुओं को उठा कर ले जाने के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजनार्थ की जा रही है ? मूल प्रश्न से यह संगत नहीं है ।

श्री राम निवास मिर्धा : यह कहना सही नहीं कि घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है । वस्तुतः पशुओं को उठाये जाने के 120 मामले असाधारण दिखाई देंगे लेकिन ये भटके हुए पशुओं के मामले हैं जो उनकी सीमा से हमारी सीमा में और हमारी सीमा से उनकी सीमा में चले जाते हैं । पशुओं को चराते समय हमारे लोग भी उनके क्षेत्र में चले जाते हैं (**व्यवधान**) इस विशेष क्षेत्र में एक बड़ा चारागाह का मैदान है । ये 900 पशु जिनका यहाँ उल्लेख किया गया है, वास्तव में बिहार के ग्वालों के हैं जो उनको चराने उस चरागाह में ले आते हैं । उनमें से कुछ पशु पाकिस्तान के इलाके में भटक कर चले जाते हैं और हम उन पशुओं की मांग पाकिस्तान से करते हैं । वे हमसे अपने पशुओं की मांग करते है । इस प्रकार की घटनाएं खुले मैदान की सीमा में होती रहती हैं । लेकिन जैसा प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा है, इन घटनाओं का सैनिक दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि इन पशुओं में से कुछ पशु पाकिस्तान क्षेत्र में भटक कर चले गए थे । मूल उत्तर में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी राष्ट्रिकों ने हमारे क्षेत्र में प्रवेश किया और इन 900 पशुओं को उठा कर ले गये । इस तरह उन्होंने मूल उत्तर के प्रतिकूल बात की है ।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न से यह सम्बन्धित नहीं है ।

श्रीमती इलापाल चौधरी : मैं जानना चाहती हूँ कि क्या यह सत्य है कि सीमा सुरक्षा दल ने स्वयं बार-बार कहा है कि सीमा-क्षेत्र की सड़कें पहुँच से बाहर हैं तथा जहाँ ये घटनाएं होती हैं, वे उन जगहों पर नहीं पहुंच सकते हैं ? उन सड़कों पर जीप नहीं चलाई जा सकती है । सीमा-सड़कें एक विभिन्न संगठन के अधीन हैं और सीमा सुरक्षा दल एक विभिन्न संगठन के अधीन हैं । प्रतिरक्षा मंत्री को यह प्रश्न किया गया है लेकिन हर बार हमें बताया गया है कि हम राज्यों को लिखेंगे क्योंकि सीमा-क्षेत्र की सड़कें प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं हैं । इस बारे में समन्वय होना चाहिए ताकि जहाँ ये घटनाएं होती हैं ; सीमा सुरक्षा दल उन जगहों पर पहुँच सके ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : इस प्रश्न का अलग से नोटिस दिया जाये ।

श्री नन्द कुमार सोमानी : अतः, सीमा सड़कों की स्थिति के बारे में मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है।

श्री जगजीवन राम : सीमा-क्षेत्रों के सामरिक महत्व के कारण वहाँ सड़कों की आवश्यकता होती है तो उन सड़कों का निर्माण किया जाता है। लेकिन उस क्षेत्र में रहने वाले लोग चाहते हैं कि प्रतिरक्षा दलों द्वारा कई सड़कों का निर्माण किया जाये। हम उनके लिए कई सड़कों का निर्माण वहाँ नहीं कर सकते हैं जब तक वे क्षेत्र युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण न हों।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, most of the incidents happen with Harijans or the people belonging to backward classes and their cattle are lifted. Do the Government have any information of cattle lifting by our people from Pakistan side; have any such type of complaints been lodged by the Government of Pakistan ? If so, how many such complaints were lodged ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न असंगत है। अब अगला प्रश्न लिया जाये।

डा० रानेन सेन : श्रीमान्, मेडम बिन्ह की यात्रा पर तीन सवाल है। इन सवालों को एक साथ लिया जाना चाहिये।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जी नहीं, इन सवालों को अलग-अलग लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : समान्यतया, हम इन प्रश्नों को साथ-साथ लेते हैं। लेकिन एक दिन श्री पीलु मोडी ने शब्दों के अर्थ में कुछ परिवर्तन के बारे में आपत्ति की। तब से मैंने कार्यालय को कहा है कि इन प्रश्नों को अलग से रखा जाये। हालांकि, इन प्रश्नों के शब्दों में अथवा वैयाकरणिक रूपों में बहुत थोड़ा अन्तर होता है फिर भी प्रायः सदस्य इस बारे में आपत्ति करते हैं। लेकिन आप की इच्छा के अनुसार इन प्रश्नों को एक साथ अथवा अलग-अलग लिया जा सकता है।

श्री एस० कण्डप्पन : इन प्रश्नों को एक साथ लिया जाये।

श्री लोबो प्रभु : इन प्रश्नों को अलग-अलग लिया जाये। ये प्रश्न भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं।

मैडम बिन्ह पर किया गया खर्च

* 362. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : **श्री राम चरण** :
श्री शिव चरण लाल : **श्री श्रीगोपाल साबू** :
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपनी भारत यात्रा के दौरान मैडम बिन्ह उनकी व्यक्तिगत अतिथि के रूप में ठहरी थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उनके यहां पर ठहरने का समस्त व्यय सरकार द्वारा उठाया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) श्रीमती बिन्ह ने भारत का दौरा वैदेशिक कार्य मंत्री, भारत सरकार, के सरकारी अतिथि के रूप में किया था।

(ख) तथा (ग) जी हां, यह खर्च भारत सरकार के आतिथ्य अनुदान की मद से पूरा किया जाएगा, क्योंकि वे हमारी सरकारी अतिथि थीं। सरकारी अतिथि पर किये गये खर्च के ब्यौरों को बताने की प्रथा नहीं है न ही इसे बताना उचित है।

Shri Raghuvir Singh Shastri : Sir I would like to know from the Hon'ble Minister whether it has been fabricated later on that she was our official guest ? Is it a fact that there was a long discussion between him and the Foreign Ministry's Secretary on the subject and a conversation had also taken place on phone ? Shri Kaul's contention was that she was coming as an official guest, whereas you were saying that she was your personal guest and you would welcome her. But when question of expenses came in and it was also thought that reply would have to be given in the Parliament, it was decided that she be considered as a State Guest. It was decided after her arrival in India, before that she was not coming as a State Guest.

श्री स्वर्ण सिंह : यह सब गलत है। इस सम्बन्ध में मेरे और विदेश सचिव के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई। मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा उनको शुरू से ही सरकार के औपचारिक अतिथि के रूप में आमन्त्रित किया गया था।...(**व्यवधान**)

श्री लोबो प्रभु : उन्हें क्यों आमन्त्रित किया गया...(**अन्तर्बाधायें**)

श्री स्वर्ण सिंह : अगर कोई एक प्रश्न हो तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूँ, मगर चिल्लाने का नहीं। उन्हें प्रारम्भ से ही श्री दिनेश सिंह द्वारा भारत सरकार के औपचारिक अतिथि के रूप में आमन्त्रित किया गया था.....(**व्यवधान**)

Shri Raghuvir Singh Shastri : Mr. Speaker, he has not stated whether any talks had taken place between him and his Secretary ?

Mr. Speaker : You should not talk about the telephonic Conversation.

Shri Prakash Vir Shastri : Some times it so happens that Members overhear such telephonic conversations.

Shri Prem chand Verma : It might be a bogus one.

Shri Raghuvir Singh Shastri : I do not think that telephones of officers of the Government of India can be bogus.

Secondly, I would like to know from the Minister whether he has gone through the two Press Statements given by her---one at Palam Airport in which she had stated that she had come here as a representative of the Provisional Revolutionary Government. In her another statement given at the Press conference at New Delhi, she had stated that her invitation was extended from the Foreign Minister of one country to the Foreign Minister of another country. I want to know whether she was our official guest and if so, in which capacity ? Was she our official guest as a representative of the Provisional Revolutionary Government ?

श्री स्वर्ण सिंह : वह अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार तथा पेरिस वार्ता में दक्षिण वियतनाम के राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे की नेता हैं और वह अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की विदेश मन्त्री हैं, यद्यपि हम उस सरकार को मान्यता नहीं देते...(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : फिर आपने उन्हें आमन्त्रित क्यों किया ?

श्री वासुदेवन नायर : यही सारे झगड़े की जड़ है। इन्हें उस सरकार को मान्यता देनी चाहिए।

श्री स्वर्ण सिंह : अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार में उनका जो पद है और जिसका वह दावा करती हैं, हमारे मान्यता न देने से वह उससे वंचित नहीं हो जाती। अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार तथा पेरिस वार्ता में उस दल के नेता के रूप में उन्हें आमन्त्रित किया गया है। अगर वह यह कहती है कि स हैसियत से उन्हें आमन्त्रित किया गया, तो उनका यह कहना सही है। वह वास्तविकता है।

Shri Raghuvir Singh Shastri : She had stated that she was invited by the Foreign Minister as a Foreign Minister of another Nation. What has the Minister to say about it ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने बताया है कि मैडम बिन्ह ने हवाई अड्डे पर जो कुछ कहा, उसमें कुछ भी गलत नहीं था।

Shri Shiv charan Lal : Mr. Speaker, a few days back there were continuous Press reports that she was coming here in an unofficial capacity. I want to know as to how much expenditure had been incurred on her visit and what are the details thereof ? Would that expenditure be borne by the Government or by the Foreign Minister ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने पहले ही बताया है कि वह सरकारी अतिथि थीं और सरकार ही खर्च वहन कर रही है।

Shri Shiv Kumar Shastri : Mr. Speaker, the purpose and aim of inviting a Minister by any Minister of a country is to strengthen the friendship, to bring good name to the nation and to benefit us. I want to know as to what was the reaction of our friendly nations--Russia and America on this invitation ? Have we not invited animosity with them ? What was the purpose and aim of this visit ? What has been the gain by it ? What is the reaction of those countries to the invitation ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं नहीं समझता कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने कभी इसका गलत अर्थ लगाया होगा। यह तो सिर्फ प्रश्न करने वाले माननीय सदस्य की कल्पना मात्र है।

Shri Shiv Kumar Shastri : What was the aim of inviting her ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं यह पहले ही बता चुका हूँ। हमारा उद्देश्य वियतनाम में शान्ति स्थापित करने हेतु हो रही पेरिस वार्ता के एक महत्वपूर्ण पक्ष के साथ सम्पर्क स्थापित करना था। अमरीकी भी पेरिस में उनसे बातचीत कर रहे हैं। किसी भी देश द्वारा इसका गलत अर्थ लगाये जाने का प्रश्न ही नहीं है। यहीं के कुछ व्यक्ति अनावश्यक रूप से इस मामले को तूल दे रहे हैं।

Shri Ram charan : Mr. Speaker, I want to know from the Hon'ble Minister through you whether he would place on the Table of the House a copy of the first

invitation letter which was sent to her ? The Hon'ble Minister should either place a copy of that letter on the Table of the House or he should read the contents of the letter in the House.

Secondly, the hon'ble Minister should at least inform the House about the total expenditure incurred from the Hospitality Grants fund without disclosing any details thereof.

श्री स्वर्ण सिंह : प्रश्न के पहले भाग के बारे में मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि श्री दिनेश सिंह ने जब वह विदेश मन्त्री थे, 9 सितम्बर 1969 को हनोई में मैडम बिन्ह से भेंट की थी और सरकार के अतिथि के रूप में भारत यात्रा करने का उन्हें निमन्त्रण दिया था जिसे उन्होंने तारीख और समय निश्चित किये बिना ही स्वीकार कर लिया था। कोई भी लिखित पत्र-व्यवहार नहीं हुआ। सभी निमन्त्रण, सामान्यतः मौखिक रूप से दिये जाते हैं और उन्हें मौखिक रूप से ही स्वीकार किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति, जो कुछ वह मौखिक रूप से कहता है, उसका पालन करता है।

प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में, मुझे यह कहना है कि स्वागत सरकार किये जाने वाले अतिथियों पर हुए खर्च का ब्यौरा देना अशिष्टतापूर्ण होगा। हम सभी देशों के अतिथियों का स्वागत करते हैं। मैं इस विशिष्ट मामले के बारे में एक नई परम्परा नहीं डालना चाहता।

श्री वासुदेवन नायर : यह हमारा पैसा है। हमें खुशी है कि हमारा पैसा उनकी यात्रा पर व्यय किया गया। **(व्यवधान)**

श्री ही० ना० मुकर्जी : वैदेशिक कार्य मन्त्री शिष्टाचार के मामले में छोटी से छोटी भी बात का ध्यान रखते हैं और इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस तथ्य के बावजूद भी कि मैडम बिन्ह, जो अपने देश के स्वाधीनता संग्राम की महान् नेता हैं, जब दिल्ली आईं तो विदेश मन्त्री द्वारा व्यक्तिगत रूप में उनका क्यों स्वागत नहीं किया गया, यद्यपि वह उनकी अतिथि थीं और समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार के क्या कारण हैं कि मैडम बिन्ह ने जब विदेश मन्त्री अथवा विशेष रूप से प्रधान मन्त्री से बातचीत की तो फोटो लेने के ऊपर पूर्ण प्रतिबन्ध था। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सौजन्य और राजनयिक शिष्टाचार के मामले में नई परम्परा डालने के क्या कारण हैं ? क्या वह उन तत्वों के तुष्टीकरण के लिए ही सदन में अप्रासंगिक रूप से इस बात को कह रहे हैं कि मैडम बिन्ह उस प्रतिनिधि मण्डल की नेता हैं, जो पेरिस में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वार्ता में भाग ले रहा है।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं यह बताना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर किसी विचारधारा का दबाव नहीं है। उनका हवाई अड्डे पर स्वागत करने के लिए मेरे न जाने को, मेरे विचार में, अत्यधिक तूल दिया गया है। इस सदन के एक माननीय सदस्य, एक मन्त्री, वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री उनका स्वागत करने के लिए गये और अगर भारत सरकार का एक मन्त्री वहां गया और उसने उनका स्वागत किया, तो किसी भी प्रकार से इसमें कोई भी अभद्रता नहीं थी। एक वर्ग इससे संतुष्ट हो सकता है और संभवतः दूसरे वर्ग में इस पर रोष हो सकता है, परन्तु मैंने स्वयं उनको विदा किया, क्योंकि उस समय मेरे पास समय था और मैं उनको विदा

कर सका। भविष्य में भी, मैं यह बताना चाहता हूँ कि हम राजनयिक शिष्टाचार के रूप में भी यह परम्परा स्थापित करना चाहते हैं कि अगर मन्त्रि-परिषद का कोई भी सदस्य किसी आगन्तुक मन्त्री का स्वागत करता है, तो वह पर्याप्त है, भले ही वह सदस्य मन्त्री, राज्य मन्त्री अथवा उपमन्त्री हो। अनेक अन्य देशों में भी यही परम्परा है। मेरा यह विचार है कि हम में आवश्यकता से अधिक औपचारिकता बरतने की प्रवृत्ति है।

फोटोग्राफों के बारे में मुझे यह कहना है कि जब उन्होंने मुझसे भेंट की तो फोटो अवश्य ही प्रकाशित हुए थे। मगर प्रत्येक बात का फोटो हो, यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं यह बताना चाहूँगा कि प्रधान मन्त्री के साथ मैडम बिन्ह के फोटो प्रकाशित नहीं हुए, तो इसके पीछे कोई भी बात नहीं थी।

श्री अब्दुल गनी डार : क्या मन्त्री जी फरमायेंगे कि मैडम बिन्ह जो कि एक बहुत ही असरदार सख्सियत हैं उनको ऐसे मौके पर बुलाया गया जबकि रूस ने अपनी इनसाइक्लोपीडिया में भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को चीन में दिखाया है...**(व्यवधान)** मेरा नम्र निवेदन यह है कि, जैसा कि आप जानते हैं, यह एक अल्प मत सरकार है और यह सरकार यह सब इसलिए कर रही है, ताकि उसके मित्र उसको छोड़ न दें और सरकार समाप्त न हो जाय। इस सरकार ने मैडम बिन्ह को आमन्त्रित किया, ताकि इनके मित्र और देश के सच्चे सिपाही जो 40 अथवा 50 साल पुराने कांग्रेसी...

अध्यक्ष महोदय : आप अपने प्रश्न पर आइए।

Shri Abdul ghani Dar : One of his colleagues was about to part with them, that is why she was invited... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न अप्रासंगिक है। आप एक्सपर्ट हैं सवाल पूछने में लेकिन मुझे भी तो कुछ देखना पड़ता है।

Shri Abdul Ghani Dar : I have learnt all from you....(*Interruptions*)

श्री प० गोपालन : वैदेशिक कार्य मन्त्री ने अपने उत्तर में बताया कि उनके हवाई अड्डे पर न जाने से दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार को विदेश मन्त्री के प्रति कोई अभद्रता प्रदर्शित नहीं की गई। मूल प्रश्न के उत्तर में, उन्होंने कहा है कि तत्कालीन वैदेशिक कार्य मन्त्री श्री दिनेश सिंह ने व्यक्तिगत रूप से मैडम बिन्ह को भारत आमन्त्रित किया था। मेरे विचार में, अगर मैडम विन्ह की भारत यात्रा के समय श्री दिनेश सिंह विदेश मन्त्री होते, तो वह उनका शानदार स्वागत करते। क्या मन्त्री महोदय के लिए यह उचित नहीं था कि वह अपने पूर्ववर्ती मन्त्री के साथ न्याय करते और हवाई अड्डे पर जाते तथा उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत करते ?

अध्यक्ष महोदय : इसका पहले ही उत्तर दिया जा चुका हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : इस प्रकार के मामलों में, मंत्रियों की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में नहीं सोचना चाहिए। यह एक सरकारी निमन्त्रण था, जो श्री दिनेश सिंह द्वारा दिया गया था,

क्योंकि वह तब विदेश मंत्री थे। वह सरकारी अतिथि के रूप में आई। यह ठीक ही है कि भारत सरकार के एक मंत्री द्वारा उनका स्वागत किया गया। सदस्य महोदय को इसका कोई ऐसा अर्थ नहीं निकालना चाहिए जो अवास्तविक हो।

Shri Yajna Datta Sharma : I would like to know from the hon'ble Minister whether the internationally recognised Government of South Vietnam has sent any reaction on the visit of the Foreign Minister of Provisional Revolutionary Government, because the Government of South Vietnam is an internationally recognised Government and even our Government have not recognised the Provisional Revolutionary Government so far ? I want to know whether the internationally recognised Government of that country have sent their reaction regarding the method of inviting the Foreign Minister of an insurgent Government and if so, what is your reaction thereto ?

श्री स्वर्ण सिंह : दक्षिण वियतनाम की सरकार के विदेश मंत्रालय ने हमारे महा वाणिज्य दूत को एक नोट जरूर भेजा था जिसमें यह कहा गया था कि मैडम बिह्न को आमन्त्रित करना हमारे लिए उचित नहीं है। हमने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम क्या करें अथवा क्या न करें—यह निश्चय करना उनका काम नहीं है।

अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देने के लिए मेडम बिह्न का अनुरोध

* 364. **श्री बलराज मधोक :** **श्री रामावतार शर्मा :**

श्री जि० ब० सिंह : **श्री शारदा नन्द :**

श्री बेदब्रत बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेडम बिह्न ने जुलाई में दिल्ली का दौरा किया था और वैदेशिक कार्य मंत्री के साथ बातचीत की थी।

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने वियतनाम में अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था ; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार ने उन्हें क्या उत्तर दिया ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) . इस प्रकार की बातचीत को विषय वस्तु बतलाने की प्रथा नहीं है जो गोपनीय थी। आपसी हित के मामलों पर विचार विमर्श किया गया जिनमें वियतनाम में शांतिपूर्ण समाधान की सम्भावनाओं तथा सम्पर्कों को सुदृढ़ करने के मामले भी शामिल थे।

श्री बलराज मधोक : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि मेडम बिह्न उत्तरी वियतनाम की नागरिक हैं और क्या यह भी सच है कि वह उत्तरी वियतनाम के पासपोर्ट पर यहां आई हैं ? क्या यह भी सच है कि उत्तरी वियतनाम और चीन की ओर से वह दक्षिण वियतनाम में एक विद्रोही आन्दोलन का नेतृत्व कर रही हैं ? क्या यह भी सच है कि जब वह भारत में थीं, तो उन्होंने दिल्ली, कलकत्ता आदि में विद्रोही नेताओं, साम्यवादियों और अन्य

लोगों से इस विषय पर गुप्त वार्ता की थी कि इस देश में किस प्रकार विद्रोही आन्दोलन को तीव्र किया जाय ! क्या सरकार को ज्ञात है कि क्या बात हुई थी ? क्या यह सच है कि इस देश में उनकी यात्रा के बाद देश में विध्वंसक गतिविधियों में वृद्धि हुई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रश्न में जो सुझाव और संकेत अन्तर्निहित हैं, वे काल्पनिक है । वह उत्तरी वियतनाम की नागरिक नहीं है । इस बारे में सदस्य महोदय की सूचना सही नहीं है ।

श्री बलराज मधोक : वह किस पासपोर्ट पर आईं ?

श्री स्वर्ण सिंह : वह यहां परिचय प्रमाणपत्र के आधार पर आईं, जिसकी भारतीय विदेशी अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति है । उनका भारत मे प्रवेश ठीक था । वह इन परिचय प्रमाणपत्रों के साथ आईं ।

श्री बलराज मधोक : घुमा फिराकर बात मत कहिए । उनके पास कौन-सा पासपोर्ट था ?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे लिए यह पूछना आवश्यक नहीं है..... ...

श्री बलराज मधोक : वह जानबूझ कर सदन से सूचना छिपा रहे हैं ।

श्री स्वर्णसिंह : मैं यह कहता हूँ कि यह सुझाना गलत है कि वह उत्तरी वियतनाम के पासपोर्ट पर यात्रा कर रही थीं । हमने उन्हें अपने अतिथि के रूप में आमन्त्रित किया और वह देश के कानून, भारतीय विदेशी अधिनियम के अनुसार यहाँ आईं, हमने उन्हें परिचय प्रमाणपत्र दिये । यह एक सामान्य बात है । दूसरे प्रश्न के बारे में जिसमें पूछा गया है कि उनके पास क्या क्या कागजात थे, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम अपने मेहमानों से यह नहीं पूछते कि उनके पास कौन कौन से विशिष्ट कागज-पत्र हैं । मैंने विदेश यात्रायें की हैं और जब भी मैं विदेश गया हूँ तो किसी भी देश विशेष में मुझसे यह नहीं पूछा गया कि मेरे पास क्या क्या कागजात हैं । माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या वह विध्वंसक आन्दोलन का संचालन कर रही हैं । यह सही नहीं है । दक्षिण वियतनाम में ऐसे भी दक्षिण वियतनामी नागरिक हैं जो सैगोन सरकार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं और यह बात सभी को विदित है । समग्र विश्व इस बात को जानता है कि दक्षिण वियतनाम में तब तक किसी भी प्रकार की शान्ति स्थापित नहीं की जा सकती, जब तक उसमें राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे और अस्थायी क्रांतिकारी सरकार का योग न हो ।

अध्यक्ष महोदय, अमरीकी क्षेत्रों में भी इस प्रकार की चर्चा थी जहाँ यह सुझाया गया था कि राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा या अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार को चुनाव से भी पूर्व संयुक्त सरकार में शामिल कर लिया जाये । अतः यह ऐसी स्थिति है जिसका हम उपेक्षा नहीं कर सकते । यही तथ्य हैं । तब तक वहां किसी प्रकार की शान्ति स्थापित नहीं हो सकती जब तक कि उन लोगों के मध्य बात चीत नहीं होती । यही वास्तविक तथ्य हैं तथा इसे राज्य-प्रतिरोध का आन्दोलन अथवा अन्य कुछ बखान करने से कोई लाभ नहीं है ।

मेरे विचार से उन राज्य-प्रतिरोधी नेताओं से उन तथा कथित बात-चीत के साथ उनकी यात्रा का कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि कोई राज्य-प्रतिरोधी नेता कुछ और कानूनी गति-विधियों

में अन्तर्गस्त है तो मैं नहीं समझता कि कोई यहां की यात्रा करने वाला ऐसी गतिविधियों में भाग लेगा।

श्री नम्बियार : श्री मधोक एक राज्य-प्रतिरोधी नेता हैं। उन्होंने श्री मधोक से बात-चीत की थी।

श्री स्वर्ण सिंह : यह मामला तो श्री नम्बियार और श्री मधोक के बीच का है। मुझे तो उन दोनों के मध्य भी कुछ अन्तर करना है।

अतः राज्य-प्रतिरोधी नेताओं के साथ बात-चीत करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इस सम्बन्ध में, यदि माननीय सदस्य को कोई ऐसी जानकारी है जिसका संसद में जिक्र करने में वह सकुचा रहे हों तो मैं उनकी इस जानकारी से लाभ उठाने को तैयार हूँ।

श्री बलराज मधोक : मंत्री महोदय ही सकुचा रहे हैं, मैं नहीं, वह यह बताने में सकुचा रहे हैं कि वह किस प्रकार के पारपत्र पर भारत आईं। मुझे तो सकुचाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। परन्तु मंत्री महोदय सकुचा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कोई ग़लती की है।

क्या यह सत्य है कि श्रीमती बिह्न ने सरकार से यह अनुरोध किया कि उनकी सरकार को लुसाका तटस्थ सम्मेलन में आमंत्रित किया जाये, और यदि हो, तो इस विचार से कि भारत सरकार के दक्षिण वियतनाम के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध हैं तथा एक समय में केवल एक देश की केवल एक सरकार को ही मान्यता दी जा सकती है, सरकार ने उस अनुरोध का क्या उत्तर दिया ?

श्री स्वर्णसिंह : हम इस बात से सच मानते हैं कि दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार लुसाका सम्मेलन में भाग लेने की इच्छुक है और श्रीमती बिह्न ने अपनी सरकार अथवा अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के प्रतिनिधियों को लुसाका बुलाये जाने का दावा पेश किया। हमने स्पष्ट किया कि इस बारे में तो उक्त सम्मेलन को ही निर्णय करना है और इस का निर्णय लुसाका के सम्मेलन में विदेश मंत्री-गण करेंगे।

श्री बलराज मधोक : मंत्री महोदय का इस बारे में क्या दृष्टिकोण है।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं तो सारी समस्या का अध्ययन कर के अपना दृष्टिकोण बनाऊंगा।

श्री बेदब्रत बरुआ : मंत्री महोदय पहले ही कह चुके हैं कि यह पुराना सिद्धान्त कि अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार केवल कुछ राज्य-प्रतिरोधी नेताओं का एक दल है, सारे विश्व में, यहां तक कि अमरीका द्वारा भी विशिष्ट मान्यता देकर चुप-चाप बदला जा रहा है। इस को मान्यता देने में कुछ राष्ट्र आगे आये हैं। मेरे विचार से श्री लंका तथा संयुक्त अरब गण राज्य ऐसा कर रहे हैं तथा अन्य देश भी इसका अनुसरण कर रहे हैं।

क्या मैडम बिह्न के साथ कोई विचार-विमर्श किया गया था अथवा किसी भी स्तर पर यह प्रयास किया गया था कि अमरीका अथवा अन्य देशों द्वारा अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार को मान्यता दिये जाने से पूर्व इस सरकार के साथ किसी प्रकार के कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किये जायें ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी नहीं, इस बारे में कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया ।

Shri Ram Avtar Sharma : Only a few years ago when the Vice-President of Israel passed-through our country, none of our Ministers or officers went to greet him, but when Madam Binh who, according to law, is a rebel against her Government came here, she was welcomed so nicely here. I want to know what have been the gains to our country at national or international level as a result of this welcome ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस्रायल के राष्ट्रपति के दौरे के सम्बन्धित तथ्यों की मुझे जांच करनी पड़ेगी परन्तु मेरे विचार से उनका स्वागत करने तथा उन के विचार जानने के लिये उपयुक्त प्रबन्ध किये गये थे, यदि इस बारे में अलग से प्रश्न पूछा जाये तो मैं ब्यौरा दे दूंगा ।

जहां तक मैडम बिन्ह के दौरे से होने वाले लाभ का संबंध है, उनके दौरे से हमें इस देश की, वहां सैना की तथा राजनैतिक स्थिति को सही सही समझने का अवसर मिला । मेरे विचार से इस अवसर के मिलने से उस क्षेत्र में पुनः शान्ति स्थापित करने की हमारी इच्छा को विश्वभर में प्रचारित करने की दिशा में हमें काफी लाभ होगा ।

Shri Sharda Nand : Mr. Speaker, Sri, you are aware that when Madam Binh came to this country, two citizen of South Vietnam too had already came here. Madam Binh was the guest of our Government, which is working under the Russian Pressure, whereas the two South Vietnami citizons were the guests of the people of India. Those two South Vietnami citizens were detained in Delhi and their exit from Delhi was benned since it was feared that it will creat trouble as the time of Madam Binh's visits to several places. I want to know from the Government whether by inviting Madam Binh to India, it has indirectly recognised the existence of the Provisional Revolutionary Government, and if so, whether it has discussed this matter with those Governments also who have accorded recognition to the P.R.G. ?

श्री स्वर्ण सिंह : पहले प्रश्न का जहां तक सम्बन्ध है, यह सच हैं कि दो दक्षिणी वियतनामी नागरिक जिन्होंने भूतपूर्व वियतकांग नागारिक होने का दावा किया था तथा स्वयं को वियतकांग से सम्बन्ध-विच्छिन्न घोषित किया था, उस समय भारत में आये हुए थे, तथा माननीय सदस्य के दल के नेताओं सहित अन्य कई लोगों ने उनकी आव-भगत की थी तथा इन्टर्कान्टीनेन्टल होटल में काफी धन खर्च करके उनकी सेवा-सुश्रुषा की गई थी और उनका महान स्वागत किया था ।

आगे यह पूछा गया कि उन्हें वहां जाने से क्यों रोका गया जहां मैडम बिन्ह गई थीं, ऐसा करना बहुत आवश्यक था क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा देश वियतकांगियों तथा भूतपूर्व वियतकांगियों और वर्तमान वियतकांगियों की लड़ाई का अड्डा बने । वस्तुतः हमें मालूम था कि वे लोग मैडम बिन्ह के विरुद्ध प्रचार करने के लिये हमारे आतिथ्य तथा देश का लाभ उठायेंगे और हम कदाचित उनको यहां आने की अनुमति भी नही देते । यह बात मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ ।

Shri Prakash Vir Shastri : When Madam Binh was here in India, some diplomats of Laos, Combodia and South Vietnam, who were not satisfied with crtain statements given by her, went to see our Minister of Foreign Affairs. I want to know as to which were the statements of Madam Binh which compelled those representatives to come

to our Ministry of Foreign Affairs, and whether the Minister for Foregn Affairs warned Madam Binh on this account, since it is against the policy and tradition of our Foreign Ministry that some one should come to our country and initiate certain movement against some Government ?

We have diplomatic relations with South Vietnam and our Consel General is there. On the one hand we have friendly relations with that country and on the other we are welcoming the rebels of the Government against which that Government has issued warrants. I want to know if tomorrow Phizo or Sheikh Abdullah form such a Government and the other countries recognise and invite them, how would the Government of India react to that ?

श्री स्वर्ण सिंह : सैगोन में हमारा महा-वाणिज्यदूत है और उनका भी यहां है । हम उनके साथ भी **वास्तविक आधार पर** वैसा ही संबंध बनाये हुए हैं जैसा कि हमारा **वास्तविक आधार पर** उत्तर वियतनाम के साथ संबंध है; हनोई और दिल्ली में वाणिज्यदूत हैं । मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि सर्वप्रथम मैडम बिन्ह से दक्षिण वियतनाम की स्थिति की जानकारी प्राप्त करना क्यों जरूरी था ताकि हम भी उस क्षेत्र में शान्ति स्थापित करने में कुछ सहायता कर सकें । यह सच है कि दक्षिण वियतनाम, लाओस तथा कम्बोडिया के प्रतिनिधि वैदेशिक कार्य मंत्रालय के कार्यालय में आये थे और उन्होंने अपने दृष्टिकोण के अनुसार मैडम बिन्ह के कुछ वक्तव्यों को आपत्तिजनक बताया था तथा हमने भी उनके दृष्टिकोण को समझा था । जहां तक अन्य देशों के प्रतिनिधियों का सम्बन्ध है यह एक प्रक्रिया रही है और हमने भी उसका अनुसरण किया है कि वे लोग अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर सकते हैं । हमने इसे एक न्याय-संगत बात माना है । यदि कोई टिप्पणी की गई है तो वह की जा सकती थी और मैडम बिन्ह ने वह टिप्पणी की थी ।

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Speaker, Sir, my question was quite clear. I had asked as to what would be the reaction of the Government of India if certain Foreign Government extends diplomatic honour to Phizo or if Sheikh Abdullah turns a rebel and visits certain country and if that country accords him diplomatic honour ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह तो एक मनघड़न्त प्रश्न है । मैं तो कल्पना नहीं कर सकता कि फिजो अथवा शेख अब्दुल्ला स्वयं को किसी अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार का अध्यक्ष घोषित करें । यह संसद तथा हम सब यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा कभी न हो और यदि ये व्यक्ति अथवा अन्य कोई व्यक्ति ऐसा अवसरवादी मार्ग अपनायेंगे तो हम जानते हैं कि उनके साथ हम क्या व्यवहार करेंगे ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित वस्तुओं पर लिये जाने वाले मूल्यों का सीमा निर्धारण

* 366. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बता की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम जो वस्तुएं आयात करता हैं उनके मूल्यों पर कोई सीमा निर्धारित की गई है और विशेषकर क्या मुनाफे तथा माल उतारने-चढ़ाने के व्यय का प्रतिशत निर्धारित किया गया ;

(ख) तांबा, नाईलोन, सुपारी, स्टेनलैस स्टील के मूल्यों का विशेषकर मुनाफे तथा उतारने-बढ़ाने के लिये व्यय के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) इतना अधिक मुनाफा किस प्रकार न्यायोचित कहा जा सकता है जब कि उत्पादों का मूल्य इसके कारण बढ़ जाता है तथा मुद्रा-स्फीति में वृद्धि होती है ; और

(घ) यदि राज्य व्यापार निगम के मूल्य प्रचलित आन्तरिक मूल्यों से कम हैं तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि वास्तविक उपभोक्ता आयातित वस्तुओं को पुनः न बेचें और इनका पूर्णतः अपने उत्पादन में प्रयोग करें।

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) निकासी मूल्यों को निर्धारित करने के लिये सरकार द्वारा, जहां आवश्यक होता है अन्तः मंत्रालय समितियों के माध्यम से, मार्गदर्शी सिद्धान्त निश्चित किये जाते हैं, जिनमें आयात मूल्यों, आन्तरिक मूल्यों आदि विभिन्न उपादनों पर विचार करके मूल्यों को निर्धारित करने की प्रक्रिया विहित की जाती है। जहां कोई घरेलू उत्पादन नहीं होता उन मामलों में देश में पहुंचकर पड़ने वाली लागत में सामान्यतः कुछ लाभ जोड़ दिया जाता है। परन्तु ऐसी वस्तुओं के विषय में जिनके बारे में उस प्रकार की सामग्री या बदल वस्तुओं का स्वदेसी उत्पादन होता है, निकासी मूल्य उस स्वदेशी सामग्री या बदल वस्तु के मूल्य से कुछ नीचे स्तर पर निर्धारित किया जाता है।

(ख) आयातों पर लाभ की गुंजाइश विभिन्न प्रकार के माल के अलग-अलग वर्गों के विषय में भिन्न-भिन्न होती है और उतारने-चढ़ाने के व्यय तथा मुनाफे के विषय में व्यापक रूप से अलग-अलग हिसाब लगाना सम्भव नहीं है।

(ग) और (घ). फिर भी, जहां आयात मूल्यों और घरेलू मूल्यों के बीच भारी अन्तर हो वहां माल प्राप्त करने वालों की तरफ से अत्यधिक मुनाफा कमाने की कार्यवाहियों को रोकने के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा नफे का अंश अधिक रखा जाता है।

श्री लोबो प्रभु : यह प्रथम अवसर है कि सौभाग्य से मुझे अपने प्रश्न का मौखिक उत्तर मिला है। इस सम्बन्ध में, श्रीमान, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ क्योंकि इस उत्तर में मेरे प्रश्न के किसी, भी भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। प्रश्न को टालने का यह एक विशिष्ट उदाहरण है। आप जरा देखिये कि मंत्रालय संसद में कैसे व्यवहार करता है। मेरा स्पष्ट प्रश्न यह था कि नायलोन, तांबा, सुपारी, स्टेनलैस स्टील आदि जैसी कुछ विशिष्ट वस्तुओं के बारे में लाभ तथा माल उतारने-चढ़ाने के व्यय की प्रतिशतता क्या है सरकार इसका उत्तर क्यों नहीं दे सकती ? वह मुझे अपने मार्गदर्शी नियम, जिनमें न तो कोई रुचि रखता है और न ही वे किसी के समझ में आते हैं, क्यों बताते हैं ?

श्री ला० ना० मिश्र : माननीय सदस्य व्यर्थ में ही नाराज हो रहे हैं। तांबे तथा स्टेनलैस स्टील का आयात खनिज धातु व्यापार निगम करता है तथा नायलोन का आयात उसका उपयोग करने वाले करते हैं तथा थोड़ा बहुत आयात राज्य व्यापार निगम भी करता

है। उस वस्तु पर 5-6 प्रतिशत का लाभ होता है तथा कुछ मामलों में 4 प्रतिशत लाभ भी होता है। यह तो केवल देश में मूल्यों को स्थिर रखने की दृष्टि से किया जाता है.....(**व्यवधान**)

श्री लोबो प्रभु : वह सभा को गलत जानकारी दे रहे हैं। मैं फिर अपना प्रश्न पूछ रहा हूँ। जापान में नायलोन डेनियर का मूल्य 14 रुपये है जब कि भारत में 108 रुपये है। यह केवल आपकी मुनाफाखोरी के कारण है जिसे आप छिपा रहे हैं, आप इस लाभ को केवल 4 प्रतिशत बता रहे हैं। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है और उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या इस प्रकार की मुनाफाखोरी से मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी? यही विशिष्ट प्रश्न था जो कि मैंने पूछा था। यह तो बहुत अनुचित प्रकार की मुनाफाखोरी है जिससे मुद्रा स्फीति बढ़ती है।

श्री ल० ना० मिश्र : कोई मुनाफाखोरी नहीं की जा रही है। यदि माननीय सदस्य चाहते है तो मैं इस बात को और अधिक स्पष्ट कर देता हूँ। नायलोन पाने के सरकारी निर्देश मूल्य उसी स्तर के भारतीय मूल्यों से एक या दो रुपये कम पर निर्धारित किये गये हैं। उद्देश्य यह है कि भारतीय नायलोन के मूल्यों को अर्थव्यवस्था में भारतीय उत्पादनकर्ताओं के उत्पादन कार्यक्रमों में बाधा डाले बिना स्थिर किया जाये।

राज्य व्यापार निगम द्वारा जो मूल्य लिया जाता है वह केवल 1,2 रुपये अधिक होता है और यह 15 से 20 प्रतिशत अधिक नहीं होता है।

श्री रणजीत सिंह : क्या यह जो इतना अधिक मुनाफा कमाया जा रहा है उस में से कुछ राशि कांग्रेस की चुनाव निधि में भी जमा होती है?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

सतपुड़ा तापीय विद्युत संयंत्र का पुनःस्थापित किया जाना

4. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने केन्द्र से यह अनुरोध किया है कि वह विद्युत के अभाव से ग्रस्त पंजाब राज्य को विद्युत देने के लिए बेकार पड़े सतपुड़ा तापीय विद्युत संयंत्र को तत्काल स्थापित करे ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

सिचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). भाखड़ा प्रणाली को गोविंदसागर झील में अत्यल्प अंतः प्रवाहों के कारण उत्तरी क्षेत्र में उत्पन्न विद्युत संकट का सामना करने के लिए भारत सरकार ने भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड और पंजाब व हरियाणा, राजस्थान

और मध्य प्रदेश के प्रतिनिधियों के साथ सलाह करके यह निर्णय लिया है कि उत्तरी क्षेत्र को सप्लाई करने के लिए सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र के उत्पादन में लगभग 10 लाख यूनिट प्रति दिन की वृद्धि कर दी जाए। ऐसी भी व्यवस्था की जा रही है कि सतपुड़ा विद्युत केन्द्र को कोयले की अनुपूर्ति की जाए ताकि वह 10 लाख यूनिट प्रति दिन अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन कर सके। भीलवाड़ा से अजमेर तक 132 के० वी० (30 मील) लाइन के निर्माण में शीघ्रता करने की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि राजस्थान सतपुड़ा से अतिरिक्त विद्युत ले सके और उसके द्वारा भाखड़ा प्रणाली को उतनी ही सीमा तक राहत पहुंचा सके।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : इस योजना के अन्तर्गत भाखड़ा से राजस्थान को मिलने वाली बिजली पंजाब को दी जानी है। राजस्थान में बिजली का पहले ही अभाव है और इस अभाव को दूर करने के लिए सतपुड़ा से राजस्थान को बिजली दिये जाने की सम्भावना है। परन्तु चूंकि सतपुड़ा से बिजली भेजने के लिए पारेषण लाइनें बिछाने का कार्य नहीं हुआ है, क्या सरकार यह आश्वासन देने के लिए तैयार है कि जब तक उक्त कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक भाखड़ा से राजस्थान को बिजली की सप्लाई बन्द नहीं की जायेगी ;

डा० कु० ल० राव : राजस्थान तो पहले ही अपने निश्चित कोटे से कम बिजली ले रहा है। अतः राजस्थान को बिजली की सप्लाई में और कोई कमी नहीं की जायेगी। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : स्थिति यह है कि किसी न किसी राज्य में बिजली का अभाव बना ही रहता है और इस स्थिति में राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित करके कुछ सुधार किया जा जा सकता है जिससे किसी एक राज्य की फालतू बिजली का कमी वाले किसी दूसरे राज्य में उपयोग किया जा सके। सरकार ने एक राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना करने के लिए क्या कारगर उपाय किये हैं और इसके लिये चौथी योजना में कितनी धनराशि नियत की गई है और इस कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है।

डा० कु० ल० राव : यह ठीक है कि एक राष्ट्रीय ग्रिड -अखिल भारतीय ग्रिड—के होने से हम अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकेंगे। उदाहरणार्थ यदि भीलवाड़ा से अजमेर तक अथवा जयपुर से बदरपुर तक पारेषण लाइनें होतीं, तो इन से उत्तरी क्षेत्र की कमी को पूरा किया जा सकता था। हम इन विभिन्न पारेषण लाइनों को बिछा रहे हैं और इस प्रयोजन के लिये चौथी योजना में 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। आशा है कि पांचवी योजना के अन्त तक एक सुदृढ़ अखिल भारतीय ग्रिड स्थापित हो जायेगी।

श्री रणजीत सिंह : केवल राजस्थान में ही नहीं परन्तु कुछ अन्य राज्यों में भी बिजली का अभाव है। क्या सरकार हमें यह आश्वासन देगी कि उत्तर भारत में स्थापित किये जाने वाले उस प्रस्तावित परमाणु बिजली घर की स्थापना, जिससे राजस्थान समेत उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों को बिजली दी जायेगी ?

डा० कु० ल० राव : जी हां ! उत्तरी प्रदेश में एक बड़ा परमाणु बिजली घर बनाने का प्रस्ताव है।

Shri Randhir Singh : Three-fourth of the total amount of power produced at Bhakhra is consumed by the Nangal Fertilizer Factory and Delhi and that too at a very cheap rate of 2 or 2-1/2 paise per unit and thus Haryana and Punjab are being deprived of crores of rupees. Delhi is further supplying power to U.P. also. Either our demand of power should be met or we should be given full rates of the power being consumed by the Nangal Fertilizer Factory. But nothing is being done for us. Even the fertilizer is not being provided to us at cheaper rates and thus our money is simply being swallowed. May I know whether the setting up of the proposed power plant will also hit us hard or whether the interests of Punjab, Haryana and Delhi will be kept in view ?

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य ने नंगल उर्वरक कारखाने तथा दिल्ली को मिलने वाली बिजली की मात्रा को बढ़ा-चढ़ा कर बताया है। यह तीन-चौथाई न होकर केवल एक तिहाई है। पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री ने वर्तमान संकट में बड़ा सहयोग दिया है और उन्होंने बिजली की कमी को पूरा करने के लिए नंगल कारखाने के तीन एककों में से एक एक को बन्द कर दिया है। नंगल कारखाने को तब स्थापित किया गया था जब पंजाब में बिजली की कोई मांग नहीं थी। खेद है कि यह कारखाना, जिसमें बिजली की बड़ी खपत होती है, वहां लगा हुआ है। इसे वहां नहीं लगाया जाना चाहिये था। परन्तु चूंकि अब वह वहां है, इसके सिवाय और कुछ नहीं किया जा सकता है कि आप भी अन्य लोगों के साथ बिजली की कमी को सहन करें। यह एक ऐसा प्रदेश है जहां प्रति दिन मांग बढ़ रही है। भारत की 15 प्रतिशत मांग की तुलना में इसकी मांग 25 प्रतिशत है जिससे बिजली का जितना उत्पादन हो रहा है उतनी ही वहां की खपत है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने उत्तर को सतपुड़ा तक ही सीमित रखें। मेरे सचिवालय की तो यह उदारता है कि इस प्रश्न को एक अल्प-सूचना प्रश्न के रूप में मान लिया है और मंत्री ने इसका उत्तर देने की बात को मानकर और भी अधिक उदारता दिखाई है। श्री सोमानी।

श्री नन्द कुमार सोमानी : सतपुड़ा बिजली घर द्वारा सेवित तथा इसके आस-पास के क्षेत्र में बिजली प्रायः खराब हो जाती है और इसकी वोल्ट शक्ति में भारी घटा-बढ़ी होती रहती है जिससे कृषि तथा औद्योगिक कार्यों को नुक्सान हो रहा है। उक्त क्षेत्रों में इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या सरकार कोई अविलम्ब कार्यवाही करेगी ?

डा० कु० ल० राव : मैं यह मानता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में वोल्ट शक्ति में अत्यधिक घटा-बढ़ी होती रहती है। हम इसे यथासम्भव ठीक करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आशा है, अगले 2,3 वर्षों में, जब तक हम अपनी पारेषण लाइनों को सुदृढ़ बना लेंगे, स्थिति में सुधार हो जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सोवियत विदेश उप मंत्री की भारत यात्रा

* 365. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत विदेश उप मंत्री ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का क्या उद्देश्य था ; और

(ग) क्या ताशकंद समझौते को क्रियान्वित करने के प्रश्न पर विचार विमर्श किया गया था ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय नेताओं से मिलने और उनके साथ परस्पर हित के द्विपक्षीय तथा साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार विमर्श करने के लिए।

(ग) इस सन्दर्भ में हमने भारत-पाक सम्बन्धों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया था और पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्ध सुधारने और सामान्य बनाने के उद्देश्य से ताशकंद घोषणा पर अमल करने के लिए भारत द्वारा किये गये सभी प्रयत्नों के प्रति पाकिस्तान सरकार की नकारात्मक प्रतिक्रिया पर अपनी निराशा व्यक्त की थी।

Madame Binh's Request for Opening Information Centre in India

* 367. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the former Vietcongs, who visited India during July 1970, had been issued passports on the condition that they would not indulge in political propaganda in India ;

(b) whether the Government had obtained such an assurance from the Foreign Minister of the Vietnamese Revolutionary Government who visited India during the same months ;

(c) whether passport to Madame Binh was issued by South Vietnam Government or by the Provisional Revolutionary Government ;

(d) whether it is also a fact that Madame Binh had requested the Government of India to give permission to set an Information Centre in India and to provide the necessary facilities therefor ; and

(e) the reaction of the Government of India thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : A group of persons who claimed to be defectors from the Vietcong visited India. An assurance that they would not indulge in political activity was given by the authorities of the Government of republic of Vietnam to our Consul General in Saigon.

(b) Does not arise.

(c) As Mrs. Binh came to India as the guest of the Government of India, arrangements were made to permit her entry under appropriate provision of the Foreigners' Entry Regulations on a certificate of Identity.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

व्यापार तथा परिगमन के बारे में भारत-नेपाल संधि में आमूल परिवर्तन करने की नेपाल द्वारा मांग

* 368. **श्री दंडपाणि :** **श्री जी० वैंकटस्वामी :**

श्री दिनकर देसाई : **श्री सीताराम केसरी :**

श्री सामिनाथन् :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नेपाल को विकल्प दिया है कि वह या तो स्थलरुद्ध देशों सम्बन्धी कन्वेंशन के अन्तर्गत प्रस्तावित व्यापार तथा पारगमन सुविधाओं को मान ले अथवा दोनों देशों के बीच 31 अक्तूबर को समाप्त होने वाले वर्तमान करार की अवधि बढ़ा ले ;

(ख) यदि हां, तो नेपाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या भारत ने नेपाल की इस मांग को स्वीकार नहीं किया है कि वर्तमान 10 वर्षीय संधि में आमूल परिवर्तन किया जाये ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल०ना० मिश्र) : (क) जी नहीं । आशा है कि 31 अक्तूबर, 1970 को व्यापार तथा पारवहन की वर्तमान संधि के समाप्त होने के बाद जो प्रबन्ध किये जाने हैं उनके बारे में शीघ्र ही दोनों सरकारों के बीच बातचीत होगी ।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठते ।

नेपाल में "सर्चलाइट" और " ब्लिट्ज', के प्रवेश पर प्रतिबन्ध

* 369. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पटना से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी दैनिक "सर्चलाइट" और बम्बई से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक "ब्लिट्ज़" पर नेपाल में लगाये गये प्रतिबन्ध को उठाने के लिये नेपाल सरकार को सहमत कर सकी हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या प्रतिबन्ध उठाने की दिशा में अब भी कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). पटना से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक "सर्चलाइट" एवं बम्बई से प्रकाशित साप्ताहिक "ब्लिट्ज़" के प्रवेश पर लगाये गये प्रतिबन्ध पर सामान्य राजनयिक सूत्रों के माध्यम से नेपाल सरकार के साथ मामला उठाया गया है। पटना से निकलने वाले दैनिक पत्र "सर्चलाइट" पर लगाया गया प्रतिबन्ध 30 जुलाई 1970 से हटा दिया गया है। "ब्लिट्ज़" पर प्रतिबन्ध लागू है ।

भारत-नेपाल व्यापार

* 370. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यापार तथा पारगमन सम्बन्धी भारत-नेपाल समझौते के नवीकरण के सम्बन्ध में बातचीत के दौरान भारत सरकार ने किसी अन्य देश के स्टेनलैस स्टील उत्पादकों और कृत्रिम रेशों से बने वस्त्रों का कोटा बढ़ाने के मामले में नेपाल को नई रियायतें देने की पेशकश की हैं बशर्ते कि अतिरिक्त आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपने पहले के इस निर्णय को बदलने का निश्चय किया है कि तीसरे देश में बनी वस्तुओं के निःशुल्क आयात को अथवा मुख्यतः तीसरे देश से प्राप्त कच्चे माल से बने नेपाली उत्पादकों को, भारत में निःशुल्क आने की अनुमति नहीं दी जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा अपना पहला निर्णय बदले जाने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). भारत-नेपाल व्यापार तथा परिवहन संधि, 1960 के अन्तर्गत भारत में आयात के लिये प्रदान की गयी सुविधाएं नेपाली उद्भव के सामान के लिये हैं ।

2. अन्य देश में बने माल का नेपाल से आयात करना भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत निकाली गई अधिसूचना के अधीन वर्जित है ।

3. दोनों सरकारों के बीच यह लिखित समझौता है कि ऐसे नेपाली उत्पादकों के, जो प्रधानतः नेपाली कच्चे माल पर आधारित नही है, भारत में आयात करने की शर्तें तथा क्रिया-विधि दोनों सरकारों के बीच सहमति द्वारा तय होंगी ।

4. नवम्बर, 1968 में काठमांडू में हुई मंत्रि-स्तरीय वार्ता के परिणामस्वरूप नेपाल के महामहिम की सरकार भारत को संश्लिष्ट वस्त्रों और अविकारी इस्पात से बने माल के निर्यात को 1967-68 के स्तर तक सीमित करने के लिये सहमत हो गई थी । वर्ष 1967-68 के स्तर के लिये वास्तविक परिमाण पर कोई समझौता न होने के कारण संश्लिष्ट वस्त्रों या अविकारी इस्पात से बने माल का जुलाई, 1969 से कोई आयात नहीं हुआ ।

5. भारत-नेपाल अन्तःसरकारी संयुक्त समिति की बैठकों में, जिनमें इस प्रश्न पर चर्चा हुई थी, भारत ने सामान्य व्यापार मार्गों के माध्यम से भारत द्वारा वर्ष 1967-68 के स्तर पर माने गये परिमाण तक उक्त माल के आयात की अनुमति देने की रजामन्दी व्यक्त की । भारत ने अक्तूबर, 1970 के अन्त तक संश्लिष्ट वस्त्रों और अविकारी इस्पात से बने माल के आयात के सम्बन्ध में नेपाली अनुरोध पर विचार करने की भी रजामन्दी व्यक्त की है बशर्ते नेपाल भारतीय राज्य व्यापार मार्गों के माध्यम से माल भेजने के लिये सहमत हो ।

प्रतिरक्षा उत्पादन में "सिविल सैक्शन" के कार्य के बारे में नीति

* 371. **डा० रानेन सेन :** **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री सरजू पाण्डेय : **श्री योगेन्द्र शर्मा :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग के कार्यकारी दल ने सरकार से कहा है कि वे एक विशिष्ट संकल्प के द्वारा प्रतिरक्षा उत्पादन में सिविल सेक्शन के कार्य के सम्बन्ध में एक स्पष्ट तथा दीर्घकालीन नीति बनायें ;

(ख) क्या सरकार ने इस सुझाव की जांच कर ली है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (**श्री प्र० चं० सेठी**) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नियुक्त रक्षा उत्पादन के लिये कृत्यदल के निष्कर्ष और उनकी रिपोर्ट का प्रारूप ए० आर० सी० द्वारा नियुक्त रक्षा मामलों पर अध्ययन दल को प्राप्य कर दिया गया था। अन्य बातों सहित अध्ययन दल ने सिफ़ारिश की थी कि सरकार को रक्षा उत्पादन के लिये असैनिक क्षेत्र की क्षमता के प्रयोग के लिये एक स्पष्ट और दीर्घकालिक नीति बनानी चाहिए और असैनिक क्षेत्र उद्योग को अलाट किए गये कृत्य तथा उन क्षेत्र को स्पष्ट करना चाहिए कि जहां उन का कृत्य प्रत्याशित है।

(ख) ए० आर० सी० से अध्ययन दल की रिपोर्ट कुछ ही दिन हुए मिली थी और उनकी सिफ़ारिशें अभी निरीक्षण अधीन हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चाय उद्योग में पूंजी विनियोजन में कमी

* 372. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय उद्योग में पूंजी विनियोजन कम हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो गत रो वर्षों में पूंजी विनियोजन में किस दर से कमी हुई है ;

(ग) क्या इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में बारम्बार बातचीत करने के कारण पूंजी विनियोजन में कमी हुई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप भारत के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) वर्ष 1968 तक प्राप्त जानकारी से यह प्रकट नहीं होता कि पूंजी के विनियोजन में कोई कमी आई है और वर्ष 1969 तथा उसके पश्चात् के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) से (घ) . प्रश्न नहीं उठते ।

ब्रिटेन के गृह-सचिव का आव्रजन नियंत्रण के बारे में वक्तव्य

* 373. **श्री रामावतार शास्त्री :** **श्री जनार्दनन :**

श्री इसहाक सम्भली :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के गृह सचिव ने हाल ही में कहा है कि ब्रिटेन का विचार कठोर आव्रजन नियंत्रण लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में ब्रिटेन का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) ब्रिटेन के गृह मंत्री श्री रेगिनाल्ड माडलिंग ने कहा है कि ब्रिटिश सरकार अपनी सामान्य नीति के क्रियान्वित करने के उद्देश्य से एक ऐसा बिल पेश करना चाहती है जिसमें इस बात का सुनिश्चय हो कि ब्रिटेन में और अधिक, स्थायी रूप से बड़े पैमाने पर लोग आप्रवास न करें।

(ख) यह प्रस्तावित बिल अभी ब्रिटिश संसद में पेश होना है ।

(ग) भारत सरकार स्थिति पर हमेशा ध्यान रख रही है । वह स्वाभाविक रूप से इस बात की आशा करती है कि ब्रिटिश सरकार अफ्रीका में भारतीय मूल के ब्रिटिश पासपोर्टधारियों के प्रति अपने दायित्व का सम्मान करेगी और यूनाइटेड किंगडम में उनके प्रवेश को सुविधाजनक बनाएगी ।

चुम्बी घाटी में चीन द्वारा फरीड्जोंग हवाई अड्डे का विस्तार

* 374. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** **डा० एम० सन्तोषम :**

श्री वंश नारायण सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन ने चुम्बी घाटी में फरीड्जोंग हवाई अड्डे का इतना विस्तार कर लिया है कि वहां बड़े बड़े विमान भी उतर सकते हैं।

(ख) क्या सरकार महसूस करती है कि चुम्बी घाटी में चीनी हवाई अड्डे का विस्तार भारतीय सुरक्षा के लिये हानिकर है;

(ग) क्या आसाम सरकार ने भारत सरकार को इस सम्बन्ध में सूचना दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रति रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ). जबकि सरकार को सैनिक महत्व की चुम्बी घाटी में चीनी गतिविधियों का ज्ञान है, पहाड़ी जोंग में किसी हवाई पट्टी के तथा कथित निर्माण के संबंध में कोई पुष्टि नहीं है। इस विषय में भारत सरकार द्वारा असम सरकार को सूचना दे दी गई थी। अपनी सुरक्षा को प्रभावित करने वाले, सीमावर्ती संबंधों का निरन्तर ध्यान रखा जाता है और उचित उपाय किए जाते हैं।

कम्बोडिया में दो सरकारों के सम्बन्ध में सरकार का रवैया

* 375. **श्री प्र० के० देव :**
श्री एस० पी० रामूर्ति :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 12 जून, 1970 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत कम्बोडिया में मार्च से हुए परिवर्तनों को मान्यता नहीं देता और अभी भी राजकुमार नरोत्तम सिंहानुक को कम्बोडिया सरकार का राज्याध्यक्ष मानता है; और

(ख) तब नोम पेन में विधिवत गठित सरकार के प्रति भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और नई दिल्ली में उनके राजदूत के साथ भारत सरकार का कैसा रवैया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। सरकार ने अखबारी खबर देखी है। 11 मई, 1970 को इस सदन में विदेश मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ख) हम नोम पेन्ह में सरकार और प्राधिकारियों के साथ वास्तविक आधार पर विचार-विमर्श कर रहे हैं और नई दिल्ली स्थित कम्बोडियाई प्रतिनिधि के साथ हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

बम्बई में रूसी वाणिज्य दूतावास भवन

* 376. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी वाणिज्य दूतावास ने बम्बई में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के सरकारी आवास 'वर्षा' के सामने माउंट प्लेजेंट रोड पर एक तीन मंजिले नये भवन का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रूस ने राज्य तथा केन्द्र सरकार से अनुमति ली थी;

(ग) यदि नहीं, तो भवन को क्यों पूरा होने दिया गया; और

(घ) वाणिज्य दूतावास ने मुख्य मंत्री के आवास के सामने राजनयिक आचरण के निर्धारित नियमों के विरुद्ध इस विशिष्ट स्थान को क्यों चुना ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार की इजाजत ले ली गई थी।

(ग) प्रश्न नही उठता।

(घ) जगह की खरीद एवं भवन-निर्माण का हमारे कानून एवं निर्धारित राजनयिक मानदण्डों से कोई विरोध नहीं है।

भारत-ब्रिटेन यात्रा सुविधाएं

* 377. श्री **राम किशन गुप्ता** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ब्रिटेन के बीच यात्रा-सुविधाओं के बारे में पूरे मामले की जांच की गई है; और

(ख) यदि हां तो, इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : यदि माननीय सदस्य का प्रश्न ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के ब्रिटेन में प्रवेश पर लगाये गए प्रतिबन्ध के बारे में है तो इस विषयपर सरकार गौर कर रही है।

कार निकोबार द्वीप समूह में एच० एस०-748 विमान का उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त होना

* 378. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कार निकोबार द्वीपसमूह में एक एच० एस० 748 विमान जिसको एक वरिष्ठ पायलट चला रहा था, उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उस विमान में वरिष्ठ अधिकारी तथा उनके मंत्रालय का एक उच्च अधिकारी की पत्नियां भी यात्रा कर रहे थे;

(ग) यदि हां, तो उन यात्रियों के नाम क्या हैं और दोनों अधिकारियों के पदनाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस दुर्घटना की कोई जाँच कराई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) हाल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तदपि 13 अक्तूबर 1969 को पोर्ट बलेयर में उतरते हुए वायुसेना के एक वरीय अफसर द्वारा

चालित वायुसेना का एक एच० एच०-748 विमान उड़ान पट्टी पर से भटक गया था और क्षतिग्रस्त हो गया था।

(ख) और (ग). विमान में उस वरीय अवसर की पत्नी एक मात्र महिला यात्री थी। अन्य यात्री थे, श्री एम० पी० करिअप्पा, संयुक्त सचिव रक्षा मंत्रालय और स्क्वा० लीडर डी० एस० गुप्ता, आई० ए० एफ०।

(घ) और (ङ). इस दुर्घटना की जांच के लिए एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी आदिष्ट की गई थी। कोर्ट आफ इन्क्वायरी ने उतराई की दौड़ में दिशात्मक नियन्त्रण के अभाव का कारण नौजवलि स्टीयरिंग तन्त्र में संभाव्य क्षणिक त्रुटि तय किया। विशेषज्ञों द्वारा स्टीयरिंग तन्त्र के बाद के निरीक्षण में हकोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल पाया, कि जो उस के कृत्य में बिगाड़ पैदा कर सकता था। उस से पहले नई दिल्ली से बाहर की उड़ान में कलैकुण्डा, पोर्ट ब्लेयर और निकोवार में विमान ने साधारण उड़ानें ली थी और उतराई भी। विमान में यात्रा कर रहे यात्रियों में से किसी एक के विषय में भी कोई बेकायदगी न थी।

इस किसी अफसर के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

चीन द्वारा भारतीय सीमाओं पर बड़े पैमाने पर सैनिक संस्थापनों की स्थापना

* 379. **श्री हेम बरुआ** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन ने हमारी सीमाओं पर बड़े पैमाने पर सैनिक संस्थापन स्थापित कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार वाह्य आक्रमण का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है ?

प्रति रक्षामन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). अपनी सीमा पार चीनियों सैनिकों की नियुक्ति और उनकी सैनिक गतिविधि के ढंग के सम्बन्ध में सदन को समय समय पर सूचित किया जाता रहा है। कुछ समय से इस स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) देश के सामने आने वाले संकटों के गुणरतन को अपनी रक्षा की तैयारी में ध्यान रखा जाता है।

वियतकांग से अलग हो जाने वाले व्यक्तियों द्वारा भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप

* 380. **श्री उमानाथ :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**

श्री प० गोपालन : **श्री के० एम० अब्राहम :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वियतकांग से अलग होने वाले दो व्यक्तियों द्वारा 17 जुलाई, 1970 को नई दिल्ली में आयोजित प्रेस सम्मेलन की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इससे दक्षिण वियतनाम के सूचना मंत्री द्वारा सैगोन में भारतीय वाणिज्य दूत को दिये गये इस आश्वासन का उल्लंघन हुआ कि वियतकांग छोड़ने वाले ये लोग भारत में ठहरने के समय राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे ।

(ग) यदि हां, तो वियतकांग छोड़ने वाले इन दो व्यक्तियों के तथा प्रेस सम्मेलन का आयोजन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके कारण क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) वियतकांग से अलग हो गए लोगों द्वारा प्रेस सम्मेलन आयोजित करना, दक्षिण वियतनाम सरकार के इस आश्वासन को भंग करना था कि वे जब तक भारत में हैं, राजनैतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे ।

(ग) और (घ). सरकार ने इन लोगों की गतिविधि पर कुछ नियंत्रण लगा दिए ।

भारत और पाकिस्तान द्वारा यूरोपीय साझा बाजार के साथ पटसन के सामान के बारे में किये गये करार

* 381. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने अभी हाल ही में यूरोपीय साझा बाजार के साथ पटसन के सामान के बारे में एक करार किया है जिसकी शर्तें भारत और यूरोपीय साझा बाजार के मध्य शर्तों की अपेक्षा अधिक हितकर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान भारत की अपेक्षा कितनी अधिक अच्छी स्थिति में होगा;

(घ)पाकिस्तान द्वारा भारत की अपेक्षा अधिक हितकर शर्तें प्राप्त करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ङ.). ज्ञात हुआ है कि पटसन के माल के व्यापार से सम्बन्धित एक करार पर यूरोपीय आर्थिक आयोग का पाकिस्तान के साथ समझौता हो गया है ।

पता लगा है कि करार की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :-

(1) करार के लागू होते ही समुदाय पटसन उत्पादों के सम्बन्ध में कनेडी दौर की व्यापार वार्ताओं में विनिश्चित समस्त सीमा शुल्क टैरिफ कटौतियों को अग्रिम रूप में लागू कर देगा ।

(2) अपनी ओर से पाकिस्तान चालू वर्ष में साझा बाजार को होने वाले अपने निर्यात को 150 सें० मीं० से अधिक चौड़ाई वाले पटसन वस्त्रों के लिए 760 मैं० टन के परिमाण तक तथा पटसन धागे को 2,000 मे० टन के परिमाण तक सीमित कर देगा। पटसन के वस्त्रों के लिए 115 मे० टन प्रतिवर्ष तथा पटसन धागे के लिए 200 मे० टन प्रतिवर्ष की वृद्धि अनुमत होगी।

(3) समुदाय बाजार में अनुपूरक आवश्यकता होने पर, समुदाय उपरोक्त अधिकतम सीमा के अतिक्रमण का विरोध नहीं करेगा।

(4) पटसन के सभी पहलुओं पर विचार करने तथा कठिनाइयों के हल प्राप्त करने के लिए एक संयुक्त सहयोग समिति का गठन किया जायेगा।

(5) करार 31 दिसम्बर, 1972 तक वैध होगा।

नवम्बर, 1969 में भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच (1 जनवरी,1970 से 31 दिसम्बर, 1972 तक की अवधि के लिए) पटसन के व्यापार के सम्बन्ध में हुए करार के अन्तर्गत यूरोपीय आर्थिक समुदाय निम्नलिखित सिद्धान्तों के पालन के लिए सहमत हो गया है :-

(1) भारत के लिए समुदाय बाजार में प्रवेश का उत्तरोत्तर विस्तार।

(2) यूरोपीय पटसन उद्योग की गतिविधियों को विश्व भर में वर्तमान स्तर पर बनाये रखना।

करार के अन्तर्गत भारत को वर्ष 1969 में 150 से० मी० से अधिक चौड़ाई के पटसन वस्त्रों के निर्यातों को 5500 मे० टन तक सीमित रखना था। प्रतिवर्ष 250 मे० टन की वृद्धि दर का भी उपबन्ध रखा गया है। समुदाय आगे इस बात पर भी सहमत हो गया है कि समुदाय बाजार में अतिरिक्त मांग होने पर कोटे से अधिक माल पर वह एतराज नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में, भारत सरकार यह समझती है कि करार में उल्लिखित परिमाणों को अधिकतम सीमा के रुप में नहीं माना जायेगा।

भारत से आयात के लिए उपलब्ध कराये गये परिमाण पाकिस्तान को अनुमत परिमाण से काफी अधिक हैं। परन्तु पाकिस्तान के साथ हुए यूरोपीय आर्थिक समुदाय की कतिपय उपादानों (आधारभूत कोटा तथा उनके वास्तविक निर्यातों के सम्बन्ध में वृद्धि दर) से यह प्रकट होगा कि वे कालीन अस्तर जैसे चौड़े अरज के हेसियन के मामले में कुछ बेहतर शर्तें प्राप्त कर सके हैं। फिर भी पाकिस्तान के मामले में पटसन के धागे के मामले में प्रतिबन्ध लगाया गया है परन्तु भारत के मामले में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

पाकिस्तान को प्रस्तुत की गयी शर्तों का कारण यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान यूरोपीय साझा बाजार को कच्चे पटसन की पूर्ति करता है।

सभी तथ्यों की पुष्टि होते ही आगे उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

उत्तरी वियतनाम के कैदियों की वापिसी

* 382. **श्री बे० कु० दास चौधरी** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण वियतनाम की सरकार ने भारत सरकार को अपने इस इरादे से सूचित किया था कि वह कुनतुंग नदी के मुहाने पर उत्तर तथा दक्षिण वियतनाम के बीच विसैन्यीकृत क्षेत्र में एक छोटे पत्तन से होकर उत्तर वियतनाम के युद्ध केदियों को एकपक्षीय कार्यवाही के तौर पर वापस करने को तैयार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसके वारे में भारत सरकार को सूचित करने का क्या उद्देश्य था ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) हमें जो सूचना दी गई थी उसके अनुसार दक्षिणी वियतनाम 62 असमर्थ उत्तरी वियतनामी युद्ध बंदियों को और 24 मछुओं को बिना शर्त मानवीय आधार पर छोड़ने वाला था। इस वापसी की शहायता में भारत सरकार से अपने प्रभाव का प्रयोग करने की प्रार्थना की गई थी।

मैडम श्रीमती बिन्ह की यात्रा से नक्सलपन्थियों को प्रोत्साहन

* 383. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की वैदेशिक कार्य मंत्री मैडम बिन्ह की भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था ;

(ख) क्या कुछ राजनैतिक दलों ने उनकी भारत यात्रा का विरोध किया था, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) उनके विरुद्ध किन राजनैतिक दलों ने प्रदर्शन किया; और

(घ) क्या उनकी यात्रा से भारत में नक्सलपंथियों को प्रोत्साहन मिलेगा ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारत सरकार ने श्रीमती बिन्ह को इसलिए भारत आमंत्रित किया था ताकि शान्ति वार्ता में भाग लेने वाले सभी दलों के साथ सम्पर्क किया जा सके, उनके दृष्टिकोण को समझा जा सके और अपना दृष्टिकोण उन्हें समझाया जा सके। वह, राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे तथा दक्षिण वियतनाम की अस्थाई क्रांतिकारी सरकार की नेता हैं, जो हमारी राय में किसी भी शांतिपूर्ण समाधान के अनिवार्य तत्व हैं। हमारा विश्वास है कि सभी संबन्धित दलों से सम्पर्क रखने से शांति स्थापना की दिशा में प्रगति को सुविधा-जनक बनाने में हमें मदद मिलेगी।

(ख) और (ग) . कुछ वर्गो और दलों ने उनके इस दौरे के खिलाप विरोध प्रकट किया था और प्रदर्शन भी किये थे। इसका कारण केवल वे ही बता सकते हैं। उनके

प्रतिनिधियों ने इन कारणों के बारे में इस सदन को पहले ही पूरी तरह से अवगत करा दिया है।

(घ) जी नहीं।

पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय संपत्ति की पाकिस्तान सरकार द्वारा बिक्री

* 384. **श्री जे० के० चौधरी :** **श्री न० कु० सांघी :**

श्री शिव चन्द्र झा : **श्री मु० अ० खां :**

श्री समर गुह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी पाकिस्तात में कुछ भारतीय सम्पत्ति की बिक्री करनें का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को पूर्वी पाकिस्तान से हाल ही में भारत आये शरणार्थियों से कोई दावे प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले को निपटाने के लिए पाकिस्तान सरकार को राजी करने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। सितम्बर 1965 के संघर्ष के दौरान तथा उसके बाद पाकिस्तान सरकार द्वारा जब्त बहुत सी सम्पत्ति को वह बेच रही है।

(ख) पाकिस्तान सरकार द्वारा बिक्री के लिए हाल ही में विज्ञापित वस्तुओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) जी हां। कुछ शरणार्थियों ने मुआवजा के लिए दावा किया है।

(घ) 1950 के नेहरु लियाकत समझौते के प्रावधानों के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले अपनी सम्पत्ति के लिए स्वामित्व अधिकार रख सकते हैं तथा वे अपनी सम्पत्ति की बिक्री या विनिमय कर सकते हैं। ऐसा होने के कारण पूर्वी पाकिस्तान के प्रवासियों को मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता।

1. स्टेट बैंक आफ इण्डिया, 4-लियाकत एवेन्यू, ढ़ाका के फर्नीचर। अन्य सामग्री।
2. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, 26-सदर घाट रोड चित्तगांव के फर्नीचर। अन्य सामग्री।
3. यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, ब्राह्मणबरिआ के फर्नीचर। अन्ये सामग्री।
4. मेसर्स के० बी० डे एण्ड सन्स, 4-चित्तरंजन एवेन्यू, 32 तांती बाजार तथा 24-ए वायर स्ट्रीट, ढाका के स्टाक, भंडार, फर्नीचर जिनमें गाड़िया आदि शामिल हैं।
5. मेसर्स टर्नर मोरिसन एण्ड कम्पनी, इस्पाहनी भवन, कायदे-आजम रोड, चित्तगांव के फर्नीचर। अन्य सामग्री।

6. सेन अग्रावाल एण्ड कम्पनी (इस्टर्न बंगाल इंजीनियरिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी) मजामपुर, कुस्तिआ टाउन के चल-सम्पत्ति, जिसमें टीन शेड तथा लोहे की छड़ शामिल हैं ।

7. बौर्ड के गैरज की वैगानर जीप संख्या सी टी जी के ए 8256

8. बोर्ड गैरज का कोंसुल (कोर्टीना) कार सं० ढ़ाका-जीएचर 3860

9. स्टेट बैंक आफ इण्डिया बिल्डिंग, 4-लियाकत एवेन्यू, ढाका ।

10. स्टेट बैंक आफ इण्डिया बिल्डिंग, नारायणगंज ।

11. युनाइटेड बैंक आफ इण्डिया बिल्डिंग, हाजीगंज, चान्दपुर, जिला कोमिल्ला ।

12. युनाइटेड बैंक आफ इण्डिया बिल्डिंग, तोफेल आजम रोड, ब्राह्मणबरिआ, जिला कोमिल्ला ।

13. यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया बिल्डिंग, चन्दुर बाजार, ब्राह्मणबरिआ सब-डीवीजन, कोमिल्ला ।

14. मेसर्स एम० एम० आयल कम्पनी, फरीदाबाद, ढाका ।

15. मेसर्स बंग लक्ष्मी मिल्स, पांच बीवी, बोगरा

16. मेसर्स श्री महावीर नार्थ बंगाल दाल मिल्स, जिनमें मेसर्स हनुमान आयल मिल्स, इशुर्दी, पवना, शामिल है ।

17. मेसर्स बैरिसल आइस एशोशियेशन, चम्पारपट्टी, बैरिसल ।

18. मेसर्स केवट आयल मिल्स, रूपसा, खुल्ना ।

19. मेसर्स बवनामोर एण्ड कम्पनी, 9-बी, के० गुप्ता रोड, नारायण गंज ।

20. मेसर्स लक्ष्मी राइस, आटा एण्ड आयल मिल्स, लालमनीरहट, रंगपुर ।

21. मेसर्स श्री महावलीराइस एण्ड दाल मिल्स, इशुर्दी, पवना ।

22. मेसर्स श्री महावीर राइस मिल्स, फुलहट, दीनाजपुर ।

23. मेसर्स श्री शंकर राइस मिल्स, फुलहट, दीनाजपुर ।

24. मेसर्स पाकहिली राइस मिल्स, पाकहिली दीनाजपुर ।

25. मेसर्स पार्वतीपुर राइस एण्ड आयल मिल्स, दीनाजपुर ।

26. मेसर्स भवानी पुर राइस मिल्स, भवानीपुर, दीनाजपुर ।

27. मेसर्स मोहनी मिल्स लिमिटेड, कुस्तिआ ।

28. मेसर्स रेवती मोहन साहा तथा लोलित मोहन साहा कालीर बाजार, नारायणगंज की सम्पत्ति तथा आस्तियां ।

29. मेसर्स एम० एम० आयल कम्पनी के पार्वतीपुर स्थित गोदाम ।

30. मेसर्स प्रधान राउतमल एण्ड सन्स के श्री मंगल, सिलहट स्थित दो गोदाम ।

31. मेसर्स के० बी० डे एण्ड सन्स के 4 चितरंजन एवेन्यू के तीन मंजिला तथा 4/1 चितरंजन एवेन्यू के दो मंजिला मकान जिनमें व्यापारिक संस्था हैं।

32. मेसर्स के० बी० डे एण्ड सन्स का 32-तांती बाजार, ढ़ाका स्थित तीन मंजिला मकान।

33. मेसर्स इस्ट बंगाल टीमर रिवर सर्विस लिमिटेड ढाका, 46-बी, नालगोला, ढाका की सम्पत्ति तथा आस्तियां।

34. 32-एस० एम० मालहरोह, नारायण गंज में मेसर्स इस्ट बंगाल रिवर स्टीम सर्विस लि०, की सम्पत्ति तथा आस्तियां।

35. 172-173 बी०के० रोड, नारायणगंज में मेसर्स इस्ट बंगाल रिवर स्टीम सर्विस लि० की सन्पत्ति तथा आस्तियां।

36. मेसर्स श्री रत्न राइस मिल्स, फुलहट, दीनाजपुर।

37. मेसर्स अन्नपूर्णा राइस मिल्स, रूही, दीनाजपुर।

Supply Centres for Rebel Nagas Near India-China Border

*386. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) Whether his attention has been drawn to the news published in the daily "Jagran" of Kanpur that big supply Centres are being set up near the China-India border for the Nagas; and

(b) if so, the steps being taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Minister of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Government have no information of any large supply centres having been set up recently across the border, for the Underground Nagas. Government have, however, informed the House previously that the Underground Nagas have been receiving supplies and training from centres established in the Yunnan Province of China.

(b) The House has been kept informed of the steps taken by the Government to deal with the situation. The Security Forces are covering the likely approach routes and have been mounting operations to locate and destroy Underground hide-outs and caches. Administrative centres have been strengthened and additional police has been deployed where necessary. Cooperation of village guards and the people has been very valuable. Intelligence machinery has been strengthened.

विकासशील राष्ट्रों के निर्यात में सहायता देने हेतु बहु-राष्ट्रीय बीमा-योजना का प्रस्ताव

*386. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** **श्री धीरेश्वर कलिता :**

श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्रसंघ आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, विकासशील राष्ट्रों के

निर्यात को सहायता देने हेतु एक बहु-राष्ट्रीय-बीमा-योजना के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य लक्षण क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के उनचासवें सत्र में, महामंत्री ने, परिषद के संकल्प संख्या 1452 (सैंतालीस) के अनुसरण में, विकासशील देशों में निर्यात ऋण तथा निर्यात संवर्धन' शीर्षक से एक अध्ययन प्रस्तुत किया। इस अध्ययन में योजना का प्रयोजन इस प्रकार परिभाषित किया गया, 'ऐसी गारंटियां की व्यवस्था करके, जिनसे अंतर्गत जोखिम कम हो जाये। विदेशी व्यापार का संवर्धन करना। इसमें उस बीमा-निधि का अनुमान लगाया गया है जो एशिया, लातीनी अमरीका तथा अफ्रीका के लिये अल्प कालिक तथा मध्यम अवधि निर्यात ऋणों के लिये अपेक्षित बीमा व्यवस्था करने के लिये आवश्यक होगी। इस अध्ययन में यह भी बताया गया है कि इस बीमा निधि में अंशदान के लिये क्या संभव आधार होंगे। परिषद ने महामंत्री के प्रतिवेदन को नोट कर लिया और इस विषय पर विचार करना, 1971 में होने वाले परिषद के ग्रीष्म कालीन सत्र तक के लिये, स्थगित कर दिया।

भूटानी भूभाग को चीनी अधिपत्य से मुक्त कराने के लिये कार्यवाही

* 387. **श्री छ० म० केदरिया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूटानी भूभाग को चीन के अवैध आधिपत्य से मुक्त कराने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : भूटानी प्रदेश में चीनियों ने जब कभी घुसपैठ की है, तभी, भूटान की शाही सरकार के कहने पर, भारत सरकार ने चीनी राजदूतावास को विरोध-पत्र दिया है। अब तक ऐसे सभी मामलों में मामूली घुसपैठ के बाद चीनी वापस चले गये हैं।

Reopening of American and Other Cultural Centres

* 388. **Shri Onkar Lal Berwa :**

Shri Hem Raj :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether permission will be granted to re-open the American and other Cultural Centres which had been closed down in pursuance of the Government order;

(b) if so, by what time these Centres will be opened; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) to (c). As stated in the House on February 26, 1970 during the Calling Attention Motion, no foreign Mission is being permitted to have a branch in a place where they do not have Diplomatic, Consular or Trade representation. Government would be willing, however, to discuss

arrangements with foreign Missions for the promotion of their cultural activities within the general framework now under consideration. There is naturally no time limit.

लाइसेंस के अन्तर्गत प्रक्षेपणास्त्र बनाने के लिये सरकारी क्षेत्र में एक एकक की स्थापना

* 389. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या प्रति **प्रति रक्षा** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाइसेंस के अन्तर्गत प्रक्षेपणास्त्र बनाने वाले एक कारखाने की सरकारी क्षेत्र में स्थापना की दिशा में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) उसकी अनुमानित क्षमता कितनी होगी और उसमें उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र०चं०सेठी) : (क) एक विदेशी फर्म के साथ लाइसेंस के समझोते सहित मिजाईलों के उत्पादन के लिए राजकीय क्षेत्र के एक उपकरण अर्थत भारत डायनेमिक्स लिमिटिड को पंजीयवद्ध किया है। बोर्ड आफ डारेक्टर्ज शीघ्र ही नियुक्त किया जाएगा।

(ख) उत्पादन 1971 की दूसरी सहमाही में आरम्भ शड्यूलीकृत है। अधिक विस्तार देना लोक हित में न होगा।

भारतीय बंदरगाहों में रूसी जहाजों को मरम्मत की सुविधा

* 390. **श्री गाडलिंगन गौड** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय बंदरगाहों में रूसी जहाजों को मरम्मत की सुविधाएँ प्रदान करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो रूसी जहाजों को दी जाने वाली सुविधाओं की शर्तें क्या होंगी;

(ग) क्या देश में रूसियों को ऐसी सुविधा दिये जाने की आलोचना हुई है; और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

केन्टीन स्टोर्स विभाग (इण्डिया), जयपुर के कर्मचारियों के लिये परिवहन की सुविधायें

2401. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जयपुर के केन्टीन स्टोर्स विभाग (इण्डिया) के कर्मचारियों के लिये परिवहन सुविधायें प्रदान करने के प्रश्न पर इस बीच कोई निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्णय का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्टीन स्टोर्स विभाग (इण्डिया) के कर्मचारियों ने इस बात

पर ज़ोर दिया है कि अन्य दूरस्थ डिपों तथा थोक और परचून माल की सप्लाई करने वाले डिपों के कर्मचारियों को भी समान परिवहन सुविधायें उपलब्ध की जायें ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह महीडा) (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के समक्ष प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार को ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त हुई जान नहीं पड़ती।

(घ) उपरोक्त (ग) के समक्ष प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली में ठहरे हुए दो विदेशी नागरिकों के पूर्व-वृत्तों का सत्यापन

2402. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय में इसके नये परिवर्तित ढांचे के अधीन दो विदेशी नागरिकों, जिनमें एक श्री लंका का और दूसरा नेपाली नागरिक है क्रमशः श्री लंका और नेपाल के लिये क्षेत्र-निदेशकों के रूप में नई दिल्ली में ठहरने की सरकार ने अनुमति दी थी ;

(ख) यदि हां, तो उनके बीसों को स्वीकृति देने से पूर्व क्या सरकार ने उनके पूर्व वृत्तों का सत्यापन किया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) नेपाल के एक राष्ट्रिक श्री आर० सी० शर्मा और श्रीलंका के एक राष्ट्रिक श्री कुमारकुल सिंघे मार्च 1970 में नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगटन के क्षेत्रीय कार्यालय में आ गये थे।

(ख) और (ग) . ये दोनों अधिकारी, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगटन के पेशेवर कर्मचारी वर्ग से सम्बन्धित हैं और इनके पास संयुक्त राष्ट्र 'लेसे पासे' हैं। जहां तक हमें जानकारी है, उनके विरुद्ध कुछ नहीं।

भारत के समाचार पत्र में उत्तर कोरिया का विज्ञापन

2403. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिणी कोरिया के महावाणिज्यदूत डा० यूनसांग चोइ ने 26 जून, 1970 के एक प्रेस सम्मेलन में भारत के समाचार पत्रों में प्रकाशित उत्तर कोरिया के विज्ञापन का जिसके द्वारा एक तीसरे देश के विरुद्ध लोगों के मन में दुर्भावना पैदा करने की कोशिश की गई है जिसके साथ भारत का मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध है, विरोध किया है ;

(ख) भारत के समाचार पत्रों में 1 दिसम्बर, 1969 से 30 मई, 1970 तक कितने विज्ञापन प्रकाशित हुए और उनकी कुल लागत कितनी है ; और

(ग) सरकार ने भारत के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखने वाले देशों के विरुद्ध दुर्भावना पैदा करने वाली प्रचार सामग्रियों के प्रकाशन और वितरण की अनुमति न देने की नीति को लागू करने के लिये क्या कदम उठाये हैं, यदि नही, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 20 विज्ञापन सरकार की निगाह में आए हैं परन्तु सरकार को इन विज्ञापनों पर होने वाले कुल खर्च की जानकारी नहीं है।

(ग) सामान्यतया, सरकार ऐसे मामलों में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का आदर करती है और राजनयिक मिशनों से राजनयिक शिष्टाचार के सामान्य मानकों के निर्वाह की अपेक्षा रखती है।

केन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इण्डिया) के पुनर्गठन सम्बन्धी अध्ययन दलों के प्रतिवेदन

2404. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री केन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इण्डिया) के पुनर्गठन सम्बन्धी अध्ययन दलों के प्रतिवेदन के बारे में 8 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5533 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इण्डिया) की कार्यकुशलता सम्बन्धी शेष अध्ययन दलों के प्रतिवेदनों को अप्रैल, 1970 दिल्ली में नियंत्रक बोर्ड का बैठक में अन्तिम रूप दे दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी अध्ययन दलों की सिफारिशों का संक्षेप तथा उनमें से प्रत्येक पर सरकार की प्रतिक्रिया की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) यदि भाग (क) और (ख) के उत्तर नकारात्मक हों, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इन्हे सभा पटल पर कब तक रखा जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीदा) : (क) से (ग) . अप्रैल 1970 में नियन्त्रक बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई थी। तदपि जबसे लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 5533 का 4 अप्रैल 1970 में उत्तर दिया गया था। 22 जुलाई 1970 को, अध्ययन दल संख्या 3 और 6 की कई सिफारिशों के सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये गये हैं। अध्ययन दल संख्या 5 की एक सिफारिश के सम्बन्ध में भी आदेश 2 जून 1970 को जारी किये गये हैं। इन आदेशों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं। ऐसे अध्ययन दलों की रिपोर्ट सभा के पटल पर रखना वांछनीय न होगा कि जो विभागीय दल थे, क्योंकि ऐसे पग को अपनाने का अर्थ होगा ऐसे दलों में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से दृष्टि-कोणों का स्वतन्त्रतापूर्वक और उदारतापूर्वक अभिव्यक्ति का अवरोध। सिफारिशों के सम्बन्ध में जारी किए गए आदेशों की प्रतियां पहले ही सभा के पटल पर रख दी गई हैं [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी० 3937/70]।

इन्फेंट्री स्कूल, मऊ में प्रयोग के लिए 106 एम० एम० रिकायल-लैस टैंक मार तोपों के लिए सैनिक प्राधिकारियों द्वारा खराब गोला-बारूद की सप्लाई

2405. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना के अफसरों तथा जवानों को 106 एम० एम० रिकायल-लैस टैंक मार तोपों का प्रशिक्षण देने के लिए जो गोला-बारूद सेना प्राधिकारियों द्वारा दिया गया था उसमें निर्माण सम्बन्धी कोई खराबी थी जिसके परिणामस्वरूप गोला छोड़ने का अभ्यास करते समय तोपों में विस्फोट हुए और यहाँ तक कि इन तोपों से अभ्यास करने वालों के चेहरों पर स्थायी रूप से चोटें आईं ;

(ख) यदि हां, तो इन्फेंट्री स्कूल, मऊ में 1970 के दौरान सैनिकों को कितनी चोटें आईं ; और

(ग) इस दुर्घटना को रोकने तथा निर्माण सम्बन्धी खराबी को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) : इस गोली बारूद से एक दुर्घटना हो गई थी। यह इन्फेंट्री स्कूल में नहीं हुई थी। तोप की बाडी को क्षति पहुंची थी, परन्तु कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ था। दुर्घटना की जांच प्रगतिशील है। प्रतिकारी पग जांच की सम्पूर्ति पर उठाए जाएंगे। इस बीच इस गोली बारूद के लाट से चांदमारी वर्जित कर दी गई है।

स्क्रैप का निर्यात

2406. **श्री अ० सि० सहगल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1970 से 15 अप्रैल, 1970 की अवधि में निम्नलिखित ग्रेडों के कितने स्क्रैप के निर्यात हेतु लाइसेंस दिया गया ;

(1) कास्ट आयरन बोरिंग्स, और

(2) कास्ट आयरन स्कल

(ख) अगर किसी भी मात्रा के निर्यात के लिये लाइसेंस नहीं दिया गया, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि उक्त अवधि में जो मूल्य विदेशों से मिल सकता था, वह अब मिलने वाले मूल्य की तुलना में कहीं अधिक था ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) 1-4-1970 से 15-4-1970 की अवधि में मार्गीकृत निर्यातक धातु स्क्रैप व्यापार निगम ने स्क्रैप की किसी भी श्रेणी की निर्यात बिक्री का अनुमोदन नहीं किया।

(ख) स्क्रैप के घरेलू प्रयोग की आवश्यकताओं को देखते हुए इसके निर्यात करने की अनुमति नहीं दी गई थी ।

(ग) कम बुकिंग होने के कारण तुलनात्मक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

स्क्रैप प्रोसेसिंग उपकरण तथा फालतू पुर्जों का आयात

2407. **श्री अ० सिंह सहगल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्क्रैप प्रोसेसिंग उपकरण तथा फालतू पुर्जों का आयात करने के लिये पिछले वर्ष (1969-70) में, अगर कोई आयात लाइसेंस जारी किये गये हों, तो उनका मूल्य क्या है ;

(ख) यदि कोई आयात-लाइसेंस जारी नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्क्रैप प्रोसेसिंग मशीनों जैसे हाइड्रोलिक वेलिंग प्रैस, ब्रिकेटिंग प्रैस, टर्निंग फ्रशर और स्क्रैप शियरिंग मशीनों के देशी निर्माताओं के क्या नाम हैं और वर्ष 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के दौरान देशी निर्माताओं द्वारा प्रत्येक प्रकार की कितनी मशीनों का निर्माण किया गया ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अनपेक्षित और फालतू स्क्रैप का निर्यात

2408. **श्री गजराज सिंह राव** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1970 से, जबकि स्क्रैप के निर्यात मूल्य अपनी चरम सीमा पर थे, सरकार ने जहाज से माल भेजने वालों को अनपेक्षित तथा फ़ालतू स्क्रैप का निर्यात करने की स्वीकृति नहीं दी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और, यदि नहीं, तो 1 अप्रैल, 1970 और 5 मई 1970 के बीच निम्नलिखित किस्मों के स्क्रैपों की कितनी मात्रा का तथा कितने लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य पर निर्यात करने की अनुमति दी गई : (1) शीट कटिंग तथा पंचिंग नं० 2, (2) आक्सीडाइज्ड और रस्टी स्टील टर्निंग्स तथा बोरिंग्स, (3) कास्ट आयरन बोरिंग्स, (4) कास्ट आयरन स्केल स्क्रैप, (5) डीटिन्ड स्क्रैप, (6) सिलीकोन शीट कटिंग्स, और (7) मिल स्केल स्क्रैप ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) स्क्रैप की स्वदेशी मांग को देखते हुए, धातु स्क्रैप व्यापार निगम के लिये निर्यात संविदाएँ करना सम्भव नहीं था ।

अब सरकार ने 31 मार्च, 1970 तक धातु स्क्रैप व्यापार निगम द्वारा प्राप्त पुख्ता क्रयादेशों के आधार पर स्क्रैप का निर्यात करने की अनुमति दे दी है ।

(ख) धातु स्क्रैप व्यापार निगम ने कास्ट आयरन बोरिंग्स के 1750 मै० टन की तीन बिक्रियों का अनुमोदन किया है जिनका लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य 90,250 डालर बैठता है। धातु स्क्रैप व्यापार निगम ने अन्य किस्मों की निर्यात बिक्री के लिये सौदे नहीं किये।

रद्दी लोहस (फैरस स्क्रैप) के निर्यात सम्बन्धी नीति

2409. **श्री गजराज सिंह राव :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रद्दी लोहस के निर्यात सम्बन्धी नीति का निर्णय सरकार द्वारा सामान्यतः मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लि० द्वारा की जाने वाली सिफारिशों के आधार पर किया जाता है ;

(ख) क्या उक्त कारपोरेशन ने अप्रैल, 1970, मार्च, 71 की अवधि के लिए रद्दी लोहस के निर्यात सम्बन्धी नीति के बारे में अपनी सिफारिशें नवम्बर, 1969 में भेज दी थी ;

(ग) यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या थीं ;

(घ) क्या सरकार ने उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) लौह-स्क्रैप के निर्यात सम्बन्धी नीति का निर्णय धातु स्क्रैप व्यापार निगम की सिफ़ारिशों तथा इस विषय में अन्य जानकारी के आधार पर किया जाता है।

(ख) निगम के विभिन्न सदस्यों ने समय-समय पर कई सिफारिशें की।

(ग) भट्टी स्वामियों तथा निर्यातक व्यापारियों द्वारा अभिव्यक्त उनके हितों में कुछ विरोध होने के कारण सिफारिशें सर्वसम्मत नहीं हैं।

(घ) और (ड.) . विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुए सरकार विभिन्न विचारों का मूल्यांकन कर रही है।

भारत और क्यूबा के मध्य व्यापार

2410. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और क्यूबा के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रामसेवक) : (क) से (ग) . क्यूबा को

हमारे निर्यात लगभग पूर्णतया पटसन बोरों के थे। वहां उगने वाले केनाफ से बोरे बनाने के लिये क्यूबा में कारखाने स्थापित होने से हमारे व्यापार में तेजी से गिरावट आई। तभी से हमारे व्यापार सम्बन्धों में सुधार लाने के लिये विभिन्न उपायों पर विचार किया जा चुका है। परन्तु उस देश के पास भारत से सामान की खरीद के मूल्य चुकाने के लिये पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं है और उसके मुख्य निर्यात उत्पादन चीनी, डिब्बा-बन्द फल, मछली आदि हैं जिनके आयात में हमें दिलचस्पी नहीं है, अतः क्यूबा के साथ हमारे व्यापार में गिरावट के रुख को पलटना सम्भव नहीं हो पाया है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा विदेशी कारों की खरीद

2411. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री 29 अप्रैल, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 1318 केउत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम बेची गई विदेशी कारों के खरीदारों तथा उनके मूल्यों का विवरण सम्बद्ध क्षेत्र के आयकर अधिकारियों को भेजता है;

(ख) क्या इस प्रकार की खरीद के लिये धन के स्रोतों की कोई जांच की जाती है;

(ग) क्या इस प्रकार की जांच के परिणामस्वरूप किन्हीं मामलों में आय का नये सिरे से निर्धारण किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामसेवक) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) और (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्लास्टिक के घोल से कंकरीट की सिल्लियों का बनाया जाना

2412. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या प्रधान मन्त्री प्लास्टिक के घोल से कंकरीट की सिल्लियां बनाने के बारे में 17 अप्रैल 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6513 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूछी गई जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र अमेरीकन वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किये जा रहे कांकरीट पोलीमर के उत्पादन में कोबेल्ट 60 विकीरण (रेडियेशन) के प्रयोग कार्य से संबंध बनाये हुए हैं, जिसमें कांकरीट के विभिन्न गुणों का बड़ी संख्या में सुधार हुआ है।

(ख) इसी प्रकार के उत्पादन संबंधी विकास के लिये भाभा-परमाणु अनुसंधान केन्द्र की आईसोटोप डिवीजन में प्रारम्भिक स्तर पर कार्य किया जा रहा है।

हीरों के व्यापार में कथित गड़बड़ घोटाला

2413. **श्री दे० आमत** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हीरों के व्यापार में बड़े पैमाने पर घोटाले की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए, हीरों को विदेशों में बेचने का विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने कोई ऐसा अनुमान लगाया है कि हाल ही के वर्षों में हीरों के व्यापार से देश किस सीमा तक विदेशी मुद्रा अर्जित करने से वंचित रहा है; और

(ग) सरकार के उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई और इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने से देश को प्राप्त होने वाली अन्य दूसरी तथा अतिरिक्त विदेशी आय की राशि क्या होगी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) हीरों के एकक मूल्य बढ़ाने और हीरे तथा जवाहिरात उत्पादों के बाजारों का विविधीकरण करने के प्रयास हेतु कुछ सरकारी उपक्रम, जैसे हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम इन वस्तुओं के निर्यात करने की सम्भाव्यता पर विचार कर रहे हैं।

(ख) विदेशों में कुछ चुने हुए बाजारों का अध्ययन करने के लिये एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का प्रस्ताव है जो यह पता लगायेगा कि इनके अपेक्षतया ऊँचे मूल्य मिलने की सम्भावना है या नहीं। यह तराशने तथा पोलिश करने की आधुनिक विधियों का भी अध्ययन करेंगे। कुछ समय पहले राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने जापान में एक मूल्यांकन किया था, जिससे यह पता चला था कि जापान में औसत आयात मूल्य, हांगकांग तथा अन्य स्थानों से हमें प्राप्त हो रहे औसत निर्यात मूल्यों की अपेक्षा कहीं अधिक है।

(ग) निर्यातकों को भी इस दिशा में प्रयत्न करने और विदेशी ग्राहकों से विद्यमान मूल्यों से अपेक्षतया ऊँचे मूल्य प्राप्त करने के लिये प्रेरित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

फ्रांस की "रेनाल्ट कार" फर्म के एक प्रतिनिधिमण्डल द्वारा भारत यात्रा

2414. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : **श्री धीरेश्वर कलिता** :

श्री रामावतार शास्त्री : **श्री अदिचन** :

श्री क० मि० मधुकर :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस "रेनाल्ट कार" फर्म का एक प्रतिनिधिमण्डल शीघ्र ही भारत आ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस दौरे का उद्देश्य क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) यह प्रतिनिधिमण्डल भारत से मोटर गाड़ी सह-साधनों सम्बन्धी अपनी आवश्यकताओं की खरीदारी की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये भारत आ रहा है।

रूस से ट्रैक्टरों का आयात

2415. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस ने भारत को 3000 ट्रैक्टर बेचने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित ट्रैक्टर किस किस्म के हैं;

(ग) यदि इस प्रस्ताव की मंजूरी दे दी गई तो बिक्री की शर्तें क्या हैं; और

(घ) कुल आयातित ट्रैक्टरों में से कितना प्रतिशत ट्रैक्टर रूस से आयात होते हैं, और उन्हें प्राथमिकता देने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). रूस से टी-25 तथा बाइलारूस ट्रैक्टरों के आयात के सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम तथा रूस के सम्भरणकर्ताओं के बीच बातचीत चल रही है।

(घ) रूस से आयातित ट्रैक्टरों को उनके गुण तथा मूल्य के अतिरिक्त भारत में इस लिये पसंद किया जाता है कि भारत में ऐसे ट्रैक्टरों का प्रयोग कई वर्षों से किया जा रहा है। चालू वर्ष में आयात किये जाने वाले ट्रैक्टरों की कुल संख्या में इन ट्रैक्टरों का अनुपात उपरोक्त वार्ताओं के परिणाम पर निर्भर होगा।

पटसन उद्योग को राज सहायता

2416. **डा० रानेन सेन :** **श्री कं० हाल्दर :**

श्री जि० मो० बिस्वास : **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन आयोग ने पटसन उद्योग को राजसहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ख). 29 जुलाई, 1970 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 535 पर दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

केन्द्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम दिल्ली

2417. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन साल पहले जब सेन्ट्रल काटेज इन्डस्ट्रीज एम्पोरियम, दिल्ली में नये प्रबन्धकों ने कार्य आरम्भ किया तब से बिक्री में कमी हो रही है; और

(ख) एम्पोरियम में इस समय जो गड़बढ़ी हो रही है उसे ध्यान में रखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार इस को एक स्वायत्तशासी संस्था के नियंत्रण में रखेगी जिसमें कुशाग्र एवं सुविज्ञ लोग हों; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं। यह पिछले पांच वर्षों के निम्नोक्त बिक्री आंकड़ों से प्रमाणित हो जायेगा :

वर्ष	लाख रु० में
1965-66	95.85
1966-67	144.12
1967-68	181.93
1968-69	178.54
1969-70	220.86

(ख) और (ग) : एम्पोरियम में कोई भोजनालय नहीं है।

Import of raw wool by Messrs Modella Woollen Mills (P) Ltd.

2418. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a C.C.P. (Custom Clearance Permit) quota for the import of 20 lakh pounds of raw wool worth about Rs. one crore was sanctioned to Messrs. Modella woollen Mills Private Limited ;

(b) whether Government are aware that the Mill imported 10 lakh pounds of raw wool over and above their sanctioned quota by committing some fraud in the record of the Customs;

(c) if so, the reaction of Government thereto;

(d) the information supplied by the Revenue Intelligence and C.B.I. to Government in this regard and the action taken by Government thereon; and

(e) whether it is also a fact that Mr. F.T.B. Jovit of the Australian firm, Messrs R. Jovit and Company, who is also the Direct of the Modella wools, Bombay and the foreign collaborator in the Mill, is also involved in the aforesaid fraud; and if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak): (a) Yes, Sir.

(b) to (e) . The case is still under investigation by the C.B.I.

Licence granted to M/s. Modella Woollen Mills Ltd. for import of Wool

2419. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that M/s. Modella Woollen Mills Ltd., was granted a licence for importing wool worth eleven crores of rupees from abroad for preparing woollen garments for Armed Forces during Chinese attack on India;

(b) whether it is also a fact that a large portation of the said imported wool was utilised by the Mill for commercial purpose instead of utilising it for Armed Forces;

(c) whether it is also a fact that after making investigation into the matter, C.B.I. and Central Vigilance Commission have recommended that a suit be filed against the authorities of the mill; and

(d) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) :

(a) No, Sir.

(b) to (d) : Question does not arise in view of reply to (a) above.

पश्चिमी कोशी नहर का पुनः सर्वेक्षण

2421. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री पश्चिमी कोशी नहर के पुनः सर्वेक्षण के संबंध में 20 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10406 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेखांकन के प्रस्तावित विस्तृत पुनरीक्षण तथा उसको और उत्तर की ओर ले जाने के लिये पुनः सर्शेक्षण इस बीच पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सही स्थिति क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) से (ग) अतिरिक्त क्षेत्रों के कमाने के लिये नहर को उत्तर की तरफ बदलने सम्बंधी प्रस्ताव बिहार सरकार के परीक्षाधीन हैं।

एक केन्द्रीय मन्त्री का इस आशय का कथित बयान कि पाकिस्तान से निकाले गये परिवारों के लिये भारत को पाकिस्तान से मुआवजा मांगना चाहिए

2422. **श्री हेम बरुआ** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने प्रेस संवाददाताओं को इस आशय का व्यान दिया था कि एक 'बंगाली' होने के नाते उनके विचार में पाकिस्तान से निकाले गये परिवारों को हुई हानि के लिये भारत को पाकिस्तान से मुआवजा मांगना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस वयान पर ध्यान दिया है; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में मुआवजा मांगा है ?

वैदेशिक कार्य-मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। 1950 के नेहरू-लियाकत समझौते में ऐसे मामलों में मुआवजा मांगने की व्यवस्था नहीं है।

नेपाल से शरणार्थियों का भारी संख्या में भारत आना

2423 **श्री सत्यनारायण सिंह :** **श्री के० एम० अब्राहम :**

श्री नम्बियार : **श्री भगवान दास :**

श्री पी० पी० एस्थोस :

क्या **वैदेशिक-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत अधिक संख्या में शरणार्थी नेपाल से प्रतिमास भारत आ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो जनवरी से जून 1970 तक कुल कितने शरणार्थी भारत आये; और

(ग) सरकार ने उन शरणार्थियों को बसाने के लिये क्या प्रबन्ध किये हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) . यह सच नहीं है कि हर महीने नेपाल से काफी बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत आते हैं। किन्तु, मई 1970 में भारत मूल के 3,000 व्यक्तियों के एक बड़े दल को नेपाल से निकाल दिया गया था और अब वे उत्तर प्रदेश के लखीमपुरखीरी जिले में हैं।

(ग) इस मामले को नेपाल सरकार के साथ उठाया गया है जिससे कि वे लोग नेपाल में अपने घर वापस जा सकें।

आम से बनी वस्तुओं का निर्यात

2424. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में देश में आम से बनी वस्तुओं जैसे अचार, जाम, सूखे आम पापड़, आम शरबत का चूर्ण आदि की कितनी मात्रा में बिक्री हुई है और इनमें से प्रत्येक चीज़ कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की विदेशों में निर्यात की गई ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : विगत तीन वर्षों के दौरान आम से बनी वस्तुओं जैसे अचार, आम का रस आदि का निर्यात इस प्रकार रहा :

मात्रा मे० टन में

मूल्य लाख रु० में

वस्तु	1967-68		1668-69		1969-70	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
आम का अचार और चटनियां	1422	41.76	1930	56.83	1968	59.23
आम का मुरब्बा	79	2.90	100	3.41	375	10.10
आम की फांकें, सूखी हुई	16	0.34	4	0.20	25	0.64
आम का चूर्ण	2	0.09	4	0.18	2	0.13
आम का रस	3336	79.31	2921	73.97	7620	149.46
योग	4855	124.40	4959	141.59	9990	219.56

आन्तरिक बिक्री के आंकड़े नहीं रखे जाते।

राजस्थान नहर के लिए केन्द्रीय सहायता

2425. **डा० सुशीला नैयर :** **श्री एस० एम० कृष्ण :**

श्री यमुना प्रसाद मंडल : **श्री जे० के० चौधरी :**

श्री न० कु० सांघी : **डा० कर्णी सिंह :**

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान नहर को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस परियोजना के लिये सरकार ने कितना ऋण मंजूर किया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) जब से चौथी पंचवर्षीय योजना आरम्भ हुई है, तब से राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक अनुदानों और ऋणों के रूप में दी जाती है और उसे किसी विशेष परियोजना अथवा विकास शीर्ष के साथ नहीं बांधा जाता । राज्यों को किसी विशेष परियोजना के महत्व को देख कर उसके लिये धन की व्यवस्था करने की स्वतन्त्रता है । चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में इस परियोजना के लिये व्यवस्थित 27 करोड़ रुपये के मूल परिव्यय को बढ़ा कर अब 40 करोड़ रुपये कर देने का प्रस्ताव है जिससे परियोजना का चरण एक चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूर्ण हो सकेगा ।

टेलीविजन सेटों का उत्पादन

2426. **श्री इसहाक सम्भली :** **श्री जनार्दन :**

श्री योगेन्द्र शर्मा : **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**

श्री लताफत अली खां : **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय अनुमानतः कितने टेलिविजन सैट तैयार किये जाते हैं ;

(ख) क्या चतुर्थ योजना में सरकार ने टेलीविजन सेटों का उत्पादन करने की कोई योजना बनाई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलैक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) संगठित क्षेत्र में दो फर्मों और छोटे पैमानों को दो कन्जोटिया फर्मों, चार फर्मों को 30000 टी० वी० सेट वार्षिक निर्माण करने के लिये क्षमता की स्वीकृति दी गई है । सर्व श्री जे०के० इलैक्ट्रानिक्स ने कि जिन्होंने गत वर्ष उत्पादन आरम्भ किया था 3529 रिसीवरों का निर्माण किया है । सर्वश्री टेलिराड बम्बई ने कि जिन्होंने मार्च

1970 में निर्माण शुरू किया अब तक 500 रिसीवरों का निर्माण किया है। छोटे पैमाने की दो कन्जोर्टिया फर्में अर्थात् सर्वश्री पोलस्टार बम्बई और सर्वश्री टेलिस्टार नई दिल्ली अभी हाल ही में उत्पादन शुरू कर पाई हैं।

(ख) तथा (ग) : बम्बई, पूना, मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर और श्रीनगर में टेलीविजन स्टेशनों की स्थापना के साथ, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान टेलीविजन सेटों की मांग काफी बढ़ेगी। आवश्यक अतिरिक्त क्षमता की स्थापना के लिए प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किए गए हैं, और उन पर 15 अगस्त 1970 के बाद विचार किया जाएगा, जो इन प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि है।

अमरीका और रूस के प्रचार साहित्य के प्रकाशन और वितरण पर रोक

2427. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका और रूस जैसे कुछ देश भारत में भारी संख्या में पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन तथा वितरण करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये किस सीमा तक प्रचार के साधन हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस पर देश में प्रतिबन्ध लगाने का है ; और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : (क) जी हां।

(ख) ये सभी अपने अपने देशों के विचार एवं नीतियों का प्रचार करते हैं और जिन्हें वे अपना हित समझते हैं उनकी रक्षा करते हैं।

(ग) सरकार का भारत में किसी भी विदेशी मिशन के वैध प्रचार कार्य पर रोक लगाने का विचार नहीं है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा तमिलनाडु में विद्युत सप्लाई तथा प्रजनन को अत्यावश्यक सेवा घोषित करना

2428. **श्री क० लकप्पा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने 21 मई को एक अधिसूचना जारी करके तमिलनाडु में बिजली की सप्लाई तथा उसके उत्पन्न करने को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या 21 मई को तमिलनाडु में उक्त अधिसूचना को कानूनी वैधता प्राप्त थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं को स्वायत्ता प्रदान करना

2429. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री जनार्दनन :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री झारखण्डे राय :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या प्रौद्योगिकी परिवर्तन तथा उद्योग सम्बन्धी राष्ट्रीय गोष्ठी में यह सिफारिश की गई थी कि क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं को अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्तता देनी चाहिये ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने सिफारिश स्वीकार की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलैक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) हैदराबाद में "प्रौद्योगिकी परिवर्तन और उद्योग" सम्बन्धी गोष्ठी "एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज" और "श्री राम सेन्टर फौर इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स" के संयुक्त तत्वावधान में हुई थी, जिसमें सामान्य रूप से वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद एवं क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्वयत्तता पर चर्चा की गई थी ।

(ख) गोष्ठी में व्यक्त विचारों को नोट कर लिया है ।

Withdrawal of Resignation by Mr. Justice Sarkar from the Chairmanship of C. S. I. R.

2430. **Shri Chandrika Prasad :**
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that justice Sarkar has withdrawn his resignation tendered by him, from the Chairmanship of Inquiry Commission on Council of Scientific and Industrial Research ; and

(b) if so, the reasons and the conditions under which he has withdrawn his resignation ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) Yes, Sir,

(b) Since Government have expressed complete confidence that his continuance as the Chairman of the C.S.I.R. Inquiry Committee is in public interest he has withdrawn his resignation.

नागालैंड शान्ति प्रेषक दल के प्रतिनिधि को फिजो का कूट सन्देश

2431. **श्री हेम बरुआ :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन में बसे हुए विद्रोही नागा नेता फिजो और उनके दो सहयोगियों, खोडाओं तथा योंगकांग ने नागालैण्ड शांति प्रेषक दल में छुपे नागाओं के प्रतिनिधि श्री फैनिटफेंग को कूट सन्देश भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सन्देश समझ लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). शान्ति पर्यवेक्षक दल के संयोजक से पूछ-ताछ करने पर पता चला है कि दल के किसी सदस्य को हाल ही में फिजो से कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ है । दल को जनवरी 1970 में एक तार प्राप्त हुआ था जिसमें फिजो ने सुरक्षा सेनाओं की ओर से कार्रवाही बंद रखने के समझौते के तथाकथित उल्लंघन की ओर ध्यान आकर्षित किया था । फिजो से एक अन्य तार कुछ समय पहले श्री फेनितफांग को प्राप्त हुआ था जिसमें उन्हें शुभ कामना संदेश भेजा था ।

"Report by Cabinet Advisory Committee on Science and Technical Matters

2434. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Cabinet Advisory Committee on Scientific and Technical matters has recently submitted a report that unbalanced progress is being made in this field in the absence of a central organisation and out of the expenditure of Rs. 136 crores incurred on the research work during 1969-70, only 6 per cent has been incurred in the Private Sector ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto, and the action taken in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning : (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) : Yes, Sir. The Preliminary Report on Implementation of Scientific Policy prepared by the Committee on Science and Technology points out, among other matters, certain imbalances in allocations for research and development work in certain sectors such as natural resources, training of scientific and technical manpower of high quality, support for research in universities, and R & D in private sector. The Report is to be discussed at the Conference of Scientists in November 1970. The Government will carefully weigh the results of the Conference in considering various measures to reduce the imbalances such as allocation of more funds for research in Universities, involvement of private sector in R & D activities through the establishment of cooperative research associations, etc.

Appointment of a Dismissed Police Constable in CSIR

2435. **Shri Molahu Prashad** : Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6579 on the 17th April, 1970 regarding the appointment of a dismissed police constable in C.S.I.R. and state :

(a) whether the inquiry has since been completed ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for delay ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) (a) to (c). The Council of Scientific and Industrial Research has asked the Police to look into the matter. A case under Section 419/420 of the I.P.C. has since been registered by the Police against the official at the Parliament Street Police Station, New Delhi. The Police is seized of the matter and they are now making necessary investigations.

1968 और 1970 के बीच पाकिस्तान गए मुसलमानों की संख्या

2436. **श्री अब्दुल गनी दार :**

श्री दे० अमात :

क्या **वैदेशिक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1968,1969 और 1970 में कुल कितने मुसलमान पाकिस्तान चले गये **अथवा** वापस भेजे गये थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : 1968 एवं 1969 में पाकिस्तान को प्रवजन करने वाले मुसलमानों की संख्या क्रमशः 3799 और 1635 थी। जून 1970 के अंत तक 688 मुसलमानों ने प्रव्रजन किया है।

चीन की सहायता से भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण की सम्भावना

2437. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष अथव। आगामी वर्षों में चीन के सक्रिय समर्थन और सहायता से पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण की कोई सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : ऐसी संभावना अशक्य नहीं है।

भारतीय गंधक के बेचने से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा

2438. **श्री रा० कृ० बिरला** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) भारतीय गंधक किन-किन देशों में बेचा जाता है; और

(ख) गत तीन वर्षों में वर्ष वार इस व्यापार से कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रामसेवक) : (क) गंधक मुख्यतः आयात की मद है। फिर भी वित्तीय वर्ष 1969-70 में इस मद की मामूली सी मात्रा श्रीलंका को निर्यात की गई थी।

(ख) 1967-68 तथा 1968-69 वर्षों में गंधक का कोई निर्यात नहीं हुआ। वर्ष 1969-70 में 1090 रु० की 203 किग्रा० गंधक की मात्रा का श्रीलंका को निर्यात किया गया।

कपड़े का निर्यात

2439. **श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगपतियों को कपड़े के निर्यात में हो रही कमी के बारे में बताया है और उन से कपड़े के डिजाइनों में सुधार कर के निर्यात बढ़ाने के लिये कहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस का ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). सूती वस्त्रों के निर्यात में कोई कमी नहीं हुई है। इसके विपरीत इसमें कुछ वृद्धि हुई। जनवरी-जून, 1969 में निर्यात 50.17 करोड़ रु० मूल्य के थे जो बढ़कर जनवरी-जून, 1970 में 58.32 करोड़ रु० (अस्थायी) मूल्य के हो गये।

पूर्वी समुद्र में अबाध पत्तन

2440. **श्री एस० के० सम्बन्धन** :

श्री न० रा० देवघरे :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी समुद्र तट पर एक अबाध पत्तन बनाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कहाँ और कब तक स्थापित हो जायेगी ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में प्रति व्यक्ति आय

2441. **श्री एस० कुण्डू** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्रति व्यक्ति आय की तुलना में उड़ीसा में प्रति व्यक्ति आय कम है और यदि हां तो कितनी;

(ख) क्या राष्ट्रीय आय में उड़ीसा के योगदान में गत कई वर्षों से कोई भी वृद्धि नहीं हुई है, क्या यह 1965-66 में भी उतना ही था जितना कि वह 15 वर्ष पहले था;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा के लिये जो परिव्यय निर्धारित किया गया है, वह वहाँ की जनसंख्या की तुलना में और अन्य सभी राज्यों की योजनाओं के मुकाबले में कम है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) योजना आयोग का यह मत है कि यदि उड़ीसा के लिए इस समय निर्धारित 222.60 करोड़ रुपये के परिव्यय को बढ़ाकर 265 करोड़ नहीं कर दिया जाता तो उड़ीसा राज्य की अर्थव्यवस्था और अधिक पिछड़ जायेगी; और

(ङ.) यदि हां, तो उड़ीसा के लिए चौथी योजना के अन्तर्गत परिव्यय की राशि बढ़ाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां। 1962-63 से 1964-65 तक की तीन वर्षों की अवधि में, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा तुलनीय आधार पर उड़ीसा की औसत प्रतिव्यक्ति आय का अनुमान, 206 रुपया लगाया गया था, जबकि अखिल भारतीय आंकड़े 372 रुपये थे।

(ख) पिछले पन्द्रह वर्षों में राज्यों की आय के तुलनीय अनुमान उपलब्ध नहीं है ।

(ग) राज्यों की योजना परिव्ययों का निश्चय राज्यों की समस्त आवश्यकताओं और सम्भाव्यताओं को ध्यान में रख कर किया जाया है । यह जनसंख्या को आधार न मान कर संसाधनों की परिसीमाओं के अनुसार किया जाता है ।

(घ) राज्य की आर्थिक विकास की दर, योजना स्कीमें किस प्रकार तैयार की जाती है तथा किस प्रकार व कार्यान्वित की जाती है और वित्तीय संस्थानों एवं निजी क्षेत्र के निनियोजन सहित, कई घटकों पर निर्भर करती है ।

(ड.) केन्द्रीय सहायता के वितरण के सूत्र में, राज्य को कुछ विशेष महत्व प्रदान किया गया है । योजना परिव्यय में वृद्धि अब इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्य कितने अतिरिक्त संसाधन जुटा सकता है ।

भारत में निर्यात विपणन सम्बन्धी विशेषज्ञ दल की नियुक्ति

2442. **श्री गाडिलिगन गौड :**
श्री पीलू मोदी :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री रा० र०० सिंह देव :
श्री रा० की० अमीन :
श्री नंजा गोडर :
डा० प० सन्तोषम :
श्री धी० ना० देव :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत में निर्यात विपणन का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ दल नियुक्त किया गया था;

(ख) क्या उस ने अपना प्रतिवेदन पहले से ही प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों का इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). औद्योगिक विकास सेवाओं द्वारा भारत के निर्यात विपणन पर किये गये अध्ययन का अन्तिम प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है । केवल एक प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ।

(ग) प्रारम्भिक प्रतिवेदन में मुख्यत: निम्नोक्त विषय समाविष्ट है:

(क) सरकार द्वारा जारी की गई योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त भारतीय निर्यात सदनों के कार्य-चालन की समीक्षा ।

(ख) चुने हुए देशों में निर्यात सदनों का विकास और उनके निर्यातों से सीखे जा सकने वाले तरीके ।

(ग) भारत की विपणन समस्याओं का पता लगाना, बाज़ार सम्भाव्यता का मूल्यांकन, नियमित विपणन के लिये पूर्वपरिस्थितियों तथा पूर्ति की समस्याएं ।

(घ) व्यापारी निर्यात सदनों के भावी विकास की रूपरेखा के सम्बन्ध में सुझाव तथा साथ ही निर्माता-निर्यातकों की सहायता के लिये नई योजना ।

(ड.) निर्यात विपणन के सुधार के लिए सरकार द्वारा किये जाने वाले उपाय ।

(घ) राष्ट्रीयकरण हुए बैंक निर्यातकों की विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं, उदाहरणांतः---

(1) ब्याज की उचित दर पर निर्यात ऋण की व्यवस्था;

(2) विदेशों में ग्राहकों के बारे में निर्यातकों को उपयोगी जानकारी प्रदान करना आदि;

(3) निर्यायकों को क्रियाविधि तथा अन्य मामलों पर मार्ग दर्शन देने के लिए निर्यात प्रकोष्ठों का खोला जाना;

(4) विदेशी ग्राहकों की साख-स्थिति सम्बन्धी पूछताछ करना;

(5) वस्तु सर्वेक्षण तथा बाजार गवेषणा करना ;

(6) निर्यात के नये क्षेत्रों के लिये वित की व्यवस्था करना ।

Disparity In per capita Income of Various States and Union Territories

2443. Shri Bibhuti Mishra Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the **Per Capita** income of various States and the centrally administered Territories in the country at the end of each of the first three Ftve Year Plan;

(b) whether it is a fact that the *per capita* income varies in the case of various States and there is wide disparity among the States in this regard; and

(c) if so, the scheme proposed to be formulated by Government to remove the disparity in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs, and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The available information is given in the enclosed Statement.

(b) Yes, Sir.

(c) Correction of regional imbalances as reflected in the *per capita* income of the various States is one of the important objectives of our Plan. The lines on which regional imbalances could be corrected progressively have been indicated in paras 1.38 to 1.40 of the IV Five Year Plan 1969-74 which has already been laid on the Table of the House.

STATEMENT

States/Union Territories	1955-56	1960-61	1965-66
Andhra Pradesh	N.A.	279	393
Assam	274	311	418
Bihar	150	206	323
Gujarat	259	339	417
Haryana	N.A.	337	447
Jammu & Kashmir	216	N.A.	N.A.
Kerala	215	276	404
Madhya Pradesh	224	288	352
Maharashtra	N.A.	409	531
Mysore	N.A.	285	393
Orissa	199	249	N.A.
Punjab (Re-organised)	N.A.	382	610
Punjab (Erstwhile)	330	388	N.A.
Rajasthan	260	318	381
Tamil Nadu	241	335	437
Uttar Pradesh	N.A.	246	364
West Bengal	267	319	403
Delhi	--Not Preparing-		
Himachal Pradesh	258	359	389
Manipur	N.A.	192	324
Tripura	228	269	353
Others	--Not Preparing--		

N. B. :---(1) Owing to the differences in concepts, methodology and source materials used, the figures for different States and Union Territories are not comparable among themselves.

(2) The figures given above are also not comparable with the estimates compiled by the CSO for the States for the years 1962-63, 1963-64 and 1964-65 on a comparable basis.

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा ट्रंजिस्टरीकृत रिसीवर तैयार करना

2444. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**

श्री देविन्दरसिंह मार्चा :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने ट्रंजिस्टरीकृत रिसीवर तैयार किया है;

(ख) क्या भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने इस प्रकार के रिसीवरों का निर्माण करने के लिये सरकार से लाइसेंस की मंजूरी के लिए अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है; और निकट भविष्य में भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड की अन्य उत्पादन योजना क्या है ?

गृह मन्त्रालय में और इलैक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने देशीय

जानकारी द्वारा प्रति वर्ष 30000 ट्रजिस्ट्रीकृत रिसीवरों का निर्माण के लिए एक औद्योगिक लाईसेंस के लिए प्रार्थनापत्र भेजा है। टी०वी० सेटों के निर्माण के लिए औद्योगिक लाईसेंस प्रदान करने के लिए प्रार्थनापत्रों पर निर्णय 15 अगस्त 1970 के बाद लिया जाएगा, कि जो प्रार्थनापत्रों की प्राप्ति को अन्तिम तिथि है।

भारत इलेक्ट्रोनिक्स कई इलेक्ट्रानिकी मदों का निर्माण कर रहे हैं। 1969-70 के दौरान उनका उत्पादन 24·11 करोड़ रु० मूल्य का था, और इसका 1970-71 के दौरान 30 करोड़ से बढ़ जाना प्रत्याशित है। रडार और माईक्रोवेव साजसामान के निर्माण के लिए भारत इलेक्ट्रानिक्स लि० की एक और यूनिट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। वह समग्रीकृत मर्कट टी० वी० ट्रासमिशन इत्यादि जैसी अन्य मदों के निर्माण का भी आयोजन कर रहे हैं।

रबड़ के सामान का निर्यात

2445. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्री धीरेश्वर कलिता :**

श्री इसहाक सम्भली : **श्री पी० सी० अदिचन :**

श्री जनार्दनन : **श्री देविन्द्र सिंह गार्चा :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रबड़ उद्योग संगठन ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह रबड़ सामान उद्योग को निर्यात के लिये उदारता से प्रोत्साहन दें;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) रबड़ उद्योग की सहायता के लिए उक्त संगठन ने सरकार से और किन बातों के लिए अनुरोध किया है; और

(ड.) सरकार की उन के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ड.). प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग द्वारा संकटग्रस्त मिलों को अपने हाथ में लिया जाना

2446. **श्रीमती इला पालचौधरी :** **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

श्री एस० आर० दामानी : **श्री ग० च० दीक्षित :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग ने 21 "संकटग्रस्त" मिलों को अपने हाथ में ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो (1) वे कहां-कहाँ स्थापित हैं (2) कितने मिल चालू हैं (3) कितने मिलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, (4) हानि वाली मिलें कौन सी हैं; (5) चालू मिलों का उत्पादन क्या है; और

(ग). क्या चालू मिलों के उत्पादन का निर्यात किया जाता है अथवा उस की खपत देश में ही हो जाती है; यदि हां, तो कितने मूल्य का कितने गज कपड़ा निर्यात किया जाता है और किन-किन देशों को निर्यात किया जाता है;

(घ) चालू मिलों को कितना लाभ या हानि होती है;

(ङ.) जिन मिलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, उनमें उत्पादन कब तक शुरू हो जायेगा; और

(च) आधुनिकीकरण पर कुल कितना खर्च किया गया और हानि वाली मिलों के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने अब तक किसी भी वस्त्र मिल का प्रबन्ध अपने हाथ में नहीं लिया है। फिर भी केन्द्रीय सरकार द्वारा 22 सूती वस्त्र मिलों का प्रबन्ध, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 की धारा 18 क के अधीन, अपने अधिकार में लिया जा चुका है।

(1) एक विवरण संलग्न है।

(2) ये सभी मिलें, दो को छोड़कर अर्थात्, राजकोट स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स लि०, राजकोट, जिसका प्रस्ताव हाल ही में सम्भाला गया है, कार्य कर रही है और न्यू विक्टोरिया मिल्स लि० कानपुर केवल अंशतः चल रही है।

(ख) से (च). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्रमांक	मिलों के नाम और स्थान
1.	माडल मिल्स नागपुर लि०, नागपुर।
2.	आर० एस० आर० जी० मोहता स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, अकोला (महाराष्ट्र)।
3.	प्रताप स्पिनिंग, वीविंग एण्ड मैन्यू० कं० लि०, अमलनेर (महाराष्ट्र)
4.	बंगाल नागपुर काटन मिल्स लि०, राजनन्दगांव।
5.	इण्डिया यूनाइटेड मिल्स लि०, बम्बई।
6.	म्यूर मिल्स लि०, कानपुर।
7.	न्यू भोपाल टेक्सटाइल्स लि०, भोपाल।
8.	हीरा मिल्स लि०, उज्जैन।

1	2
9.	स्वदेशी काटन एण्ड फ्लोर मिल्स लि०, इन्दौर ।
10.	श्री भारती मिल्स लि०, पांडेचेरी ।
11.	औरंगाबाद मिल्स लि०, औरंगाबाद ।
12.	महालक्ष्मी मिल्स कं० लि०, व्यावर ।
13.	न्यू मानक चौक स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, अहमदाबाद ।
14.	ओम पराशक्ति मिल्स लि०, कोयम्बटूर ।
15.	दिग्विजय स्पिनिंग एण्ड वीविंग कं० लि०, बम्बई ।
16.	न्यू विक्टोरिया मिल्स कं० लि०, कानपुर ।
17.	अहमदाबाद न्यू टैक्सटाइल मिल्स कं० लि०, अहमदाबाद ।
18.	हिमाभाई मैन्यू० कं० लि०, अहमदाबाद ।
19.	कम्बोडिया मिल्स लि०, कोयम्बटूर ।
20.	कृष्णा वेणी टैक्सटाइल्स लि०, कोयम्बटूर ।
21.	श्री रंगाविलास जिनिंग स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, कोयम्बटूर ।
22.	राजकोट स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, राजकोट ।

एडवर्ड (कपड़ा) मिल्स, व्यावर राजस्थान का बन्द होना

2447. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एडवर्ड (कपड़ा) मिल्स व्यावर राजस्थान 26 अगस्त, 1969 को बन्द कर दी गयी थी और परिणामस्वरूप वहां के कर्मचारी बेरोजगार हो गये थे और उसमें उत्पादन भी बन्द हो गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) क्या सरकार का उस मिल को अपने हाथ में लेकर चलाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). वित्तीय कठिनाइयों तथा श्रमिकों द्वारा गड़बड़ के कारण मिल बन्द हो गयी मिल के मामलों की पड़ताल करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) के अन्तर्गत एक जांच समिति नियुक्त की जा चुकी है और समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात आगामी कार्यवाही पर विचार किया जायेगा ।

रूस को भाप के इंजनों का निर्यात

2448. **श्री गणेश घोष :**
श्री पं० गोपालन :
श्री ई० के० नायनार :
श्री नम्बियार :
श्री के० अनिरुद्धन :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार रूस को भाप के इंजन निर्यात करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) क्या प्रस्ताव के बारे में कोई प्रगति हुई ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

कलकत्ता में होजरी उद्योग में काम करने वाले दर्जियों के लिए समान सिलाई दरें

2449. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के होजरी उद्योग में काम करने वाले दर्जियों की सिलाई दर गत तीन वर्षों में लगभग एक सी चली आ रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बड़े व्यापारियों के दबाव के कारण होजरी का काम करने वाले दर्जी अपने कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर सकारात्मक हो तो क्या सरकार का ध्यान बंगाल होजरी टेलर्स एसोसिएशन द्वारा 16 जून, 1970 को कलकत्ते में समाचार पत्रों को दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि उसके सदस्य 12 जून 1970 से हड़ताल कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सिलाई की दरें समान होनी चाहिये;

(घ) उक्त एसोसिएशन ने यह मांग भी की थी कि छोटे निर्माताओं और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार को एक निगम की स्थापना करनी चाहिए; और

(ङ.) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ङ.). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

फिलिप्स (इंडिया) द्वारा टेलीविजन बनाने के लाइसेंस के लिये अनुरोध

2450. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिलिप्स इंडिया ने टेलीविजन बनाने के लाइसेंस के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने उसे स्वीकृति दे दी है; और

(ग) क्या टेलीविजन बनाने के लाइसेंस के लिए किसी अन्य गैर सरकारी फर्म ने भी अनुरोध किया है यदि हां, तो ऐसी फर्मों के नाम और पते क्या हैं और उनके आवेदनों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्यमंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). जी हां। सर्व श्री फिलिप्स भारत ने 40000 टेलीवीज़न रिसीवर प्रतिवर्ष के लिए क्षमता स्थापित करने के लिए एक औद्योगिक लाईसेंस प्रदान किया जाने की प्रार्थना की है। वह बहुधारीय टी० वी० सेटों का ट्रांजिस्ट्रीकृत सर्कटरी सहित निर्माण करना चाहते हैं। इस प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

(ग) भविष्य में टी०वी० प्रसारण के बम्बई, पूना, मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर और श्रीनगर में विस्तार पर टी०वी० सेटों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, अतिरिक्त निर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए, प्रार्थना पत्र आमन्त्रित किए गए हैं। निजी और राजकीय क्षेत्रों के निर्माताओं से कुछ एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। सभी प्रार्थना पत्रों पर 15 अगस्त 1970 के बाद विचार किया जाएगा कि जो इन प्रार्थनापत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथी है।

एयर इंडिया की विमान परिचारिकाओं और महिला स्वागताधिकारियों के लिए बहुत बढ़िया किस्म की रेशमी साड़िया

2451. **श्री नंजा गौडर** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपनी परिचारिकाओं तथा महिला स्वागताधिकारियों को अपने पसन्द की बहुत बढ़िया किस्म की रेशमी साड़ियां देने के सम्बन्ध में एयर इण्डिया ने एक विज्ञापन के माध्यम से रेशम उद्योग को जो चुनौती दी थी, क्या मैसूर सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री श्री राम सेवक : (क) और (ख). एयर इण्डिया से ज्ञात हुआ है कि अब तक 18 भारतीय रेशम निर्माताओं ने, जिनमें मैसूर सेल्स इंटर नेशनल, बम्बई, जो मैसूर सरकार का अनुषंगी है, शामिल है, विज्ञापन के प्रति उत्तर में उनकी साड़ियों सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की पेशकश की है।

Inclusion of Certain Areas in the List of Backward Areas

2452. **Shri Deorao Patil** : Will the **Prime** Minister be pleased to state :

(a) Whether it is fact that several areas, which are actually backward, have not been included in the list of backward areas; and

(b) If so, whether Government have made any modifications in the list of backward areas and if so, the details thereof ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home affairs and Minister of Planing (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). A list of backward areas placed on the Table of the House in reply to Starred Question No. 381 on May 14, 1970 is under review in consultation with the State Governments.

Programme of Export Trade by States

2453. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether many State Governments have chalked out programmes to promote the export trade;

(b) if so, the names of the State Governments and the amount provided for the same by each of them; and

(c) whether the Central Government have given some guide-lines to the State Governments ?

The Deputy Minister in the Ministery of Foreign Trade (Shri Ram Sewak): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

(c) The guide-lines for future export policy have been laid in the Export Policy Resolution, which are applicable both to the centre and to the States in their respective fields.

सरकार द्वारा रुई के व्यापार को अपने हाथ में लेना

2454. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रुई निगम की स्थापना के बारे में सरकार ने रुई व्यापार की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो चढ़ाने-उतारने का औसत खर्च क्या है, बाहरी और भीतरी व्यापार पर लाभ की मात्रा क्या है और सरकार का उसे कम करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) रुई जैसी अस्थिर वस्तु के क्रय-व्यापार में अनुभव प्राप्त कितने कर्मचारी सरकार के पास हैं;

(घ) सरकार के पास इस समय रुई भंडारण की कितनी क्षमता है और इसे शुरू करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी; और

(ङ) उक्त व्यापार के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप जो लोग बेकार होंगे, उनको राहत देने का प्रस्ताव का क्या विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक): (क) रुई निगम की स्थापना के पक्ष में निर्णय लेने से पूर्व रुई व्यापार के सभी पहलुओं का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया गया था ।

(ख) लदान-उतराई और लाभ की मात्रा काफी हद तक भिन्न-भिन्न है । निगम, सभी संभव कटौती प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करेगा ।

(ग) निगम, ऐसे अमले को काम पर लगायेगी जिसे इसका अनुभव हो उन्हीं को नौकरी देगी जिन्हें इस क्षेत्र में अनुभव हो और विशेषज्ञ व्यक्तियों की अपने लिये व्यवस्था करेगी ।

(घ) ऐसी आशा है कि निगम को, 1970-71 के दौरान अतिरिक्त भण्डारण सुविधाओं या विशाल कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ेंगी ।

(ड.) माननीय सदस्य का ध्यान, निगम द्वारा किये जाने वाले कार्य कलापों पर, मेरे वक्तव्य की ओर दिलाया जाता है। वह इस बात को समझ सकते हैं कि राहत देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत में अपेक्षाकृत बिजली की प्रति व्यक्ति खपत

2455. **श्री सु० कु० तापड़िया** :

श्री न० कु० सोमानी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिजली की प्रति व्यक्ति खपत भारत में सबसे कम है;

(ख) क्या राष्ट्रीय संसाधनों के अधिकाधिक उपयोग में अन्तर्राज्यीय विवाद और प्रतिद्विंदिता आड़े आती है; और

(ग) क्या केंद्रीय सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं कि वह सभी राज्य सरकारों को अलग रखते हुए सभी विद्युत परियोजनाओं को अपने हाथ में ले ले ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां,।

(ख), जी हां।

(ग) जी, नहीं।

अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी महासंघ के साथ बैठकें

2456. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने इस बीच अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ मंत्रालय स्तर पर विभिन्न मामलों के बारे में बातचीत करने के लिये महीनें में दो बार बैठक करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने उसके लिए कोई कार्यसूची प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या कोई बैठक हुई है और यदि हां, तो उसमें किन मामलों पर चर्चा की गई ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) अखिल भारत रक्षा कर्मचारी संघ समेत सभी मान्य संघो के प्रतिनिधियों को रक्षा मंत्रालय में उन द्वारा उठाए गए सभी मामलों पर विचार विमर्श करने का अवसर प्राप्त रहता है। ऐसे विचार विमर्शों की सुविधा के लिए संघ साधारणत: पहले से मदों की सूचना देते हैं कि जिन पर वह विचार विमर्श करने का विचार रखते हैं।

(ख) और (ग). मामला पुनरीक्षण अधीन है और निर्णय शीघ्र लिया जाना शक्य है।

कानपुर में औद्योगिक गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत बनाये गये मकानों में रहने वाले प्रतिरक्षा कर्मचारी

2457. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको बताया गया है कि कानपुर में औद्योगिक गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत बनाये गये मकानों में रहने वाले प्रतिरक्षा कर्मचारियों को मकान खाली करने के नोटिस दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है जिससे वे मकान खाली न करवाये जायें और क्या राज्य सरकार के साथ इस मामले पर विचार विमर्श किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) ऐसी प्रार्थना करते हुए कि बेदखली अमल में न लाई जाये और राज्य सरकार किराय-क्रय आधार पर रक्षा कर्मचारियों को भवनों के क्रय की अनुमति दें, इस मंत्रालय ने मामला उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उठाया है । उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया । निर्माण आवास तथा नगर विकास मंत्रालय से मन्त्रणा-सहित, मामला रक्षा मंत्रालय के आगे, विचाराधीन है ।

लापता भारतीय पर्वतारोही

2458. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन उन भारतीय पर्वतारोहियों का पता लगाने के लिये सहमत हो गया है जो भूटान तिब्बत सीमा का चोमोहरी की चढ़ाई में भाग लेते हुए 24 अप्रैल, 1970 को लापता हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में चीन सरकार से कोई और जानकारी मिली है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । चीन सरकार ने कहा है कि उन्होंने उस क्षेत्र में खोजी दल भेजा था, किन्तु दुर्भाग्यवश उन दोनों लापता-पर्वतारोहियों का कुछ पता नहीं चला ।

दिल्ली विद्युत प्रदाय के इंजीनियरों के पुनरीक्षित वेतन मान

2459. **श्री बलराज मधोक** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय के इंजीनियर काफी समय से हरियाणा तथा पंजाब के समकक्ष पुनरीक्षित वेतन-मानों के लिये आन्दोलन कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने इस सम्बन्ध में सिंचाई तथा विद्युत मंत्री को अभ्यावेदन भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के इन्जीनियरों की संस्था ने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को मांगों का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, वेतन-मानों को बढ़ाने की मांग भी शामिल थी। अप्रैल, 1970 में उन्होंने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को सूचित किया कि जब तक उनकी मांगें स्वीकार नहीं होंगी तब तक वे पंजाब/हरियाणा में चल रहे वेतन-मानों को स्वीकार करेंगे।

(ख) और (ग). सिंचाई और विद्युत मंत्री को दिये गये अभ्यावेदनों पर, इस मामले को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के पास ले जाया गया। अध्यक्ष, दिल्ली विद्युत प्रदाय समिति ने हाल ही में संस्था के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की है और उन्हें अन्तरिम सहायता देने के लिये कहा है परन्तु शर्त यह है कि इस अंतरिम सहायता का समंजन वेतन आयोग की उन सिफारिशों के आधार पर कर दिया जायेगा जो भारत सरकार को मंजूर हो। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान संस्था के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है।

सिंहानुक के मंत्री को भारत आने के लिये पारपत्र जारी किया जाना

2460. **श्री बलराज मधोक** :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री राम चरण :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री 29 जुलाई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 433 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेकिंग स्थित राजकुमार सिंहानुक की सरकार के दूसरे मंत्री ने जून 1970 में भारत की यात्रा की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसके पास कम्बोडिया का पार पत्र नहीं था;

(ग) यदि हां, तो वह किस पारपत्र पर भारत आया था।

(घ) भारत आने का उसका उद्देश्य क्या था; और

(ङ.) क्या भारत सरकार ने उसे या राजकुमार सिंहानुक की निर्वासित सरकार के विदेश मंत्री को कोई ऐसा आश्वासन दिया है कि वह सिंहानुक की सरकार को मान्यता देगी ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). उनके पास भी कम्बोडिया की शाही सरकार द्वारा जारी किया गया पारपत्र था।

(घ) वह दो-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के भी सदस्य थे जिसने गुटमुक्त सम्मेलन को स्थायी समिति के सदस्यों से मिलने की इच्छा प्रकट की थी जो उस समय दिल्ली में हो रहा था।

(ङ.) जी नहीं।

पश्चिम बंगाल में देहातों में बिजली लगाना

2461. **श्री सरदार अमजद अली खां :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन योजनाओं की अवधि में पश्चिम बंगाल में कितने देहातों में बिजली लगाई गई है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये वास्तव में कितना व्यय हुआ है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). पहली, दूसरी और तीसरी योजना अवधियों के दौरान, पश्चिम बंगाल के 1208 ग्रामों में बिजली दी जा चुकी थी। 1966-67, 1967-68 और 1968-69 की वार्षिक योजनाओं के दौरान 841 ग्रामों में बिजली लगाई गई थी। 1966-67 से ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें इस तरह से बनाई जा रही हैं कि उनमें खाद्यान्न में वृद्धि करने के लिए पम्पों को अर्जित करने पर विशेष बल दिया गया है और ग्राम विद्युतीकरण इस कार्यक्रम का केवल एक अनुषंगिक भाग है। ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों पर तीन योजनावधियों के दौरान 198.47 लाख रुपये व्यय हुए और तीन वार्षिक योजनाओं (1966-67, 1967-68 और 1969-69) के दौरान 355.61 लाख रुपये।

निर्यात बढ़ाने के लिये निर्यात करने वाली सूती कपड़ा मिलों का आनुनिकीकरण

2462. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**

श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी व्यापार मंत्रालय के लिए कपड़ों और सिले हुए वस्त्रों के सम्बन्ध में भारत के निर्यात की क्षमता का व्यापक अध्ययन करने के सम्बन्ध में अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अभिकरण के द्वारा प्रायोजित आर्थिक तथा वैज्ञानिक गवेषणा संस्थान द्वारा संचालित एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के कपड़ों के निर्यात का भविष्य में निर्यात करने वाली कपड़ा मिलों के पूरी तरह और तेज़ी से आधुनिकीकरण करने पर निर्भर है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सर्वेक्षण के अन्य निष्कर्ष क्या हैं और सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). प्रमुख सिफारिशें संलग्न विवरण (अंगेजी) में दी गयी है [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिए। संख्या एल० टी०--3938/70**]। ये विचाराधीन हैं।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की कार्यकारी परिषदों के अध्यक्षों की बैठक

2463. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**

श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की कार्यकारी परिषदों के अध्यक्षों की बैठक जुलाई के पहले सप्ताह में नई दिल्ली में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में क्या क्या सिफारिशें की गई;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां तो निष्कर्ष क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन की कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताते हुए एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी०--3939/70]

(ग) और (घ). सम्मेलन में दिये गये सुझावों पर ध्यान दिया जा रहा है।

हरियाणा सहित पंजाब तथा राजस्थान के बीच ब्यास परियोजना की लागत

2465. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**

श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्यास परियोजना यूनिट। और 2 की लागत पंजाब (हरियाणा सहित) और राजस्थान राज्यों के बीच बांटने के बारे में इस बीच कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) हरियाणा और पंजाब के बीच लागत के विभाजन का अनुपात क्या तय हुआ है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) जी, हां।

(ख) ब्यास परियोजना के यूनिट एक और दो की लागत का आबंटन भूतपूर्व पंजाब राज्य (हरियाणा समेत) और राजस्थान के बीच निम्नलिखित अनुपात से किया जाएगा :--

	पंजाब (भूतपूर्व)	राजस्थान
यूनिट एक		
(सिंचाई भाग)	85%	15%
(विद्युत भाग)	80%	20%
यूनिट--दो		
(सिंचाई और विद्युत दोनों भाग)	41.5%	58.5%

(ग) भूतपूर्व पंजाब की आबंटित ब्यास परियोजना की लागत इस समय पंजाब और हरियाणा के बीच 60 व 40 के तदर्थ अनुपात में बांटी जा रही है।

पाकिस्तान के अमरीकी हथियारों की सप्लाई पर प्रतिबन्ध हटाया जाना

2466. **श्री लोबो प्रभु :** क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका के पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पर प्रतिबन्ध हटाने के कथित इरादे को ध्यान में रखते हुए क्या भारतीय प्रतिनिधि का विचार इस आधार पर अन्य देशों को हथियारों की सप्लाई का सामान्य प्रश्न उठाने का है कि यह कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के शान्ति सम्बन्धी घोषणा-पत्र के विरुद्ध है;

(ख) क्या समस्त विश्व में विभिन्न संघर्षों को समाप्त करने के लिये इस प्रकार की हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाने के लिये एक संकल्प प्रस्तुत करने का विचार है जो केवल बाहर से हथियारों की सप्लाई के कारण बने रहते हैं और सम्बन्धित देशों के हथियारों पर निर्भर रहने से जिनका महत्व समाप्त हो जायेगा ;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की एक स्थायी सेना बनाने के लिये भी एक संकल्प प्रस्तुत करने का विचार है जो किसी देश की सीमाओं का उल्लंघन किये जाने पर अपने आप हस्तक्षेप करेगी; और

(घ) क्या इस प्रकार का दृष्टिकोण जो युद्ध के रूप में उचित ठहराई जाने वाली हिंसा के विरुद्ध है, विदेश नीति को नैतिक बल प्रदान करता है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) (क) से (ख). जी नहीं ।

(घ) सक्रिय अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण विश्व शान्ति के लिए महत्वपूर्ण योगदान होगा । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार, विचार विमर्शों में सक्रिय रूप से भाग ले रही है ।

गार्डन रीच वर्कशाप में बने ड्रेजर

2467. **श्री लोबो प्रभू** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री 11 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2582 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ड्रेजर के चित्रित आकार (कनस्ट्रक्शन ड्रांइग) को स्वीकृति दे दी गई है और ड्रेजर के कब तक तैयार हो जाने की संभावना है;

(ख) क्या गार्डन रीच वर्कशाप निर्धारित निधि से एक वर्ष बाद भी मंगलौर पतन परियोजना के लिये अप्रैल में भेजे गये एम० ओ० टी० ड्रेजर के लिये अपेक्षित पाइपें भेजने में असफल रहा है; और

(ग) चूंकि पाइपों के अभाव में ड्रेजर का काम रुक गया था, इसलिए सरकार का विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (प्र० चं० सेठी) : (क) मोट ड्रेजर के निर्माण रेखा चित्रों को अनुमोदन प्राप्त हो गया है और उसे अप्रैल 1971 तक तैयार करने का हर प्रयत्न किया जा रहा है ।

(ख) नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय द्वारा उनके दो ड्रेजरों के लिए आर्डर किए गए वाल तथा साकेट संयोजकों के सिवाए पाईपर लाईनों के सभी संघटक निर्माण तिथि से पहले तैयार थे । वाल तथा साकेट संयोजकों के आर्डर दुर्गापुर की राजकीय क्षेत्र की फर्म को

तथा इन्दौर की एक निजी फर्म को भेजे गए थे। तदपि. कार्य की विकासात्मक गुण रूप के कारण, इन दोनों फर्मों में कुछ विलम्ब हुआ है। फिर भी, 50 सैटों की अगस्त 1970 में सम्पूर्ण होने की प्रत्याशित हैं, और शेष 50 सैट मार्च 1971 तक।

(ग) पाईपलाईन का अभी जो संघटक उपलब्ध नहीं हुआ वह है केवल वाल तथा साकेट संयोजक। क्योंकि यह पहला विकासात्मक आर्डर था और टेकनालौजी का अभी निर्माण होना था, उसके किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

नागालैंड के ट्वेनसांग में चीन द्वारा प्रशिक्षित नागा

2468. **श्री दंडपाणि :**
श्री कोलाई विवरुआ :
श्री मायावन :
श्री नारायणन :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1970 में चीन द्वारा प्रशिक्षित 60 भूमिगत नागा, नागालैंड-वर्मा सीमा से होकर नागालैंड के ट्वेनसांग जिले में दाखिल हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उसी दल ने भारतीय सेना शिविर पर कब्जा कर लिया था; और

(ग) क्या यह भी सच है कि यह वही दल है जिसके नेतृत्व में वर्ष 1967 में छापामार युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये चीन के दल युमान प्रान्त में भूमिगत नागाओं का पहला दल गया था ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) चीन से प्रशिक्षित नागाओं के भारत में प्रवेश के विरुद्ध अधिक सतर्कता के लिए सभी आवश्यक पग उठाए गए हैं, और अब उन के लिए बहुत कम संख्या के सिवाए आ पाना संभव नहीं होना चाहिए।

(ख) और (ग). हाल में चीन से लौटने वाले भूमिगत नागाओं से कोई संघर्ष नहीं हुए।

चीन द्वारा अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण

2469. **श्री हेम राज** : क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जुलाई 1970 के "स्टेटसमैन" में छपे इस समाचार की ओर गया है कि चीन इसी वर्ष अक्तूबर से पहले अपने अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण करने का विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) सरकार को इस बात का ज्ञान है कि चीन अन्तर्द्वीपीय बालिस्टिक मीजाईलों के विकास में प्रवृत्त है, और प्रत्याशित है कि वह अपना पहल अन्तर्द्वीपीय मिजाईल का निकट भविष्य में परीक्षण करेगा।

इ० एम० इ० काम्पट्रो के भूतपूर्व कमांडिंग अधिकारी के विरुद्ध आरोप

2470. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 29 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7993 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ई० एम० ई० काम्पट्रो के भूतपूर्व कमांडिंग अधिकारी के विरुद्ध क्या-क्या आरोप लगाये गये थे, जिनके बारे में न्यायालय ने जांच की थी ?

प्रति रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : कोर्ट आफ इन्क्वारी द्वारा ई० एम० ई० केन्द्र के भूतपूर्व कमांडेंट के विरुद्ध जिन आरोपों की जांच की गई थी, वह है :---

(1) अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से एक के प्रति अफसर की दण्डात्मक प्रवृत्ति ।

(2) अपने निजी काम पर यूनिट के सेविवर्ग की नियुक्ति ।

(3) अधीनस्थों/अवर श्रेणियों के प्रति अत्याचार/दुर्व्यवहार ।

(4) अवैध परितुष्टि की स्वीकृति ।

पाकिस्तान की लाहौर जेल में जालंधर जिले के आदमपुर दोआबा के एक निवासी को बन्द करना

2471. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लाहौर जेल में बन्द जालंधर जिले के आदमपुर दोआवा गाँव के सोहनलाल उर्फ किरण चन्द पुत्र श्री खुशी राम के बारे में कोई सूचना मिली है;

(ख) यदि हां तो पाकिस्तान ने उसे किन परिस्थितियों में जेल में बन्द किया; और

(ग) सरकार ने उसे मुक्त कराने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया है, उनसे सोहनलाल उर्फ किरण चन्द का पता-ठिकाना, कुशल-क्षेम, उन्हें बन्दी बनाने के कारण एवं मुक्त करने की तारीख की जानकारी मांगी है तथा फैसले की एक प्रति भी देने को कहा है ।

राजस्थान सरकार के मंत्रियों द्वारा अपने पुत्रों के विवाहों पर अत्यधिक खर्च किया जाना

2472. **श्री मधु लिमये** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान के मुख्य मंत्री और सिंचाई मंत्री द्वारा अपने पुत्रों के विवाहों पर किये गये अपव्यय और अत्यधिक खर्च के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार सभी राज्य तथा केन्द्रीय मंत्रियों (विशेषकर शासकीय कांग्रेस दल) को अनुदेश देने का है कि वे इस प्रकार अत्यधिक खर्च न किया करें; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) जी हां। लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री और सिंचाई तथा परिवहन मंत्री से इस विषय में पूछा गया था और उन्होंने इन आरोपों से इन्कार कर दिया।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

नेपाल की उपहार पार्सल योजना

2473. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री तह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों ने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि वह नेपाल की तथाकथित उपहार पार्सल योजना पर जो भारतीय हितों के विरुद्ध है, आपत्ति उठाये ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में औपचारिक रूप में विरोध प्रकट किया गया है या आपत्ति उठाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय विरोध और आपत्तियों के प्रति नेपाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). माननीय सदस्य से प्राप्त 27 जून, 1969 के पत्र के अतिरिक्त, इस विषय में संसद के दोनों सदनों में बहुत से प्रश्न किये गये हैं। उपहार पार्सल योजना के अन्तर्गत नेपाल में उपभोक्ता तथा विलासिता की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न को राजनयिक माध्यमों से और साथ ही अन्तः सरकारी संयुक्त समितियों में भी उठाया गया है। जैसा कि लोक सभा में 25 फरवरी तथा 18 मार्च, 1970 को पूछे गये क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या 509 तथा 3514 के उत्तर में कहा गया है कि नेपाल के महामहिम की सरकार ने एकाकी व्यक्तियों द्वारा नेपाल में आयात किये जा सकने वाले पार्सलों की संख्या तथा मूल्य में कमी करने के लिए उपरोक्त योजना को संशोधित कर दिया है।

नेपाल से होकर भारतीय पटसन का निर्यात

2474. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नेपाल से होते हुए बड़े पैमाने पर भारतीय पटसन के निर्यात की ओर दिलाया गया है ;

(ख) इससे विदेशी मुद्रा के रूप में कितनी हानि होने का अनुमान है ;

(ग) क्या व्यापार तथा परिवहन सम्बन्धी समझौते के नवीकरण के सम्बन्ध में हाल ही में जून में नेपाल और भारत के बीच हुई बातचीत में अन्य देशों के निर्यात का मामला उठाया गया था ; और

(घ) भारतीय प्रस्ताव के प्रति नेपाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). ऐसे समाचार प्राप्त हुए हैं कि अन्य देशों को पुनर्निर्यात के लिए नेपाल में भारतीय पटसन की

तस्करी की जा रही है। तथापि उसकी मात्रा अथवा विदेशी मुद्रा में होने वाली हानि का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ग) और (घ). भारत-नेपाल अंतःसरकारी संयुक्त समिति की बैठकों में हुई चर्चाओं में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल द्वारा यह आग्रह किया गया कि ऐसे कार्य-कलापों की संयुक्त जाँच कराई जाये जो व्यापार तथा परिवहन संधि की भावनाओं के अनुरूप नहीं हैं और ऐसे कार्यकलापों को हतोत्साहित करने के लिए व्यावहारिक व्यवस्था की जाये। अन्य विषयों के साथ-साथ यह भी सुझाव दिया गया है कि जिन मदों के विषय में नेपाल के मार्ग से अन्य देशों को माल जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन के विषय में नेपाल में निर्यात के लिए जितना अधिशेष है, उसका पता लगाने के लिए जानकारी का विनिमय किया जाये। नेपाल किसी संयुक्त जाँच अथवा जानकारी के विनिमय के लिये अभी तक सहमत नहीं हुआ है।

सीमेंट का निर्यात

2475. **डा० रानेन सेन :** **श्री जनार्दनन :**
श्री क० मि० मधुकर : **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने सीमेंट का निर्यात अत्यधिक बढ़ाने के लिए कोई वृहद योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने उस योजता को स्वीकार किया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक): (क) जी हाँ।

(ख) राज्य व्यापार निगम पतनों के निकट स्थित कारखानों से निर्धारित मूल्य पर सीमेंट खरीदेगा और भाड़े की लागत को कम करने के लिए पूरे जहाज किराये पर लेगा। निगम सम्भाव्यताओं वाले बाजारों में मौके पर बिक्री के लिए प्रयत्न कर रहा है।

(ग) ये प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

चौथी योजना में माल डिब्बे बनाने का लक्ष्य

2476. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा किये गये अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला है कि रूस सरकार रेलवे के माल डिब्बे सम्बन्धी सौदे के वचन को पूरा करने की अवस्था में यदि हम उन माल डिब्बों को अन्य देशों को निर्यात करके उस कमी को पूरा नहीं करते तो माल डिब्बे बनाने सम्बन्धी चौथी योजना के लक्ष्य में 20 प्रतिशत तक की कमी हो जायेगी ;

(ख) यदि हाँ, तो निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार का क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) इस बारे में कितनी सफलता मिली है और चौथी योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). जी नहीं। विदेशी व्यापार मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि रेल माल डिब्बों के निर्यात हेतु नये बाजारों का पता लगाने के लिये लगातार और जोरदार प्रयत्न किये जा रहे हैं और आशा है कि निर्यात लक्ष्य प्राप्त हो जायेंगे।

कलकत्ता पतन पर माझियों और गोदी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण निर्यात किये जाने वाले माल का जमा हो जाना

2477. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री देविन्दर सिंह गार्चा : श्री हिम्मतसिंहका :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पतन पर माझियों तथा गोदी कर्मचारियों की लम्बी हड़ताल के कारण निर्यात पर कुप्रभाव पड़ा है अथवा पड़ने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). कलकत्ता पतन पर माझी 22-5-1970 से 26-7-1970 तक तथा गोदी कर्मचारी 1 जुलाई, 1970 से 14 जुलाई, 1970 तक हड़ताल पर थे। इसके अतिरिक्त समुद्रतट के कर्मचारियों ने 17-6-1970 से 31-7-1970 तक 'धीरे काम करो' की नीति अपनाई।

जून, 1970 के महीने में जिसके आंकड़े उपलब्ध है, कलकत्ता पतन से कुल 9.76 करोड़ रु० का निर्यात हुआ जबकि गत वर्ष के उसी महीने में 38.09 करोड़ रु० का निर्यात हुआ था। इसका सबसे अधिक प्रभाव पटसन के माल पर हुआ। अन्य प्रभावित मुख्य वस्तुएँ थीं : चाय, लोहा तथा इस्पात और चामें तथा खालें। जुलाई, 1970 के निर्यात आंकड़ों की प्रतीक्षा की जा रही है।

उड़ीसा में चिरौली बान्ध

2478. **श्री अद्धाकर सूपकार** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में चिरौली बांध परियोजना को बड़ी अथवा मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजना के रूप में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त परियोजना की योजना तथा प्राक्कलन उस समय तैयार किये गये थे जब डा० ए०एन० खोसला उड़ीसा के राज्यपाल थे ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख). केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने उड़ीसा सरकार से चिरोली बांध के संबंध में अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया है।

Implementation of Recommendations Contained in Report on Irrigation and Power Projects

*2479. **Shri Ramavatar Shastri :** **Shri Eswara Reddy :**
Shri K.M. Madhukar : **Shri C. Janardhanan :**
Shri Sarjoo Pandey :

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state the date from which Government propose to implement the recommendations contained in the Report of the Committee on Irrigation and Power Projects after taking a decision in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : The committee of Ministers to recommend measures for elimination of delays in the procurement of construction equipment and spare parts required for irrigation and power projects was set up on the recommendations of the Conference of State Minister of Irrigation and Power held at Nainital on 26th and 27th May, 1969. The Report of this Committee has been recently received by the Government on 6th July, 1970. The decision in respect of acceptance of the recommendations of the Committee and the date for implementation of the recommendations would be determined after the Report of the Committee is considered at the forthcoming Conference of State Ministers of Irrigation and Power proposed to be held at Octacumund in the last week of September, 1970. In the meantime action has already been taken in the concerned Departments of the Government of India to study the recommendations.

Talks With Madame Binh

2480. **Shri Ramavatar Shastri :** **Shri S.P. Ramamoorthy :**
Shri Bedabrata Barua : **Shri D. Amat :**
Shri R. Barua : **Shri Himatsingka :**
Shri Chengalraya Naidu : **Shri P.C. Adichan :**

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the foreign Minister of the Revolutionary Government of South Vietnam Madame Binh had recently visited India;

(b) if so, whether she had held a talk with him and the Prime Minister; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh):

(a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) It is not customary to divulge the contents of confidential talks that take place at such meetings.

Trade Agreement with North Korea

2481. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the Government of India has signed a new trade agreement with North Korea;

(b) if so, details thereof; and

(c) the extent to which India's trade is likely to increase as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) No new trade agreement has been signed with North Korea but existing trade & payments agreement which was valid 31.12.1970 has since been extended upto 31.12.1972 by exchange of letters in Pyongyang on June 30, 1970.

(b) Does not arise.

(c) It is anticipated that in 1970 trade exchange (both ways) will be of the order of Rs. 5 crores as many new items have been identified for exchange purposes.

निर्यात तथा आयात संगठनों में सुधार

2482. **श्री स० चं० सामन्त** : **श्री हुकम चन्द कछवाय** :
श्री कमलनयन बजाज : **श्री वंश नारायण सिंह** :
श्री राम किशन गुप्त : **श्री जगेश्वर यादव** :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के निर्यात तथा आयात संगठन में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) क्या वर्ष 1970 के उत्तरार्द्ध में वैदेशिक व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई गई है और यदि हां तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वित्तीय वर्ष, 1970-71 की दो तिमाहियों में भारतीय वस्तुओं के निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि तथा भारत में विदेशी वस्तुओं के आयात में कितने प्रतिशत कमी हुई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन में सुचारुता लाने के विषय का अध्ययन भूतपूर्व संसद सदस्य श्री एच० सी० माथुर की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल ने किया था। मुख्य रूप से, अध्ययन दल की सिफारिशें इस प्रकार थीं :—

(1) नीति, अपीलों और प्रवर्तन / सतर्कता अनुभागों में अधिकारी अभिमुख कार्य-पद्धति लागू करना।

(2) पद-सोपान के स्तरों में कमी करने के लिये आयात तथा निर्यात के नियंत्रक के पदों को समाप्त करना।

(3) टंकण, डायरी तथा प्रेषण जैसे नियमित कार्य को निवटाने के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रत्येक लाइसेंसिंग प्रभाग के लिए साझे सेवा प्रकोष्ठों की व्यवस्था।

नीति और कार्यविधि में परिवर्तन को ध्यान में रख कर, उपरोक्त सिफारिशें मामूली सा संशोधन करके क्रियान्वित की जा चुकी है ।

(स) सरकार देश के निर्यातों को बढ़ाने के लिये निरन्तर प्रयत्न कर रही है । भविष्य के लिये अपनाई जाने वाली प्रस्तावित नीतियों की रूप-रेखा, 30-7-1970 को सभा-पटेल पर रखे गए निर्यात नीति संकल्प में, दी गई है ।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के पहले दो महीनों के दौरान, जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं, आयातों और निर्यातों दोनों में वृद्धि हुई ।

निम्नलिखित तालिका से स्थिति का पता चलता है:—

मूल्य लाख रुपये में

अवधि	आयात	पुनर्निर्यात सहित निर्यात
अप्रैल-मई 1969	251.10	235.60
अप्रैल-मई 1970	270.22	247.00
अप्रैल-मई 1969 की अपेक्षा अप्रैल-मई 1970 में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट ।	7.61	4.84

जकार्ता में इण्डियन सर्कस पर आक्रमण

2483. **श्री प० गोपालन :**
श्री र०के० रमानी :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री बे०कू० दासचौधरी :
श्री लखन लाल कपूर :
श्री क०एम० अब्राहम :
श्री भगवान दास :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जुलाई 1970 को सैकड़ों रिक्शा चालकों द्वारा जकार्ता में ग्रेट रायल इण्डियन सर्कस पर हमला किये जाने के समाचार की ओर दिलाया गया है ।

(ख) यदि, हां तो उसका ब्यौरा क्या है ।

(ग) क्या सरकार ने इण्डियन सर्कस पर इस हमले के विरुद्ध इण्डोनेशिया सरकार को विरोध पत्र भेजा है ।

(घ) यदि हां, तो विरोध का ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) इस संबंध में इण्डोनेशिया सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सर्कस के एक ट्रक तथा एक रिक्शा में टक्कर हो जाने के बाद पहली जुलाई की रात को रिक्शा चालकों ने कुछ पत्थर फेंके थे। सर्कस वालों ने संबंध रिक्शा चालक को मुहावजा दे दिया था और मामला रफा दफा हो गया था।

(ग) और (ड.). यह एक मामूली घटना थी जिसमें न तो सर्कस को कोई नुकसान पहुंचा था और न उसके कर्मचारियों को चोट लगी थी। बाद में भी कोई घटना नहीं हुई। इसलिए भारत सरकार ने इस मामले को इण्डोनेशियाई सरकार के साथ उठाना आवश्यक नहीं समझा।

कांगड़ा सब-स्टेशन की विद्युत क्षमता बढ़ाना

2484. **श्री हेम राज** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर क्षेत्रीय ग्रिड में कांगड़ा सब-स्टेशन की क्षमता बढ़ाने के लिए, पंजाब बिजली बोर्ड ने क्या प्रगति की है जिससे हिमाचल क्षेत्र में, जहां इस के माध्यम से बिजली सप्लाई की जाती है बिजली बन्द होने की घटनाओं की संख्या कम हो सके ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने 500 के०वी०ए० का एक ट्रांसफार्मर लगाकर कांगड़ा उप-केंद्र की क्षमता को बढ़ा दिया है।

ब्यास बांध कर्मचारियों की मांग

2485. **श्री हेम राज** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्यास बांध कर्मचारियों ने तलवाड़ा में भूख हड़ताल की हुई है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनकी मांगें क्या हैं तथा उनको पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). श्रमिक संघ, ब्यास बांध, तलवाड़ा टाउनशिप, ने 2.6.1970 को मांग-पत्र पेश किया था और इसके पश्चात् दो श्रमिक अपनी मांगों के घोषणा-पत्र को स्वीकार कराने पर जोर देने के लिए 2.7.1970 के अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनकी महत्वपूर्ण मांगें ये थीं---वेतनमानों का पुनरीक्षप, परियोजना भत्ते में वृद्धि,कार्य-प्रभावित कर्मचारियों को आकस्मिक छुट्टी की स्वीकृति, मकान किराया भत्ते को अदायगी, इत्यादी।

श्रमिकों को मागों पर विभिन्न स्तोतो पर विचार-विमर्श किया गया और जो सहायता न्यायोजित थी वह प्रदान की गई। क्षमिक संघ ने 21-7-1970 को हड़ताल खत्म कर दी।

Aid for Setting up of Thermal Power Stations in Rajasthan

2487. **Shri Bhola Nath Master** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) Whether the Rajasthan Government have asked for 12 crores of rupees to set up two thermal power stations;

(b) whether the Government of Yugoslavia have been asked to give aid for setting up the thermal power station; and

(c) if so, the nature of this aid ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prashad) : (a) No provision for new thermal stations in Rajasthan has been made in the Fourth Five Year Plan. The Rajasthan State Electricity Board have however, proposed setting up two thermal power stations, one at Palana and other at Sawai Madhopur at an estimated cost of about Rs. 55 crores. The project reports are under scrutiny in the C.W. & P.C.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Recall of Defence Forces Personnel working in Foreign Countries

2488. **Shri Hukam Chand Kachwai** : **Shri Onkar Lal Berwa** :
Shri Bansh Narain Singh : **Shri Bharat Singh Chauhan** :

Will the **Ministar of Defence** be pleased to state.

(a) the number of Commissioned and Non-Commissioned Officer, Jawans and other employees belonging to Indian Army, Navy and Air Forces working at present in the foreign countries for the sake of supervision and control;

(b) the number of Jawans and officers belonging to Indian Army, who had been working in the foreign countries during the financial year of 1967-68 and 1968-69 on the international level or at the direction of U.N.O.;

(c) the number of aforesaid persons, who have come back to India and also the number of those who are still working in the foreign countries; and

(d) whether Government would like to recall them in view of the military movements of Chinese and Pakistani Armies along the Indian borders ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) 5 Officers, 5 Other Ranks and two civilians are now working on the International Commissions for Supervision & Control in Vietnam and in Laos.

(b) **1967-68**

United Nations Emergency Force, Gaze.	31 Officer and 950 Others.
International Commission for Supervision and Control in Indo China.	20 Officers and 160 Others.

1968-69 :

International Commissions for Supervision & Control in Indo China.	5 Officers and 14 Others.

(c) The entire Indian contingent serving in Gaza was withdrawn in June '67. The number working with the International Control Commissions in Indo China was substantially reduced during 1968-69. The number still working is indicated in reply to part (a) of the question.

(d) No, Sir. The number of these personnel is very small.

Defence Aeroplanes and Vehicles destroyed in Accidents

2489. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Bansh Narain Singh : **Shri Bharat Singh Chauhan :**

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of aeroplanes and army vehicles belonging to the Indian Navy, Army and Air Force that were destroyed in accident while in service during the last three years;

(b) the total loss suffered by Government as result of these accidents during this period;

(c) the number of persons (Commissioned and non-Commissioned) killed in these accidents; and

(d) the total amount of money given as grant to the families of wounded and the deceased during this period ?

The Minister of Defence (Shri Jagjiwan Ram) : (a) to (d). It will not be in the public interest to give this information. Such information is also not generally given by other countries. However, so far as IAF aircraft accidents are concerned, from the limited information available of accidents to military aircraft in other countries, our accidents rate, on the whole, is lower than in most other countries. Our total accident rate in respect of such aircraft has been coming down progressively during recent years.

The time and effort required to obtain information in respect of Army, Navy and Air Force vehicles destroyed in accident while in service during the last three years will not be commensurate with the results achieved.

विदेशी सरकारों द्वारा गोआ, दमन और दीव तथा जम्मू व काश्मीर को भारत संघ के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दिया जाना

2490. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के कितने देशों की सरकारों ने अब औपचारिक रूप से गोआ, दमन और दीव को भारत के अभिन्न भाग के रूप में मान्यता दे दी है;

(ख) कितनी सरकारों ने जम्मू तथा कश्मीर को भारत का अभिन्न भाग स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है;

(ग) क्या यह सच है कि अमरीका, ब्रिटेन की सरकारों ने जम्मू तथा काश्मीर और गोआ, दमन, और दीव को भारत के अभिन्न भाग के रूप में मान्यता नहीं दी है;

(घ) क्या यह भी सच है कि ब्रिटिश सरकार ने फिजो को जो कि अभी भी अपने को तथाकथित स्वतंत्र नागालैण्ड का राष्ट्रपति (प्रेजिडेण्ट) बताता है, ब्रिटिश नागरिक घोषित कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार अमरीकी तथा ब्रिटेन की सरकारों की इन कार्यवाहियों को शत्रुता तथा अमित्रता वाली कार्यवाहियाँ घोषित करने जा रही है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र प्रलेखों में गोआ को भारत सरकार में विलयित दिखाया गया है। दूसरे देश भी खास तौर पर ऐसा ही करें, इसका प्रश्न नहीं उठता क्योंकि गोआ भारत का अंग है, अलग राज्य नहीं।

(ख) किसी देश के एक भाग को औपचारिक रूप से मान्यता देने का सवाल नहीं उठता है। जम्मू तथा कश्मीर के विषय पर रवैये सरकार का रवैया सर्वविदित है और पाकिस्तान अथवा किसी भी अन्य देश के कुछ कहते रहने से जम्मू तथा कश्मीर की इस स्थिति में कोई अन्तर नहीं आता कि वह भारत का ही एक अभिन्न अंग है।

(ग) उपर 'क' और 'ख' को देखते हुये यह सवाल नहीं उठता युनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकारें हमारे इस रवैये को अच्छी तरह जानती हैं कि जम्मू तथा काश्मीर और गोवा, दमन तथा दीव भारत के अभिन्न अंग हैं।

(घ) यूनाइटेड किंगडम नागरिकता कानून के अन्तर्गत 6 नवम्बर 1961 को फिजो को यूनाइटेड किंगडम का नागरिक दर्ज किया गया था।

(ड.) उपर्युक्त (ग) और (घ). को देखते हुये इसका प्रश्न नहीं उठता।

लुगदी का आयात

2491. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री लुगदी के आयात के बारे में 13 मई, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 1601 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आस्तीक उत्पादन को बढ़ा कर लुगदी के आयात तथा मेकेनिकल सल्फेट के आयात को कम करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ;

(ख) विदेशी मुद्रा की तुलना में रुपये के भुगतान पर अधिक आयात करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(ग) क्या अमरीका, कनाडा तथा अन्य देशों से रुपये के भुगतान के आधार पर लुगदी आयात करने के लिये सम्पर्क स्थापित किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) रेयन ग्रेड तथा पेपर ग्रेड किस्मों की लुगदी की प्राप्यता को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित प्रयत्न किये जा रहे हैं :

(1) गत वर्ष के अन्त में गैर-सरकारी क्षेत्र के एक रेयन ग्रेड लुगदी संयंत्र में उत्पादन शुरू हुआ था और आशा है कि उसमें इस वर्ष वह 20,000 मे० टन लुगदी का उत्पादन होगा।

(2) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जम्मू तथा काश्मीर राज्य के जम्मू के इलाके में गैर-सरकारी क्षेत्र में एक बहु-ग्रेड लुगदी संयंत्र स्थापित किये जाने की संभावना है।

(3) जम्मू तथा कश्मीर राज्य के कश्मीर के इलाके में सरकारी क्षेत्र में रेयन ग्रेड लुगदी संयंत्र की स्थापना की सभाव्यताओं का पता लगाया जा रहा है।

(4) हिन्दुस्तान कागज निगम ने आसाम में सरकारी क्षेत्र में क्रियान्वयन हेतु एक लुगदी। कागज मिल की योजना बनाई है जिसकी क्षमता 80,000 मे० टन का

कागज़ बनाया जायेगा और शेष लुगदी देश के अन्य भागों में बिक्री के लिये उपलब्ध कराई जायेगी।

(5) जहां तक मेकेनिकल सल्फेट लुगदी का संमबंध हैं, जो अखबारी कागज के उत्पादन के लिये उपयुक्त है, सरकारी क्षेत्र के एकक हिन्दुस्तान कागज़ निगम द्वारा चौथी योजना की अवधि में कार्यान्वित करने के लिए केरल में यह लुगदी बनाने तथा उसे अखवारी कागज में रूपान्तरित करने से सम्बन्धित एक मिश्रित योजना प्रस्तावित की गयी है। इसकी क्षमता 75,000 मे० टन प्रति-वर्ष होगी।

(6) इस प्रकार की एक अन्य अखबारी कागज़ मिल गैर-सरकारी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में लगाने की योजना बनाई जा रही है जिसकी क्षमता 65,000 से 70,000 मे० टन प्रति वर्ष होगी और इसकी स्थापना भी चौथी योजना की अवधि में होने की सम्भावना है।

(7) देश की विद्यमान अखबारी कागज के मिलों की क्षमता 30,000 मे० टन से बढ़ाकर 75,000 मे० टन प्रति वर्ष की जा रही है इस योजना का आंशिक रूप में कार्यान्वियन किया जा चुका है और वर्ष 1971-72 के अन्त तक पूर्णत: क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है।

(ख) वर्ष 1970 के लिये सोवियत संघ से लकड़ी की लुगदी आयात की और अधिक व्यवस्ता की गयी है।

(ग) और (घ). संयुक्त राज्य अमरीका तथा कनाडा से रुपये में भुगतान के आधार पर लुगदी के आयात की कोई व्यवस्था नहीं है।

कमला तटबंध का सीसपानी विस्तार

2492. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री 6 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8740 के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमला नदी के दोनों तटबंधों का जय नगर से परे नेपाल में सीसपानी तक विस्तार करने की ब्यौरेवार योजना के बारे में प्रतिवेदन इस बीच बिहार की राज्य सरकार से प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने बिहार सरकार को निदेश दिया है कि तटबंधों के विस्तार की उपर्युक्त योजना के बारे में आगे कोई कार्यवाही न की जाए ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). कमला नदी से होने वाली बरबादी को रोकने के लिये राज्य सरकार ने बसबीता पर कुछ संरक्षण कार्य पहले ही कर दिये थे, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे प्रस्तावित तटबंधों की आवश्यकता की पुनः जांच करें।

बरहाल, उन्होंने यह निर्णय किया है कि सिंचित क्षेत्रों को कमला नदी से उमड़ कर

निकले हुए पानी से बचाने के लिये बाढ़ तटों के रूप में काम लेने हेतु पूर्वी कमला नहर के बांये तट को और पश्चिम कमला नहर के दांये तट को मजबूत किया जाए।

पूर्व अफ्रीका के विस्थापित भारतीयों के पुनः विस्थापन के लिए परियोजनाएं बनाने हेतु भारत-ब्रिटिश वार्ता

2493. **श्री प्र० के० देव :**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री बे० कृ० दास चौधरी :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार ने पूर्वी अफ्रीका में ब्रिटिश एशियाई समुदायों के विस्थापितों का, उन्हीं देशों में जिनमें इस समय वे रह रहे हैं, उनके लिए कृषि तथा औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना करके पुनर्वास करने की सम्भावनाओं का पता लगाने हेतु भारत तथा कुछ अन्य एशियाई देशों से वार्ता आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी सांस्कृतिक केन्द्र चलाने के लिए समान प्रक्रिया

2494. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री रविराय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वियना कन्वेशन के अनुसार कोई समान प्रक्रिया बनाने में सफल हो सकी है जिससे कि भारत में सांस्कृतिक केन्द्र चलाने में रुचि रखने वाले सभी राजनीतिक मिशन ऐसा कर सकेंगे;

(ख) यदि हां, तो उस प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। जब इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा तभी इसका ब्यौरा बताया जाएगा।

लखनऊ में अमरीकी सूचना सेवा पुस्तकालय बंद होना

2495. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि लखनऊ में अमरीकी सूचना सेवा पुस्तकालय बंद करने पर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने आपत्ति की थी यदि हां, तो किस आधार पर ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों के विषय में सरकार की नीति के बारे में प्रधान मंत्री को जो पत्र लिखा था उसके जवाब में उन्हें यह नीति विस्तार से बता दी गई थी।

निर्यात नीति कार्यक्रम पुनर्विलोकन के लिए व्यवस्था

2496. **श्री रामकिशन गुप्त** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री 18 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3452 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात के क्षेत्र में कार्य संचालन का नियमित रूप से पुनर्विलोकन करने हेतु व्यवस्था स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक मंत्रालय में उप-मंत्री श्री राम सेवक : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

कोसी में बाढ तथा इसके परिणाम स्वरूप जान माल की क्षति

2499. **श्री दे० अमात** : **श्री शिव चन्द्र झा** :

श्री हिम्मतसिंहका : **श्री अदिचन** :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष कोसी में फ़िर बाढ़ आई थी और यदि हां, तो इसके कारण कितने गांवों को खाली करना पड़ा था तथा इससे कितने व्यक्ति विस्थापित हुये;

(ख) इससे जान, माल, जमीन तथा मकानों और खड़ी फसल को कितनी क्षति पहुँची; और

(ग) संकटग्रस्त व्यक्तियों को राहत कार्यों के लिये यदि कोई केन्द्रीय सहायता दी गई थी तो वह क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां, इस वर्ष कोसी नदी में बाढ़ों के कारण 119 ग्रामों को खाली करने की सूचना मिली है। लगभग 13,000 लोगों के विस्थापित होने का अनुमान है ।

(ख) राज्य सरकार अभी तक वास्तविक क्षति का मूल्यांकन कर रही है। प्राथमिक मूल्यांकन के अनुसार क्षति का ब्यौरा निम्नलिखित है ।--

जानी नुकसान	1
घरों को क्षति	3235
फसलों को क्षति	6,47,460 क्विण्टल

(ग) पीड़ित राज्य के अनुरोध पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजे गए अधिकारियों के दल द्वारा क्षति का मूल्यांकन करने के पश्चात्, राहत उद्देश्यों के लिए केन्द्रीय सहायता, कुछ निश्चित मानदंडों के अनुसार दी जा रही है। ज्ञात हुआ हैं कि राज्य सरकार क्षति के सम्बन्ध में अपना मूल्यांकन स्वयं कर लेने के पश्चात्, ऐसे निरीक्षण-दल के आगमन के लिए अनुरोध करेगी ।

पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र में साम्प्रदायिक घटनाओं के लिए भारत की आलोचना करने का प्रयास

2501. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान ने न्यूयार्क के राजनयिक मिशनों तथा अरब और मुस्लिम देशों में एक ज्ञापन परिचालित किया है जिसमें भारत को साम्प्रदायिक घटनाओं का घृणित तथा अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण दिया गया है तथा उनको संयुक्त राष्ट्र में भारत की आलोचना करने के लिए संयुक्त कार्यवाही करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : (क) जी हां।

(ख) इस ज्ञापन में यह कहा गया है कि भारत में मुस्लिम समुदाय के साथ घोर दुर्व्यवहार किया जा रहा है और इस समुदाय को व्यवस्थित ढंग से नष्ट किया जा रहा है। इसमें उस विशाल मानव समुदाय के अकथनीय दुःख की भी चर्चा की गई है, जिसके अधिकारों की रक्षा भारत में राष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं की जा रही है, जो एक दुःख का विषय है।

पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि द्वारा तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करने और भारत सरकार के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण प्रचार करने के प्रयासों को, भारत सरकार गम्भीर समझती है। भारत सरकार के प्रतिनिधि से यह कहा गया था कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने मित्रों के समक्ष सही तथ्य प्रस्तुत करते हुए पाकिस्तान के आरोपों का खण्डन करें और सम्पूर्ण मामले का सही चित्र प्रस्तुत करें। यह किया गया है।

त्रुटिपूर्ण तार व्यवस्था के कारण बिजली से मृत्यु

2502. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में विद्युत प्रदाय द्वारा की गई त्रुटिपूर्ण तार व्यवस्था के कारण राजधानी में प्रतिवर्ष पचास से अधिक व्यक्तियों की बिजली लगने से मृत्यु हो जाती है तथा बहुत से मामलों की सूचना भी नही दी जाती है और दिल्ली विद्युत प्रदाय अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया जब कि विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा करना अनिवार्य है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि जिस योजना के लिए केन्द्र ने आंशिक वित्तीय सहायता दी थी उसके लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय द्वारा खरीदे गये 30 करोड़ रुपये के मूल्य के बिजली के उपकरण तथा तार आदि बेकार पड़े हैं तथा योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है जिसके परिणामस्वरूप मौसम के प्रकोप से सामान तथा उपकरण भारी क्षतिग्रस्त हो गये हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 33 और भारतीय विद्युत नियमावली के नियम 44 क के अन्तर्गत सभी विद्युत सम्बन्धी घटनाओं के सम्बन्ध में, जिनके परिणामस्वरूप जानी नुकसान हुआ हो अथवा होने की सम्भावना हो, विद्युत निरीक्षक को सूचित करना होता है। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में 1969 में विद्युतघात की 16 घटनायें और अब तक 1970 में 12 घटनायें विद्युत निरीक्षक दिल्ली को सूचित की गई हैं। इनमें से 1969 में 12 तथा 1970 में 5 घटनाएँ उपभोक्ताओं के घरों में लगे प्रतिष्ठापनों के सम्बन्ध में थी। भारतीय विद्युत नियमावली के नियम 46 के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के प्रतिष्ठापनों को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा आवधिक रूप से निरीक्षण करने तथा जाँच करने की आवश्यकता है। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि भारतीय विद्युत नियमावली के अनुसार उपभोक्ताओं के प्रतिष्ठापनों की आवश्यक जांच कुछ सीमित रूप में की जा रही है।

(ख) भारत सरकार द्वारा दिए गए अग्रिम ऋणों में से, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने 1964-66 के दौरान लगभग कुल 3 करोड़ रुपये की लागत का लगभग 400 किलोमीटर केबल खरीदा है। लगभग 145 किलोमीटर केबल अब तक उपयोग में लाया गया है। केबलों के समुपयोजन में देरी ज्वाइंट बक्सों के उपलब्ध न होने के कारण हुई थी। ज्वाइंट बक्सों को प्राप्त किया जा रहा है और केबलों को शीघ्र उपयोग में लाने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने कार्य हाथ में ले लिए हैं।

(ग) और (घ). उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

विश्व में चाय का निर्यात करने वाले देशों में श्रीलंका की तुलना में भारत की स्थिति

2503. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूडान के चाय बाजार में भारत की तुलना में श्रीलंका की चाय अधिक आ गई है तथा भारत के हाथ से अन्य देशों का बाज़ार भी छिनता जा रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो सूडान तथा अन्य देशों में भारतीय निर्यात में कितनी कमी हुई है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) भारत अभी तक सूडान को चाय का प्रमुख संभरक हैं। जहाँ तक अन्य देशों का सम्बन्ध है, सोवियत संघ पूर्व यूरोपीय देशों, अफगानिस्तान, बहरीन, कुवैत, ओमान, जोर्डन, संयुक्त अरब गणराज्य तथा ट्यूनिशिया को भारत के चाय के निर्यातों में कुछ सुधार दृष्टिगोचर हुआ है। पर उन्हें छोड़कर, वर्ष 1969 में वर्ष 1968 की अपेक्षा भारत से चाय के निर्यातों में प्रायः गिरावट रही है।

(ख) विगत तीन वर्षों में भारत से सूडान तथा अन्य देशों को किये गये चाय के निर्यातों के आँकड़े निम्नलिखित हैं :

(आँकड़े हजार कि०ग्रा० में)

	1967	1968	1969
सूडान	7898	10524	7358
अन्य देश	205778	197916	169293
योग	213676	208440	176651

(ग) वर्ष 1968 की तुलना में वर्ष 1969 में चाय के निर्यात में गिरावट के ये कारण हैं : (1) ब्रिटेन ने बहुत कम चाय खरीदी क्योंकि लन्दन में चाय के विपुल भंडार जमा हो जाने के कारण उन्होंने कम आयात किया (2) वर्ष 1968 तथा 1969 में लन्दन में चाय के लाभकर मूल्य न मिलने के कारण लन्दन को सीधे पोत-लदानों में कमी (3) वर्ष 1969 में भारत में अपेक्षाकृत कम उपज होना। फिर भी वर्ष 1970 के पहले पांच महीनों में चाय के निर्यातों में वृद्धि हुई और इन का परिमाण 618 लाख कि०ग्रा० रहा जबकि वर्ष 1969 की उसी अवधि में इनका परिमाण 508 कि०ग्रा० था।

चाय के निर्यात बढ़ाने के लिए किये गये कुछ महत्त्वपूर्ण उपाय ये हैं: (1) 1-3-70 से चाय पर लगे निर्यात शुल्क की समाप्ति ; (2) निर्यातित चाय के मूल्य के आधार पर भिन्न-भिन्न दरों पर उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में तदर्थ छूट ; (3) परिमाण में वृद्धि, लागत में कमी तथा गुण सुधार के लिए पुराने चाय क्षेत्रों में पुनर्रोपण करने में उद्योग की सहायता करने के लिए मैदानी बागानों के 3500 रु० प्रति हेक्टार तथा पहाड़ी बागानों के लिए 4500 रु० प्रति हेक्टार की दर से पुनर्रोपण उपदान योजना ; (4) लन्दन, ब्रुसेल्स, न्यूयार्क, काहिरा तथा सिडनी में कार्यरत चाय बोर्ड के कार्यालयों तथा लन्दन, एडिनबरा, काहिरा तथा सिडनी में स्थापित किए गए चाय केन्द्रों के माध्यम से भारतीय चाय के लिए संवर्धनात्मक उपाय ; (5) चुने हुए विदेशी बाजारों में मिश्रित चाय के स्थानीय पैकरों के सहयोग से भारतीय चाय के विशेष पैकटों को बढ़ावा देना ; (6) विदेशी बाजारों में प्रचार के उपयुक्त माध्यमों द्वारा विज्ञापन ; (7) व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना ; (8) भारतीय चाय में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए विदेशों में प्रतिनिधिमंडलों को प्रायोजित करना तथा विदेशों से प्रतिनिधिमंडलों को भारत में आमंत्रित करना ; और (9) अन्य चाय उत्पादक देशों और स्थानीय चाय व्यापार के सहयोग से विश्व के विभिन्न देशों में कार्यरत चाय परिषदों की सदस्यता के माध्यम से चाय की खपत बढ़ाने के लिए विदेशी बाजारों में चाय का व्यापक संवर्धन।

चाय के मूल्यों के स्थिरीकरण के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन के तत्वावधान में अन्तर्राष्ट्रीय उपायों पर भी चर्चा हुई है। मारिशस में हुई चाय निर्यातक देशों की बैठक में यह स्वीकार कर लिया गया है कि वर्ष 1970 में होने वाले प्राक्कलित निर्यातों में से 9 करोड़ पौण्ड चाय हटाली जायेगी। इस विनिश्चय को प्रभावी बनाने के लिए विनियमन सम्बन्धी उपाय

करने और मूल्यों के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक और आगे उपाय करने के लिए चाय संबन्धी परामर्श समिति गठित की गयी है।

जहां तक सूडान का सम्बन्ध है, भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाने के लिए खारतूम में एक भारतीय चाय केन्द्र खोलने का विचार है। सूडान टी कम्पनी के, जो राज़कीय एकाधिकार में है, महाप्रबन्धक को भारत आने का निमंत्रण दिया गया है जिससे वे भारतीय चाय व्यापार तथा उद्योग के कार्यचालन से अपने आप को परिचित कर सकें और परस्पर हित की समस्याओं पर भारत के चाय व्यापारियों के साथ चर्चा कर सके।

खनिज कथा धातु व्यापार निगम की विदेशी मुद्रा की आय

2504. **श्री क० प्र० सिंह देव :**

श्री एस० पी० राममूर्ति :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम की विदेशी मुद्रा की आय का कुल लक्ष्य क्या है ?

(ख) तीन वर्षों में इसका लक्ष्य क्या था तथा क्या इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया था ; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान 15 जून, 1970 के "इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित चेयरमैन के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) वर्ष 1970-71 के लिए 125 करोड़ रु०।

(ख) वर्ष 1969-70 में निर्यात लक्ष्य 80.48 करोड़ रु० का था। निगम के वास्तविक निर्यात 90-93 करोड़ रु० के थे जो उक्त लक्ष्य से काफी अधिक थे।

(ग) 15 जून, 1970 के "इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित वक्तव्य की जानकारी सरकार को है।

बर्मा में राज्य व्यापार निगम का एक कार्यालय स्थापित करना

2505. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय बर्मा में राज्य व्यापार निगम का कोई कार्यालय नहीं है ;

(ख) क्या उस देश के साथ व्यापार में गति लाने के लिए सरकार का विचार बर्मा में राज्य व्यापार निगम का एक कार्यालय स्थापित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग). राज्य व्यापार निगम द्वारा बर्मा में कोई कार्यालय खोलने का अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

टोसी नदी में बाढ़ के कारण भूमि कटाव से पड़ौसी क्षेत्रों की सुरक्षा

2506. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टोसी नदी की बाढ़ के कारण रजरहाट, कूच बिहार-टाउन, भेलाडांगा और मासूरभार क्षेत्रों को भूमि कटाव से बचने के लिए क्या सरकार ने पूर्व प्रस्तावित माडल योजना के आधार पर इसका सूक्ष्म अध्ययन करने के उपरान्त योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना को अन्तिम रूप देने की कब तक संभावना है ; और इसमें देरी के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). पर्याप्त जल-विज्ञान सम्बन्धी आंकड़े न होने के कारण एक उपयुक्त स्कीम बनाने के लिए माडल परीक्षण नहीं किये जा सके। बहरहाल, नदी अनुसंधान संस्था की सलाह से पश्चिम बंगाल सरकार ने एक स्कीम तैयार की थी जिसमें एक पाइलट चैनल और एक पक्की ठोकर शामिल है। इस स्कीम को, उन व्यक्तियों के विरोध के कारण वर्तमान बाढ़ों से पहले कार्यान्वित नहीं हो सकी, जिनकी वह भूमि थी जिसमें से पाइलट नाली गुजरनी थी। उन स्थायी उपायों के स्वरूप का निर्धारण, जिन्हें शुरू किया जाना है, चालू वर्ष की बाढ़ों के दौरान नदी की गतिविधि को ध्यान में रखने के पश्चात ही करना पड़ेगा। राज्य सरकार का यह प्रस्ताव है कि वह पहले से हुए तट सुरक्षा कार्यों की देखरेख करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो आगे भी सुरक्षा कार्यों को हाथ में लेगी।

वैदेशिक व्यापार के क्षेत्र में सरकारी संगठनों पर उत्तरदायित्व सौंपना

2507. **श्री बे०कृ० दास चौधरी** : **श्री जी० वेंकटस्वामी** :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैदेशिक व्यापार के क्षेत्र में सरकारी संगठनों से कुछ नये उत्तर-दायित्व सम्भालने को कहा है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में खनिज तथा धातु व्यापार निगम के चेयरमैन और निर्देशकों से कोई विचार विमर्श किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां। देश के विदेशी व्यापार क्षेत्र में राज्य अभिकरणों के भाग को और उनके कार्यकलाप के क्षेत्रों को उत्तरोत्तर बढ़ाया जा रहा है।

(ख) और (ग). उनके भाग को बढ़ाने तथा इसका कार्यान्वयन करने, दोनों ही विषयों के सम्बन्ध में खनिज व धातु व्यापार निगम के अध्यक्ष तथा निर्देशकों से समय समय पर विचार विमर्श किया जाता है।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स एसोसियेशन को कार्यकारी समिति द्वारा विमान दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त करने वाला संकल्प पारित करना

2508. **श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रति रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 18 मई, 1970 को बंगलौर में हुई एक बैठक में हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स कर्मचारी ऐसोसिएशन की कार्यकारी समिति द्वारा पारित किये गये उस संकल्प की ओर दिलाया गया है जिस में उस एच०एफ० 24 विमान के हाल में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बारे में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गई है जिस में राष्ट्र के ए०ई०सी० परीक्षण चालक ग्रुप कैप्टेन दास और स्कवाड्रन लीडर नारायण मारे गये थे।

(ख) क्या यह सच है कि एसोसिएशन के उपर्युक्त संकल्प में यह मांग की गई है कि जनता के दिलों से आशंकाओं को दूर करने के विचार से दोनों दुर्घटनाओं के ब्यौरे की नये सिरे से जांच करने के लिये उच्च शक्ति प्राप्त निकाय की नियुक्ति की जानी चाहिये; और

(ग) यदि हां, तो उस संकल्प के बारे में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रति रक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) सरकार द्वारा नियुक्त जाँच बोर्ड ने अब तक दुर्घनाओं की परिस्थितियों और कारणों की जाँच कर ली है और अपनी रिपोर्ट दे दी है। सरकार का ऐसा विचार नहीं कि उन दुर्घटनाओं के विस्तारों के फिर से निरीक्षण के लिए कोई अन्य उच्चस्तरीय बोर्ड नियुक्त करने का कोई लाभ नहीं होगा।

पश्चिम बंगाल की जलधाका परियोजना

2509. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जलधाका पन-बिजली योजना मूलत: कब तैयार की गई थी, तब से इस योजना का कितनी बार पुनरीक्षण किया गया है;

(ख) प्रत्येक पुनरीक्षण के पश्चात अनुमानित लागत क्या है;

(ग) परियोजना का निर्माण कब आरम्भ किया गया था और आज तक कितनी वास्तविक धन राशि खर्च की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि मूल योजना के पहले चरण का पूरा करना अभी शेष है, और यदि हां, तो उसे समय सूची के अनुसार पूरा क्यों नहीं किया जा सका है; और

(ङ) पहले चरण के कब तक पूरे होने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जलढाका जल-विद्युत स्कीम का प्रारूप मूलतः 1947 में तैयार किया गया था। मई, 1959 में स्वीकृत होने से पहले 1955 में और 1958 में इस स्कीम का संशोधन किया गया था। इस के पश्चात यह स्कीम चार बार संशोधित की गई।

(ख) निर्माण कार्य 1960 के आरंभ में शुरू किया गया था। दिसम्बर, 1969 के अन्त तक कुल 11,12,33,534 रुपये व्यय किये गए।

(ग) परियोजना को 445 लाख रुपये की अनुमानित लागत के लिए स्वीकृति दी गई थी; तदनंतर 29 अप्रैल, 1969 को भारत सरकार ने 860.22 लाख रुपये की संशोधित स्वीकृति जारी की।

(घ) जी, हां। इसका मुख्यः कारण यह था कि 1964 और 1968 में संकटपूर्ण बाढ़ें आई थीं।

(ङ) प्रथम विद्युत उत्पादन यूनिट मार्च, 1967 में और दूसरा जून, 1967 में चालू किया गया था। तीसरे विद्युत उत्पादन यूनिट के अप्रैल, 1971 तक चालू कर दिए जाने की सम्भावना है।

दुर्गापुर प्रोजेक्टस लिमिटेड

2510. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार के उपक्रम दुर्गापुर प्रोजैक्ट्स लिमिटेड के विद्युत जनन केंद्र के लिये निवेश तथा पूंजीगत परिव्यय क्या है;

(ख) क्या इस विद्युत जनन कारखाने के लिये अमरीका द्वारा नियंत्रित कम्पनी "कुल-जियन कारपोरेशन" को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था;

(ग) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार तथा कुलजियन कारपोरेशन में हुए करार की सलाहकारों को दी जाने वाली स्वामित्व, तकनीकी शुल्क आदि सहित शर्तों का पूरा ब्यौरा क्या है;

(घ) निर्माण के सम्बन्ध में अमरीका तथा अन्य देशों से कितने मूल्य के सामान का आयात किया गया है;

(ङ) क्या इस कारखाने को आरम्भ से ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(च) क्या कारखाने के चार एककों में से दो एकक बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मैसर्स दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि० के विद्युत उत्पादन केंद्र में कुल पूंजीगत परिव्यय लगभग 30 करोड़ रुपये है।

प्रथम उत्पादन यूनिट पर हुए व्यय को कुछ तो पश्चिम जरमनी ऋण निधी द्वारा और कुछ येन ऋण निधि द्वारा पूरा किया गया। तीसरे और चौथे उत्पादन यूनिटों पर व्यय के लिए धन की व्यवस्था अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण और पी० एल० 480 निधि में से की गई। शेष व्यय को केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार को ऋण के रूप में पूरा किया।

(ख) और (ग) . मैसर्स कुलज़ियन कार्पोरेशन को तीसरे, चौथे और पाँचवें यूनिट के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया था। मैसर्स कुलज़ियन कार्पोरेशन ने तीसरी और चौथी यूनिटों के लिए सीमित सलाहकारी सेवाओं के लिए, जिनमें इन्जीनियरी और डिजाइन शामिल थे, 15 लाख रुपये की एक-मुश्त फीस ली। पांचवें यूनिट के लिए मैसर्स कुलज़ियन कार्पोरेशन ने 7.50 लाख रुपये की एक मुश्त फीस ली और इसके अलावा सिविल कार्य के पर्यवेक्षण के लिए 4,000 रुपये प्रति मास की दर से फील्ड इन्जीनियर की सेवाओं के लिए भी फीस ली। मैसर्स कुलज़ियन कार्पोरेशन ने जो फीस ली वह प्रत्येक उत्पादन यूनिट की लागत का लगभग एक प्रतिशत अंश है।

(घ) अमरीका तथा अन्य देशों से आयात किए गये उपस्कर का मूल्य निम्नलिखित है:--

देश का नाम	मूल्य लाख रुपयों में
संयुक्त राज्य अमरीका	513
पश्चिम जर्मनी	863
जापान	243
इंगलैंड	175

(ड.) और (च). पांच यूनिटों में से एक यूनिट बायलर क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण जनवरी, 1970 से ठप्प पड़ा है। इस यूनिट की मरम्मत हो रही है। इस समय कर्मक पद्धति (मैनिंग पैटर्न) जिसे श्रमिक संघ के साथ अभी तय किया जाना है, में कठिनाइयों के कारण इस समय बेकार पड़ा है। इस मामले के शीघ्र ही हल हो जाने की संभावना है।

दिल्ली में चाय बोर्ड के कमचारियों के लिए चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें

2511. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री गणेश घोष :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में नियुक्त किये गये चाय बोर्ड के कर्मचारियों को चिकित्सा सम्बन्धी कोई सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन कर्मचारियों की इस मांग को कि चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के लिये स्वीकृति मिलने तक मुआवजे के रूप में उन्हें कुछ राशि दी जाये, को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) कलकत्ता में नियुक्त

किए गए केन्द्रीय सरकार के अमले के लिए स्वीकार्य स्तर की एकरूप चिकित्सा सुविधाएं, अब बोर्ड के सभी कर्मचारियों को दी जाती हैं, चाहे, वे कहीं नियुक्त हों या रहते हों।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

पोंग बांध के विस्थापितों के पुनर्वास के लिये भूमि

2512. **श्री विक्रम चन्द महाजन** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोंग बांध के विस्थापितों को राजस्थान में पुनर्वास के लिये अब तक कितनी भूमि आरक्षित की गई है; और

(ख) 1970 के अन्त तक कितने और व्यक्ति विस्थापित हो जायेंगे और उनमें से कितने व्यक्तियों को पहले ही मुआवजा दिया जा चुका है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पोंग बांध तथा राजस्थान नहर क्षेत्र में अन्य संबंधित परियोजनाओं के विस्थापितों के लिए 3.25 लाख एकड़ भूमि अलग रखना स्वीकार किया गया था। इसमें से 2.25 लाख एकड़ कृषि भूमि पोंग बांध के विस्थापितों के लिए आरक्षित की गई है।

(ख) अभी तक 1538 परिवार विस्थापित हो चुके हैं और 2239 परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है। वर्तमान जानकारी के अनुसार लगभग 12,000 विस्थापित परिवारों के पोंग बांध जलाशय क्षेत्र से जून, 1971 तक विस्थापित होने की संभावना है।

Ambassadors and Employees of Indian Embassies with Foreign Wives

2513. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the number of Indian Ambassadors who have foreign wives and nationalities of these ladies; and

(b) the number of employees of Indian Embassies in foreign countries with foreign wives and their nationalities ?

The Deputy Minister in the Ministery of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh)

(a) **Two**

British	...	1
French	...	1

(b) **Five**

Austrian	...	1
Spanish	...	1
Malaysian	...	2
Czech	...	1

Self-sufficiency in Irrigation in Kashmir

2514. **Shri om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) Whether Covernment are aware that the irrigation in Kashmir depends solely on the water availability from the melting of snow and the rains;

(b) whether Government are also aware that during the last winter season due to less snow fall there was scarcity of water which had adversely affected agriculture there; and

(c) if so, the steps being taken or proposed to be taken by Government to make Kashmir self-sufficient in the matter of irrigation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri, Siddheshwar Prasad) : (a) Yes.

(b) Yes, there was scarcity of water to some extent.

(c) To meet the situation, the State Government have installed 62 pumping sets at various places for irrigating an area of 16,000 acres of land. They have also enforced rotational irrigation in different areas and have restricted paddy cultivation at the tails of canals.

Apart from intensification of minor irrigation activities by way of construction of new storage tanks, lift irrigation schemes and diversion works, the State Government also propose to undertake through exploration of Sub-terranean water resources of the valley.

प्रशासन सुधार आयोग द्वारा प्रतिरक्षा तथा अनुसंधान के लिए नियतनों का दुगुना करने की सिफारिशें

2515. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिरक्षा सम्बन्धी कार्यकारी ग्रुप ने प्रतिरक्षा अनुसंधान के नियतनों को दुगुना करने की सिफारिश की है;

(ख) क्या उक्त सिफारिश पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इसके कार्यान्वयन के लिये क्या कदम उठाये गये अथवा उठाने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रति रक्षा उत्पादन) (श्री प्रकाश चंद सेठी) : (क) रक्षा मामलों के लिए, प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल ने सिफारिश की है कि रक्षा अनुसंधान तथा विकास के लिए आवंटन वर्तमान 1.6 प्रतिशत के स्तर से वार्षिक रक्षा व्यय के 3 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाना चाहिए ।

(ख) और (ग). सिफारिशें अभी हाल में ही प्राप्त हुई हैं और विचाराधीन हैं ।

Expenditure on Officials and Non-Officials Accompanying the Prime Minister to Mauritius

2516. **Shri Janeshwar Misra :**

Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the number of officials and non-officials separately who accompanied the Prime Minister during her visit to Mauritius ;

(b) the expenditure incurred on the said visit;

(c) the expenditure incurred on non-officials out of the above expenditure; and

(d) who bore this expenditure ?

The Deputy Minister in the Ministery of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh)

(a) **Officials :** 15
Non-officials : 7

(b) The actual expenditure incurred is not yet known. Estimated expenditure involved is Rs. 1,60,580.00.

(c) and (d). No expenditure from Government funds was incurred on non-officials.

Supply of Power for Irrigation purposes in U.P.

2517. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the names of Districts in Uttar Pradesh where the electricity has been provided to facilitate the irrigation works; and

(b) the number of villages in Raibareli District of Uttar Pradesh where electricity has been provided in order to facilitate the irrigation works ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Names of districts in Utter Pradesh where electricity has been provided to facilitate irrigation are given below:—

Agra, Aligarh, Allahabad, Azamgarh, Bahraich, Ballia, Banda, Bara Banki, Bareilly, Basti, Bijnor, Budaun, Bulandshahr, Dehra Dun, Deoria, Etah, Etawah, Faizabad, Farrukhabad, Fatehpur, Ghazipur, Gonda, Gorakhpur, Hamirpur, Hardoi, Jalaun, Jaunpur, Jhansi, Kanpur, Kheri, Lucknow, Mainpuri, Mathura, Meerut, Mirzapur, Moradabad, Muzaffarnagar, Nainital, Pilibhit, Pratapgarh, Rae Bareli, Rampur, Saharanpur, Sahajahanpur, Sitapur, Sultanpur, Unnao and Varanasi.

(b) Up to 15-7-1970, electricity for facilitating irrigation was provided in 128 villages of Rae Bareli District.

Opposition to Delhi Water Supply Scheme By Haryana State

2518. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Haryana have opposed the Delhi Water Supply Scheme; and

(b) if so, the details thereof and the reaction of Government thereto and the action taken in this regard ?

The Deputy Minster in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b) : A proposal to construct reservoirs at Dhauj and Kot to augment the water supply to Delhi is under consideration. The Government of Haryana have expressed some difficulties in this respect. The Union Minister of Irrigation and Power is proposing to discuss this matter further with the Chief Minister, Haryana.

आयात तथा निर्यात की सम्भावनाएं

2279. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :** **श्री बंसनारायण सिंह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री जगेश्वर यादव :**

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में आयात के 1968-69 से बढ़ जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, किन विशिष्ट मदों का निर्यात कम कर दिया गया था और किन मदों के निर्यात में वृद्धि हुई थी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया,** देखिये संख्या एल. टी. 3940/70]

दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटेन की सेना की उपस्थिति

2520. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटेन की सेना की उपस्थिति के सम्बन्ध में कन्जरवेटिव और लेबर पार्टियों में मतभेद को ध्यान में रखते हुए सरकार टोरी विजय से दक्षिण पूर्वी एशिया में उसके प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन का क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). पिछली लेबर सरकार ने यह निश्चय किया था कि 1971 के अन्त तक वह दक्षिण पूर्व एशिया और सुदूरपूर्व से ब्रिटिश सैनिक हटा लेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि नई कनजर्वेटिव सरकार दक्षिण पूर्व एशिया में सैनिकों की उपस्थिति बनाए रखने पर विश्वास रखती है। यह न केवल लेबर के इस निर्णय से असहमत है कि 1970 से 71 के बीच में ब्रिटिश सैनिक हटा लिए जाएं, प्रत्युत इस सरकार का यह ख्याल है कि दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सैनिक की उपस्थिति बराबर बनाए रखना अर्थात् "जब तक सम्बद्ध सरकार चाहे", ब्रिटेन के रित में होगा। इस प्रकार कहा जाता है कि इस समस्या के प्रति नई कन्जर्वेटिव सरकार एक नया दृष्टिकोण अपना रही है और उसने इस क्षेत्र में एक ऐसी संयुक्त सेना का निर्माण करने के लिए रुचि लेने वाले देशों के साथ सम्पर्क स्थापित किया है, जिसमें ब्रिटिश सेना शामिल हो।

अन्य देशों के भूभाग पर विदेशी सैनिक अड्डों की स्थापना करने और उन्हें बनाए रखने तथा सैनिक रखने के सम्बन्ध में, भारत सरकार का विरोध सुविदित है। लेकिन ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, सिंगापुर और मलेशिया में जो प्रतिरक्षात्मक प्रबन्ध हुआ है, उसकी शर्तों के अन्तर्गत, दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सैनिकों की उपस्थिति बनाए रखना, सम्बद्ध देशों का मामला है।

तुंगभद्रा परियोजना से अपर्याप्त जल की सप्लाई

2521. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तुंगभद्रा परियोजना के निम्नस्तर जलमार्ग को 1962 से 1958 तक कई बार के० सी० नहर तक पहुंचाया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या तुंगभद्रा परियोजना के निम्नस्तर जलमार्ग के अन्तर्गत पंजीकृत आयकरदारों को पर्याप्त जल के अभाव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारत और जापान के बीच व्यापार समझौता

2522. **श्री गाडिलिंगन गौड :**

श्री एम० सुदर्शनम :

क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने जापान के साथ दोनों देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ाने सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर किये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप भारत की विदेशी मुद्रा की कमाई में कितनी वृद्धि होगी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). फरवरी, 1958 में भारत तथा जापान की सरकारों के बीच एक व्यापार करार हुआ था, जिसके अन्तर्गत दोनों देश व्यापार के विस्तार तथा आर्थिक सम्बन्धों के सुदृढ़ करने के मामले में एक दूसरे को साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो गये थे। इस करार में दोनों देशों द्वारा एक दूसरे के सीमा शुल्कों, आयात तथा निर्यात सम्बन्धी विनियमों, पोत-लदान सुविधाओं आदि के मामले में परम-मित्र-राष्ट्र व्यवहार प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है।

यद्यपि करार में संविदाकारी पक्षों द्वारा एक दूसरे से किसी विशिष्ट मद अथवा मदों के खरीदने की कोई वचन-बद्धता नहीं रखी गई है, तथापि जापान को भारत के निर्यातों में विस्तार तथा विविधिकरण हुआ है। व्यापार संतुलन भी 1966-67 से भारत के पक्ष में रहा है। भारत से जापान द्वारा किये गये आयात 1966-67 में 107.44 करोड़ रुपये मूल्य के थे जो बढ़ कर 1969-70 में 179.36 करोड़ रु० मूल्य के हो गये।

सूती कपड़े पर पुनः बिक्री कर लगाया जाना

2523. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़े पर पुनः बिक्री कर लगाये जाने को रोकने के लिये आल इण्डिया टैक्सटाइल एसोसियेशन के संघ ने अभी हाल में अखिल भारतीय स्तर पर पड़ताल करने का आह्वान किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक): (क) समाचार-पत्र के समाचारों के अनुसार फैडरेशन आफ आल इण्डिया टैक्सटाइल डीलर्स एसोसियेशन ने 22 मई, 1970 को बम्बई तथा अन्य स्थानों के वस्त्र व्यापारियों द्वारा हड़ताल का आह्वान किया था।

(ख) राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्यों के साथ इस विषय पर चर्चा करने से पूर्व राष्ट्रीय विकास परिषद् की एक समिति मामले के सभी पहलुओं की जांच करेगी।

दारेस्सलाम में तंजानिया मेला

2524. **श्री जी० वेंकटस्वामी**। क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दारेस्सलाम के तंजानिया मेले में भारत द्वारा कुल कितने मूल्य का माल बेचा गया;

(ख) मेले के दौरान बुक किये गये आर्डरों का मूल्य कितना है; और

(ग) इस मेले में कुल कितनी भारतीय फर्मों ने भाग लिया ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) 52,192.71 रु० की निबल बिक्री हुई।

(ख) मेले के दौरान एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि की व्यापारिक पूछ-ताछ प्राप्त हुई परन्तु इनमें से वस्तुतः प्राप्त होने वाले क्रयादेशों के सम्बन्ध में ठीक ठीक जानकारी भाग लेने वाली फर्मों आदि से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) 71।

सरकारी क्षेत्र से गैर-सरकारी क्षेत्र को धन का दिया जाना

2525. **श्री शिव जन्द झा** : क्या **प्रधान-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में सरकारी क्षेत्र परिव्यय से कुछ राशि गैर-सरकारी क्षेत्र को दी जायेगी; और

(ख) यदि हां, कितनी राशि का हस्तान्तरण करने का विचार है और इसके विशिष्ट कारण क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

ए० आर० सी०, एल० डी० बी०, आई० डी० बी० आई०, आई० सी० आई० सी० आई० आदि संस्थायें योजना वित्त का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सावधिक ऋण देने वाली ये संस्थायें राज्य ने इस स्पष्ट उद्देश्य से स्थापित की हैं कि कृषि और उद्योग की तरजीह वाली विशाओं में निधि को प्रवाहित किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ाना और बढ़े हुए उत्पादन के द्वारा रोजगार उत्पन्न करना है। इन संस्थाओं की अधिकांश निधि जिसका ऋण लाभ चौथी योजना में लिया जा रहा हैं बाजार-उधार जैसे गैर-बजट स्रोत से प्राप्त होती है। आरम्भिक अथवा समय समय पर दी जाने वाली सहायता के रूप निःसंदेह कुछ बजट-विनिधान किये जाते हैं। परन्तु यह पूरी राशि सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत योजना परिव्यय के रूप में दिखाई जाती है।

उद्योग

2. चौथी योजना के दौरान सावधिक ऋण देने वाली संस्थाओं को धन देने के लिए

केन्द्रीय क्षेत्र में 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त राज्यों की चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य के वित्तीय संस्थानों द्वारा निजी क्षेत्र के उद्यमों के लिए निधि के हस्तांतरण की व्यवस्था भी की गई है। राज्यों के वित्तीय निगमों को दिये जाने के लिए राज्यों के कार्यक्रमों में निर्धारित किये गये परिव्यय का पूरा ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि विभिन्न राज्यों के चौथी योजना के प्रपत्र अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। मध्यम और लम्बी अवधि के लिए वित्त की मांग और पूर्ती के बीच के अन्तराल को पूरा करने के लिए निधि की व्यवस्था करने के अतिरिक्त सावधिक ऋण देने वाली संस्थायें विकास अभिकरणों के रूप में भी काम करती हैं और उन पर यह विशेष दायित्व रहता है कि योजना के लक्ष्यों के अनुसार औद्योगिक ढांचे की कमियों की पूर्ती करे और कुछ मार्मिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को विकसित करें।

कृषि

3. नीचे लिखी संस्थाओं के लिए योजना परिव्यय के रूप में 324 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है :—

	(करोड़ रुपये)
एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस कार्पोरेशन	200
लैंड डवलपमेन्ट बैंक	90
एग्रीकल्चरल क्रेडिट कार्पोरेशन	5
एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन	28
फर्टीलाइजर क्रेडिट गारन्टी कार्पोरेशन	21

4. फर्टीलाइजर क्रेडिट गारन्टी कार्पोरेशन के बारे में इरादा यह था कि यह सीधे वित्त व्यवस्था करने वाली संस्था होगी और एक करोड़ रुपया इसकी ईक्विटी पूंजी रखी गई थी। पर अभी ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा निगम गठित नहीं किया जायेगा।

5. जहां तक एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन का सम्बन्ध है ये वस्तुतः ऐसे कार्पोरेशन हैं जो कि कृषि मशीनरी की पूर्ति, मशीनरी को किराए पर देना आदि वाणिज्यिक कार्यकलापों को सम्भालने के लिए स्थापित किये गये हैं और इन्हें वास्तविक वित्तीय संस्थायें कहना ठीक नहीं होगा।

6. ऐग्रीकल्चरल रिफाइनेंस कार्पोरेशन का उद्देश्य भूमि विकास बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों के लिए पुनर्वित्त (रिफाइनेंस) की व्यवस्था करना है। इन भूमि विकास बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि ये व्यक्तिशः किसानों को भूमि के विकास, खेती की मशीनों की खरीद, ट्यूब वेलों को लगाने आदि के लिए दीर्घावधि ऋण देने की व्यवस्था करेंगे। इसी प्रकार भूमि विकास बैंकों से दी जाने वाली निधि का प्रयोजन यह है कि ऋण लेने वाला पम्प सैटों, ट्यूबवेलों, ट्रैक्टरों आदि कृषि सुधार के कार्यकलापों में उसका निवेश कर सके। इसी प्रकार एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन से मिलने वाली निधि किसानों को किराया खरीद के आधार पर खेती की मशीनरी दिलाने के लिए है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली के मोटरों को रद्द किया जाना

2526. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 3 लाख रुपये की कीमत के बिजली के मोटरों को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा रद्द किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कुल कितने मोटरों को रद्द किया जायेगा;

(घ) इन मोटरों से लगभग कितने वर्षों तक काम लिया गया है; और

(ड.) कुल कितने मोटरों की मरम्मत करने की आवश्यकता है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ग). दिल्ली विद्युत प्रदाय समिति ने 3839 घंटे-सेवा मीटरों के निपटान के लिए, जो कि पिछले 7-8 वर्षों की अवधि के दौरान बेकार हो गये हैं, दिल्ली नगर निगम की स्वीकृति मांगी है। इन मीटरों की मूल खरीद कीमत लगभग 2,23,000 रुपये है। सार्वजनिक नीलामी के लिये सिफारिश की गई आरक्षित कीमत 22,170 रुपये है।

(ख) से (ड.). अधिकतर मीटर 20 वर्ष की अपनी उपयोगी अवधि को पूरा कर चुके हैं। इन सभी मीटरों को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के मीटर-परीक्षण विभाग द्वारा जांचा जा चुका है और यह पाया गया है कि इनकी मरम्मत में कोई आर्थिक लाभ नहीं है।

Dirparity between rich and poor

2527. **Shri Meetha Lal Meena :**

Shri N. R. Deoghare :

will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) Whether Government are aware of the disparity between the rich and the poor, keeping in view the Government's policy of socialism; and

(b) if so, the policy to be adopted by Government to remove this disparity ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi): (a) Yes sir. Government are aware of the problem of economic disparities.

(b) Reduction of economic disparities is one of the important objectives of Government's fiscal policy. The Government have also sought to combat the problem of disparity through more repid growth of the economy, greater diffusion of enterprise and of ownership of the means of production, increasing productivity of the weaker units and widening opportunities of productive work and employment to the common man. Details have been outlined in the Fourth Five Year Plan 1969-74.

मैसूर से नारियल तथा गोले का निर्यात

2528. **श्री क० लकप्पा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने मैसूर राज्य से दूसरे देशों को नारियल तथा गोले के निर्यात की दशा में सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही की है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने राज्य में नारियल के बड़े पैमाने पर निर्यात की स्थिति में सुधार करने के बारे में कोई प्रयास किये हैं; और

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मैसूर तथा केरल बड़ी मात्रा में नारियल का उत्पादन कर रहे हैं, क्या सरकार का कोई प्रस्ताव है कि अन्य बोर्डों की भांति, नारियल बोर्ड भी बनाया जाय; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). जी नहीं। चूंकि देश में खोपरे की अत्यन्त कमी हैं अतः सरकार आयात का भी आश्रय ले रही है।

(ग) जी नहीं।

(च) उत्पादन सम्बन्धी समस्याओं पर खाद्य तथा कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत नारियल विकास परिषद् द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

वैदेशिक व्यापार के बारे में विदेशों में अध्ययन के लिए अभ्यर्थियों के चयन की कसौटी

2529. **श्री क० लकप्पा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सरकारी तथा अर्ध-सरकारी संगठनों में वैदेशिक व्यापार के बारे में विदेशों में अध्ययन के लिये अभ्यर्थियों के चयन के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत क्या हैं;

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों द्वारा इस वर्ष कितने अभ्यर्थियों का चयन किया गया है; और

(ग) क्या इन अभ्यर्थियों के चयन के सम्बन्ध में कोई सिद्धान्त अपनाये गये ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ग). विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में विदेश में प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों से अभ्यर्थियों का और सरकारी कर्मचारियों को भी प्रायोजित किया जाता है :—

(1) पाठ्यक्रम विवरण तथा प्रशिक्षण की सुविधा देने वाले संगठनों/सरकारों द्वारा निर्धारित अपेक्षाएं तथा शर्तें।

(2) शैक्षिक योग्यता तथा किसी विशेष पाठ्यक्रम के लिए अभ्यर्थी का अनुभव।

(3) अभ्यर्थियों के पदों तथा उनमें अन्तर्निहित कार्यों के लिए प्रशिक्षण की अनुकूलता।

(4) उसके संगठन के निर्यात कार्यक्रम में अभ्यर्थी का सहयोग।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1970 के दौरान प्रशिक्षण के लिए चुने गये/भेजे गये उम्मीदवारों की संख्या

देश/संस्था का नाम		टिप्पणी
आस्ट्रेलिया	9*	*4 उम्मीदवारों को अक्तुबर, 1970 में जाना है।
ब्रिटेन	2	
पश्चिम जर्मनी	12**	**उम्मीदवार शीघ्र ही जर्मनी जायेंगे।
कनाडा	1	
अन्तराष्ट्रीय व्यापार केन्द		
दो अधिकारियों की सिफारिश की गई हैं। केन्द्र की अनुमति की प्रतीक्षा हैं।		
एशिया यथा सूदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग		
बेंकाक स्थित संयुक्त राष्ट्र ऐशियाई आर्थिक विकास तथा आयोजन संस्थान बेंकाक स्थित संयुक्त राष्ट्र ऐशियाई	10	
आर्थिक विकाश तथा आयोजन संस्थान (व्यापार संवर्द्धन के विषय में टोकियो में आयोजित पाठ्यक्रम)	3	
संयुक्त राष्ट्र ऐशियाई सांख्यिक संस्थान टोकियो।	4	
संयुक्त राष्ट्र सहायता (AID)।		
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)		
अमरीका तथा पश्चिम योरोपीय देशों के मार्केट आधारित दौरे	12	20 व्यक्तियों को भेजने का प्रस्ताव है।
संयुक्त राष्ट्र विकाश कार्यक्रम फैलोशिप (U.N.D.P. Fellowship)	11	9 अन्य उम्मीदवारों का शीघ्र ही चयन किये जाने की संभावना है।

सेक्सरिया काटन मिल, बम्बई के कार्यकरण के सम्बन्ध में जांच करने के लिये समिति

2530. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मिल के उत्पादन में पर्याप्त कमी को देखते हुए संसद सदस्य

श्री एम० आर० दामानी की अध्यक्षता में सेक्सरिया काटन मिल, बम्बई, के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है;

(ख) क्या समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भूटान द्वारा भारत में निर्मित मिल कपड़े के आयात पर रोक

2531. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**

श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूटान सरकार ने भारत में निर्मित भूटानी डिजाइन के मिल कपड़े के आयात पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) भूटान को प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में कपड़े का निर्यात किया जा रहा था; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले पर भूटान सरकार से बातचीत करने का है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (घ). यह समाचार मिला है कि भूटान सरकार ने अपने व्यापारियों से कहा है कि वे भारत में निर्मित भूटानी डिजाइन के मिल-निर्मित कपड़े को भूटान में न बेचें। अगर यह समाचार सही है तो सरकार को इसके कारणों की जानकारी नहीं है। इस प्रश्न पर भूटान सरकार के साथ संपर्क स्थापित किया जा रहा है। भूटान को निर्यात किये गये कपड़े की मात्रा की ठीक ठीक जानकारी प्राप्त नहीं है।

प्रौद्योगिक नीति संकल्प

2532. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उनका ध्यान "टेक्नोलाजी इन दि सेवनटीज" पर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साइन्स रिपब्लिक फोरम द्वारा आयोजित गोष्ठी में बोलते हुए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने एक ऐसा प्रोद्योगिक नीति संकल्प बनाने के लिए कहा है जो स्पष्ट शब्दों में यह बताये कि देश को प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कौन सा मार्ग अपनाना चाहिये ताकि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये नियत किये गये रुपये का आम लोगों के लाभ के लिए ठीक ढंग से उपयोग हो; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : (क) और (ख). डा० आत्मा राम ने "टेक्नोलोजी इन सेविन्टीज" की गोष्ठी नई दिल्ली में भाषण करते हुये "एक तकनीकी नीतियों के प्रस्ताव" पर जोर दिया। उनके द्वारा व्यक्त किये गए विचारों को नोट कर लिया गया है।

भारतीय शिष्टमंडल द्वारा पश्चिम जर्मनी तथा फ्रांस का दौरा

2533. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा,** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई 1970 में एक भारतीय शिष्टमंडल ने पश्चिम जर्मनी तथा फ्रांस का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो शिष्टमंडल के सदस्य कौन थे;

(ग) भारत तथा दोनों देशों के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पश्चिम जर्मनी ने भारत को दो देशों के बीच दीर्घकालीन आर्थिक सहयोग का आश्वासन दिया है और भारत से अनुरोध किया कि वह जर्मन पूंजीनिवेश को भारत के लिए अधिक आकर्षक बनाने हेतु कार्यवाही करे; और

(ड.) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। भारत के सरकारी प्रतिनिधिमंडलों ने द्विपक्षीय विचार-विमर्श के लिये 29 जून 1970 से 1 जुलाई 1970 तक जर्मन संघीय गणराज्य की और 2 से 6 जुलाई 1970 तक फ्रांस की यात्रा की थी।

(ख) इन दोनों प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य निम्नलिखित थे :

1 जर्मन संघीय गणराज्य को जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में :-

1. श्री केवल सिंह	प्रतिनिधिमंडल के नेता
2. श्री खूबचंद	भारत के राजदूत
3. श्री के० आर० नारायनन	
4. श्री के० आर० पी० सिंह	
5. श्री आर० टंडन	
6. श्री एस० एम० हाश्मी	
7. श्री एच० डी० भल्ला	
8. श्रीमती एम० भल्ला	

2 फ्रांस को जानेवाले प्रतिनिधिमंडल में :-

1. श्री केवल सिंह	प्रतिनिधिमंडल के नेता
2. श्री डी० एन० चैटर्जी	भारत के राजदूत
3. श्री के० आर० नारायनन	

4. श्री के० आर० पी० सिंह
5. श्री बी० एन० स्वरूप
6. श्री ए० बी० गोखले
7. श्री साद एम० हाश्मी
8. श्री ए० एम० खलीली
9. श्री० ई० पोष्प दास
10. श्री के० वी० राजन

(ग) से (ङ.) सभी द्विपक्षीय प्रश्नों पर विचार-विमर्श हुआ था जिसमें आर्थिक प्रश्न भी शामिल हैं। बोन्न और पैरिस में बातचीत के बाद प्रकाशित संयुक्त प्रेस वक्तव्यों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3941/70]

महाराष्ट्र राज्य में कपास की एकाधिकार खरीद के लिए योजना

2534. **श्री देवराव पाटिल** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने आगामी फसल में कृषकों से कपास की एकाधिकार खरीद के सम्बन्ध में एक योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और क्या केन्द्रीय सरकार ने योजना का अनुमोदन कर दिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में कपास की एकाधिकार खरीद के संबंध में एक योजना केन्द्रीय सरकार को विचारार्थ तथा बातचीत करने के लिए भेजी है। संक्षेप में इस योजना में यह सुझाव है कि उत्पादकों से सीधे ही कपास ले ली जाये, जिसके लिये कपास उगाने वाले कृषकों से कहा जाये कि वे राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट स्थानों पर उनके द्वारा उत्पादित रूई सौंप दें। महाराष्ट्र राज्य सरकारी विपणन संघ इस योजना को चलाने और रूई की सुपुर्दगी, प्राप्यता, वर्गीकरण तथा साधित करने और बिक्री के सम्बन्ध में आदेशों को प्रवर्तित करने का पूरा प्रभार संभालेगा। इस योजना में रूई की सुपुर्दगी पर कृषकों को उसमें विहित पेशगी राशि तुरंत देने की भी व्यवस्था की गई है और रूई के मूल्य निर्धारित करने की क्रियाविधि भी दी गई है। इस पर बातचीत अभी होनी बाकी है।

महाराष्ट्र की विकास योजनाएं

2535. **श्री देवराव पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल की गई महाराष्ट्र की विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी योजनाओं के नाम क्या है तथा उनकी संख्या कितनी है जिन्हें पूरा कर लिया गया है; और

(ग) क्या वे सभी योजनाएं समय पर पूरी की गई थीं, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमति इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा जब वह तैयार हो जायेगी सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उद्योग तथा सरकार के बीच निकट सम्बन्ध स्थापित करने के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ का सुझाव

2536. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने सरकार से आग्रह किया है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की आर्थिक नीतियां तैयार करने में उद्योग तथा सरकार के बीच निकट सम्बन्ध स्थापित करें;

(ख) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने इस बारे में कोई सुझाव दिये हैं; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के अध्यक्ष ने जून, 1970 में जापान तथा सुदूर पूर्व के दौरे से वापिस आने के बाद सरकार तथा उद्योग के बीच निकट संबंध बनाये रखने के लिए अपने कुछ विचार देते हुए तथा देश की आर्थिक नीतियां तैयार करने के लिए साझे विचारों की आवश्यकता के बारे में प्रधानमंत्री तथा विदेशी व्यापार मंत्री को एक पत्र लिखा । भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के अध्यक्ष द्वारा समाचार-पत्रों को दिये गये वक्तव्यों को 30 मई, 1970 के 'हिन्दू' दैनिक में देखा जा सकता है । भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ द्वारा दिये गये विभिन्न सुझावों पर, और साथ ही आर्थिक नीति सम्बन्धी अन्य विचारों पर सरकार विचार कर रही है ।

सूती धागे का निर्यात

2537. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के वर्षों में सूती धागे के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1968-69 तथा 1970 में अब तक सूती धागे के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) उक्त अवधि में इस से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(घ) उन देशों के नाम क्या हैं जहां इन वर्षों में सूती धागे के निर्यात में वृद्धि हुई है; और

(ङ.) इस वस्तु के निर्यात को बनाये रखने तथा उस में वृद्धि करने के लिए और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) . निर्यात सम्बन्धी आंकड़े निम्ननिखित हैं:---

वर्ष	मात्रा (लाख किग्रा०)	मूल्य (लाख रु०)
1968	165.4	1068.8
1969	330.7	2373.7
1970 (अस्थायी) (जनवरी। जून)	201.2	1760.1

(घ) बर्मा, संयुक्त अरब गणराज्य, बैल्जियम, प० जर्मनी, ब्रिटेन, चेकोस्लौवाकिया तथा युगोस्लाविया।

(ङ.) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद ने सूती धागों के निर्यातकों की कई नामिकाएं बनाई हैं और वह बड़े परिणाम के सौदों के लिये बातचीत करती हैं। निर्यात संबंधी कार्यकलापों के इस संगठित तरीकों से सूती धागे के अधिक तथा अच्छे निर्यात व्यापार में सहायता मिलती है।

इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात

2538. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1969-70 में इंजिनियरिंग वस्तुओं का निर्यात निर्धारित लक्ष्य से अधिक होने की सम्भावना है यदि हां, तो क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और कितना प्राप्त करने की सम्भावना है;

(ख) इस से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की सम्भावना है;

(ग) गत वर्ष कुल कितना इंजीनियरिंग सामान का निर्यात किया गया;

(घ) इस वर्ष किन विशिष्ट मदों के निर्यात में वृद्धि हुई है; और निर्यात को और बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ.) विदेशी वायदों को निभाने के लिए आन्तरिक उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी क्या ऐहतीयाती कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) . वर्ष 1969-70 में इंजीनियरी माल के निर्यातों का मूल्य 106.52 करोड़ रु० था जबकि उस वर्ष के लिए 110 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था।

(ग) वर्ष 1968-69 में 84.97 करोड़ रुपये के इंजीनियरी माल का निर्यात हुआ था।

(घ) और (ङ.). विगत वर्ष के निर्यात निष्पादन की अपेक्षा वर्ष 1969-70 में निम्न-

लिखित वस्तुओं के निर्यातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई:—मोटर गाड़ी तथा मोटर गाड़ी के पुर्जे; इस्पाती पाइप तथा ट्यूबें, विद्युत तार तथा केबल, पटसन, वस्त्र तथा बुनाई मशीनें, बाईसिकल तथा पुर्जे, मशीनी औजार, ट्रांसमिशन लाइन टावर, बिजली की मोटरें, स्विचगियर्स, डीज़ल इंजन तथा पुर्जे, स्ट्रक्चरल्स, पंखे, रेडियो संघटक, वातानुकूलक, रेफ्रिजरेटर्स, रेल मार्ग सामग्री, सार्वजनिक भाषण उपकरण आदि ।

इंजीनियरी माल के निर्यातों को बनाए रखने तथा उनमें वृद्धि करने के लिए पंजीयित निर्यातकों को निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल के आयात की अनुमति है, इस्पात तथा एल्यूमिनियम के संभरणों में प्राथमिकता दी जाती है और चुनी हुई वस्तुओं पर नकद मुआवजा सहायता दी जाती हैं, निर्यात के प्रयोजनों के लिए विस्तार कार्यक्रम की मंजूरी तथा निर्यात वित्त पोषण, संयुक्त उद्यमों आदि के लिए सुविधाएं देने के लिए भी उपाय किये जाते हैं ।

विदेशों में भारतीय नौसेना के लिए जहाजों का खरीदा जाना

2539. **श्री जे० एच० पटेल : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विदेशों से भारतीय नौसेना के लिए कितने नये जहाज खरीदे गये; और

(ख) उनका मुल्य कितना हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा) : (क) और (ख) . यह विस्तार प्रकट करना लोकहित में न होगा ।

भारत में नागा आबादी वाले क्षेत्र की मुक्ति

2540. **श्री जे० एच० पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छिपे नागाओं की संघीय सेना भारत में नागा आबादी वाले क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए लड़ रही है; और

(ख) क्या बर्मा की सेना ने काचीन नागा विद्रोहियों के लिए छानबीन करने की कार्यवाही आरम्भ कर दी है; और यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत के वे क्षेत्र भी शेष भारत के साथ 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्र हुए जिनमें नागा लोग रहते हैं । तथाकथित छिपी "नागा संघ सेना" के लोग हिंसा, धमकी और दूसरी गैर-कानूनी कार्रवाइयां करते रहे हैं । पिछले दो वर्षों में इस संगठन की शक्ति भी कम हो गई है ।

(ख) यह मामला बर्मा संघ की सरकार के आंतरिक अधिकार-क्षेत्र का है और वे इस स्थिति का मुकाबला जैसे ठीक समझ रहे हैं वैसे कर रहे हैं ।

नेपाल को अभ्रक का निर्यात

2541. **श्री विरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अभ्रक के निर्यात पर 40% निर्यात शुल्क तथा 2.5% श्रम कल्याण

उपकर लगाता है और इसका न्यूनतम मूल्य निर्धारित करता है जिससे कम मूल्य पर अभ्रक का निर्यात नहीं किया जा सकता है;

(ख) क्या नेपाल को निर्यात किए जाने वाले अभ्रक पर निर्यात शुल्क की छूट है;

(ग) क्या नेपाल सरकार नेपाल से निर्यात होने वाले अभ्रक पर कोई निर्यात शुल्क नहीं लगाता है और वस्तुतः उनको 60% आयात हकदारी लाभ दे कर, जिस से नेपाल में 100 से 150% तक लाभ होता है, प्रोत्साहन देती है;

(घ) क्या उक्त तथ्य के परिणामस्वरूप नेपाल, जहां अभ्रक का उत्पादन नगण्य है, भारत से अभ्रक पुनः निर्यात करने के लिए आयात करता है और ऐसे पुनः निर्यात से लगभग 5 से 6 करोड़ रुपये अर्जित करता है; और

(ङ.) यदि उपरोक्त भाग (क) से (घ) तक का उत्तर हां में हो, तो उक्त स्थित को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां। अभ्रक के निर्यातों पर 40% यथामूल्य निर्यात शुल्क लागू है, पर अभ्रक के पाउडर और साढ़े पांच तथा छः ग्रेड के अभ्रक परतों पर 20% यथामूल्य शुल्क है। सब प्रकार के अभ्रक के नियात पर 25% यथामूल्य की दर पर एक श्रम कल्याण उपकर भी लगता है।

(ख) जी हां।

(ग) भारत सरकार को प्राप्त अंतिम जानकारी के अनुसार नेपाल सरकार अभ्रक के निर्यात पर 2 रुपये से 3 रुपये प्रति किग्रा की दर पर निर्यात शुल्क लगाती है। नेपाल सरकार की निर्यात विनिमय हकदारी योजना के अंतर्गत अभ्रक के निर्यातों पर उनके मूल्य के 60% की दर पर हकदारी मिलती है। विदेशी मुद्रा की इन हकदारियों पर बढौती (प्रीमियम) के विषय में कोई प्राधिकृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) भारत और नेपाल के बीच लंबी और खुली सीमा होने के कारण, नेपाल को चोरी-छिपे अभ्रक जाने की संभावना है। निर्यात विनिमय हकदारी योजना भी इस तस्करी के लिये एक आर्कषण हो सकती है।

(ङ.) नेपाल को अभ्रक के निर्यात पर 8 सितम्बर, 1969 से निर्यात व्यापार नियंत्रण लागू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त नेपाल के मार्ग से अन्य देशों को अभ्रक तथा अन्य भारतीय वस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं।

(1) सीमा पर अतिरिक्त सीमाशुल्क अमले की नियुक्ति;

(2) सीमा पर कार्यरत केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के अन्य प्रवर्तन अभिकरणों का सहयोग लेना;

(3) समय समय पर स्थिति की समीक्षा करने के लिये और भारत-नेपाल सीमा के आर-पार तस्करी को रोकने के लिए उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करने

के लिये केन्द्रीय तथा सम्बन्ध राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन;

(4) ऐसी गतिविधियों की संयुक्त जांच करने में, जो व्यापार तथा पारवहन संधि की भावना के अनुरूप न हों और ऐसा कार्यकारी प्रबंध करने में, जिससे व्यापार के व्यापक दिशा-परिवर्तन की संभावना न रहे, नेपाल सरकार का सहयोग मांगा गया है।

प्रभावकारी यूरेनियम का उत्पादन करने के लिये गैस सेन्टीफ्यूज प्रक्रिया का उपयोग

2542. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या अणु शक्ति आयोग ने प्रभावकारी यूरेनियम का उत्पादन करने के लिये गैस सैन्ट्रीफ्यूज की क्रान्तिकारी प्रक्रिया का उपयोग करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या उपर्युक्त प्रस्ताव में केवल प्राकृतिक यूरेनियम रियेक्टरों की स्थापना से सम्बन्धित अब तक स्वीकृत नीति को मौलिक रूप से त्यागने की बात निहित है;

(ग) क्या अणु शक्ति का आयोग के नये प्रस्तावों के बारे में योजना आयोग से विचार विर्मश नहीं किया गया था जिस ने चौथी योजना में अणु शक्ति आयोग के लिये योजना के अर्न्तगत रखी गई राशि को 398.00 करोड़ रुपये से घटा कर 268.00 करोड़ रुपये कर दिया है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ने प्रभावकारी यूरेनियम का उत्पादन करने के लिये गैस सैन्ट्रीफ्यूज प्रक्रिया का उपयोग करने के अणु शक्ति आयोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है तथा क्या इस उद्देश्य के लिये सरकार अधिक धन उपलब्ध करायेगी ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ख). इस विषय पर परमाणु उर्जा आयोग के प्रस्तावों का ब्यौरा आयोग द्वारा प्रकाशित परमाणु उर्जा तथा अन्तरिक्ष अनुसंधान नामक पुस्तिका के पैरा 1.3.5 में दिया गया है। इस पुस्तिका की प्रति संसद के पुस्तकालय में प्रस्तुत है।

(ग) उपरोक्त कार्यक्रम योजना आयोग के विचारधीन है।

(घ) परमाणु उर्जा आयोग द्वारा प्रस्तुत किये गए कार्यक्रम में चालू दशाब्दी के लिये परमाणु उर्जा तथा अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षत्र में कार्य करने की जो विशिष्ट योजना दी गई है उसके मूल उद्देश्यों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। कार्यक्रम के लिये दिये गये सुझावों को लागू करने के लिये जो कदम व्यापक रूप से उठाये जाने चाहिये वे सरकार के विचाराधीन हैं।

N.C.C. Training and Training given in the Army

2543. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) the difference between the training imparted by the National Cadet Corps and that given in the Army;

(b) whether the National Cadet Corps cadets can be sent to the Front direct in the hour of need; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Compared to intensive and specialised training given in the regular Army, NCC Cadets are given only elementary military training.

(b) and (c). Under the NCC Act 1948, members of the NCC have no liability to render active military service. During an emergency they can, however be entrusted with duties like evacuation of casualties, traffic control, civil deffence etc.

India-mauritius collaboration on Industrial Development

2544. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state.

(a) whether it is a fact that Government of Mauritius have requested Government of India for a healthy collaboration the task of their Industrial Development; and

(b) if so, the nature of such collaboration, requested and Government's decision thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) and (b). Yes, Sir. The Government of India and the Government of Mauritius have agreed that there is good scope for Indian collaboration in industries in Mauritius. The fields identified for such collaboration are processed fruits and foods, cement, fertilizers, leather manufactures, rubber goods, plastics and plastic goods such as spectacle frames, fountain pens and ball-point pens, garments, bottles and glass-wares and an arc melting furnace for converting scrap into billets.

The Government policy regarding the nature of India collaboration in industries in Mauritius, as elsewhere, is that the Indian industrialists are allowed to have equity participation only by way of supplying required machinery and equipment, technical know-how and consultancy service besides undertaking turn-key jobs.

Refusal to Renew Trade Licences of Indian Businessman

2545. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the **Minister of External Affiairs** be pleased to state :

(a) the number of Indian businessmen, holding Indian British passports, who have been refused renewal of their trade licences by the East African countries and ordered to leave those countries immediately;

(b) the number of Indians, holding Indian and British passports, likely to be uprooted as a result of the decision of the said Governments; and

(c) the action taken or proposed to be taken by the Government of India to rehabilitate them ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendrapal Singh) (a) and (b). Trade Licencing Acts have come into force in Kenya & Uganda. In Kenya,

it is estimated that about a thousand non-citizen traders of indian origin have been affected by it. No break-up of these figures is available as to the nationality of the affected persons, as the Government of Kenya have not published any official figures. However, the majority of the affected persons would be British passport-holders. In Uganda, the implementation of the Trade Licencing Act is still in progress, and no estimates can be made at present about the number of persons likely to be affected by it. Most of the persons likely to be affected would however be British passport-holders.

(c) Those affected persons of Indian origin who wish to come to India for permanent settlement would be accorded liberal customs and import trade control concessions by the Government of India.

कपूरथला स्थित सैनिक स्कूल

2546. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह निम्नलिखित पत्रों की प्रतियां सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) कपूरथला स्थित सैनिक स्कूल के वर्ष 1969-70 के समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों के वार्षिक लेखे और उस पर लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट की एक प्रति ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान छात्रों को दिये गये आहार पर किये खर्च का एक विवरण जिसमें दिए गए आहार में अलग-अलग पदार्थ कितनी बार दिये गये तथा स्कूल के संचालन पर होने वाले कुल खर्च की तुलना में आहार पर होने वाले खर्च की जानकारी हो ;

(ग) श्रेणी-वार विस्तृत ब्यौरे सहित कुल प्रशासनिक खर्च की जानकारी देने वाले तथा स्कूल के कुल संचालन खर्च की तुलना में प्रशासनिक खर्च का ब्यौरा देने वाले विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ; और

(घ) अलग-अलग विस्तृत ब्यौरे सहित छात्रों को पुस्तकें तथा लेखन सामग्री प्रदान करने पर कुल कितना खर्च हुआ तथा स्कूल के कुल संचालन खर्च की तुलना में यह खर्च कितना था ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सैनिक स्कूल कपूरथला के 1967 वर्ष के वार्षिक तथा 1-1-1968 से 30-4-69 तक की अवधि के हिसाब की प्रतियां संलग्न हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी०--3942/70] । 1969-70 के हिसाब अभी तैयार किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी०--3942/70] ।

(घ) पुस्तकों और स्टेशनरी पर कुल खर्च इस प्रकार है :

(1) 1967	19368
(2) जनवरी 1968 से अप्रैल 1969 तक (16 मास)	17077

1967 और 1968-69 का खर्च समग्र खर्च का लगभग 2.2 प्रतिशत और 1.35 प्रतिशत है।

मध्य प्रदेश को हीराकुण्ड परियोजना से विद्युत की सप्लाई तथा उसकी दरों का निर्धारण

2547. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **सिचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हीराकुण्ड परियोजना के जलरोक क्षेत्र का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में है तथा उस प्रदेश के कुछ गांव उसमें डूब गए हैं ;

(ख) क्या इस आधार पर तथा अन्य बातों के आधार पर, मध्य प्रदेश सरकार ने इस परियोजना से प्राप्त विद्युत में उसका भाग तथा उसकी दरें निर्धारित करने का अनुरोध किया था ;

(ग) यदि हां, तो कितनी मात्रा निर्धारित की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसे कब तक निर्धारित कर दिया जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालल में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां, ।

(ख) से (घ). यह फैसला किया गया है कि 5000 किलोवाट विद्युत हीराकुण्ड से मध्य प्रदेश को सप्लाई होनी चाहिए । सप्लाई की दर पर दोनों राज्य सरकारों के बीच विचार-विमर्श में फैसला होना अभी बाकी है ।

कच्चा लोहा तथा मैंगनीज के निर्यात के लिए कोटा निर्धारित करने का मापदण्ड

2548. **श्री रा० रा० सिंह देव** : **श्री गु० च० नायक** :

श्री महेन्द्र माझी : **श्री धी० ना० देव** :

श्री अ० दीपा : **श्री दे० अमात** :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश से कच्चे लोहे तथा मैंगनीज के निर्यात के लिए कोटा निर्धारित करने का मापदण्ड तथा सरकार की नीति क्या है ; और

(ख) क्या सरकार ने खनन उद्योग के विकास तथा उसको प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक खान मालिक को निर्यात-कोटा देने का निर्णय किया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) लौह-अयस्क के निर्यात को भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम समिति के माध्यम से मार्गीकृत किया जाता है लेकिन गोआ से लौह-अयस्क के निर्यात गोआ के सुस्थापित निर्यातक के माध्यम से करने की भी अनुमति दी जाती है ।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात भी भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से तथा मैंगनीज अयस्क (इण्डिया) लि० के माध्यम से ही किया जाता है ।

(ख) किसी भी पूर्तिकर्ता तथा खान मालिक को निर्यात कोटे का आवेदन नहीं किया जाता है । अपनी वचन बद्धता को पूरा करने के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम विभिन्न

क्षेत्रों से विभिन्न ग्रेडों के अयस्क खरीदता है और ये क्षेत्र उनके व्यावसायिक हित के सर्वाधिक अनुकूल रूप में विशेष पत्तनों से पीतलदान के उनके कार्यक्रम पर निर्भर होते हैं।

भूटान में भारतीयों के आने-जाने पर पाबन्दी

2549. **श्री कृ० मा० कौशिक :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री धी० ना० देव :
श्री रा० की० अमीन :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान सरकार ने भूटान में तथा इसके बाहर भारतीयों और विदेशियों के आने-जाने पर अधिक कठोर प्रतिबन्ध लगा देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). भूटान सरकार ने भारतीयों तथा विदेशियों के भूटान आवागमन पर प्रतिबंधों को पहले से अधिक कठोर करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। लेकिन, उन्होंने वर्तमान व्यवस्था में ही गैर-भूटानी लोगों के भूटान प्रवेश पर उनकी पहचान अधिक सावधानी से करने का निर्णय लिया है।

Implementation Of Lift-Scheme under Small Irrigation Scheme In Sai River

2550. **Shri Nageshwar Dwivedi :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the names of the places where lift-scheme is proposed to be implemented under the Small Irrigation Scheme in Sai River in District Jaunpur (U.P.) and the progress made so far in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : The Government of Uttar Pradesh have reported that, under the minor Irrigation Programme, the following seven schemes of lift irrigation from the Sai River have been sanctioned in Jaunpur District, U.P. :

1. At Gaura in Sikrara Block of Jaunpur Tehsil.
2. At Bhatpura in Maharajganj Block of Machhlishahar Tehsil.
3-7. At Bekeypur, Barra, Kandighat, Balamu and Patehana in Block and Tehsil Machhlishahar.

The State Government have also reported that the Gaura scheme is already in operation. The Bhatpura Scheme is expected to be completed by December, 1970 and the remaining schemes by December, 1971.

सिकन्दराबाद को जाने वाली माल गाड़ी से गोला बारूद के बक्सों का चुराया जाना

2552. **श्री रवि राय :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कुपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचारपत्रों (हिन्दू दिनांक 16 जुलाई, 1970) में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि वबाल्द रेलवे स्टेशन पर 10 तारीख की रात को सिकन्दराबाद को जाने वाली मालगाड़ी के पांच डिब्बों में से गोला बारूद के कुछ बक्से तथा प्रतिरक्षा माल चुराया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसको बरामद करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह महीडा) : (क) तथा (ख). जी हां। डिब्बे बम्बई से नौसैनिक अधिकरणों द्वारा विशाखापत्तनम को भेजे गये थे और उनमें खाली गोला बारूद आधान थे। उन डिब्बों में से एक (ई० आर० 17087) की मोहर टूटी हुई थी और एक खाली गोली बारूद का बक्सा गायब था।

(ग) पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मैडम बिह्न को गिरफ्तार करने की प्रार्थना

2553. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

श्री न० रा० देवघरे :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्बोडिया, लाओस तथा दक्षिणी वियतनाम के राजदूतों ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह मैडम बिह्न को बन्दी बना कर दक्षिणी वियतनाम सरकार के हवाले कर दे।

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? और

(ग) राजदूतों की इस मांग का यदि कोई उत्तर दिया गया है; तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) नई दिल्ली में कम्बोडिया के राजदूत, लाओस के कार्यनायक और दक्षिण वियतनाम के स्थापन्न प्रधान कोंसल, मैडम बिह्न की यात्रा के सिलसिले में विदेश मंत्रालय में आये थे। सिर्फ दक्षिण वियमनाम के स्थानापन्न प्रधान कोंसल ने यह सुझाव दिया था कि मैडम बिन्ह को एक विद्रोही के रूप में गिरफ्तार करके उनकी सरकार को सौंप दिया जाए।

(ख) और (ग) भारत सरकार का यह विचार है कि उसे उलझन में डालने की तथा भारत सरकार के एक विशिष्ट अतिथि को लेकर एक विवाद खड़ा करने की उक्त स्थापन्न कोंसल की कार्यवाही अनुचित है।

उर्वरकों, कीटाणुनाशक औषधियों और कृषि उपकरणों के लिये कच्चे माल का आयात

2554. **श्री अर्जुनसिंह भदौरिया : क्या वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों, कीटाणुनाशक औषधियों और कृषि उपकरणों के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिये अपेक्षित कच्चे माल तथा उपकरणों के आयात को उदार बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). खादों, कीट नाशक दवाओं तथा कृषि सम्बन्धी उपकरणों का निर्माण करने वाले उद्योग पहले ही प्राथमिकता सूची में हैं और इन उद्योगों की कच्चे माल तथा संघटकों सम्बन्धी आवश्यकताओं को उदारता से पूरा किया जाता है । ये उद्योग, उद्योगों की उस सूची में भी शामिल किये गये हैं जिनको पूंजीगत माल के आयात हेतु प्राथमिकता दी जाती है और आयात आवेदन पत्रों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है ।

पारपत्र जारी करना

2555. **श्री अर्जुनसिंह भदौरिया** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69, 1969-70 (जुलाई 1970 तक) कितने व्यक्तियों ने पारपत्र के लिये आवेदन पत्र दिये थे तथा वे किन देशों को जाना चाहते थे ;

(ख) उक्त अवधि में कितने व्यक्तियों को पारपत्र दिये गये थे; और

(ग) क्या उक्त अवधि में किन्हीं व्यक्तियों को पारपत्र नहीं दिया गया था; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). 1 जनवरी 1968 से 31 मई 1969 तक की अवधि में 3,95,360 लोगों ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था । इन आवेदन पत्रों में विश्व के प्रायः सभी देशों की यात्रा की प्रार्थनाएं थीं । उक्त अवधि में 3,48,937 पासपोर्ट जारी किये गये थे ।

1,327 व्यक्तियों को पासपोर्ट सुविधाएं अस्वीकार करदी गई थीं । अस्वीकृति के कारणों में तथ्यों का छिपाया जाना और गलत बताना, भारतीय राष्ट्रिकता के प्रमाण का अभाव और भारत की अखंडता, प्रभुसत्ता और सुरक्षा के लिए हानिकर गतिविधियां भी शामिल हैं ।

1 जून 1969 से 31 जुलाई 1970 तक की अवधि तक की सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रखदी जाएगी ।

डीजल रेल-इन्जनों का निर्यात

2556. **श्री जी० मो० विस्वास** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत अन्य देशों को डीजल रेल-इंजनों का निर्यात कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं जिनको डीजल रेल-इंजनों का निर्यात किया जाता है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक): (क) और (ख). भारत ने अभी तक डीजल चालित रेल-इंजन का कोई निर्यात नहीं किया है परन्तु कतिपय विकासशील देशों को डीजल चालित रेल इंजनों के संभरण के लिए पेशकश की गई है ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं के बारे में लोक लेखा समिति की उपपत्तियों के बारे में वैज्ञानिकों का मत

2557. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद् की प्रयोगशालाओं तथा उनके अनुसंधान कार्य के बारे में लोक लेखा समिति की उपपत्तियों के सम्बन्ध में अपने संदेह व्यक्त किये हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि इन वैज्ञानिकों ने लोक लेखा समिति की उपपत्तियों के श्रोतों की प्रामाणिकता पर आपत्ति की है ?

गृह कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) . ऐसा लगता है कि इस प्रश्न का संबंध लोक लेखा समिति की 122वीं रिपोर्ट की सिफारिशों / उपसंहार भाग में सी० एस०आई०आर० की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट से है। लोक लेखा समिति ने सी०एस०आई०आर० के गवाहों की सुनवाई की जिसमें सम्बन्धित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के निदेशक भी थे और बहुत से प्रश्नों पर लिखित उत्तर भी आमंत्रित किये थे। ऐसा प्रतीत होता है कि लोक-लेखा समिति ने रिपोर्ट तैयार करते समय इन बातों को भी नोट किया है।

समिति की सिफारिशों / उपसंहार को प्रयोगशालाओं से परामर्श करके जांचा जा रहा है।

असम में बाढ़-नियन्त्रण

2558. **श्री बेदव्रत बरूआ** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जुलाई के महीने में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ आने के कारण असम में हुई क्षति का कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रयोजन के लिये राज्य सरकार को कोई सहायता दी गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जुलाई में बाढ़ों से हुई हानियों के सम्बन्ध में कोई अलग से मूल्यांकन नहीं किया गया है। बहरहाल, राज्य सरकारों द्वारा किये गए प्रारम्भिक मूल्यांकन के अनुसार, वर्तमान बाढ़ ऋतु के दौरान असम में बाढ़ों से 10 करोड़ रुपये तक की हानि हुई है।

(ख) राहत के उद्देश्यों के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता कुछ निश्चित मानदंडों के अनुसार उस समय दी जाती है जब भारत सरकार द्वारा पीड़ित राज्यों में भेजा गया अधिकारी दल क्षति का मूल्यांकन मौके पर हीकर लेता है। ऐसा एक दल इसी उद्देश्य से असम भेजा जा रहा है। इस बीच राज्य सरकार से उनके द्वारा आयोजित सहायता उपायों का ब्यौरा भेजने के लिऐ अनुरोध किया गया है।

राजस्थान के मुख्य मंत्री द्वारा सिंधु जल संधि के अन्तर्गत जल के प्रयोग के बारे में ज्ञापन

2559. **श्री मीठा लाल मीना** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग को एक ज्ञापन दिया है जिसमें "सिंधु जल संधि" के अन्तर्गत जल के प्रयोग किये जाने वाले उपायों तथा इसमें अन्तर्ग्रस्त व्यय के बारे में ब्यौरा दिया हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Export of Tea

2560. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the names of the countries to which tea had been exported from India during the last three years and the amount of foreign exchange earned thereby; and

(b) The names of the countries to which tea is being exported from India at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) and (b). A statement showing quantity and value of tea exported from India to principal countries of the world during the last 3 years is attached. Indian teas continue to be exported to these countries. [*Placed in the Library. See* L.T. No.---3943-70]

Setting up Foreign Trade Information Centre

2561. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a Foreign Trade Information Centre for the propagation of India's Industrial and technological capacity in the foreign countries; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) and (b) . Government do not propose to set up a separate Foreign Trade Information Centre. A Trade Development Authority which will start functioning shortly, will however include an Information Division, which besides providing information on all aspects of foreign trade at one point, will publicise India's industrial and technological capabilities in foreign markets.

महाराष्ट्र में विक्पण संबंधी सुविधाओं के अभाव में हथकरघा वस्तुओं का जमा होना

2562. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि महाराष्ट्र में बहुत सी एपेक्स और प्राइमरी हथकरघा सहकारी समितियों तथा अन्य हथकरघा बुनकरों के पास वस्तुओं के लिये विपणन संबंधी सुविधाओं के अभाव में करोड़ों रुपये के मूल्य की हथकरघा वस्तुओं का स्टाक जमा

हो गया है और राज्य में लाखों हथकरघा बुनकर काम के अभाव में भुखमरी का शिकार होने वाले हैं; और

(ख) बुनकरों को भुखमरी से बचाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) महाराष्ट्र की शीर्ष तथा प्राथमिक हाथकरघा सहकारी समितियों और अन्य हथकरघा बुनकरों के पास हथकरघा कपड़े के जमा भंडार की सरकार को जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों के मुख्य सचिवों का सम्मेलन

2563. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1970 के अन्तिम सप्ताह में राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों का एक सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय किये गये ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी 5 अगस्त 1970 को उत्तर दिये गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 227 में दी गई है ।

कन्नानोर में बुनकर सेवा केन्द्र

2564. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कन्नानोर में बुनकर सेवा केन्द्र खोलने के बारे में विचार करेगी जिसकी सिफारिश अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड ने की है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की, केरल राज्य में बुनकर सेवा केन्द्र स्थापित करने की सिफारिश प्राप्त हो चुकी हैं और वह विचाराधीन है ।

गुजरात में गांधी शताब्दी वर्ष में ग्रामों का विद्युतीकरण

2565. **श्री द० रा० परमार** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात बिजली बोर्ड ने गांधी शताब्दी वर्ष में 1500 ग्रामों का विद्युतीकरण करने का कार्यक्रम बनाया था ।

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्रगति कहां तक हुई है;

(ग) यदि कोई प्रगति नहीं हुई तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह लक्ष्य कब तक प्राप्त किया जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). 24 मई, 1969 को नैनीताल में हुए राज्य बिजली बोर्डों के आयातों के सम्मेलन तथा इसके पश्चात् 26 और 27 मई, 1969 को नैनीताल में हुए राज्यों के सिंचाई और विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार गुजरात विद्युत बोर्ड द्वारा 1-4-1969 से 2-10-70 तक विद्युतीकृत होने वाले ग्रामों की संख्या 1500 थी । यह लक्ष्य महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी वर्ष के अन्त तक, अर्थात 2 अक्तूबर, 1970 के अन्त तक, एक लाख ग्रामों के विद्युतीकरण के अखिल भारतीय लक्ष्य को प्राप्त करने के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निर्धारित किया गया था । 1500 ग्रामों में से अब तक गुजरात में 610 ग्रामों में बिजली लगाई गई है । गुजरात विद्युत बोर्ड वित्तीय संसाधनों की वर्तमान तंगी तथा आवश्यक कच्चे माल की दुर्लभता के अन्तर्गत 2 अक्तूबर, 1970 तक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयत्न कर रहा है ।

ईरान सरकार को जहाज द्वारा रेल की पटरियां भेजना

2566. **श्री मंगलायुमाडम** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईरान राज्य रेलवे को जहाज द्वारा रेल की पटरियां कब भेजनी आरम्भ की जायेंगी;

(ख) क्या सरकार निर्यात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये रेल की पटरियों का निर्माण करती रहेगी; और

(ग) रेल की पटरियों के निर्यात के लिये ईरान औरर कोरिया के अलावा अन्य कितने देशों से बातचीत चल रही है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग) . अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मजगांव डाक्स लिमिटेड द्वारा पैट्रोल नौकाओं का निर्माण

2567. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मजगांव डाक्स लिमिटेड पैट्रोल नौकाओं का निर्माण करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी; और

(ग) यह प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के लिए कहां तक लाभदायक रहेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (रक्षा उत्पादन) (श्री प्रकाश चंद्र सेठी) : (क) गश्तीं नौकाओं के देशीय निर्माण, और उस स्थान का प्रश्न कि जहां उनका निर्माण किया जाना है, और इस मामले में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Permanent posts lying vacant in Central Statistical Organisation

2568. **Shri Ram Shekhar Prasad Singh : Will the Prime Minister be pleased to state :**

(a) whether five permanent posts for Scheduled Caste/Tribe candidates are lying u - filled in the Central Statistical Organitaion since 1960; is so, why these posts were not dereserved in 1962 or 1963, when no scheduled caste/Tribe candidates were eligible for confirmation;

(b) whether certain Scheduled Caste/Tribe Senior Investigators appointed 5-10 years later than Senior Investigators of other communities are being considered for confirmation against these posts now; and

(c) whether by confirmation of Scheduled Caste/Tribe Senior Investigators in the Central Statistical Organisation the Senior Investigators belonging to other communities will be losing 5-10 years of approved and regular service for the purpose of promotion to Grade IV of the Indian Statistical Service ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planing (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No confirmation have so far been made against the five reserved posts against which confirmations could not be made in 1962 for want of suitable candidates belonging to Scheduled Castes/Tribes communities. These posts have not been dereserved so far as the question of making further confirmations was taken up only in 1968.

(b) & (c). Do not arise at this stage as proposais for making confirmations against the available vacancies are still to be finalised.

भारत द्वारा परमाणु हथियारों का निर्माण

2569. **श्री समर गुह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना के कई सेवा निवृत जनरलों ने परमाणु हथियार बनाने की योजना तुरन्त तैयार करने के बारे में भारत सरकार पर जोर डाला है;

(ख) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग ने इन सेवानिवृत सैनिक जनरलों के विचारों के बारे में छानबीन की है;

(ग) क्या लोक-सभा और राज्य सभा के अधिकांश सदस्यों ने गत प्रतिरक्षा बजट पर विवाद के दौरान अपने वक्तव्यों में यह मांग की थी कि भारत को परमाणु हथियार बनाने चाहिये;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार परमाणु हथियारों के बनाने के मामले पर पुनर्विचार करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). भारत में मार्मकीय आयुधों के निर्माण के सम्बन्ध में कुछ एक सेवानिवृत जनरलों द्वारा अभिव्यक्त विचार सरकार ने देखे हैं। सुरक्षा के सन्दर्भ में मामलों पर समाचार पत्रों में और सार्वजनिक तौर पर अभिव्यक्त सभी प्रकार

के विचारों का उचित ध्यान रखा जाता है, और इसी सन्दर्भ में सेवानिवृत जनरलों द्वारा अभिव्यक्त विचारों का भी ध्यान रखा गया है।

(ग) रक्षा बजट पर विचार विमर्श के दौरान नाभिकीय आयुधों के विकास के पक्ष में कुछ एक संसद्सदस्यों ने विचार प्रकट किये थे।

(घ) तथा (ङ). नाभिकीय आयुधों के विकास के सम्बन्ध में सरकार की नीति गत सत्र समेत कई अवसरों पर सदन में स्पष्ट की गई है।

सिंचाई मंत्री द्वारा अंधा मुगल का दौरा करना

2570. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने गत तीन महीनों में अंधा मुगल, दिल्ली के निकट नहर का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा की गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन्होंने उस नहर को लगभग एक महीने की अवधि में ढक देने का वचन दिया था;

(घ) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इस कार्य को शीघ्र करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) वहाँ के निवासियों ने दिल्ली डिस्ट्रीब्यूटरी के वैड्यूट पर डेरियों द्वारा कूड़ा फेंकने से उत्पन्न अस्वास्थ्यकारी स्थितियों की शिकायत की।

(ग) मंत्री महोदय ने यह सुझाव दिया था कि दरियाई नाले के पुल की अनुप्रवाह दिशा की नाली को और निकास नाली को मिट्टी से भरा जाए और नाली की भूमि को सड़क के लिए काम में लाया जाए।

(घ) और (ङ). यह नाली, जो कि पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली का एक भाग है, हरियाणा सरकार के नियन्त्रण में है। मंत्री के सुझाव हरियाणा सरकार के ध्यान में ला दिये गए हैं और उनके साथ इस विषय पर लिखा-पढ़ी जारी रखी जा रही है।

डा० तेलो मास्कारेन्हस गोआ के स्वाधीनता सेनानी

2571. **डा०कर्णी सिंह** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री को स्वतन्त्र दल के नेता श्री मधु मेहता से एक तार प्राप्त हुआ है जिसमें उन्हें यह जानकारी दी गई है कि गोआ के स्वाधीनता सेनानी डा० तेली मास्करेन्हस को अपना ऋण उतारने के लिये 160 पौण्ड की आवश्यकता है, और यदि हां, तो ऐसी प्रार्थना का क्या परिणाम है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : जी हाँ; एक तार मिला था। इस पर कोई भी कार्यवाही आवश्यक नहीं थी क्योंकि सरकार ने मैड्रिड तथा लन्दन स्थित अपने मिशनों को पहले ही डा० मस्करेन्हास की चिकित्सा, स्थानीय आतिथ्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा का खर्च वहन करने का अधिकार दे दिया था।

सेवानिवृत/मृत सैनिक कर्मचारियों के बारे में पेन्शन व पारिवारिक पेन्शन के मामलों पर निर्णय करने में विलम्ब

2572. **श्री अदिचन :**

श्री दे० अमात :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेवानिवृत/मृत सैनिक कर्मचारियों के बारे में पेंशन तथा परिवारिक पेंशन के मामलों को तय करने में वर्षों तक विलम्ब किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो (।) दो वर्ष (।।) एक वर्ष तथा (।।।) छः मास से अधिक समय से अनिर्णित पड़े ऐसे मामलों की संख्या क्या है; और

(ग) ऐसे असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं तथा विलम्ब के निवारण के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्रसिंह महीडा) : (क) और (ख). पेन्शन के बिलों को निबटाने में कोई अनुचित विलम्ब नहीं होता। दो वर्ष से अधिक विलम्बित मामलों की संख्या 140 है; एक से दो वर्ष के बीच की 375, और 6 मास से एक वर्ष के बीच की संख्या 837 है। तदपि अन्तिम निबटान तक अधिकतम मामलों में प्रत्याशित/अस्थायी पेंशन की स्वीकृति दे दी जाती है।

(ख) अन्तिग पेंशन की स्वीकृति देने से पहले दावों की जांच करना होता है, और निलम्बतियों को दूर करना होता है। इसके लिए प्रायः दावेदारों और असैनिक अधिकरणों से लिखा पढ़ी आवश्यक होती है। तदपि, यथा सम्भव शीघ्र पेंशनी मामलों को अंतिम रूपरेखा देने के लिए यथासम्भव उपाय किये जाते हैं। स्थिति की रक्षा लेखा नियन्त्रक (पेंशन) के सलाह मशविरे को समय समय पर पुनरीक्षण किया जाता है।

भूतपूर्व सैनिकों को 60 वर्ष की आयु के पश्चात मृत्यु हो जाने पर उनकी विधवाओं तथा आश्रितों को पेंशन

2573. **श्री अदिचन :**

श्री दे० अमात :

क्या **प्रतिरक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी को 60 वर्ष की आयु के पश्चात मृत्यु हो जाने पर उसकी विधवा और आश्रितों को पारिवारिक पशन नहीं मिलती;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसी परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारियों की विधवाओं तथा उनके आश्रितों को पारिवारिक पेंशन मिलती है, यदि हाँ, तो इस असमानता के क्या कारण हैं; और

(घ) उपरोक्त (क) भाग में वर्णित जनवरी, 1969 से अब तक के ऐसे कितने मामले हैं जिनमें पारिवारिक पेंशन देने से इन्कार किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह महीडा) : (क) और (ख). सशस्त्र सेनाओं के सभी उन मृत सैनिकों के कुटुम्ब/आश्रित कि जो 1-1-1964 को सेवा कर रहे थे या उसके पश्चात भर्ती हुए, कुटुम्ब पेंशन के अधिकारी हैं, चाहे मृत्यु के समय उस भूतपूर्व सैनिक की आयु कितनी ही क्यों न हो।

उन व्यक्तियों के बारे में कि जो 1-1-1964 से पहले पेंशन सहित सेवा से विमुक्त हुए, स्थिति इस प्रकार है :—

अफसर:—चाहे सेवाविमुक्त कितनी ही आयु प्राप्त कर के मरे कुटुम्ब पेंशन देय है।

(कमीशन प्राप्त अफसरों को छोड़कर) सेविवर्ग :

(1) जो सेवा निवृत्ति के पेंशन सहित सेवा निवृत हों या सेवा कारणों या उनसे प्रभावित हुए बिना सेवा से अयोग्य हो गए हों .—

कुटुम्ब पेंशन देय है यदि मृत्यु सेविनिवृत्ति/नियोग्यता के 5 वर्षों के अन्दर हो जाए, आयु चाहे कितनी हो रही हो।

(2) जो नियोग्यता पेंशन सहित सेवानिवृत हुए हों, अर्थात सेवा कारणोंवश या उन कारणों से प्रभावित :—

कुटुम्ब पेंशन देय है यदि ऐसा व्यक्ति उस कारणवश 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले मर जाए कि जिस कारण वह निर्योग्य हुआ था। उन व्यक्तियों के कुटुम्ब, कुटुम्ब पेंशन के अधिकारी नहीं जो 60 वर्ष की आयु के पश्चात मरें। ऐसा इसलिए कि यदि वह 60 वर्ष की आयु के पश्चात मरे तो समझा जाता है कि वह साधारण कारणों से मरा है, न कि सैनिक सेवा के कारण।

(ग) तथा (घ). मृतक पेंशनरों की विधवाओं और आश्रितों को कुटुम्ब पेंशन की अधिकारिता या अदायगी के सम्बन्ध में राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों में कोई अन्तर्भेद नहीं रखा जाता और अदायगी में उस आयु का विचार नहीं किया जाता कि जब पेंशनर की मृत्यु हो। तदपि 1-1-1964 से पहले सेवानिवृत होने वालों के कुटुम्ब, कुटुम्ब पेंशन के अधिकारी हैं और पेंशनर सेवानिवृत्ति की तिथि से 5 वर्ष के अन्दर अन्दर मर जाए।

(ड.) बहत्तर।

फरक्का बांध परियोजना की पोषक नदी का पूरा किया जाना

2574. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध परियोजना की पोषक नहर तथा अन्य सम्बन्धित निर्माण कार्यों को पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त पोषक नहर तथा अन्य सम्बन्धित कार्यों के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री : **(श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** (क) जी, नहीं ।

(ख) फोडर नहर का जून, 1971 तक पूर्ण होना अनुसूचित था परन्तु इसमें लगभग दो वर्ष की देरी होना संभावित है । नहर पर सहायक कार्य, जैसे कि क्रास-ड्रेनेज तथा पुल, भी तब तक पूर्ण हो जायेंगे जिससे परियोजना का प्रचालन हो सकेगा ।

भारतीय दस्तकारी वस्तुओं की विदेशों में मांग

2575. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय दस्तकारी की वस्तुओं की मांग विदेशों में दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है;

(क) यदि हां, तो उन वस्तुओं के क्या नाम हैं जिनकी मांग बढ़ी है तथा उनका आयात करने वाले देशों के क्या नाम हैं; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान 1969-70 की इस अवधि की तुलना में कुल कितने मूल्य का दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) जिन प्रमुख मदों के लिये मांग बढ़ी है, वे निम्नोक्त हैं :—

(1) रत्नाभूषण तथा जवाहरात आदि ।
(2) ऊनी दरियां, गलीचे तथा नमदों सहित कालीन ।
(3) धातु की कलात्मक वस्तुएं ।
(4) लकड़ी की वस्तुएं ।
(5) हाथ से छपे हुए वस्त्र ।
(6) कलात्मक वस्तुओं के रूप में शाल तथा स्कार्फ ।
(7) जरी ।
(8) चमड़े का सामान ।
(9) पत्थर, खिलखड़ी आदि की कारीगरी ।
(10) कृत्रिम रत्नाभूषण ।
(11) कशीदाकारी की वस्तुएं ।
(12) अन्य कलात्मक वस्तुएं ।

उन प्रमुख आयातक देशों के नाम जिनमें हाल में भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओं की मांग बढ़ी है, निम्नोक्त हैं :—

1. अदत
2. आस्ट्रेलिया
3. बेल्जियम
4. कनाडा
5. फ्रांस
6. हांगकांग
7. इटली
8. जापान
9. लेबनान
10. लक्समबर्ग
11. नीदरलैण्ड
12. सऊदी अरब
13. स्विट्जरलैण्ड
14. ब्रिटेन
15. संयुक्त राज्य अमरीका
16. सोवियत संघ
17. पश्चिम जर्मनी

(ग) चालू वित्तीय वर्ष (1970-71) के हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात आंकड़े अभी प्राप्य नहीं हैं। 1968-69 और 1969-70 में हुए हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात के आंकड़े निम्नोक्त हैं :—

वर्ष	(लाख रुपये में) हस्तशिल्प की वस्तुओं का निर्यात
1968-69	7647.38
1969-70	9472.12

कोचीन पत्तन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने पर नौसेना को तैनात किया जाना

2576. **श्री विश्वनाथ मेनन :** **श्री प० गोपालन :**
श्री राममूर्ति : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री अ० कु० गोपालन :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कोचीन पत्तन पर पत्तन कर्मचारियों द्वारा जहाजों से माल उतारने के समय हड़ताल किये जाने पर नौसेना का उपयोग करना पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की यह नीति है कि प्रतिरक्षा सेनाओं को हड़तालों को असफल करने के लिए उपयोग में लाया जाये ; और

(ग) जहाजों से माल उतारने के समय हड़ताल के दौरान किन महत्त्वपूर्ण विचारों के कारण नौसेना का उपयोग करना पड़ा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह महीडा) : (क) जी हां। नौसैनिक आर्मामेंट डिपू के 85 असैनिक सविवर्ग को एस०एस० मोजिरक से नौभरण और सामान ढोने के लिए 5 जून 1970 से तो दिन के लिए सैनिक सामान उतारने के लिए काम पर लगाया गया था। हड़ताल की अवधि में बन्दरगाह की सुविधाओं के रख-रखाव के लिए न कोई सहायता मांगी गई थी, न दी ही गई थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) सैनिक सामानों का तुरन्त उतार लेना आवश्यक था।

बारक बांध परियोजना का निर्माण

2577. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बारक बाँध परियोजना के निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस बारे में असम तथा मनीपुर की सरकारें किसी निष्कर्ष पर पहुंच गई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इसे किसी अन्य स्थान पर बनाने के लिए प्रस्तावित स्थान की बजाय किसी अन्य स्थान पर बनाने के लिए कोई अन्य वैकल्पिक योजना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). बारक परियोजना को निर्माण के लिए अभी हाथ में नहीं लिया गया है। अच्छी कृषि-भूमि कम जलमग्न हो, इस उद्देश्य से बारक नदी और जीरो नदी के संगम से नीचे की ओर वाले स्थल से भूबन्धर पर किसी अनुप्रवाह स्थल पर बाँध-स्थल को ले जाने की संभाव्यता की जाँच की जा रही है। इस संभाव्यता की जाँच करने के लिए भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से एक नया सर्वेक्षण किया जा रहा है।

Less Electricity Produced in North Bihar as Compared to Other Parts of Country

2578. **Shri Bibhuti Misra** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state.

(a) Whether it is a fact that less electricity is produced in North-Bihar as compared to other parts of the country ;

(b) whether it is also a fact that it is much less particularly in Champaran District of North Bihar ;

(c) whether it is also a fact that electricity is not supplied regularly to small enterpreneurs and consumers ;

(d) whether it is also a fact that electricity charges are also high in Champaran District ; and

(e) if the replies to parts (a) to (d) above be in the affirmative the steps Government propose to take to remove this disparity ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No, Sir. Electricity produced in North Bihar is more than that produced in Assam, Haryana, Jammu & Kashmir and Nagaland.

(b) No, Sir. Champaran District is the second highest amongst the districts in North Bihar in the matter of production of electricity.

(c) Power supply to small enterpreneurs and consumers in Champaran District is, on the whole, regular, except when there is break down in the power plant or in the transmission lines.

(d) The charges for electricity are uniform in all the districts supplied by the State Electricity Board.

(e) Does not arise.

Intensive Military Preparations in Tibet by China

2579. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that China is making intensive military preparations in Tibet near Indian border ;

(b) whether it is also a fact that construction of roads and development of Military bases are being done by her intensively on the border ;

(c) whether it is also a fact that the neighbouring countries like Nepal, Bhutan and Sikkim are overawed due to nuclear capability of China ; and

(d) the measures Government propose to adopt to meet the threat from China ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) : The House has been kept informed of the disposition of Chinese troops and the pattern of Chinese military activities across our border, including construction and improvement of roads linking military stations, construction of bunkers, barracks, storage facilities and other structures having a military significance. There has been no significant change in the position, of late.

(c) There is no indication to this effect.

(d) All necessary measures for preserving the integrity of our country are being taken.

यूरोपीय साझा बाजार के बारे में भारत-ब्रिटेन वार्ता

2580. **श्री उमानाथ :**   **श्री प० गोपालन :**

श्री के० एम० अब्राहम :   **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में इस बारे में बातचीत की है कि यदि ब्रिटेन यूरोपीय साझा बाजार का सदस्य बन जाता है तो वह किन "परित्राणों" की व्यवस्था करेगा ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी बातचीत का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). यदि ब्रिटेन यूरोपीय आर्थिक समुदाय का सदस्य बन जाये तो उस अवस्था में भारत के व्यापारिक हितों के लिए "परित्राणों" के विषय में ब्रिटेन का यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ हाल ही में कोई औपचारिक वार्ता नहीं हुई है। परन्तु उन्हें राजनयिक माध्यमों से उन समस्याओं के बारे में अवगत किया जा रहा है जो भारतीय व्यापार के लिये उत्पन्न हो सकती है। उपयुक्त समय आने पर भारत सरकार इन वार्ताओं के द्वारा भारतीय व्यापारिक हितों के लिए समुचित परित्राणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगी।

मध्य प्रदेश द्वारा 8.15 करोड़ रुपये की लागत का एक परियोजना का पेश किया जाना

2581. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या सिंचाई तथा **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में सिन्ध नदी (सिंध परियोजना) से जल लेकर गैर-सिंचित विशाल भूमि को सिंचाई हेतु अप्रैल, 1969 में 8.15 करोड़ रुपये की लागत वाली एक परियोजना पेश की थी ;

(ख) इस परियोजना पर विचार करने तथा इसे स्वीकृति देने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस परियोजना को कार्यान्वित करने का कार्य कब तक आरम्भ करना संभव हो जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). जिस समय परियोजना रिपोर्ट तथा प्राक्कलनों की जांच हो रही थी, तब मध्य प्रदेश के मुख्य अभियंता ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को सूचित किया था कि बांध-स्थल को मोहनी नदी पर उस स्थल की अनुप्रवाह दिशा में स्थानांतरित किया जा रहा है जो पहले प्रस्तावित था और संशोधित परियोजना बाद में भेजी जाएगी। संशोधित परियोजना अभी तक राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

रूई मिलों का बन्द होना

2582. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1969 के अंत तक कितनी रूई मिलें बंद रहीं तथा इससे कितने तकुओं, करघों तथा कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा ;

(ख) तब से अब अंतिम आंकड़े मिलने तक कितनी मिलों को पुनः चालू किया गया और उनके तकुओं, करघों तथा कर्मचारियों की संख्या क्या है ;

(ग) इस अवधि के दौरान कितनी मिलें बन्द हुईं, तथा उनकी क्षमता तथा वहाँ कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(घ) कितनी मिलें अभी तक बन्द हैं तथा उनकी कितनी क्षमता है तथा कितने मर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) :

	मिलों की संख्या	स्थापित क्षमता		रजिस्टर में
		तकुवे	करघे	दर्ज श्रमिक
(क) दिसम्बर, 1969 के अंत में बंद पड़ी मिलें	45	1082882	12230	53332
(ख) उपरोक्त (क) में निर्दिष्ट मिलों में से वे मिलें जो जनवरी-मई, 1970 में पुनः खुल गईं	12	370276	3042	19943
(ग) जनवरी-मई, 1970 के दौरान जो मिलें बन्द हो गईं और जो मई, 1990 के अंत तक बंद पड़ी रहीं	11	272020	29995	12451
(घ) मई, 1970 के अंत में बंद मिलें	43	951618	12183	45609

नोट 1. दिसम्बर, 1969 के अंत से बन्द पड़ी हुई 45 मिलों में से एक मिल को बन्द पड़ी मिलों की सूची से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि यह एक पृथक मिल नहीं है और मदुरई मिल्स कंपनी लि०, मदुरई, जो कार्य कर रही है, का केवल एक भाग ही है ।

2. उपरोक्त आंकड़ों में वे मिलें शामिल नहीं हैं जिन्हें समाप्त करने योग्य समझा गया था या जो केवल थोड़े से समय के लिये ही बन्द हुईं थीं ।

आर्थिक दृष्टि से कमजोर रूई मिलों का वित्तीय रूप से मजबूत मिलों के साथ विलय

2583. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक दृष्टि से कमजोर रूई मिलों के वित्तीय रूप से मजबूत रूई मिलों के साथ विलय को बढ़ावा देने हेतु नियुक्त मनुभाई शाह समिति की सिफारिशों पर विचार करने वाली अधिकारियों की समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब, तथा इस समिति की क्या-क्या सिफारिशें हैं; और

(ग) सरकार ने इन सिफारिशों पर क्या निर्णय किया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन नवम्बर, 1969 में प्रस्तुत किया था। कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार हो रहा है और उन्हें बताना लोक हित में समीचीन नहीं है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कार्य के बारे में सरकार समिति के प्रतिवेदन पर की गई आगे की कार्यवाही

2584. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम :** **डा० रानेन सेन :**
श्री इंद्रजीत गुप्त : **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री क० मि० मधुकर : **श्री ही० ना० मुकर्जी :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कार्य के बारे में सरकार समिति के प्रतिवेदन पर की गई आगे की कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी।

गृह कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). सी०एस०आई०आर० की जांचसमिति ने अपनी रिपोर्ट (खण्ड-1) में जो सिफारिशें की हैं, उनको अध्यक्ष, सी०एस०आई०आर० ने लागू करने के लिये स्वीकार कर लिया है।

प्रत्येक सिफारिश पर की गई कार्यवाही को प्रदर्शित करते हुए एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया** देखिए संख्या एल०टी० 3944/70]

नई दिल्ली स्थित ब्रिटेन के उच्चायुक्त के कार्यालय में 5 वर्ष तक सेवा करने के पश्चात् ब्रिटेन की नागरिकता पाने वाले भारतीय

2585. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 1,000 भारतीयों ने ब्रिटेन के उस कानून के अंतर्गत ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त कर ली है जिसके अनुसार नयी दिल्ली स्थित ब्रिटेन के उच्चायोग के कार्यालय में 5 वर्ष के सेवा काल के उपरान्त वहां की नागरिकता उन्हें स्वतः मिल जाती है;

(ख) यदि हां तो यह बात भारत सरकार के कब ध्यान में आयी थी; और

(ग) इस स्थिति के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

श्री पोपटलाल कपाड़िया किल्लिक उद्योग बम्बई को पारपत्र जारी करना

2586. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री पोपटलाल कपाड़िया, जो किल्लिक उद्योग, बम्बई के मालिकों अर्थात् कपड़िया गृह से संबंधित हैं, के पास अबुल करीम के नाम से एक पारपत्र है;

(ख) क्या उनके पास अपने पोपटलाल कपाड़िया नाम पर भी एक पारपत्र है;

(ग) यदि हां, तो ये पारपत्र कब जारी किये गये थे; और

(घ) ये दो पारपत्र किन परिस्थितियों में ज़ारी किये गये थे ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) अब्दुल करीम एक साधारण नाम है। इस नाम के कुछ लोगों को उनके पूर्व वृत्तों का पता लगाने के बाद, पासपोर्ट जारी किए गए हैं। हमारी सूचना के अनुसार अब्दुल करीम के नाम का कोई पासपोर्ट श्री पोपट लाल कपाड़िया के नाम जारी नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). 1948 में श्री पोपटलाल ने एक पासपोर्ट प्राप्त किया था। इस प्रकार का कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि उसके बाद से उनके नाम के कोई पासपोर्ट जारी किया गया हो।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

घाना सरकार द्वारा विदेशियों द्वारा किये जा रहे व्यापार को अपने हाथ में लिये जाने से भारतीय व्यापारियों को हुई हानि

2587. **श्री दिनकर देसाई** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में घाना संसद् के विदेशियों द्वारा चलाये जा रहे व्यापार को अपने हाथ में लेने सम्बन्धी कानून की ओर ध्यान दिया है;

(ख) क्या इस कानून से भारतीय व्यापारी भी प्रभावित हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनके व्यापार का स्वरूप क्या है तथा इससे उन्हें कितनी हानि होगी ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार को जुलाई, 1970 के घनाई व्यापार (विकास) अधिनियम के बारे में मालूम है जिसमें थोक या खुदरा व्यापार से सम्बन्धित ऐसे सभी उद्योगों को सिर्फ घना के राष्ट्रिकों के लिए आरक्षित कर दिया गया है जिसकी वार्षिक बिक्री 5 लाख न्यू सेदी (लगभग 37 लाख रुपये) से अधिक नहीं है।

(ख) और (ग). अनुमान है कि घना में कपड़ा, प्लास्टिक सामान, जूते तथा कृषि उपस्करों के थोक एवं खुदरा व्यापार करने वाले 100 में से 85 भारतीय व्यापारिक संस्थानों पर इसका असर पड़ेगा। इससे सम्बन्धित धनराशि का अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि घना सरकार ने अभी तक इससे प्रभावित होने वाले विदेशी व्यापार-गृहों की सूची जारी नहीं की है।

कैन्या, टांगानीका, जंजीबार तथा इथोपिया में रह रहे भारतीय

2588. **श्री शिंकरे** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्या, टांगानीका, जंजीबार तथा इथोपिया में अलग-अलग, उन देशों की नागरिकता प्राप्त किये बिना कितने भारत मूलक लोग रह रहे हैं;

(ख) उन देशों में ऐसे कितने भारतमूलक लोग रह रहे हैं जिन्हें वहां की नागरिकता प्राप्त करने में सफलता मिल गई है तथा ऐसे कितने लोग हैं जिनके सम्बन्धी आवेदन-पत्र अभी तक विचाराधीन हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने भारतीयों ने उन देशों को सदैव के लिये छोड़ दिया है; और

(घ) क्या सरकार ने उन देशों में रह रहे भारत-मूलक लोगों को उन देशों में नागरिकता प्राप्त कराने में सहायता करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) अनुमानित आंकड़े इस प्रकार हैं:—

कीनिया	92,500
तन्ज़ानिया	67,000
जंजीबार (सहित)	
इथोपिया	4,500

(ख) नीचे उन लोगों के अनुमानित आंकड़े दिए गए हैं जिन्होंने स्थानीय नागरिकता ग्रहण कर ली है :---

कीनिया	52,000
तंजानिया	35,000
(जंज़ीबार सहित)	
इथोपिया	16

नागरिकता पाने के लिए जिन लोगों के आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं, उनके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) जहां तक भारत में प्रवेश करने का सवाल है, 7 मार्च 1968 से 31 मई, 1970 तक भारतीय मूल के 3504 ब्रिटिश पासपोर्टधारी व्यक्ति कीनिया से भारत आये थे जिनमें 226 ब्रिटेन चले गए हैं । अन्य देशों से प्रवेश करने वालों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) इन देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से भारत सरकार ने हमेशा यही कहा है कि वहां की नागरिकता ले लें । लेकिन स्थानीय नागरिकता लेने के इस सुझाव पर इन लोगों की प्रतिक्रिया कोई अच्छी नहीं रही है ।

Alleged Nepalese Occupation of Indian Land

2589. **Shri B.K. Daschowdhury :** **Shri V. Narasimha Rao :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that Nepal have occupied some land in U.P.; and

(b) If so, the details thereof and steps taken by Government to get back the area occupied by Nepal ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh):

(a) No, Sir.

(b) Does not barise.

आप्रवासन सम्बन्धी ब्रिटेन सरकार की नीति में परिवर्तन

2590. **श्री दे० अमात** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में सरकार बदल जाने के कारण भारतीयों, भारत मूलक लोगों, अफ्रीकियों तथा अन्य राष्ट्रिकों सहित एशिया तथा अफ्रीका के राष्ट्रमंडलीय देशों के लोगों के आप्रवासन के बारे में ब्रिटिश सरकार की नीति में कोई परिवर्तन लक्षित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति में क्या परिवर्तन ध्यान में आया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) ब्रिटेन गृह मंत्री श्री रेगिनाल्ड माडलिंग ने कहा है कि ब्रिटिश सरकार अपनी सामान्य नीति को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से एक ऐसा बिल पेश करना चाहती है जिसमें इस बात का सुनिश्चय हो कि ब्रिटेन में और अधिक स्थायी रूप से बड़े पैमाने पर लोग आप्रवास न करें।

(ख) यह बिल अभी ब्रिटिश संसद में पेश होना है।

(ग) भारत सरकार इस स्थिति पर बराबर ध्यान रख रही हैं। वह स्वाभाविक रूप से इस बात की आशा करती है कि अफ्रीका में ब्रिटिश पासपोर्ट धारी भारतीय मूल के व्यक्तियों के ब्रिटेन में प्रवेश को अधिक कठिन बनाने के बारे में कुछ नहीं किया जाएगा।

साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के नेताओं द्वारा साम्यवादी देशों का दौरा

2591. **श्री समर गुह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्क्सवादी साम्यवादी दल के नेता सर्वश्री नम्बूदरिपाद, सुंडाराया तथा प्रमोदीदास गुप्त ने हाल ही में उत्तर कोरिया, रूस आदि साम्यवादी देशों का दौरा किया था;

(ख) क्या उन्होंने चीनी साम्यवादी दल से भी सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या साम्यवादी मार्क्सवादी दल के इन नेताओं ने उक्त देशों के साथ अपने संस्थागत सम्बन्धों को पुनः स्थापित करने के लिये यह दौरा किया था;

(घ) यदि हां, तो इन देशों में इन नेताओं की गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राजनैतिक तत्वों को भारतीय पार-पत्र लेकर इस प्रकार विदेशों से अपने सम्पर्क लेकर इस प्रकार विदेशों से अपने सम्पर्क बढ़ाने का अर्थ अपर देशीयता निष्ठा को बढ़ावा देना है तथा क्या ऐसी कार्यवाही भारत की प्रभुसत्ता के हितों के विरुद्ध है; और

(च) यदि हां, तो साम्यवादी दल (मार्क्सवादी के नेताओं को) साम्यवादी देशों का दौरा करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) श्री नम्बूद्रिपाद, श्री

सुन्दरैया और श्री प्रमोद दास गुप्त ने इस वर्ष जून में कोरिया के प्रजातांत्रिक लोक गणराज्य का दौरा किया था। ये लोग मास्को होते हुए वहां गए थे।

(ख) से (घ). सरकार के पास कोई अधिकृत सूचना नहीं है।

(ङ.) सरकार नहीं समझती कि प्रत्येक मामले में ऐसा होता ही है।

(च) मित्र देशों का दौरा करने के लिये राजनीतिक दलों को सामान्य यात्रा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

Construction of a new Aerodrome by China Near Nathu La

2592. **Mahant Avedya Nath :** Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that China has recently constructed a new aerodrome near Nahu La, at distance of only 10 miles from Indian border;

(b) if so, whether, it is also a fact that some talks have taken place between the Indian officials and the Chogyal of Sikkim recently in this regard;

(c) if so the details thereof; and

(d) the reaction of the Government of India thereto ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) While Government are aware of Chinese activities in the Chumbi Valley having a military significance, there is no confirmation of the reported construction of an airstrip in the Chumbi Valley.

(b) No, Sir.

(c) and (d) : Do not arise.

भारतीय प्राकृतिक रबड़ के सांविधिक न्यूनतम मूल्य के बारे में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन

2593. **श्री वासुदेवन :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्राकृतिक रबड़ के सांविधिक न्यूनतम मूल्यों के बारे में टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन पर कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). कच्चे रबड़ के न्यूनतम मूल्यों के पुनरीक्षण सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में टैरिफ आयोग द्वारा की गई सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं। सरकार द्वारा इस पर यथा शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

कारों का आयात

2594. **श्री दा० रा० परमार :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान देश के प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के और गैर-सरकारी उपयोग के लिये कारों का आयात किया जाता रहा है;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्य-बार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन देशों के नाम क्या है जहां से इन कारों का आयात किया गया; और

(घ) प्रत्येक राज्य में कितने मूल्य की कारों का आयात किया गया; और

(ड.) विदेशों से कारों का आयात करने के क्या करण हैं जब कि देश में ही अच्छी किस्म की कारें उपलब्ध हैं तथा देश की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति भी है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को विगत तीन वर्षों के दौरान मोटर कारों के आयात के लिये कोई लाइसेंस नहीं दिये गये, दो मामलों को छोड़कर जहां हमारी अपनी मोटर कारें हमारे विदेश स्थित मिशनों में प्रयोग की जा रही थीं और जिन्हें बेचने पर कोई राशि नहीं मिलती उन्हें आयात करने की अनुमति दी गई थी ।

निजी प्रयोग के लिये मोटर कारों के आयात के लिये निम्नोक्त शर्तों पर सीमा शुल्क निकासी परमिट दिये गये :

(1) आवेदक विदेश में एक वर्ष या इससे अधिक रहा हो ।

(2) आवेदक के भारत के लिये प्रस्थान करने से पूर्व तीन महीने मोटर कार उसके स्वामित्व और उपयोग में रही हो ।

(3) आवेदक की विदेश में हुई आय से मोटर कार खरीदी गई हो ।

(4) मोटर कार का लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य 30,000 रुपये से अधिक न हो ।

(5) आवेदक स्थायी अधिवास के लिये भारत लौट रहा हो ।

खैराती चिकित्सा तथा शैक्षिक संस्थाओं को उपहार में दी गई मोटर कारों के आयात के लिये सीमा शुल्क निकासी परिमिट सम्बन्धित राज्य सरकारों की सिफारिशों पर दिये गये ।

चार मामलों में, जहां आवेदक या तो 1963 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान विकलांग हो गये थे या वे किसी गंभीर अशक्तता से पीड़ित थे और उन्हें विशेष प्रकार की मोटर कार की आवश्यकता थी, आयात लाइसेंस दिये गये ।

(ख) से (घ). जो मोटर कारें आयात की गई उनमें से अधिकतर पश्चिम जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और इटली में निर्मित थी । मोटर कारों के आयातों के राज्य वार आंकड़े नहीं रखे जाते ।

(ड.) भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट चार मामलों को छोड़कर मोटर कार के आयात के लिये कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी गई ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा लौंग, सुपारी तथा अन्य मसालों का आवंटन करने के लिये फर्मों के चयन का माप दण्ड

2595. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने बिहार, उड़ीसा और आसाम के

राज्यों के कुछ व्यापारियों को लौंग, सुपारी तथा अन्य मसालों का आवंटन किया है, और यदि हां, तो इन फर्मों के चयन, वस्तुओं के आवंटन तथा मूल्य आदि का मापदण्ड क्या है।

(ख) क्या ऐसे व्यापारियों के लिये इन वस्तुओं की बिक्री या वितरण करने के मामले में क्या कोई शर्त निर्धारित की गई थी; यदि हां, तो क्या इनका पालन किया गया है;

(ग) क्या कुछ वस्तुओं का आवंटन भी उन्हीं फर्मों को किया जा रहा है, यदि हां, तो क्या इन फर्मों को बिक्री तथा विक्रय मूल्य आदि के बारे में विवरण देने को कहा गया है; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां। लोंग का आवंटन राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश की गई फर्मों को किया गया था और सहकारी समितियों को अधिमान्यता दी गई थी। ऐसी प्रत्येक फार्म को खराब हालत में और अन्यथा न बिकने योग्य 1/2 मे० टन लोंग और दूसरे मसालों का, आवंटन यथानुपात आधार पर किया गया था। राज्य व्यापार निगम ने बाजार में विद्यमान मूल्यों को ध्यान में रख कर तथा प्राप्य लाभ के यथासंभव अधिकांश भाग को प्राप्त करने की दृष्टि से निकासी मूल्य निर्धारित किया था।

(ख) से (घ). राज्य सरकारों को मसालों की बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने के लिये कहा गया है ताकि उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर मसालों का बेचा जाना सुनिश्चित हो सके।

असम में बाढ़ के कारण हुई क्षति के तुलनात्मक आंकड़े

2596. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आसाम में बाढ़ों के कारण हुई क्षति सम्बन्धी तुलनात्मक आँकड़े क्या हैं ; और

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आसाम में वर्षानुवर्ष बाढ़ आती है तथा यह एक गम्भीर समस्या बन गई है, तो क्या सरकार ने इसे एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में हल करने के लिये कोई योजना बनाई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राज्य सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान असम की बाढ़ों द्वारा हुई क्षति की लागत का निम्नांकित रूप से निर्धारण किया है :—

	करोड़ रुपये
1967	2.46
1968	10.88
1969	6.67

1970 के वर्ष के दौरान, अब तक, बाढ़ों द्वारा 10 करोड़ से भी अधिक क्षति होने का अनुमान है।

(ख) बाढ़ नियंत्रण की एक व्यापक योजना का अनुसंधान करने, उसे बनाने और कार्यान्वित करने के लिए 24 जुलाई, 1970 को एक ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग स्थापित किया गया था। आयोग द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत के बाढ़ नियंत्रण कार्यों को हाथ में लेने का अनुमान है। बारक नदी में बाढ़ों के नियंत्रणार्थ बारक घाटी में एक बांध के निर्माण के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट में कोयले से काले कारबन ब्लेक का उत्पादन

2597. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जोरहाट ने हाल ही में कोयले से कार्बन ब्लेक के उत्पादन की प्रक्रिया का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो कोयले से कार्बन ब्लेक के उत्पादन की लागत गैस अथवा तेल भट्टी की प्रक्रिया द्वारा कार्बन ब्लेक के उत्पादन की लागत की तुलना में कितनी है ; और

(ग) क्या यह प्रक्रिया बहुत आधुनिक सस्ती होगी और यदि हां, तो देश में कार्बन ब्लेक के उत्पादन की इस प्रक्रिया को अपनाने और इसको लोकप्रिय बनाने के लिए क्या विशिष्ट कार्यवाही की जा रही है ?

गृह कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां।

(ख) आयात किये हुए कार्बन ब्लेक अथवा स्वदेशी तेल भट्टी प्रक्रिया द्वारा उत्पादित कार्बन ब्लेक की लागत प्रतिटन रु० 2000 से रु० 3000 की तुलना में इस प्रक्रिया (प्रोसेस) की परीक्षा के तौर पर लागत रु० 680 आँकी गई है।

(ग) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट द्वारा परीक्षा के आधार पर जो लागत लगाई गई है, उससे यह प्रतीत होता है कि यह प्रक्रिया कहीं ज्यादा सस्ती है। प्रक्रिया को लोकप्रिय बनाने के लिये प्रयोगशाला द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं।

(i) प्रयोगशाला में उत्पादन यूनिट को बड़ी मात्रा में किया जा रहा है और इस यूनिट में उत्पादित कार्बन ब्लेक भिन्न-भिन्न रबर तथा टायर उत्पादकों को इस उत्पादन की मान्यता के अध्ययन के लिये भेजा जायेगा।

(ii) इस प्रक्रिया की एक विवरण-पुस्तिका भिन्न-भिन्न रुचि लेने वाली पार्टियों को भेजी जा रही है।

(iii) यह यूनिट और इसका क्रियात्मक प्रदर्शन रुचिप्रद पार्टियों के सामने भी किया जायेगा।

रूस के उप-विदेश मंत्री के साथ प्रधान मंत्री की बातचीत

2599. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस के उप विदेश मंत्री ने हमारे प्रधान मंत्री से बातचीत की

थी जिसमें उसने हमारे प्रधान मंत्री को इस बात की जानकारी दी थी कि पाकिस्तान के प्रेसीडेंट याह्या खां ने अपने हाल ही की मास्को की यात्रा के दौरान रूसी नेताओं के साथ क्या क्या बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत के दौरान किन-किन मुख्य बातों पर चर्चा की गई ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सोवियत उप विदेश मंत्री ने आपसी हित के प्रश्नों पर विचार-विमर्श किया जिसमें भारत-पाक सम्बन्धों का प्रश्न भी शामिल है ।

(ख) ऐसे विचार-विमर्श गोपनीय प्रकृति के होते हैं और उनके बारे में बताया नहीं जा सकता है ।

रूस के उप-विदेश मंत्री के साथ बातचीत

2600. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री गणेश घोष :
श्री के० रमानी :
श्री ई० के० नायनार :
श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस के उप-विदेश मंत्री की भारत यात्रा का उद्देश्य क्या था ;

(ख) दिल्ली में उसने किन-किन लोगों के साथ विचार विमर्श किया ; और

(ग) किन-किन मुख्य बातों पर विचार किया गया ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय के उच्च अधिकारियों से मिलने के लिए ।

(ग) आपसी हित के द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार-विनिमय हुआ ।

अबिलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

आसनसोल क्षेत्र में प्रमुख कोयला उत्पादकों द्वारा लगभग 50 हजार कोयला खान श्रमिकों को जबरन छुट्टी दिया जाना

अध्यक्ष महोदय : अब हम अबिलम्बनीय लोक महत्व के विषय को लेंगे ।

Shri Deven Sen (Asansol) : Mr. Speaker. Sir I call the attention of the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

"Reported laying off of about 50,000 collery workers by leading coal producers in Asansol area."

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : श्री मान्, इण्डियन एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड के गोमियो स्थित कारखाने में 1-8-1970 से हड़ताल हुई थी। राज्य सरकार ने कारखाने के प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच समझौते के लिए बातचीत की व्यवस्था भी की थी, किन्तु इस दिशा में किये गये सभी प्रयत्न विफल रहे। बिहार राज्य सरकार ने 8 अगस्त 1970 से उक्त हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया था।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान् मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हड़ताल के अवैध या वैध होने की बात श्रम मंत्री को कहनी चाहिए।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : हमने हड़ताल को अवैध घोषित नहीं किया है। हम तो केवल तथ्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने तथ्य का निरूपण मात्र किया है। अतः श्री बनर्जी अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : उक्त विवाद न्याय निर्णायक को सौंप दिया गया था। उक्त समस्या को सुलझाने के लिए अभी भी प्रयत्न किये जा रहे हैं। उक्त कारखाने से कल 1375 मीट्रिक टन माल उठाया गया जिससे बंगाल और बिहार की कुछ कोयला खानें अनुमानतः 10 दिन तक चल सकेंगी। उक्त कारखाने में हड़ताल के परिणामस्वरूप विस्फोटक सामग्री का अभाव हुआ। परिणामतः बिहार-बंगाल क्षेत्र की कुछ कोयला खानों को बन्द करना पड़ा और मजदूरों को जबरन छुट्टी देनी पड़ी। मुझे इस बारे में ठीक पता नहीं है कि कितने मजदूरों को जबरन छुट्टी दी गई। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार उनकी संख्या काफी अधिक है। बिहार राज्य सरकार के मुख्य सचिव को स्थिति की गम्भीरता से अवगत करा दिया गया है।

Shri Deven Sen : Sir, May I know the names and addresses of the three leading coal produces; the locations of collieries in which lay off has been effected, the date on which Government received the report regarding scarcity of explosives, whether this report was confirmed by the Director of Mines and whether the strike was caused by a dispute over dismissal of a worker and if so, the reasons for not reinstating the person concerned so far ? Secondly, the strike started on 1st day of the month while lay off was ordered on 11th or 12th. Why did the Government take no action during this period ? I would like to know whether the wages will be paid to workers for the period the collieries will remain closed, because I came to know that the coal producers were interested in this strike and laying off the colliery workers ?

डा० त्रिगुण सेन : श्रीमान्, खान उद्योग के लिए विस्फोटक सामग्री अनिवार्य है। विशेष रूप से बिहार और बंगाल में तो विस्फोटक सामग्री के अभाव में खनन कार्य किया ही नहीं जा सकता। गोमिया स्थित एक्सप्लोजिव कारखाने में हड़ताल होने के कारण वहां से विस्फोटक सामग्री नहीं उठाई जा सकती। पहली अगस्त को उक्त कारखाने में हड़ताल होने पर हमने राज्य सरकार से परामर्श किया था। राज्य के श्रम मन्त्री वहां पहले ही से समझौते के लिए प्रयास कर रहे थे। मुझे यह बताया गया है कि एक कर्मचारी, जो परीक्षण की अवधि में था, को स्थायी न बनाए जाने पर पहले अधिकारियों ने हड़ताल की और फिर श्रमिकों ने भी उनके साथ ही हड़ताल

शुरू करदी । अब उक्त कारखाना बिल्कुल बन्द पड़ा है । अतः मैं श्री देवेन सेन, श्रमिक नेता से यह अपील करता हूँ कि वह उक्त कारखाने की हड़ताल के समाप्त कराने में सहायता करें । दूसरा विस्फोटक सामग्री का कारखाना हैदरावाद में लगाया जा रहा है जिसमें अगले दिसम्बर तक पूर्ण उत्पादन होने लगेगा । हम प्रयास कर रहे हैं कि यह हड़ताल यथाशीघ्र समाप्त हो जाये । साथ ही, हम विस्फोटक सामग्री को विदेशों से शीघ्र ही मंगाने का प्रयास कर रहे हैं ।

Shri Shiv Charan Lal (Firozabad) : May I know the reasons for nationalising the coal industry in the country ? I also want that the feeling of dissatisfaction pervading among the workers should be removed. The Minister should personally go there for the purpose.

डा० त्रिगुण सेन : राज्य सरकार का श्रम मंत्री और मुख्य सचिव इस विवाद को तय करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं । मेरे स्वयं के वहां जाने से भी बहुत अधिक लाभ नहीं होगा । जहां तक राष्ट्रीयकरण का सम्बन्ध है, देश में कोयले के उद्योग का राष्ट्रीयकरण संभव नहीं है ।

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh) : Sir, If the explosives are so much essential for the collieries, why did our Government not take precautionary measure to avoid such a situation ? They should have made a buffer stock of explosives, which might have sufficed for four to six months in a situation like this.

डा० त्रिगुण सेन : हम विस्फोटक पदार्थों का विदेशों से आयात करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे रक्षित भंडार बनाया जायेगा और जो छः महीने के लिए पर्याप्त होगा । साथ ही हम एक ऐसा कारखाना सरकारी क्षेत्र में लगाने के प्रश्न पर भी विचार कर रहे हैं ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : It is reported in the Indian Express that there is still so much stock of explosives with Gomia Explosives Factory that it can be sufficient for collieries for two weeks. This stock should be taken out from the factory and distributed among collieries. In the mean time the dispute should be resolved. Secondly, the central government as well as the State government both are the parties to this strike. I would like to know the suggestions in this respect sent by the State government to the Union government.

Dr. Trigun Sen : There is a stock of about 1375 tonnes of explosives with the factory. We are trying to get if released. It will be sufficient for 10 days. But if the strike is not called off soon, there will be great difficulty.

यह गैर-सरकारी उद्योग के साथ राज्य सरकार का मामला है । केन्द्रीय सरकार का इससे सीधा सम्बन्ध नहीं है । किन्तु हम चाहते हैं कि यह हड़ताल शीघ्र ही समाप्त हो जाये, ताकि खान-उद्योग के समक्ष भारी संकट उपस्थित न हो । इसीलिए हमने राज्य सरकार और श्रमिक नेताओं से अपील की है कि वे मामले को शीघ्रता से सुलझाने में मदद करें ।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : Sir, the scarcity of explosives will not only affect the collieries but it will affect other mines too. As for as I know this factory is in public sector, so it is the primary duty of the central government to make efforts for ending the strike in the factory. This matter should not have been referred to tribunal, because if takes months and years to decide the matter. In view of the fact that there is only one factory producing explosives, government should take expeditious steps to establish on other such factory.

डा० त्रिगुण सेन : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि विस्फोटक पदार्थों के अभाव में खान उद्योग तथा अन्य कई उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा । हमें इसी बात की चिन्ता है । हमने श्रम मंत्रालय से

भी इस मामले में सहायता करने के लिए अनुरोध किया है। जहां तक मुझे बताया गया है, यह कारखाना इंडियन कैमिकल्स इंडस्ट्री का है, जो एक गैर सरकारी संस्था है। यह सचमुच दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे महत्त्वपूर्ण पदार्थ को, जिस पर सम्पूर्ण खान उद्योग आश्रित है, बनाने वाला केवल एक कारखाना है और वह भी गैर सरकारी क्षेत्र में। हमने योजना आयोग के साथ इस सम्बन्ध में बिचार विमर्श किया है कि ऐसा एक कारखाना सरकारी क्षेत्र में लगाया जाये। हम ऐसी उपचारात्मक कार्यवाही कर रहे हैं जिससे भविष्य में विस्फोटक पदार्थों की सप्लाई न रुके और खान उद्योग पर उसका दुस्प्रभाव न पड़े।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

Coir retting (Licensing) Amendament order and papers under coir Industry Act.

The Dr. Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : Sir I lay the following papers on the Table of the House.

(1) A copy of the Coir Retting (Licensing) Amendment Order, 1970 (Hindi a d English versions) published in Notification No. 2141 in Gazette of India dated the 10th June, 1970, under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955. [*Placed in the Library. See* No. L.T. 3934/70]

(2) A copy of the following papers under sub-section (1) of section 19 of the Coir Industry Act, 1953:--

(i) Annual Report (Hindi version) on the activities of the Coir Board and the working of the Coir Industry Act, 1953 for the year 1968-69. [*Placed in the Library. See*] No. L.T. 3935/70]

(ii) Half-yearly Report (Hindi and English versions) on the activities of the Coir Board and the working of the Coir Industry Act, 1953 for the period from 1st April, 1969 to 30th September, 1969. [*Placed in the Library. See* No. L.T. 3936/70]

सभा के कार्य के बारे में

RE. BUSINESS OF THE HOUSE

Shri Ram Charan (Khurja) : Sir, I want that the Minister should make a statement regarding the Harijan Workers of N.D.M.C.

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) हम गत दिनों से यह प्रयास कर रहे हैं कि भू-आन्दोलन जिसके सिलसिले में हजारों व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं, पर चर्चा की जाये। इसके लिए हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिये हैं। किन्तु अवसर नहीं दिया जा रहा है।

Mr. Speaker : I cannot hear ten hon. Members at a times. I gave thought to the calling Attention Notice. But since I considered it proper to give more time to it so I decided to have a discussion over the matter.

Shri Sheo Narain (Basti) : Sir, the time for the discussion, which is going on in this House, should be extended.

अध्यक्ष महोदय : मूलतः इसके लिए 3 घंटे का समय नियत किया गया था। उसका समय दो घंटे पहले ही बढ़ाया जा चुका है।

Shri Ram Charan : Sir, This time there are three reports apart from the Perumal Committee report, which are being discussed. For all these four reports 24 hours should have been allotted at the rate of 6 hours per report. At leest 20 hours should be allotted for all the four reports.

Shri Hukam Chand Kechwai (Ujjain) : Sir I suggest that 8 hours should be given for discussion on four reports.

अध्यक्ष महोदय : चूंकि सदस्य अधिक समय की मांग कर रहे हैं, इसलिए मैं इसके लिए फिलहाल 1 घंटे का समय और बढ़ा रहा हूं। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आज दोपहर बाद होगी और वह इस पर अन्तिम निर्णय करेगी।

मैं इस बात पर भी विचार कर रहा हूँ कि सभा पटल पर पत्र रखने का कार्य प्रश्न-काल के एक दम बाद हो जाया करे क्योंकि इससे मंत्रियों को पूरा एक घंटा बैठा रहना पड़ता है।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : प्रत्येक कार्य मंत्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर नहीं किया जाना चाहिए।

श्री सं० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह मामला सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों तक ही सीमित नहीं है। कभी-कभी मंत्री महोदय कोई महत्त्वपूर्ण वक्तव्य देते हैं या पूर्व वक्तव्य की शुद्धि के लिए वक्तव्य देते हैं, जिनके बारे में सदस्यों कोकुछ प्रश्न पूछने होते हैं। इस प्रकार अन्य विषयों पर चर्चा में विलम्ब हुआ करेगा। अतः मेरा अनुरोध है कि वे अपना वक्तव्य आदि सभा-पटल पर सामान्य क्रम से ही रखें।

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर कुछ पत्र या प्रतिवेदन रखने का कार्य औपचारिक होता है और केवल पांच मिनट में समाप्त हो जाता है। अतः उन्हें बेकार ही यहां बैठा रहना पड़ता है। उनमें से कुछ इस सम्बन्ध में मेरे से मिले हैं।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मंत्री का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह सभा में उपस्थित रहे। यदि सभा में कोई भी उत्तरदायी मंत्री नहीं होगा तो सभा में कार्य किस प्रकार से किया जा सकेगा ?

अध्यक्ष महोदय : अतः आप यह चाहते हैं कि वर्तमान व्यवस्था को ज्यों का त्यों बनाये रखा जाये।

विशेषाधिकार समिति

COMMITTEE OF PRIVILEGES

11 वां प्रतिवेदन

श्री रा० धो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : मैं विशेषाधिकार समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक

ADVOCATES (SECOND AMENDMENT) BILL

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री रा० ढो० भन्डारे (बम्बई-मध्य) : मैं अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

साक्ष्य

श्री रा० ढो० भण्डारे : मैं अधिवक्ता अधिनियम 1961 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ ।

जांच आयोग (संशोधन) विधेयक

COMMISSIONS OF INQUIRY (AMENDMENT) BILL.

संयुक्त समिति में सदस्य नियुक्त करने के लिये राज्य सभा से सिफारिश

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : (बेतूली) मैं प्रस्ताव करता हूँ :--

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह श्री शील भद्र याजी द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुये स्थान पर जांच आयोग अधिनियम, 1952 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के लिये राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिये इस प्रकार नियुक्त सदस्य का नाम इस सभा को बताये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :--

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह श्री शील भद्र याजी द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुये स्थान पर जांच आयोग अधिनियम, 1952 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के लिये राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिये इस प्रकार नियुक्त सदस्य का नाम इस सभा को बताये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Modtion was adopted

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव तथा अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव--जारी

MOTIONS RE : REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES AND COMMITTEE ON UNTOUCHABILITY—CONTD

अध्यक्ष महोदय : श्री गोविन्द मेनन द्वारा 20 मई, 1970 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार, अर्थात् :-

"कि यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1966-67 1967-68 और 1968-69 के 16वें, 17वें और 18वें प्रतिवेदनों पर, जो क्रमश: 24 अप्रैल, 1968, 25 मई, 1969 तथा 30 मार्च, 1970 को सभा-पटल पर रखे गये थे, विचार करती है।"

और श्री सूरजभान द्वारा 20 मई, 1970 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार, अर्थात् :-

"कि अस्पृश्यता तथा अनुसूचित जातियों के आर्थिक और शैक्षणिक विकास सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन (भाग 1--5) तथा सम्बद्ध दस्तावेजों पर, जो 10 अप्रैल, 1969 को सभा-पटल पर रखे गये थे, विचार किया जाये।"

Shri Deorao Patil (Yeotmal): I want to say something in this regard. A demand was made yesterday to allot more time to the discussion on the report on Scheduled Castes and scheduled tribes.

Mr. Speaker : We will discuss this matter on same Saturday.

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : The Chmmittee on Scheduled Castes and Scheduled Tribes has made many recommendations in its report. In its report it has stated that most of the states have paid scant attention to the housing problem of the scheduled casts and Scheduled Tribes. They should implement those recommendations. The State Governments divert the money allotted for that purpose to other use. State Governments should pay proper attention to the problem of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The children of Adivasis and Harijans are not given educational facilities in villages. They have not been provided houses to live in. As a result of such Harijan children are not able to get education. The children of Harijans and Adivasis are badly treated.

The untouchability problem does not so much in pinge on the welfare of the Harijan as the economic problem. Only 13 thousand acres of land has been distributed out of the 85 thousand acres of land accruing to Government pursuant to the imposition of ceiling in Madhya Pradesh. These lands have not been distributed amongst the Harijans and the Adivasis. Even the Government land could not be distributed amongst the Harijans and Adivasis. Two years back about 20-25 Adivasis took 50 acres of land on lease. But they were told that land was in the occupation of 'Savaras'. They moved the Court, but their lease were cancelled. They have no facilities to arrange a Government pleader. So that they may put their case before the Government.

In villages Patwaris allot lands to the Harijans and Adivasis in hilly areas. When they were asked to allot lands at some other places their reply used to be that now they could not help. Fallow lands are allotted to the farmers and not to the Adivasis or the Harijans.

The State Government should issue instructions to allot those fallow lands to the Adivasis and the Harijans.

Now-a-days tand grab movement is going on. People should occupy those Government lands which are lying idle. It is no use occuping land unless facilities to cultivate them are made available. It is, therefore, necessary that adequate facilities should be provided before alloting lands to these people.

Same is the problem with the agricultural labour. They are being treated badly Advasis and Harijans are subjected to forced labour. Once they take loan from a landlord it is not possible for them to repay it.

Our sons are not able to get employment even after geting high education. They do not get any special facilities. They are not able to pay house rent. The Government do not make any arrangement for scholarship for them. Seats are not reserved for scheduled castes and scheduled tribes people in Banaras, Kanpur, Lucknow, Gwalior Colleges.

The Government do not pay any attention to it.

In Selection Committee Harijans and Adivasis have no representative. One representative from Adivasis and Harijans should be in the Selection Committee which may make appoint at for class one, two, three or class four posts. In competitions the Harijans and the Adivasis should not be asked to appear with other people.

There is a provision to keep Sixteen percent posts reserved for Harijans. But they have not been appointed in that ratio during the last so many years.

I want to know the number of vacancies that occurred during the last three or five years and the persons appointed during that period and the number of Harijans and Adivasis appointed during that period. Harijans and Adivasis should be given their appropriate quota.

The Government is not considering the problems of Harijans seriously. Untouchability cannot be removed unless prople adopt one another's occupations. It is very difficult to change the hearts of the people. They cannot make progress unless you give them encouragement.

Industries should be started for them. There in no reservation of quota for them in public undestakings. There is no reservation of qouta for them in the matter of promotions. They Should be given promotions on the basis of their population. Their financial position should be improved.

First of all, they should be provided land. The Government should consider this problem seriously.

Government should make provision of scholarships for their children. Provision should also be made for their chothing and books.

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म०प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen Hours of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 4 मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at four minutes past fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए । Mr. Deputy Speaker *in the chair*]

श्री बे०कु० दास चौधरी (कूच बिहार) : मुझे अपने क्षेत्र में राशन कम करने के बारे में तार प्राप्त हुआ है । यह गम्भीर मामला है । इस बारे में मैंने मंत्री महोदय को भी सूचित किया । लेकिन उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की । कूच बिहार में राशन के कोटे में कमी किये जाने के बारे में खाद्य तथा कृषि मंत्री को वक्तव्य देना चाहिये ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : केरल में भयंकर बाढ़ आई है। पजहासी परियोजना बह गई है। केरल में स्थिति बहुत खराब है। सरकार को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिये।

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : सरकार ने केरल में हड़ताल कर रहे 20,000 नैमित्तिक कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इलाहाबाद डिवीजन में रेलवे में बिजली लगाने वाले 200 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। रेलवे मंत्री को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिये।

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ़) : यद्यपि पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री ने औषधियों की कीमते बढ़ने के बारे में सभा में कल वक्तव्य दिया था, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि साधारण लोगों द्वारा सामान्यतया प्रयोग की जाने वाली दवाइयों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। अतः इस बारे में अवश्य चर्चा की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई सदस्य नियम 184 के अन्तर्गत सूचना देता है तो माननीय मंत्री उस विषय पर चर्चा करने के लिये तैयार हैं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव तथा अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTIONS RE : REPORTS OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES AND COMMITTEE ON UNTOUCHABILITY—CONTD.

Shri Himmatsingka (Gonda) : The casual manner the Government is considering the reports of the Commissioner on Scheduld Castes and Scheduled Tribes shows that the Government is not very serious about this matter.

They are not given timely help. Student are not given scholarships in time. It causes great difficulty to them. The Govcrnment should make necessary arrangement in this regard and they should be given timely help.

Lands have been distributed to some Adivasis, but they have no means of cultivation. Arrangements should be made to provide means of cultivations to the Adivasis and the Schduled castes where they are in majority. Arrangements for water should be made in villages. Contracts of digging wells have been given to such persons who do not work.

As a result of it people are facing great difficulty in getting water. Government should make proper arrangements in the villages so that people may get water from the wells. The Government have not made any arrangements for supplying medicines. The Government do not provide timely assistance. Government should give assistance in time so that the maximum benefit from it can be obtained. Plough and bulls should be provided to the farmers so that they can cultivate the land.

Shri Ram Charan (Khurja) : Mr. Deputy speaker we have been narrating our tale of sorrow for the last twenty years but the solution of these things have never come in sight although we got thousands of listners. Ninety percent people belonging to scheduled castes live in villages and out of these ninety percent. Seventythree percent are working as agricultural laboures. Thirty five percent people out of them are having some land as subtenents

and this is how they are making their both ends meat. It shows that there are about 38 percent landless labourers in India which means that out of ten crores about 7-1/2 crores harijans are unemployed. As regards the problem of land we had the occasion to meet a late lamented leader of the country about ten years back when I was in service and we requested him to give land to Harijans in reply to which he stated that land is not rubber which could be stretched and distributed. He was the Prime Minister of our country. When we asked him to increase our quota of class I posts and promotion he replied how it was possible to promote unfit persons. I am constraint to say so because it is in three ways that our community is exploited, *viz* social exploitation, economic exploitation and poltical exploitation. As regards the social exploitation several hon. Members have thrown light on how this exploitation is brought about we are not allowed to draw water from the wells and in hotels the food is not served to us in utensils and this is how untouchability is practised. Beating, arson and variety of tortures are perpetrated on us and police protection is not given. The police does not go into the details of the cases. I am of the opinion that social inequality can not be exterminated simple by legislative measures. To this end it is essential that dirty literatures of this country which contains exhortations to discrimination and social disparity should be prosecuted and side by side Government should give encouragement to social organisation, aiming at eradication of untouchability like Arya Samaj and other missions.

Now coming to economic development I would like to say that 72% people are wallowing in poverty. To quote the Prime Minister himself *per capita* expenditure of 82% of the entire population is Re. 1 per day. This clearly demonstratate that 95% or 96% Harijans earn and spend less then Re. 1 a day. Now you cau very well imagine how their economic development will be brought about. Under the three Five Year Plans a total sum of Rs.72.46 crores only was provided for the welfare of Harijans. Coming to its logical conclusion we can imagine *per capita* expenditure incurred for the uplift on the Harijans. This problem should be tackled on national level in the same manner as the refugee problem was dealt with. If it was not taken on war footing they can turn naxalites. My suggestion for the proper distribution of land is that all the old procedure and civil laws of the country should be suitably amended so as to distribute the land to landless agricultural Labour which become surplus after a ceiling has been fixed on land holdings. At present the way to distribution of land is blocked by variety of reasons such as litigation, criminal assault and other practical difficulties. Therefore the Government should evolve a procedure thereby the land above the ceiling could be taken over from each family and distributed to agricultural labour so as the persons belonging to Harijan community could pass their life happily. There are big farms as big as 1300 acres of land belong to one single person. These big farms belong to capitalists, politicians, corrupt officers and various ex-ministers. The poor Harijans have not given land. This is happening in my own state *i. e.* U. P. The Harijans are not in a position to buy land and I therefore suggest that a Finance Corporation be establish in each state and state governments should be compelled to do so. Weaker sections betterment levy should be imposed on the basis of the income of every individual irrespective of the fact whether the income is from agriculture or from factory to finance to such Corporations. The burden should be born by Central and State Government 50-50. It should not be like that as you gave 70 crores of rupees only then the Harijan can be uplifted. These Corporations should be empowered to provide financial assistance to those Harijans who intend to buy land or start some industry or business. This assistance should be provided to Harijans without any guarantee being taken from them. The Corporation can however mortgage the land or industry purchased with the assistance of the corporation. The Harijans can be establish themselves in agriculture or industry only if such finance corporations are set up.

During the last three Five Year Plans several big Finance Corporation have been set up but only Tata and Birlas have derived benefit from them and not the Harijans. Harijans

have not been benefited even by the Plan Projects which are being executed. Harijans can de benefited only when a separate Finance Corporation is set up for them. A limit on the amount of the loan can be fixed. 10 or 20 thousands of rupees can be given to Harijans without any guarantee being taken under this limit. The quotas and permits irrespective of the fact whether it is of a staninless steel or of any other thing which are given to-day are taken away by the capitalist and the Harijans are getting nothing. Even the Road permits are not granted to Harijans. I suggest that a percentage should be fixed for Harijans in the matter of grant of quotas and permits.

I welcome the nationalisation of Banks but I may say that Harijans have not been benefited by the nationalisation at all. The procedure, the Rules and Regulations should be so amended so as the post graduates and agriculturist Harijans could draw the amount from the Banks without furnishing any guarantee if they approach the Bank as had been done in the case of technical graduates. The technical Graduates can draw loan upto 2 lakhs of rupees on showi g their diploma or degree. Similar procedure should be evolved to Harijans thereby they could get 20 or 25 thousand rupees if not more by showing their degrees or diplomas.

As regards the housing problems I may say that 80 to 90 percent Harijans living in villages lack proper housing facilities. One can live without food for a day or so but it is a problem to pass a night in rainy or in the winter season without any shelter. I therefo e suggest that some funds should be kept for solving housing problem in the propose l Finance Corporation so as Harijans could get finance for construction of houses in the form of subsidy.

Coming to Delhi where Master Plan is in operation I would like to say that Harijans who are about 2-1/2 to 3 lakhs in numbers are living in the slums for thousands of years, are being resettled in far off areas on a 25 square yard plot of land. Is this the modern socialism or of by gone this ? I suggest that 70 Square yard plot of land should be allotted to each Harijan Family. This provision was there in the Master Plan earlier. It is true that 25 square yards plot is being allotted to each family but other necessary civic facilities which are required are not provided to them. As a result thereof several slums have come into existence in those areas. The poor people are not getting the labour. The Master Plan should be amended likewise.

In big cities like Calcutta, Bombay and Madras slums are being created as Harijan labour and other people belonging to weaker section of society failed to get houses and even if they get the houses they are not within their financial capabilities. I would therefore suggest that houses should be provided to these poor people on cheap rent and on cheap cost. So far as the problem of educated unemployed is concerned I placed before the House that 346409 persons belonging to Scheduled castes and 61050 persons belonging to Tribe were registered in the Employment Exchanges in 1968-69 as unemployed. In villages the number of the unemployed is much more. The graduates and post graduates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be granted un-employment stiphend for the period they remain unemployed. Because the candidates belonging to this community passed their B.A. or M. A. Examination with the help of scholarship granted to them for the purpose and on returning to villages when they failed to get employment their study become useless.

The rate of the scholarship which is being paid to the Scheduled castes and Scheduled Tribes is tob less. It is the same as was given in 1947-48 when I was a student. The rate of Scholarship should at least be doubled as the cost of living has gone up considerably.

So far as the question of providing employment is concerned some rules of the Government are very defective. When ever any vacancy occur its information is sent to the office of the Central Employment Exchange in Delhi, But the official deliberately neglect

this and issue certificate of non-availability of persons. In this way thousands of vacancies remain unfilled. I therefore suggest that an enquiry should be held as to the number of the reserve seats which have been unreserved. I know one such Director who indulges in such sort of mischief but I do not want to take his name. Even on receipt of acquisition slip he refuses to send men. So far as UPSC is concerned I do not know why the Secretary has been given three years extension. In my view the extension has been given to him because he is anti-Scheduled Caste. It is true that some persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes got themselves selected through Competitive Examinations but in Departmental selection even one percent Harijans are not selected. The reason is that not even a single Head of any Department belong to the said community. I want to suggest that the seats reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates should be filled in only by the candidates of the said communities. They might be selected through UPSC. A Liasion officer or the officer of the rank of IAS or PCS should be appointed from this community in each department or Ministries who may look after such appointments.

There are about 4000 teachers working under the Delhi Administration out of these only 100 belongs to Scheduled Castes aud Scheduled Tribes. Necessary steps should be taken to increase their number.

So far as political exploitation is concerned Governors, President, Vice President and Ambassadors, Prime Minister are not taken from amongest the Harijans. It is true that Shri Jagjiven Ram was first appointed Minister for Food and Agriculture and now he has been promoted and given the portfolio of Defence although he is entrusted with half the work of the Defence Ministry. He should have been given the Home Ministry.

I would like to know why the quota in class I and II post is not filled ? In this regard I would suggest that a percentage on the total strength should be fixed for the Scheduled castes and Scheduled Tribes. Even the reserved quota in the Public Undertaking is not filled. The Government should take special steps in this regard and an enquiry should be held against the officers responsible for not filling the reserved quota.

A Welfare Committee should be set up to watch the implementation of the recommendations and the report of the Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I would also request that a full fledged Ministry may be formed to look after the problems of this community and other weaker section of society.

Shri P. L. Barupal (Ganganagar) : About 40 thousand landless Harijans have applied for land in the Rajasthan Canal area, but they have no money even to pay the first instalment of its cost. In order to enable them to pay the cost of the land and agricultural implements, an amount of Rs. 3,000/- per family should be paid to them because they cannot afford to get loan from moneylenders.

At the time of nationalisation of banks, it was hoped that Harijans would be able to get loans freely. But in fact, they are facing a lot of difficulty. They have to submit a number of certificates from different authorities which is quite a cumbersome procedure for the uneducated people. Government should see to it that these rules are simplified for these people.

It is very strange that students belonging to scheduled castes and scheduled tribes are asked to furnish a certificate of their caste every year. This causes great inconvenience to these people. A certificate once given should be sufficient for the entire period of their study in an educational institution. A circular to this effect should be sent to all the heads of educational institutions.

The procedure being followed for reservation of posts is very improper. In case of almost all the posts, 12-1/2 per cent posts are reserved for persons belonging to scheduled castes and scheduled tribes, but it is not so in the case of posts of sweepers. In the latter case also only 12-1/2 per cent posts should be filled up from among the people belonging to these communities and the rest from other communities.

Various crafts like shoe making, carpentry, weaving, earthen waves, brick making, preparation of country liquor, washing of clothes and transportation which used to be done by people of backward Communities, have now been taken over by big factories in one or the other form and thus these people have been rendered unemployed.

It is regrettable that even educated Harijans are not getting jobs and remain unemployed. This problem should be solved at national level.

If we want to anneliorate the conditions of the weaker sections of our society, radical steps will have to be taken in this direction. There should be equitable distribution of wealth. The promises held out by government about the social, political and economic uplift of Harijans should be full-filled honestly. The laws relating to land reforms should be implemented expeditiously and vested interests should not be allowed to stand in the way of their implementation.

Shri Kolai Birua (Singhbhum) : The number of scholarships given for higher education to the students of scheduled castes and seheduled tribes is less in proportion to their population. Their economic condition is not good and they cannot send their children for higher education. These people should get full opportunity to educate their children.

The number of primary schools is also inadequate and the facilities available in these schools are also very few. There are no proper buildings with the result that the students have to study under trees and during rainy season. These are no teaching arrangements at all. The system of education is not good and should be improved. Arrangements should be made to impart education in the mother-tongue of the pupil so far as linguistic minorities are concerned particularly in Bihar, Bengal and Orissa where such arrangements do not exist. The books recommended by the Bihar Text Books Committee should be introduced in all the schools.

Untouchability still exists in some form or the other. The condition of Harijans is diplorable. They are forced to carry might soil in buckets even to-day. This practice should be stopped immediately and in its place flush system should be introduced.

In Government services, reservation is there, but the candidates belonging to those communities are not selected on the plea that suitable candidates are not available and ultimately. These posts are de-reserved. This practice of de-reservation should be stopped. It is necessary that in service commissions, there should be a representative of these castes who can look to their interest.

For recruitment to R.P.F., the minimum height prescribed is 5'.4" but candidates from tribal areas do not fulfill this condition because their normal height is comparatively low and such they are deprived of the opportunities. The height should, therefore, be reduced for these candidates from 5'.4" to 5'.1".

The representation made by Shri S. P. Chaudhury about the allotment of land should be looked into so that we can construct his house.

In Chhota Nagpur, land has been illegally occupied in voilation for the Tenancy Act. The same should be got restored, and the Act implemented properly.

Shri Deo Rao Patil (Yawatmal) : The schemes initiated by the centre for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not being implemented by the State Governments. A committee consisting of M.L.A's belonging to these communities should be constituted in every State to watch the implementation of these schemes as well as the recommendations made by the Commissioner for scheduled castes and scheduled tribes. At present, reports of the commissioner are not discussed in the State Assemblies. A provision to this effect should be made in the constitution so that these reports can also be discussed in the State Assemblies.

It has been noticed that a nuber of new castes have been included in the list of scheduled castes and scheduled tribes by the States. This has been done in violation of the jurisdiction of the Parliament. In certain cases, such rules have been made as are contrary to the policy of the Central Government. For example, in Maharashtra, there is a rule under which no accommodation is reserved for scheduled castes, scheduled tribes in the colonies to be established by the Maharashtra Housing Board. This is against the policy of the Government. Steps should, therefore, be taken to improve this state of Affairs. There should be a department in every state to look after the welfare of scheduled castes and scheduled tribes.

The figures relating to unemployed persons belonging to scheduled castes and tribes are rising day by day particularly in rural areas. The agricultural labourers belonging to these communities in rural areas are worst by this problem.

In Government services, reservation is there, but the prescribed quota in this respect is not being filled up. The recruitment of employees under the district councils is made by the Divisional Selection Board and District Selection Board, but there are no representatives of scheduled castes and scheduled on these bodies. It is necessary to have representatives of these communities on these bodies so that they can watch the interests of these people.

So far as recruitment of persons belonging to scheduled castes and scheduled tribes is concerned a liberal policy should be adopted and merit should not be the sole criterion. Those who do not have land or any other means of livilihood, should be given preference at the time of selection.

Government should construct houses for the people belonging to scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes. If it is not possible, atleast housing plots should be provided to them so that they can construct their houses. A programme to this effect should be chalked out and it should be implemented by a prescribed date. The state of affairs as at present is not at all satisfactory.

Top priority should be given to the task of improving the economic condition of these people. In addition to land which is being provided by the Government to them, some money should also be made available to them so that they can purchase necessary agricultural implements. A scheme to this effect should also be chalked out.

Shri Atam Dass (Morena) : Efforts have been going for the last many centuries in the direction of improvement of Harijans. The great saints of our country in mediaeval ages preached social equality. They took pains for the uplift of the down trodden. It is a sad phenomenon that this malady of untouchability could not be uprooted from our midst.

We find that poor Harijans are being subjected to inhuman atrocities and murders are being comited in broad day light.

The police has been found inactive in murders and other crimes. They say and claim that so many dacoits have been caught or done to death. I doubt these claims. In my area the decoit menace is as threatening as it was in the past. They have kidnapped a large number of school going children. I believe that unless special effort is made in this regard, this problem cannot be touched.

I would like the hated names of Harijan castes to be changed. Secondly, the professions of Harijans should be adopted by persons belonging to other castes. In this way social status of Harijans could be elevated.

The reserved quota of posts for scheduled castes persons should be filled. Now we see that this is not done.

I appreciate the agitation called 'land grab agitation'. At the same time I doubt if this land will be given to the Harijans and the landless.

The ceiling on land holdings should be enforced throughout the country. The problems of Harijans should be attended to without delay.

Shri Raj Deo Singh (Jaunpur) : We are discussing the three reports of Commissioner of scheduled castes and scheduled tribes and the report of the Elyaperumal Committee on untouchability. The problems of these castes are national problems. An effort on the national scale will have to be made to tackle this. About one fifth population of our country belongs to these castes. Most of these people are backward. We will have to ameliorate their lot if we want our country to go ahead.

The caste system has been in vogue in our country during the past. We will have to say good by to this. The social disparities will have to be removed. The land reforms need immediate attention. The agitational approach will not help. It will lead us no where. The land should be distributed equitably and in a lawful manner. The difference between man and man should go. All should be treated alike in all spheres of life.

We come across very unsavoury incidents of untouchability every now and then in our country. I believe that if economic standard of Harijans is raised this problem will be solved automatically.

It is their economic backwardness and poverty which is the cause of their miserable lot.

The inter caste marriages should be encouraged. The State Governments should take steps in this direction. Our law is no hinderance in its way. Another suggestion that I want to make is that the Pujaris at the temples should be only those persons who are well educated. In regard to reservations of posts in services, I want to say that reserved posts should be kept vacant till next year if suitable persons belonging to these castes are not available in particular year. The quota of reserved posts for these people should be increased upto 50 per cent. It has been stated that we do not have even Governor from these castes. Our friend here Shri Kartik Oraon is a qualified person. I recommend his name. This demand of Harijan Members should be met.

The Indian Penal Code and Civil Procedure Code should be amended so that Harijans are not harassed unnecessarily.

Shri Sheo Narain (Basti) : Sir, an agitation has been launched from 9th August for land grabbing. I want that Government should pay attention to this land problem apply Minimum Wages Act to landless agricultural labourers.

There is ample land lying vacant along the railway lines in the country. It should be distributed among the Harijans. It will of great help to them. Similarly land in the catchment area of the Rajasthan Canal should be given to them. This Government boasts of being the benefactor of the poor, but there is great difference in its professions and actions.

I would like the Government to be realistic and to implement the Malkani Committee report. People belonging to these castes are the original inhabitants of this country. They have seen the ups and downs of history in this country. I give all credit to D.M.K. for doing away with Brahmin domination. I have been to Madras and seen things for myself. I want to warm Smt. Indira Gandhi that if her Government is not going to help the Harijans, they are not going to vote for her in the next general election. During these twenty years Government has done precious little. You can utilise L.I.C. funds for construction of houses for the Harijans.

I appeal to Shri Jagannath Rao and Shri Hanumantyya to help in the uplift of Harijans. The work of Harijans should be assigned to them. The Harijans problem should be declared a national problem and solved on a war footing. I ask this Government to do it honestly and properly.

श्री सिद्दय्या (चामराजनगर) : यह पहली बार है कि हम गत बीस वर्षों में चार रिपर्टों पर एक साथ विचार कर रहे हैं। पहले ऐसे होता था कि आयुक्त की रिपोर्ट पर विचार सरकार द्वारा उसपर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट के साथ विचार किया जाता था। ऐसी एक परम्परा चली आ रही थी।

जब श्री अशोक मेहता इस विभाग के मंत्री थे तो उन्होंने आश्वाशन दिया था कि आयुक्त की रिपोर्ट बजट सत्र में प्रस्तुत की जाया करेगी और उस पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट नवम्बर में प्रस्तुत की जाया करेगी। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

इस बार जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके शब्द भी पहले के प्रस्तावों से भिन्न है। इन्हें ठीक किया जाना चाहिये।

मुझे इलियापेरूमल समिति का सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस समिति को सरकार ने केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की सिफ़ारिश पर नियुक्त किया था। इस समिति की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर अलग से चर्चा होनी चाहिये थी। इसमें अनेक सिफारिशें की गई हैं। एक सिफारिश देश में जाति प्रथा समाप्त करने के बारे में है। यह एक आधारभूत प्रश्न है। इस जातिवाद के कारण से अस्पृश्यता फैलती है। जातिवाद समाज विरोधी होने के साथ राष्ट्र विरोधी भी है। हमें यदि भारत में लोकतन्त्र को बनाये रखना है तो जातिवाद को समाप्त करना होगा। अतः इस बारे में वार्यवाही करना बहुत आवश्यक है।

उद्योगो के बारे में, ऐसे औद्योगिक नीति संकल्प पारित किया गया था उसी प्रकार एक समाजिक नीति संकल्प की सिफारिश की गई है। समिति ने आयुक्त के कार्यालय के पुनर्गठन के बारे में एक सिफारिश की गई है। संसदीय समिति ने भी ऐसी ही सिफारिश की है। पहले

आयुक्त के क्षेत्रीय अधिकारियों की संख्या 17 थी। अब वे नहीं है। ऐसा करने में सरकार की अर्थात मंत्रिमंडल की स्वीकृति नहीं ली गई है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन अधिकारियों की पुनः नियुक्त करें। नहीं तो हम अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के यहां पर 114 सदस्य कोई भी कुर्बानी करने से नहीं हिचकिचायेंगे।

सेवाओं में नियुक्तियों के लिये गठित किये जाने वाले चयन बोर्डों में इन जातियों के प्रतिनिधियों को लिया जाना अनिवार्य बनाया जाना चाहिये। अब जो चयन बोर्ड है उनसे अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के उम्मीदवारों को न्याय नहीं मिलता। केन्द्रीय सरकार के चयन बोर्डों के बारे में यह निर्णय किया जा सकता है। समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के हितों का संरक्षक माना जाता है परन्तु मेरे विचार में इसने इन लोगों के लिये कोई कार्य नहीं किया है। इलियापेरूमल समिति ने इसकी अलोचना की है।

हमें प्रसन्नता है कि अब श्री हमुमन्तैया इस विभाग के मंत्री है। वह एक अनुभवी व्यक्ति हैं।

अब वह स्वयं सामाजिक कल्याण विभाग के मंत्री बन गए हैं। उन्हें अब इस विभाग में सुधार इस प्रकार से करना चाहिए कि वह विभाग प्रभावपूर्ण ढंग से काम करे और आयुक्त तथा अन्य विभागों द्वारा दी गई सिफारिशों को क्रियान्वित करे। प्रायः यह कह दिया जाता है कि आयुक्त की सिफारिशों की क्रियान्विति का दायित्व राज्य सरकारों पर है। यह बात अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में तो ठीक हो सकती है किन्तु अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध मे ठीक नहीं है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 339 (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए राज्यों को आवश्यक निदेश देने का अधिकार प्राप्त है। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत 1950 से लेकर अबतक राज्य सरकारों को कितने निदेश केन्द्रीय सरकार ने जारी किये हैं।

श्री हनुमन्तैया [illegible] व्यक्ति हैं। उन्हें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से पूर्ण सहानुभूति [illegible]। मैं चाहता हूँ कि वे ऐसा प्रयत्न करें जिससे सभी राज्यों में आयुक्त के प्रतिवेदन पर प्रतिवर्ष विचार-विमर्श हो, केन्द्र में जिस प्रकार की इन जातियों से सम्बन्धित एक संसदीय समिति है वैसी ही विधायको की समिति प्रत्येक राज्य में हो जहा तक समाज-कल्याण विभाग के पुनर्गठन का सम्बन्ध है, इस विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के पद पर इन जातियों के ही किसी व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिये।

श्री रा० कृ० बिड़ला (झुनझुन) : मेरे सभी मित्रों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की दयनीय दशा का उल्लेख किया है। मैं इन सभी के विचारों का समर्थन करता हूं।

[श्री क० न० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwari *in the Chair*]

जहां तक आदिवासियों के कल्याण का सम्बन्ध है, मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि भेड़-पालन और ऊन उतारने का उद्योग अदिवासियों के लिये सुरक्षित कर दिया जाये क्योंकि इन लोगों का यह व्यवसाय सदियों से पैतृक व्यवसाय के रूप में चला आ रहा है और आस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड को भेड़-पालन के कार्य में प्राशीक्षण प्राप्त करने के लिये आदिम जातियों के छात्रों को भेजा जाये। भेड़-पालन से सम्बन्धित अन्य उद्योग भी इन्हीं लोगों के लिये सुरक्षित रखे जाये।

भविष्य में इन लोगों के लिये सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में पदों में प्रतिशतत: निर्धारित की जानी चाहिये। सरकार ने इन लोगों की शिक्षा और रोजगार के लिये क्या किया ? उनके पीने के पानी के लिये सरकार ने विशेषरूप से राजस्थान में क्या किया ? वस्तुत: सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। सरकार को इनके लिये नियत राशि का एक भाग पेय जल की व्यवस्था अर्थात कुएं अदि खोदने के लिये निर्धारित करना चाहिये। हरिजनों को सभी कुओं से पानी भरने का अधिकार है किन्तु यदि कानून को अमल में नहीं लाया जाता तो उसका कोई लाभ नहीं है। हम केवल बाते करते हैं। उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं, किन्तु उनके कल्याण के लिये ठोस कार्य नहीं करते हैं। उनके सुधार के लिये ठोस कार्य किया जाना चाहिए। अपने निर्वाचन क्षेत्र का एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। गंगानगर के छानी गांव के कुछ हरिजनों पर दो वर्ष पूर्व आक्रमण किया गया था उनका पानी बन्द कर दिया गया था। यह मामला केन्द्रीय और राज्य सरकार दोनों के सामने लाया गया था किन्तु उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अब देखना हैं कि श्री हनुमन्तैया इस दिशा में क्या कार्य करते हैं।

Shri Shambhu Nath (Saidpur) : Mr. Chairman, since I came to Parliament I have been hearing the Members and the Ministers speaking in the same tone on this issue. Today also same things are being repeated. There is nothing new. Shri Govind Menon, showed some interest is understanding the problems of Harijans and tribals and a Parliamentary Committee for scheduled castes and scheduled tribes was constituted. But I am sorry to say that necessary steps are not being taken to remove the difficulties faced by these people or to solve the problems of these people, though a period of 22 years has elapsed since independence.

As regards the suitability of Harijans and tribal people for service, people need not doubt their suitability. I would like to charge those as 'not suitable', who say that Harijans are not suitable for service. Of course, they are unsuitable in one respect that they are unsuitable to exploit the others. But they work hard to fulfil the responsibility entrusted to them. As regards reservation of posts for these people, the percentage of reservation is being reduced in Central Secretariat. The rules governing the reservation of posts for these castes and tribes are changed from time to time. There is no power with the Department of Social Welfare to force the Home Ministry or other ministries/departments of Government to work in accordance with rules. As regards their recruitment to

armed force, people say that the people of these castes and tribes should not be recruited to armed forces because they belong to non-martial races. Such people should feel ashamed.

If Government wants that their economic condition should improve, they should be given facilities to start small scale industries in the villages. Land should be given to Harijans. The idea of having their own land should remain alive in their minds. Suppressing this movement will not do. Secondly, I want that the Department of Social Welfare should be given more powers so that it could deal with those people who commit atrocities on Harijans. Moreover, Harijans should be given free justice *i.e.* free legal help.

Shri Hakam Chand Kachwai (Ujjain) : Sir, I am sorry to say that Government is itself responsible for the delay in holding discussion on this issue. From these reports I would like to quote some figures. In class I services only two percent Harijans were taken instead of 15 per cent. As regards tribal people, 5 per cent tribal people were to be taken in class I services, but only 1/3 per cent people were taken. As regards the indebtedness of these people, the figures show that in rural areas Harijans are in debt to the extent of 62 per cent. In urban areas this percentage is 47. How can these people make progress so far as they are in such a deplorable economic condition ?

It is good that some relaxation in respect of prescribed percentage of marks is given to some students belonging to the scheduled castes and tribes for admission in medical and engineering colleges. Such relaxation should be given to more candidates so that not even a single reserved seat remain vacant in the said colleges. Harijans should be recruited in the armed forces. Their children should be allowed to take admission in Sainik Schools. (Seats should be reserved in Sainik schools too. We all should support a Private Member's Bill providing for reservation of seats for these people on the basis of proportion and reserved seats should be filled in by appointment of the people belonging to these scheduled castes and tribes.

Several times such assurances have been given that the railway land lying on both sides of railway track will be given to Harijans for cultivation, but the assurances to this effect have not yet been fulfilled. To improve their economic condition I would like to suggest that a special tax should be imposed on those whose income ranges from 25 to 50 thousand and the money so realised should be spent for the uplift of these people. A Higher Secondary School should be opened in Badal village of Punjab State where a large number of Harijans live. I hope Government will pay attention to what I suggested.

Shri Ram Dhan (Lal Ganj) : Mr. Chairman, the problems of the scheduled castes and the scheduled tribes people can be solved only if the efforts to solve them are made at war-footing. If Government want to do away with the untouchability, they will have to take some stern measures. Here I would like to give a warning that the problem of untouchability cannot be solved so long as there will not be intercaste marriages. Even the so-called communists, who are caste Hindus, are not prepared to undertake intercaste marriage.

I would like to point out that it is the duty of Majistrate under law to prepare a statement every month in which the details of the cases of practice of untouchability are given. These days this statement is prepared in routine matter and it is stated therein that no such case has been reported so far.

Some institutions like Banaras Hindu University used to give some concessions in respect of fee etc. to Harijan students, which have been curtailed now. Only two training centres have so far been opened to train the Harijan candidates for I. A. S. more training

centers should be opened. The problem of housing being faced by Harijan should also be solved. There should be a provision for out of-turn allotment of accommodation to Harijan employees, because they do not easily get houses on hire.

These days there is great hue and cry about the land reforms. Land grab movement is being termed as unconstitutional and unlawful. But the constitution is being flouted daily so far as the problems of Harijans are concerned. As regards reservation in services. I would like to say that there are more cases of termination of services than reservation. If their condition continues to we the same, they will resons to demolish the existing social structure and will creat a new social order in which they will have equal status and opportunities.

श्री एस० कन्डप्पन (मैटू) : सभापति महोदय संविधान के अन्तर्गत नियुक्त किये गये आयुक्त तो अपना कर्त्तव्य निष्ठा से करते हैं किन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन कोई भी सत्ताधारी व्यक्ति पढ़ने तक का कष्ट नहीं करता ।

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : मेरा यह निवेदन है कि इसके लिए कोई निश्चित प्रक्रिया होनी चाहिए । मैं इस बात का तो समर्थन करता हूँ कि राष्ट्रीय महत्त्व के विषय पर सदस्यों को अधिक समय दिया जाये किन्तु मैं यह नहीं चाहता कि मंत्रियों को प्रतीक्षा करनी पड़े । आप मुझे निश्चित समय बता दीजिये कि मुझे कब बोलना है । चाहे आप कल का समय दें, मुझे इस बात की चिन्ता नहीं है । सरकार के लिए जो समय नियत किया जाये, ठीक उसी समय पर मंत्री को बोलने के लिए बुलाया जाये, अन्यथा संदिग्धता की स्थिति बन जाती है ।

सभापति महोदय : मैं आपको 5 बजे म० प० पर बुलाऊंगा ।

श्री सोनावने (पंढरपुर) : श्रीमान्, चूंकि कई प्रतिवेदनों को चर्चा के लिए एक साथ सभा के समक्ष लाया गया है इसलिए यह तर्कसंगत और आवश्यक है कि उनके लिए कम-से-कम 20 घंटे का समय दिया जाये । यदि इससे कम समय दिया गया तो हमें संतोष नहीं होगा ।

सभापति महोदय : किन्तु मुझे तो कार्य मन्त्रणा समिति के निर्णय के अनुसार चलना है । मैं तो अधिक से अधिक आधे घंटे के समय को इधर-उधर कर सकता हूँ । अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे कम समय लें, जिससे अधिक से अधिक सदस्य बोल सकें ।

श्री सोनावने : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में उन सदस्यों को भी बुलाया जाना चाहिए था जिन्होंने इसके लिए अधिक समय की मांग की थी । किन्तु ऐसा नहीं किया गया ।

अब कार्य मंत्रणा समिति के मतानुसार उन्होंने ऐसा नहीं किया है । परन्तु हमारा मत है कि इस विषय पर विचार विमर्श के लिये कम से कम बीस घण्टे नियत किये जाने चाहिये ।

सभापति महोदय : आप कार्यवादी चलने दीजिये मैं इस बारे में विचार करूंगा ।

Shri Shambdu Nath : I propose that the 20 hours should be allotted for this discission.

Mr. **Suraj Bhan** (Ambala) : There is a convention in this House that before the Minister of Social Welfare participates in the Debate, the Home Minister intervenes so that he could reply in regard to representation of there people in the services, but the Home Minister is not here. So, the debate may be postponed till tomorrow.

श्री सरदार अमजद अली (बसीरहट) : लगता है मंत्री महोदय चर्चा का उत्तर देने के लिये बड़े बेचैन हैं। यह बड़ा गम्भीर तथा महत्वपूर्ण विषय है तथा पहले वह माननीय सदस्यों के विचार सुने। इस चर्चा के लिये समय बढ़ाया जाये।

श्री हनुमन्तैया : मैं समय बढ़ाने के विरुद्ध नहीं हूँ परन्तु इस बारे में निश्चित समय होना चाहिये।

सभापति महोदय : मैं संसद कार्य मंत्री से पूछ रहा हूँ कि क्या वह समय बढ़ाये जाने के पक्ष में हैं?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं सभा द्वारा इस प्रतिवेदन पर पूरी तरह विचार किये जाने में बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहता परन्तु मैं यह चाहूँगा कि सभी को अवसर देने के लिये माननीय सदस्य समय में उचित वृद्धि की बात कहें। मुझे थोड़ी कठिनाई भी है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों ने कहा है कि उक्त चर्चा आज ही समाप्त हो जानी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री सोनावने : कार्य मन्त्रणा समिति में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों का एक भी सदस्य नहीं हैं। अतः समय को 20 घण्टे तक बढ़ाया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : सभा चाहती है कि समय बढ़ाया जाये। मैं मंत्री महोदय को कल उत्तर देने के लिये कहूँगा। इस बीच यह चर्चा 5-30 बजे तक चलेगी। इसके बाद आधे घण्टे की चर्चा होगी। कल कितने समय तक चर्चा चलेगी इसका निर्णय अध्यक्ष महोदय करेंगे। वैसे आज चर्चा जारी रहेगी।

श्री सोनावने : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस समय विचारार्थ दो प्रस्तावों पर चर्चा के समय को बढ़ाकर बीस घण्टे कर दिया जाये"।

श्री अब्दुलगनी डार (गुड़गाँव) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

सभापति महोदय : मेरा निवेदन है कि आप अध्यक्ष महोदय से मिल लें तथा उनसे समय निर्धारित करालें।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : मैं कार्य मन्त्रणा समिति का सदस्य हूँ। अभी अभी मुख्य सचेतक ने कहा है कि उन्होंने यह बात सभा पर छोड़ दी है और सभा सर्वोच्च है। मैं श्री सोनावने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : एक प्रस्ताव किया गया है कि समय को बढ़ाकर 20 घण्टे कर दिया जाये। 8 घण्टे बीत चुके हैं और कल चार घण्टे और दे दिये जायें ताकि इस विषय के लिये कुल 10 घंटे दिये जा सकें।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मेरा संशोधन है कि 30 घण्टे कर दिया जाये।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : संसद-कार्य मंत्री ने कहा है कि मंत्रणा समिति के निर्णयानुसार चले। अब यह आप पर हैं कि आप कितना समय निर्धारित करें। एक प्रस्ताव पेश किया जा चुका है। अब संसद-कार्य मंत्री भी कहते है कि सभापति महोदय जो चाहें निर्णय करें।

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) : व्यवस्था के प्रश्न पर। यह प्रश्न कार्य मंत्रणा समिति में [illegible] गया था। उस समय हमें बताया गया था ......*

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा समिति में जो कुछ होता है वह उसका अपना भीतरी मामला [illegible] यह कथन कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री रघु रामैया : सभा में व्यक्त भावनाओं को देखते हुए मेरा सुझाव है कि इस विषय पर [illegible] जाये।

सभापति महोदय : क्या श्री सोनावने अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री शिव नारायण : वह प्रस्ताव अब सभा की सम्पत्ति है। वह इसे वापस नहीं ले सकते

श्री सोनावने : यदि यह सुझाव पहले आया होता और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों को कार्यमंत्रणा समिति में बुलाया गया होता जो कि चर्चा के समय को 20 घंटे तक बढ़ाने के लिये जोर दे रहे थे तो हम मान जाते। परन्तु न जाने संसद-कार्य मन्त्री कैसे कार्य करते हैं। आयोग के प्रतिवेदनों का ढेर लगता जा रहा है तथा उनकी ओर [illegible] ही कम ध्यान दिया जाता है। यही हमारी चिन्ता का कारण है यदि मेरे प्रस्ताव पर [illegible] विचार किया जाये तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री शिव नारायण : हम चाहते है कि इस प्रस्ताव लर मतदान हो। वह इस प्रस्ताव को वापस नहीं ले सकते।

श्री पीलू मोदी : सभा की अनुमति बिना वह अपने प्रस्ताव को वापस नहीं ले सकते।

सभापति महोदय : इसी लिये मैं प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिये रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

*सभा के कार्य वाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

"कि इस समय विचारार्थ दो प्रस्तावों पर चर्चा के समय को बढ़ाकर 20 घंटे कर दिया जाये।"

श्री रघुरामैया : हम प्रस्ताव का विरोध नहीं कर रहे हैं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री कन्डप्पन : मुझे प्रसन्नता है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्धित सदस्यों ने, यदि और कुछ नहीं, तो कम से कम इस विषय पर विचार करने के लिये निर्धारित समय में वृद्धि तो करा ही ली।

गृह-कार्य मंत्री यहां दौड़े हुए तो सभा में आये हैं कि कहीं मतदान में उनकी सरकार को मात न हो जाये। परन्तु मुझे खेद है कि उन्होंने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हितों तथा समस्याओं के सम्बन्ध में अपेक्षित रूचि नहीं दिखाई।

अनुसूचित जातियां क्या अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों पर गत चार-पांच वर्षों से यहां चर्चा भी की गयी। इनके दो कारण है। एक तो यह कि केन्द्र सरकार अनेक विषयों को राज्य सरकारों का विषय कह कर टाल देती है तथा दूसरा यह कि सरकार के संबंधित विभागों के पास इन समस्याओं का समाधान करने हेतु समुचित तथा अपेक्षित धनराशि नहीं है। श्री हनुमंतैया हरिजनों के प्रति सहानुभूति तो अत्याधिक प्रदर्शित करते हैं परन्तु उनके लिये धन उनके पास नहीं है। खाली नारे बाजी से तो इन करोड़ों देशवासियों की समस्याएं हल न हो सकेंगी। सरकार का समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों की गंभीर समस्याओं की ओर विशेष रूप से ध्यान नहीं देता। यह कार्य उस विभाग से अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से एक हैं तथा इस विभाग का जितना कुल कार्य है यह उसका एक आवश्यक अंग है। यदि केन्द्र सरकार इस मामले के प्रति गंभीर है तो इस विभाग को चाहिये कि वह श्रमिकों, विकलांगों आदि के कल्याण तथा उत्थान के लिये दत्तचित्त होकर कार्य करे। परन्तु इस विभाग के पास इन कार्यों के लिये बहुत कम धन दें तथा अन्य खर्चे को निकालने के बाद हरिजनों के कल्याण आदि के लिये नगण्य धन बच पाता है कुल नियत राशि का अधिकतम भाग स्थापना संबंधी प्रचारों पर व्यय कर दिया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप उन लोगों के हितार्थ धन खर्च नहीं हो पाता जिनके लिये कि वह प्रदान किया जाता है। इससे अच्छा तो यही है कि इस विभाग को ही बन्द कर दिया जाये ताकि हरिजनों के हितों को हानि तो न पहुंचे। मेरा अनुरोध यह है कि या तो सरकार इस विभाग की कार्य प्रणाली में सुधार करके इसे दलित लोगों के ही कल्याणार्थ विभाग बना दे या फिर वह इन कार्य को केवल राज्य सरकारों पर ही छोड़ दें। इस सम्बन्ध में केन्द्र ने राज्य सरकारों को दिये गये अपने वचन का भी पालन नहीं किया है। यदि सरकार इस काम को स्वयं करना जारी रख रही है और राज्य सरकारों को भी इसके लिये सहायता देना जारी रख रही है तो वह राज्य सरकारों को न केवल आर्थिक सहायता ही दे बल्कि अन्य प्रकार से भी उनकी सहायता करें। राज्य सरकारें हरिजनों के आर्थिक उत्थान के

लिये कुछ योजनायें बनाये और केन्द्र सरकार उन्हें हर रूप से मदद करे। इसी प्रकार राज्य सरकारें इन दलित लोगों का कुछ कल्याण कर सकती हैं।

मेरे क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये राज्य सरकार ने वचन दिया है कि वर्ष 1971 के अन्त तक सारे ग्रामीण क्षेत्र का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा। परन्तु राज्य सरकार को इस बारे में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि जिस गांव में हरिजन बस्ती भी है उसके विद्युतीकरण को वरीयता दी जाये। इसी प्रकार मामलों पर जोर डालकर हरिजनों की कल्याण सहायता की जा सकती है। अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजन बस्तियों को तुरन्त विद्युत मिल रही है तथा राज्य सरकार को क्षेत्रीय दायित्व भी नहीं पड़ता क्योंकि ग्राम पंचायतों को स्वंय ही तत्सम्बन्ध खर्च वहन करना होता है। इसी प्रकार बसें चलाने के लिये लाईसेंस देने की योजना है। लोगों को अपनी सहकारी संस्था बनाने को कहा जाता है और फिर इन सहकारी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाती है। इन सहकारी संस्थाओं में भी सुशिक्षित युवक हरिजनों को प्राथमिकता दी जाती है जो इन उपक्रमों को चला सकें तथा जिन्हें इस के सम्बन्ध में इंजीनियरिंग आदि का ज्ञान हो। वे लोग अपनी सहकारी संस्थाएं बनाकर बैंकों से ऋण प्राप्त कर ऐसे उद्यम चला सकते हैं। यदि केन्द्र सरकार ऐसी ही उपायों के बारे में सोचे तथा राज्यों को भी सूचित करे और राज्य सरकारें भी इन्हें क्रियान्वित करें तो हरिजनों के उत्थान की दिशा में काफी प्रगति हो सकती है।

आज की सामाजिक प्रवृत्ति इस प्रकार की है कि धनवान व्यक्ति के सम्बन्ध में जाति-पाति का भी अधिक विचार नहीं रखा जाता। परन्तु निर्धन व्यक्ति को तो सब ही दीन दृष्टि से देखते हैं। धनवान हरिजन के साथ कोई सुवर्ण हिन्दु भी वैवाहिक सम्बन्ध जोड़ने में अधिक नहीं सकुचाता। समूचे देश के नागरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसी प्रकार की प्रवृत्ति है। इस आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिये केवल मौखिक सहानुभूति से काम नहीं चलेगा इसके लिये सरकार को गंभीरता से विचार करके कार्यवाही करनी होगी। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित करें तथा इह बात को उन पर जाहिर करने का प्रयास करें कि कौन से ऐसे उपाय किये जायें जिससे वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम समितियों को लाभ पहुँचाने हेतु, कुछ कल्याणकारी कार्यवाही कर सके। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है।

हरिजन समस्या का एक अन्य पहलू अपृश्यता है। प्रत्येक व्यक्ति इस समस्या का उल्लेख करता है परन्तु मैं देखता हूँ कि जब से देश में मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ है, चुनाव होने लगे हैं तब से यह जातीय भेद भाव अधिक विकृत रूप में सामने आया है। विभिन्न समुदायों के मध्य भेद भाव कुछ बढ़ते ही दृष्टिगोचर होते हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिये सामाजिक संस्था बनायी जानी चाहिये क्योंकि राजनैतिक दृष्टिकोण से तो यह समस्या और अधिक उलझती है। इसीलिये श्री ई०वी० रामास्वामी वैकट ने तयल नाडू में चौथे दशक के आरंभ में एक ऐसा संगठन चालू किया था : जब तक इन समुदायों के पास अपनी सहायता स्वंय करने के लिए एक प्रकार का सामाजिक संगठन न होगा, तब तक इस समस्या को हल करना कठिन ही होगा।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : First of all, I express my happiness over the extension of time from 8 hours to 20 hours for a discussion on the report of the Commission of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and some how, Members will be able to get one more chance to express their views thereon.

It is rather a matter of dishonour for our country that about 25 per cent of our countrymen are treated inhumanly by their own bretheren. This ill treatment to our backward and down trodden people have been continuing for thousands of years thereby blotting the pages of history and culture. The contemporary administrations also continued colerating this. Worth social evil and this was also a big factor to our hundreds of year's slavery. On account of this indiscriminate treatment towards Harijans and other down trodden communities or nation has been weakened gravely and still we are not as strong a nation as we should have been. This also amounts to be a great factor to our lesser influence and honour in other countries.

So, we will have to bring about a radical change both in our view point and social system of society. Otherwise, the nation will get weakened further and our future will be dark. If we do not effective change, we might have to face some sort of revolution which would force the people either to change or it would break them into pieces who would resist this revolution of change. Social Justice has been assured and guaranteed to all of us, irrespective caste, creed and class, in the Preamble of our Constitution. Now the time has come when we will have to fulfil these assurances as provided in our Constitution. We shall have to uplift those people who have been suppressed by ourselves. We shall have to uplift those who remained backward just on account of being looked down upon by their own prosperous and cast countrymen.

These backward and down trodded communities, *i. e.* Harijans etc. have been the backbone of our society right from the very beginning. They served their cast brethren quite calmly and sincerely and is it not a curse that is turn, they were down-graded, underated and pushed down by those many people whom they served ? The luxuries and prosperity of our other countrymen rests on the sincere and devoted service of our Harijan brethren.

So, we all should comeout to work for the settlement and upliftment of our Harijan brethren. We should contribute quite generously and form a sort of Development Fund for them. The Central Govt. should also come forward with some matching grant. Let us form a Corporation for the betterment of our Harijan brothers so that they may develop *i. e.*some confidence, and may belive that India does not offer lip-sympathy only but is desirious of doing something for them in true spirits also.

Today all of us want that these downtrodded people should not be victimised any more and that effective measures should be undertaken for social, political and economic growth. We cannot afford any further to sleep over the provisions of equality and fraternity for these people. We should be repentant over our past mistakes.

I am sorry to point out that this class of our countrymen is being selfishly exploited by certain vested interest in the name of land-grab movement. But let it be know to such interests that no doubt our poor class of people—the Harijans and backward brethren are very poor and wanting, but they are not as foolish as could be made the instruments of the evil designs of such vested interests. I favour a ceiling on the land of big land lords; let the maximum be fixed at 25 or 30 standard acres, but it should be done with in a certain time-limit. Let ceiling be fixed on the lands of Birlas, Tatas, Dalmias and many alike who have got a lot of land in the names of their wives, children or under various fictitious names. This work should be done quite expeditiously, otherwise people are in no mood of waiting for a long time.

Also I request that the poor farmers should be properly looked after and given their due share in this behalf.

सदस्य की गिरफ्तारी
ARRESTING OF MEMBER

(श्री सरजू पाण्डेय)

सभापति महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि अध्यक्ष महोदय को सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, जौनपुर से दिनांक 11 अगस्त, 1970 का निम्नलिखित तार-संदेश प्राप्त हुआ है।

"लोक सभा सदस्य श्री सरजू पाण्डेय को आज जौनपुर में रात्रि दस बजे, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 114 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया तथा सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट जौनपुर के आदेशानुसार जिला-कारागार में रखा गया।"

* भारत-नेपाल व्यापार वार्ता
** Indo-Nepal Trade Talks

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : नेपाल तथा हमारे बीच व्यापार तथा माल के आदान-प्रदान की संधि 31 अक्तूबर, 1970 को समाप्त होने वाली है। समाचारों से ज्ञात होता है कि संधि के बारे में वार्ता करने वाले व्यक्तियों के समक्ष थोड़ा कठिन समय है।

श्रीमान, नेपाल तथा भारत की जनता में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सभ्यता के आरम्भ से ही पाये जाते हैं। दोनों देशों के ये सम्बन्ध केवल भौगोलिक तथ्यों या प्राकृतिक रूपीयता के कारण ही नहीं है बल्कि ये बातें तो हमारी और नेपाल की मित्रता को और अधिक संदिग्ध करने में सहयोगी तत्व सिद्ध होते हैं। वस्तुतः तो नेपाल और भारत के मध्य जो मित्रता रही है वह बहुत ही प्राचीन तथा अटूट है क्योंकि हमें और नेपाल को जो बातें विरासत में मिली हैं वे प्रायः एक-सी हैं। हमारा और उनका धर्म तथा संस्कृति एक जैसी है। यही कारण है कि अनेक मामलों में हमारी और उनकी समस्यायें भी प्रायः एक जैसी हैं।

भारत और नेपाल जैसे देशों के मध्य कोई व्यापार समझौता होने से दोनों में से किसी एक को कोई आर्थिक हानि हो सकती है यह सोचना ही बचकाना तथा अहम अध्य बुद्धि का प्रतीक है। वस्तुतः तो दोनों देशों के आर्थिक उद्देश्य एक से हैं तथा पारस्परिक हैं। इसीलिये मुझे ये समाचार पढ़कर बड़ा खेद तथा दुःख हुआ कि कोई ऐसी आवश्यक अनमनप्यकता अथवा भ्रम की उत्पत्ति हो गई है जिससे भारत तथा नेपाल के मध्य आगे होने वाली व्यापार तथा परस्पर आदान-प्रदान सम्बन्धी सन्धि-वार्ता पर कुप्रभाव पड़े। यह सोचना ही भ्रान्तिपूर्ण है कि इस प्रकार

---

* आधे घण्टे की चर्चा

** Half-an-Hour discussion

की संधि से दोनों में से किसी भी देश के आर्थिक हितों को नुकसान हो सकता है। वस्तुतः इस प्रकार की संधि इन दोनों देशों की जनता के लिये अत्यन्त ही लाभ प्रद हो सकतीं है।

ऐसी प्रतीत होता है कि नेपाल भारत से दो रियायतें प्राप्त करने को उत्सुक है। पहली रियायत तो भारत में उसके माल के आने जाने की अप्रतिबन्धित स्वतंत्रता के बारे में है तथा दूसरी रियायत वहां पर निर्मित माल को बिना किसी रोक टोक के भारत में विक्रय करने की अनुमति की है। इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से मेरी सहानुभूति नेपाल की मांगों के पक्ष में है। दोनों देशों की परस्पर प्राकृतिक स्थिति के कारण ही इस प्रकार की मांगें पैदा होती हैं।

यह समय बड़ा महत्वपूर्ण है जबकि दोनों देशों के कुशल व्यक्ति आगामी संधि के लिये वार्ता कर रहे हैं। श्री के०वी० लाल, जो कि एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी हैं, इस सारे मामले को संभाल रहे हैं, उनके सामने भी अनेक कठिनाइयां हैं। इस समय मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता जिनसे कि इस वार्ता के हितों को हानि पहुँचे परन्तु इतना अवश्य कहूँगा कि भारत को इस प्रस्ताव पर समुचित ध्यान देना चाहिये और नेपाल के लोगों को आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने हेतु सुविधायें तथा कुछ रियायतें देने में उदारता से काम लेना चाहिये।

[श्री श्रीचन्द गोयल पीठासीन हुए
Shri Shri Chand Goel *in the Chair*]

एक परिवार के सदस्य की भांति हम नेपाल के साथ सहयोग करना चाहते हैं और उसकी मदद करना चाहते हैं। परन्तु नेपाल को भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को महसूस करना चाहिए। भारत में संसदीय प्रजातन्त्र की प्रणाली हैं और हम समाजवाद लाने के लिए तत्पर हैं और इस कारण हमारे व्यापार के समग्र ढाँचे पर कुछ प्रतिबन्ध लगे हुए हैं। हमारी अर्थ-व्यवस्था अत्यधिक नियन्त्रित और विनियमित है। व्यापार पर भी अनेक विनियम लागू हैं। हमारे लिए किसी भी सन्धि में इस प्रकार की किसी व्यवस्था को स्वीकार सम्भव नहीं है, जिससे सरकार की मौलिक नीतियों पर आँच आती हो।

यह देखा गया है और यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान संधि सम्पूर्ण नेपाल की जनता और उसके औद्योगीकरण में सहायक सिद्ध नहीं हुई है, बल्कि इससे इस देश के और नेपाल के कतिपय बेईमान व्यापारी लाभ उठा रहे हैं। इनमें कुछ भारतीय और कुछ नेपाली शीघ्र से शीघ्र धनवान होने के लालच में इस सन्धि का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। यह सभी को ज्ञात है कि ये व्यक्ति उद्योग चलाने का एक झूठा और नकली प्रदर्शन करते हैं और नेपाल में अत्यधिक सस्ती कीमत पर वस्तुओं का आयात करते हैं। इन वस्तुओं के वहाँ सस्ते होने का कारण यह है कि वहाँ नगण्य आयात-शुल्क है। इन्हीं वस्तुओं को अन्त में नेपाल द्वारा भारत में अत्यधिक लाभ पर बेच दिया जाता है। इससे वहाँ के व्यापार अथवा उद्योग को लाभ होने के बजाय कुछ व्यक्तियों को ही लाभ होता है।

इस सन्धि का एक अत्यधिक विनाशकारी परिणाम नेपाल के माध्यम से भारतीय सामान का निर्यात है। भारतीय अभ्रक, जूट, चीते की खाल, बकरी की खाल और भारतीय दालों का नेपाल के माध्यम से निर्यात किया जाता है। नेपाल में बोनस बाउचर स्कीम है, जिसके अन्तर्गत

विदेशी मुद्रा कमाने पर कुछ बोनस दिया जाता है। इसलिए केवल इसी लाभ को प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय वस्तुओं का नेपाल के माध्यम से निर्यात किया जाता है। इससे केवल कुछ व्यक्ति ही लाभ उठा सकते हैं, परन्तु सारे देश को अथवा वहाँ के आद्योगीकरण में इससे कोई भी लाभ नही होता है। मुट्ठी भर लोगों को नाजायज रूप से लाभ उठाने का मौका देने वाली इस प्रकार की सन्धि नेपाल की जनता और भारत दोनों के लिए ही हानिकारक है। मुझे पूरी आशा है कि नई सन्धि में इस तथ्य का ध्यान रखा जायगा।

यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत-चीन सम्बन्ध सन्तोषजनक नही रहे हैं। यह और भी अधिक अफसोसजनक है कि नेपाल स्थिति का इस प्रकार लाभ उठा रहा है। और इस प्रकार से शक्ति सन्तुलन कर रहा है जिससे भारत पर राजनैतिक दबाव पड़े। इससे नेपाल की कोई मदद होने वाली नहीं है। इससे केवल भारत और नेपाल के मध्य एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ही उत्पन्न होगी। मुझे आशा है कि अब स्थिति में और अधिक बिगाड़ नहीं आयेगा।

अंत में, मेरा यह निवेदन है कि अगर नेपाल ने, इतिहास के द्वारा हमें सिखाये गये कटु अनुभव को भुलाकर चीन के तुष्टीकरण की नीति को अपनाना जारी रखा। तो यह उनकी भारी भूल होगी।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. chairman, the Indo-Nepalese relation has strategic importance from security and defence point of view of our country. Our relations with Nepal, not only on Government level but on people to people level also are so deep that they seem to be inseparable. Our Government has been extending help and assistance to Nepal for execution of projects and for rapid development of that country.

We do not want to interfere in the internal affairs of Nepal. We also do not have any ill feelings against its different set up of administration, but I do hope that Nepalese Govt. would certainly differentiate between India and China. I would like to know from the Hon'ble Minister whether he would assure the house that the Government would be liberal in concluding a trade pact with Nepal.

Some times Government of India commits blunders, *e.e.* our Government issued a passport to Mr. B. P. Koirala against the wishes of Nepalese Government, I do hope that India would not interfere in the internal affairs of Nepal and that country would also not do any such thing which would have adverse effect on trade relations.

I would like to know from the Hon'ble Minister as to what assurance has been given by Nepal to check smuggling and about adopting a special attitude by them towards China. I would also like to know the extent of smuggling that has been going on through Nepal and what steps have been taken by the Government in Co-operation with Nrepalese Government ? to check it ?

श्री समर गुह (कन्टाई) : इसमें कोई सन्देह नहीं है कि भारत और नेपाल के सम्बन्ध एतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से अटूट हैं। नेपाल और भारत के सम्बन्ध पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस समय, नेपाल का शाही शासन भारत के साथ राजनैतिक खिलवाड़ कर रहा है। वह पाकिस्तान और चीन के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपना रहा है।

चाऊ एन लाई ने नेपाल की यात्रा की और अब राष्ट्रपति याह्या खाँ वहाँ की यात्रा पर जा रहे है; लेकिन कोइराला बन्धुओं और समाजवादी पार्टी के अपने भूतपूर्व साथियों का स्वागत करने पर नेपाल में शोर मचाया जाता है। नक्सलपंथी आन्दोलन का संचालन भी नेपाल से किया जा रहा है चारु मजूमदार और कानु सान्याल वहां से अपना अभिमान चला रहे हैं और नेपाल सरकार की सहायता से वे लासा भी गये।

अब हमारी सहनशक्ति उच्चतम सीमा पर पहुंच चुकी है। चीनी और पाकिस्तानी सामान की नेपाल के माध्यम से भारत में चोरी छिपे लाया जाता है। भारतीय बाजार तस्करी के माल से भरा पड़ा है।

भारत-विरोधी अतिवादियों का नेपाल में मुख्यालय होने की बात को नेपाल सरकार के साथ उठाया जाना चाहिए और नेपाल सरकार से यह भी पूछा जाना चाहिए कि चीनी और पाकिस्तानी माल को भारत में चोरी छिपे लाये जाने को रोकने के लिए नेपाल सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। भारत को मूल दर्शक और तुष्टीकरण की नीति को त्यागकर अपने ही हित में और नेपाल की जनता के हित में कार्यवाही करनी चाहिए, भले ही वह कार्यवाही शाही शासन के विरुद्ध ही क्यों न हो।

Shri Beni Shanker Sharma : Nepal is now an independent and sovereign country and we should not try to interfere in its internal affairs. India and Nepal have very close cultural and religious relations.

We should not try to do anything which would worsen our relations with Nepal. We issued a passport to Shri B. P. Koirala, but we should have done so only after cunsultation with His Majesty's Government of Nepal. Nepal Govt. had sent a protest note that Shri Pushkar Lal, a Nepalese citizen is engaged in anti-Nepalese activities in India. For improving trade relations we should first improve our potitical relations.

I want to know whether there will be any provision in the new treaty to allow import of those goods from India which are required by Nepal for internal consumption and that she will not be allowed to import goods for further exporting them to other countries.

I know that Jute produced in Nepal during 1968 was only 19,000 tons, whereas it exported 32,813 tons of jute. In the same manner Indian Mica and other items of goods were re-exported from Nepal. What steps are the Govt. of India taking to stop such a practice ?

Shri Shiva Chandra Jha : A Nepalese citizen does not differentiate between India and Nepal and considers India also as his mother land. It is a matter of regret that even Members of Parliament consider Shri Koirala as a foreigner.

Until now trade and transit was going on between India and Nepal under the treaty of 1960. I want to know as to what circumstances have led India and Nepal to have a new trade pact ? I want to know whether it is a fact that Nepal wants to have two treaties one for the trade and the other for the transit ? If so, what progress has been made in the talks to persuade Nepal to have only one treaty ? I would also like to know whether Government of India would convene a meeting of Nepal, Bhutan and Sikkim so that there may be a confederation for economic matters and which may lead to potltical confederation later on ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : कुछ सदस्यों ने नेपाल के आन्तरिक मामलों में हस्मक्षेप न करने की बात कही है । मैं यह बता देना चाहता हूँ की भारत ने न तो पहले कभी आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है और न भविष्य में ही कभी हस्तक्षेप करने का इरादा है । नेपाल एक प्रभुसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र है ।

भौगोलिक रूप से नेपाल के एक ओर तिब्बत है और उसके तीन ओर भारत है । एतिहासिक और साँस्कृतिक दृष्टि से नेपाल और भारत के घनिष्ठ सम्बन्ध रहे हैं । यही कारण है कि भारत और नेपाल के बीच व्यक्तियों और सामान आदि का मुक्त आवागमन रहा है और इसके परिणामस्वरूप नेपाल का 90 प्रतिशत व्यापार भारत के साथ रहा है । दोनों देशों के बीच, मुख्यतः तराई क्षेत्र से श्रमिकों का भी काफी आवागमन रहा है ।

1950 के दशक के प्रारम्भ में, परिस्थिति के अनुरूप भारत और नेपाल ने नीतियों का निर्धारण किया । मुझे आशा है कि नेपाल के आर्थिक विकास में भारत के विनम्र सहयोग पर सदस्यों को प्रसन्नता होगी ।

मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि दो स्वतन्त्र और प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्रों के बीच, चाहे वे कितने ही घनिष्ठ मित्र क्यों न हों, कभी-कभी मतभेद उत्पन्न हो ही जाते हैं, परन्तु ये मतभेद व्यापार और यातायात सम्बन्धी सन्धि के कारण उत्पन्न नहीं हुए ।

1950 में व्यापार और वाणिज्य के बारे में एक सन्धि की गई थी, जिसके अन्तर्गत भारत के अतिरिक्त अन्य देशों के साथ आयात-निर्यात व्यापार पर नेपाल और भारत दोनों द्वारा लगाये जाने वाला शुल्क समान था और विदेशी मुद्रा का भारत में संग्रह होता था । 1960 की सन्धि में यह व्यवस्था की गई कि अन्य देशों के साथ लेन देन सम्बन्धी भुगतान दोनों देशों के अपने अपने कानूनों, नियमों और विनियमों के अन्तर्गत होंगे । नेपाली वस्तुओं के भारतीय क्षेत्र से अन्य देशों को लाने ले जाने से तब तक कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हुई जब तक भारत और नेपाल के आयात-निर्यात शुल्क समान थे ।

सन्धि के अंतर्गत नेपाल में पैदा हुई वस्तुओं को अन्य देशों में ले जाने की सुविधा दी जाती रहेगी । 1962-63 में नेपाल का अन्य देशों के साथ व्यापार 20 लाख डालर से थोड़ा कम था जो 1968-69 में बढ़कर 2 करोड़ डालर से भी अधिक हो गया है । परन्तु कुछ अदूरदर्शी तत्वों ने भारत द्वारा दी गई सुविधाओं का नाजायज फायदा उठाकर समस्या पैदा की गई ।

नेपाल सरकार 'निर्यात विनिमय हकदारी योजना' का संचालन करती है जिसे आम जनता द्वारा बोनस बाउचर स्कीम कहा जाता है, जिससे हमारे आयात निर्यात नियन्त्रण का उल्लंघन होता है । हमारे देश से कच्चे जूट के निर्यात पर प्रतिबन्ध है, जबकि नेपाल की सरकार कच्चे जूट के निर्यात पर 30 से 50 प्रतिशत तक बोनस देती है । इसी प्रकार अभ्रक के बारे में नेपाल की सरकार बोनस देती है और यहाँ की सरकार द्वारा निर्यात शुल्क लगाया हुआ है । इसी प्रकार अन्य देशों से जिन वस्तुओं पर भारी आयात शुल्क लगाया हुआ है अथवा जिनके

आयात पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है, उन वस्तुओं का भारत के माध्यम से आयात करके कुछ अदूरदर्शी तत्वों ने नाजायज फायदा उठाया है।

नेपाल ने यह बताया है कि 'निर्यात विनिमय हकदारी योजना' का एक मात्र उद्देश्य नेपाल के निर्यात को प्रोत्साहन देना है और भारतीय हितों को नुकसान पहुँचाने अथवा भारतीय नियमों और विनिमयों के उल्लंघन करने का लक्ष्य नहीं है। भारतीय व्यापार को क्षति पहुँचाये बिना नेपाल के निर्यात विकास की महत्वाकांक्षा की पूर्ति करना सम्भव नहीं हो सका। आशा है कि अक्तूबर 1970 के बाद से लागू होने वाली नई व्यवस्था में इस बात का ध्यान रखा जाएगा।

एक अन्य समस्या भारतीय वस्तुओं पर आयात निर्यात शुल्क लगाने में किये जाने वाला भेदभाव पूर्ण व्यवहार है। हम नेपाल की अर्थ-व्यवस्था के स्वस्थ और तीव्र विकास में सहयोग करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय उत्पादों के प्रति भेदभाव पूर्ण व्यवहार और हमारी आर्थिक नीतियों तथा हितों को नुकसान पहुंचाने पर भी हमें चिन्ता है।

31 अक्तूबर,1970 को वर्तमान सन्धि की समाप्ति के पश्चात् आपसी सहयोग से एक दूसरे के लिए लाभदायक एक ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिससे नेपाल में उत्पादित और निर्मित वस्तुओं के अधिकाधिक निर्यात तथा नेपाल में वास्तविक उपभोग के लिए वस्तुओं के आयात में सहायता मिले और भारत के हितों को भी किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि हमारे दृष्टिकोण और अदूरदर्शी तत्वों द्वारा यातायात सुविधाओं का व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग किये जाने से दोनों सरकारों के समक्ष उपस्थित होने वाली परेशानियों को सही रूप में समझा जाएगा।

मैं यह बात जोर देकर कहना चाहता हूँ कि नेपाल के विकास और उसके व्यापार के संवर्धन में भारत का सहयोग उसे सदैव मिलता रहेगा। भारत और नेपाल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यधिक निकट हैं। मुझे विश्वास है कि एक सम्पन्न नेपाल स्वयं के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र के भी हित में है।

कार्य-मन्त्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

बावनवां प्रतिवेदन

संसद-कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री पी० पार्थसारथी) : महोदय, मैं कार्य-मन्त्रणा समिति के बावनवें प्रतिवेदन को पेश करता हूँ।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 13 अगस्त, 1970/22 श्रावण, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on thursday, August13,1970/ Sravana 22, 1892 (Saka)

Printed at Akashdeep Printers, 20 Darya Ganj, Delhi-6.